एन एच पी सी
NHPC

38वीं वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

निगम का दृष्टिकोण

पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक स्रोतों के माध्यम से विद्युत का सतत विकास करने वाला विश्वस्तरीय, बहुविध एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना।

निगम का लक्ष्य

- पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक स्रोतों एवं बहुविध व्यवसाय के माध्यम से विद्युत के विकास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना ।
- परियोजनाओं का निष्पादन एवं संचालन कम लागत पर और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तौर-तरीके अपनाते हुए तथा सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हुए करना।
- सक्षम, प्रशिक्षित तथा ज्ञान-विज्ञान के बहुविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देना।
- नवीन अनुसंधान व विकास के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का निरंतर विकास करना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य-पद्धति को अपनाना ।
- कारपोरेट शासन की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना तथा सशक्त निगम की पहचान के लिए संगठन में मूल्य आधारित प्रबंधन व्यवस्था अपनाना ।.
- आंतरिक निधि जुटाकर तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम धन की व्यवस्था करना ।

विषय सूची

एनएचपीसी

निदेशक मंडल 2
संदर्भ सूचना 3
कारपोरेट रुपरेखा 4
महत्वपूर्ण वित्तीय आकडों का सार (10 वर्ष) 6
अध्यक्षीय वक्तव्य 9
निदेशकों का विवरण 11
निदेशकों की रिपोर्ट 16
कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट 25
कारपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाण-पत्र 49
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 50
ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय 66
कर्मचारियों के ब्यौरे 69
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 75
एनएचपीसी में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं धारणीय विकास 85
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन टिप्पणियां 89
वित्तीय विवरण 94
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 139

समेकित

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 140
वित्तीय विवरण 142

एनएचडीसी

निदेशकों की रिपोर्ट 185
प्रबधंन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 188
कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट 192
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 197
वित्तीय विवरण 200
नकदी प्रवाह विवरण 228

एलडीएचसीएल

निदेशकों की रिपोर्ट 229
कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट 232
प्रबधंन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 236
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 238
वित्तीय विवरण 240
नकदी प्रवाह विवरण 264

निदेशक मंडल
31.07.2014 को

श्री आर. एस. टी. शाई
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

श्री डी. पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)

श्री जे. के. शर्मा
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री राधेश्याम मीना
निदेशक (कार्मिक)

श्री के. एन. गर्ग
चेयरपर्सन निदेशक

श्री मुकेश जैन
चेयरपर्सन निदेशक

श्री गुरदेव सिंह वेदी
स्वतंत्र निदेशक

श्री अरुण कुमार मागो
स्वतंत्र निदेशक

श्री आर. जयसीलन
स्वतंत्र निदेशक

श्री अशोक कुमार दत्ता
स्वतंत्र निदेशक

श्री अतुल कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक

श्री शांतिकाम हजारिका
स्वतंत्र निदेशक

श्री ए गोपालकृष्णन
स्वतंत्र निदेशक

श्री विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003
हरियाणा

कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003
हरियाणा

कंपनी सचिव

श्री विजय गुप्ता

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट

इक्विटी शेयरों तथा कर मुक्त बांडो के लिए :

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,
प्लाट नं. 17 से 24, विट्टलराव नगर,
माधापुर, हैदराबाद-500081
दूरभाष नं.: +91 40 4465 5000
ई-मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

बांड हेतु:

मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्राइवेट) लिमिटेड
बी- 106, सेक्टर-2
नोएडा- 201301 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष सं.: 0120-4015880
ई-मेल : info@rcmcdelhi.com

शेयर निम्नलिखित में सूचीबद्ध है:

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डिपाजिटरीज

नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरीज लिमिटेड
सेन्ट्रल डिपाजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

जन प्रवक्ता

श्री जयंत कुमार : कार्यपालक निदेशक (वित्त)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
बैंक ऑफ भूटान
इंडियन ओवरसीज बैंक
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
ड्यूश बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
एचडीएफसी बैंक
इंडसइंड बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन.नंदा एंड कंपनी

सनदी लेखाकार,
सी-43, पम्पोश एन्क्लेव,
ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048

मैसर्स सिंघी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
इमरेल्ड हाउस, चौथा तल, 1-बी, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट,
कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल

मैसर्स गुप्ता गुप्ता एण्ड एसोशिएटस

142/3, त्रिकुटा नगर, जम्मू
जम्मू एण्ड कश्मीर-180 012

मैसर्स तिवारी एंड एसोशिएटस

सनदी लेखाकार
टी-8, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स चन्द्र वाधवा एंड कंपनी
204, कृष्णा हाऊस, 4805/24, भारत राम रोड़
दरियागंज,नई दिल्ली - 110 002

मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी
31, कम्यूनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेस- I, नई दिल्ली-110052

मैसर्स एस.सी. मोहंती एंड एसोशिएटस
511, साहिद नगर, भुबनेश्वर - 751 007

मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी
6/257, तृतीय तल, गीता कॉलोनी, नई दिल्ली- 110 031

मैसर्स कृष्ण सिंह बिर्क
365, सेक्टर-15, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 007

मैसर्स बहादुर मुराव एंड कंपनी
शॉप न. 25, डीडीए मार्केट, बी ब्लॉक, प्रीत विहार , दिल्ली - 110 092

मैसर्स के.एल. जयसिंह एंड कंपनी
जे-7, सैक्टर-11, जयसिंह हाउस, नोएडा - 201 301

डिवेन्चर ट्रस्टीज

7.70 प्रतिशत 0 सिरीज	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसिज लिमिटेड़ एक्सिस हाऊस, द्वितीय तल बम्बई डाईंग मिल्स कम्पाउण्ड पांडुरंग बुधकर मार्ग, वोर्ली मुंबई - 400 025 टेलीफोन : + 912224255227
9 प्रतिशत पी सिरीज	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड़ एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट मुंबई - 400 001 टेलीफोन : + 9122 40807000 ईमेल: itsl@idbitrustee.com
9.25 प्रतिशत क्यू सिरीज	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड़ एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट मुंबई - 400 001 टेलीफोनः + 9122 40807000 ईमेलः itsl@idbitrustee.com
8.70 प्रतिशत आर 1 8.85 प्रतिशत आर 2 एंड 8.78 प्रतिशत आर 3 सिरीज	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी सर्विसिज लिमिटेड 8, खेतान भवन, पंचम तर 198, जे टाटा रोड़, चर्चगेट मुंबई - 400 001 टेलीफोनः + 9122 43025555
टैक्स फ्री बॉण्ड्स एनएचपीसी 2013 सिरीज़ 1ए, 1बी, 2ए, 2बी, 3ए एंड 3बी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड़ एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट मुंबई - 400 001 टेलीफोनः + 9122 40807000 ईमेलः itsl@idbitrustee.com

कारपोरेट रुपरेखा

वित्तीय	2013-14	2012-13
बिक्री **	5335.11	5049.13
अन्य प्रचालन राजस्व तथा विविध आय	1658.88	1490.30
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर से पूर्व लाभ*	3816.22	4556.80
ब्याज तथा मूल्यह्रास के पश्चात लाभ	1583.06	3202.13
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर के पश्चात लाभ	978.79	2348.22
प्रस्तावित/अदा किया गया लाभांश	**332.12**	**738.04**
निगम के स्वामित्त्व वाली		
सीडब्ल्यूआईपी सहित निवल अचल परिसंपत्तियां	38736.67	37749.00
निवेश (गैर-वर्तमान)	2227.02	2400.61
अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू आस्तियां	1986.06	2183.11
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां	4885.60	5813.60
	47835.35	**48146.32**
निगम द्वारा देय		
निवल मूल्य	26067.65	27840.50
दीर्घावधि ऋण	18580.52	17417.52
अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	2420.51	2427.61
स्थगित कर देयता	766.67	460.69
	47835.35	**48146.32**
प्रचालन कार्य-निष्पादन		
उत्पादन (एम.यू.)	18386	18923
क्षमता (मेगावाट)	4857	4050
संयंत्र उपलब्धता (प्रतिशत)	77.70	85.30
बिक्री (करोड़ रुपए में)	5537.04	5306.64
जनशक्ति (संख्या)	9838	10410

** बिक्री टैरिफ समायोजन और मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के पश्चात निवल है।

$ पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात

(करोड़ रुपए में)

2011-12	2010-11	2009-10	2008-2009	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
5509.65	4046.59	4218.90	2671.85	2243.73	1754.12	1614.11	1449.98
1274.62	885.52	673.19	589.64	911.77	433.38	359.55	395.96
4752.02	4160.75	3892.41	2201.76	2201.93	1610.04	1454.71	1438.77
3517.04	2877.41	2402.08	1178.34	1146.65	1087.74	812.16	777.53
2771.77	2166.67	2090.50	1075.22	1004.09	924.80	742.75	684.58
861.05	**738.04**	**676.54**	**325.00**	**300.00**	**278.00**	**223.00**	**140.00**
35718.06	33063.66	29316.05	27165.66	23884.66	21636.29	19183.08	17608.84
2499.14	2659.96	4394.05	2793.60	3049.22	3322.75	3832.81	3769.43
2610.55	2491.93	1103.90	976.77	888.17	712.78	667.75	676.57
5141.87	3219.44	3903.95	605.76	713.03	-345.60	-225.34	138.69
45969.62	**41434.99**	**38717.95**	**31541.79**	**28535.08**	**25326.22**	**23458.30**	**22193.53**
26353.53	24580.68	23273.19	17978.29	17275.49	16548.29	15261.43	14100.58
16272.8	13702.53	13868.22	12234.03	9956.33	7531.95	7166.69	7021.80
3139.25	2990.45	1437.44	1329.47	1303.26	1245.98	1030.18	1071.15
204.04	161.33	139.1	0	0	0	0	0
45969.62	**41434.99**	**38717.95**	**31541.79**	**28535.08**	**25326.22**	**23458.30**	**22193.53**
18683	18604	16960	16689	14813	13049	12567	11286
3775	3775	3655	3655	3315	2755	2755	2475
83.30	85.20	84.10	93.61	96.13	94.11	98.16	95.30
5919.48	4225.25	4331.98	2720.82	2570.36	1882.93	1662.92	1475.56
11036	11420	11712	12028	12341	12768	13118	13470

महत्वपूर्ण वित्तीय आकडों का सार (10 वर्ष)

	वित्तीय	2013-14	2012-13
ए	ऊर्जा की बिक्री	5335.11	5049.13
बी	अन्य प्रचालन आय और संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व	201.93	257.51
सी	अन्य आय(असाधारण मदों सहित)	1456.95	1232.79
डी	**कुल आय (ए)+(बी)+(सी)**	**6993.99**	**6539.43**
ई	उत्पादन एवं अन्य व्यय	3177.77	1982.63
एफ	**सकल अंतर (डी)-(ई)**	**3816.22**	**4556.80**
जी	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1210.76	969.29
एच	**सकल लाभ (एफ)-(जी)**	**2605.46**	**3587.51**
आई	वित्त प्रभार	1022.40	385.38
जे	**कर पूर्व निवल लाभ (एच)-(आई)**	**1583.06**	**3202.13**
के	कर	604.27	853.91
एल	**कर पश्चात निवल लाभ (जे)-(के)**	**978.79**	**2348.22**
एम	प्राधिकृत पूंजी	15000.00	15000.00
एन	इक्विटी प्रदत्त पूंजी	11070.67	12300.74
ओ	आरक्षित एवं अधिशेष	14996.98	15539.76
पी	दीर्घावधि ऋण	18580.52	17417.52
क्यू	अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	2420.51	2427.61
आर	सकल चल तथा अचल परिसंपत्तियां	32931.02	25720.04
एस	मूल्यह्रास	8851.48	7680.08
टी	**निवल मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियां (आर)-(एस)**	**24079.54**	**18039.96**
यू	चालू पूंजीगत कार्य	14657.13	19709.04
वी	निवेश (गैर-वर्तमान)	2227.02	2400.61
डब्ल्यू	अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू आस्तियां	1986.06	2183.11
एक्स	कार्यशील पूंजी	4885.60	5813.60
वाई	पश्च लेखन न किया गया विविध व्यय	0.00	0.00
जेड	**नियोजित सकल पूंजी (टी)+(यू)+(व्ही)+(डब्ल्यू)+(एक्स)**	**47835.35**	**48146.32**
एए	**निवल मूल्य (एन)+(ओ)-(वाई)**	**26067.65**	**27840.50**
एबी	विद्युत स्टेशन में मालसूची उपभोग	26.90	27.01
एसी	**मूल्यवर्धन (ए)-(एबी)**	**5308.21**	**5022.12**

	अनुपात	2013-14	2012-13
	नियोजित सकल पूंजी पर प्रतिफल (एच)/(जेड)	5.45%	7.45%
	निवल मूल्य पर प्रतिफल (एल)/(एए)	3.75%	8.43%
	नियोजित सकल पूंजी पर बिक्री ((ए)-(जेड)	11.15%	10.49%
	बिक्री पर मूल्यवर्धन (एसी)/(ए)	99.50%	99.47%
	निवल बिक्री पर निवल लाभ (एल)/(ए)	18.35%	46.51%
	प्रति शेयर बही मूल्य (एए)/(एडी)	23.55	22.63
	प्रति शेयर अर्जन	0.82	1.91
	प्रति शेयर लाभांश	0.30	0.60
	ऋण तथा इक्विटी अनुपात (पी)/((एन)+(ओ))	0.71	0.63
	वर्तमान अनुपात	1.80	1.91

(करोड़ रुपये में)

2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
5509.65	4046.59	4218.90	2671.85	2243.73	1754.12	1614.11	1449.98
409.83	178.66	113.08	48.97	326.63	128.81	48.81	25.58
871.26	706.86	560.11	540.67	585.14	304.57	310.74	370.38
6790.74	**4932.11**	**4892.09**	**3261.49**	**3155.50**	**2187.50**	**1973.66**	**1845.94**
2038.72	771.36	999.68	1059.73	953.57	577.46	518.95	407.17
4752.02	**4160.75**	**3892.41**	**2201.76**	**2201.93**	**1610.04**	**1454.71**	**1438.77**
892.74	916.74	1033.25	518.24	443.74	290.55	269.57	248.97
3859.28	**3244.01**	**2859.16**	**1683.52**	**1758.19**	**1319.49**	**1185.14**	**1189.80**
342.24	366.60	457.08	505.18	611.54	231.75	372.98	412.27
3517.04	**2877.41**	**2402.08**	**1178.34**	**1146.65**	**1087.74**	**812.16**	**777.53**
745.27	710.74	311.58	103.12	142.56	162.94	69.41	92.95
2771.77	**2166.67**	**2090.50**	**1075.22**	**1004.09**	**924.80**	**742.75**	**684.58**
15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
12300.74	12300.74	12300.74	11182.49	11182.49	11207.04	10576.09	9933.27
14052.79	12279.94	10972.45	6798.13	6093.34	5367.05	4709.89	4168.49
16272.80	13702.53	13868.22	12234.03	9956.33	7531.95	7166.69	7021.80
3139.25	2990.45	1437.44	1329.47	1303.26	1245.98	1030.18	1071.15
23060.93	22874.93	21302.37	21460.08	20639.51	12943.64	12755.52	10876.28
6692.61	5774.04	4907.44	3816.27	3262.66	2850.92	2527.83	2148.20
16368.32	**17100.89**	**16394.93**	**17643.81**	**17376.85**	**10092.72**	**10227.69**	**8728.08**
19349.74	15962.77	12921.12	9521.85	6507.81	11543.57	8955.39	8880.76
2499.14	2659.96	4394.05	2793.60	3049.22	3322.75	3832.81	3769.43
2610.55	2491.93	1103.90	976.77	888.17	712.78	667.75	676.57
5141.87	3219.44	3903.95	605.76	713.03	-345.60	-225.34	138.69
0.00	0.00	0.00	2.33	0.34	25.80	24.55	1.18
45969.62	**41434.99**	**38717.95**	**31541.79**	**28535.08**	**25326.22**	**23458.30**	**22193.53**
26353.53	**24580.68**	**23273.19**	**17978.29**	**17275.49**	**16548.29**	**15261.43**	**14100.58**
10.14	3.94	4.28	8.92	6.15	6.56	12.02	7.73
5499.51	**4042.65**	**4214.62**	**2662.93**	**2237.58**	**1747.56**	**1602.09**	**1442.25**

2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
8.40%	7.83%	7.38%	5.34%	6.16%	5.21%	5.05%	5.36%
10.52%	8.81%	8.98%	5.98%	5.81%	5.59%	4.87%	4.85%
11.99%	9.77%	10.90%	8.47%	7.86%	6.93%	6.88%	6.53%
99.82%	99.90%	99.90%	99.67%	99.73%	99.63%	99.26%	99.47%
50.31%	53.54%	49.55%	40.24%	44.75%	52.72%	46.02%	47.21%
21.42	19.98	18.92	16.08	15.45	14.78	14.94	14.96
2.25	1.76	1.76	0.96	0.90	0.83	0.73	0.73
0.70	0.60	0.55	0.29	0.27	0.25	0.22	0.15
0.62	0.56	0.60	0.68	0.58	0.45	0.47	0.50
1.76	1.52	1.88	1.16	1.21	0.86	1.02	1.04

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जम्मू व कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित एनएचपीसी के 240 मेगावाट उड़ी-II पावर स्टेशन को 4 जुलाई, 2014 को राष्ट्र को समर्पित करते हुए। इस अवसर पर श्री एन. एन. वोहरा, माननीय राज्यपाल, जम्मू व कश्मीर, श्री उमर अब्दुल्ला, माननीय मुख्यमंत्री, जम्मू व कश्मीर, श्री पीयूष गोयल, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत, कोयला और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार तथा विद्युत मंत्रालय व एनएचपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

एनएचपीसी लिमिटेड

अध्यक्षीय वक्तव्य

अध्यक्षीय वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

मैं आपकी कंपनी की 38वीं आम वार्षिक बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यद्यपि इस समय हम आर्थिक व व्यवसायिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं। फिर भी, आपकी कंपनी पावर सैक्टर में व्यवसाय की संभावनाओं के प्रति आशान्वित है। भारत सरकार ने सभी नागरिकों को 24 x 7 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा है, जो विद्युत आपूर्ति उपलब्धता पर निर्भर है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ जलविद्युत का उत्पादन करने वाली आपकी कंपनी आपको लाभान्वित करने की अपनी क्षमताओं और व्यवसायिक संभावनाओं के प्रति आशावादी है।

निष्पादन समीक्षा

आपकी कंपनी के लिए पिछला वर्ष काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे हैं :

- आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान 760 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि की है।
- बिक्री कारोबार 5,369 करोड़ से बढ़कर 6,397 करोड़ रूपए हुआ है।
- आपकी कंपनी ने 18,386 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया है।
- पार्बती-II जलविद्युत परियोजना की एचआरटी के शेष कार्य के लिए संविदा कार्य सौंपा गया।

पिछले वर्ष के दौरान हमारे सामने कुछ बाधाएं भी आई हैं :

- कंपनी का लाभ घटकर 978.79 करोड़ रूपए हो गया। लाभ में इस कमी का मुख्य कारण उधार ली गई धनराशि का भुगतान तथा सुबानसिरी लोअर तथा तीस्ता लो डैम परियोजनाओं में हुए अन्य प्रशासनिक -IV खर्चों के कारण हुआ, चूँकि इन परियोजनाओं की निर्माण गतिविधियां लम्बे समय तक बाधित रहीं।
- सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना में डाऊनस्ट्रीम संबंधी मुद्दों के कारण लगातार गतिरोध रहा। आपकी कंपनी सभी स्टेकहोल्डरों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए पूरी तरह सक्रिय है।
- टीएलडीपी-IV जलविद्युत परियोजना में बांध संबंधी कार्य रूका हुआ है। कार्य को शीघ्र पुनः शुरूकरने के लिए प्रयास किए जा रहे है।
- जून 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण से धौलीगंगा जलविद्युत पावर स्टेशन डूब गया था। आपकी कंपनी धौलीगंगा जलविद्युत पावर स्टेशन की सभी यूनिटों को पुनः चालू करने में सफल रही।

लाभांश

वर्ष 2013-14 के लिए निदेशक मंडल ने 0.30 रूपए प्रति शेयर (लाभांश कर छोड़कर) का लाभांश देने की सिफारिश की है। कुल लाभांश का भुगतान 332.12 करोड़ रूपए रहेगा जो कर पश्चात लाभ का 33.93 प्रतिशत है।

बेहतर कारपोरेट नागरिक एवं कारपोरेट गवर्नेंस लाभांश

आपकी कंपनी ने प्रभावी कारपोरेट गवर्नेंस स्थापित किया है। जिसकी विशेषता है, गुणवत्तापूर्ण गवर्नेंस की प्रतिबद्धता रखना, प्रकटीकरण में पारदर्शिता, स्टेकहोल्डर्स मूल्य से अभिवृद्धि में निरन्तरता तथा कारपोरेट सामाजिक दायित्व। एनएचपीसी का प्रयास कारपोरेट गवर्नेंस की मूलभूत आवश्यकताओं तथा नियमित ढांचागत

पद्धति से बढ़-चढ़ कर कार्य करना रहा है, जिसमें हमने अपने अनेक स्टेकहोल्डर्स के विश्वास को ध्यान में रखते हुए कार्य करने को प्राथमिकता दी है। कंपनी ने पारदर्शिता, प्रकटीकरण तथा सभी के लिए न्यायपरक, विशेषरूप से छोटे शेयरहोल्डर्स को ध्यान में रखते हुए, कार्य प्रणाली विकसित की है।

एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते आपकी कंपनी ने कारपोरेट गवर्नेंस की उन सभी आवश्यकताओं/निर्देशों का अनुपालन किया है, जिनका उल्लेख सूचीबद्ध समझौता ज्ञापन में किया गया है तथा इस संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए प्रावधानों का भी अनुपालन किया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

हम लगातार समाज के प्रति योगदान देने के अपने प्रयासों व पहलों को जारी रखे हुए है। आपकी कंपनी ने समाज के उपेक्षित क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण व शिक्षा देने जैसे सामाजिक मुद्दों की ओर विशेष ध्यान दिया है। आपकी कंपनी द्वारा आवंटित सीएसआर बजट के अंतर्गत संपूर्ण देश में वास्तविक व वित्तीय कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन हेतु निगम मुख्यालय में अलग से एक संगठनात्मक विभाग कार्य कर रहा है।

संभावनाएं

अब हम अपने इतिहास के एक ऐसे कठिन मोड़ पर हैं, जिसमें हमें वर्तमान उत्पादन को निरंतर बनाए रखते हुए, विकास के नये आयामों की खोज भी करनी है। हमें थर्मल, पवन और सोलर ऊर्जा के क्षेत्रों में विविधीकरण हेतु अपने प्रयास जारी रखने होंगे।

वर्तमान में 3,290 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 4 जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी के विस्तार कार्यक्रम के तौर पर 5,115 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली पांच परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त, जम्मू व कश्मीर में तीन परियोजनाएं (2,120 मेगावाट) और मणिपुर में एक परियोजना (66 मेगावाट) संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है।

आभार

मैं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग और मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। मैं एनएचपीसी के स्टेकहोल्डर्स के साथ-साथ मंत्रालयों, संघ सरकार के प्राधिकरणों और एंजेंसियों, राज्य सरकारों, माननीय शेयर होल्डरों और हमारे सम्मानीय ग्राहकों के सहयोग और उत्साहवर्धन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एनएचपीसी के सभी कार्मिकों की टीम का भी उनके द्वारा कंपनी को चलाने में किए गए कठिन परिश्रम व समर्पण के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं पुनः अपने निदेशक मंडल की ओर से आपके निरंतर सहयोग और विश्वास के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इससे हमें अपने प्रयासों में उत्कृष्टता बनाए रखने तथा आपके लिए निरंतर मूल्यवान सृजन करते रहने की प्रेरणा मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमें आपका इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा।

आपका शुभेच्छु,

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00171920

दिनांक : 26 सितंबर, 2014
स्थान : नई दिल्ली

नोट : इसका अभिप्राय वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड नहीं है।

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशकों का विवरण

निदेशकों का विवरण

श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या 00171920

श्री आर.एस.टी.शाई (आयु 57 वर्ष), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर के फेलो हैं। उन्होंने आईआईएम बंगलौर से प्रबंधन में डिप्लोमा किया है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि डिग्रीधारक भी हैं। श्री शाई के पास बैंकिंग, वित्त, वाणिज्य, ईपीसी संविदा और संविदा प्रबंधन में 33 वर्ष से अधिक का व्यापक अनुभव है।

उन्होंने आपूर्तिकर्ता के क्रेडिट के मूल्यांकन हेतु पारदर्शी निविदा दस्तावेज विकसित किए और दिल्ली मेट्रो में परियोजना को जल्द पूरा करने हेतु बोनस के नूतन उपाय को भी लागू किया। श्री शाई ने एसबीआई, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और दिल्ली मेट्रो में क्रमशः विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है। वर्तमान में वह यूजेवीएनएल में एक अंशकालिक निदेशक और आईआईटी, रूड़की की शासी परिषद के सदस्य हैं। वे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी हैं। इससे पूर्व वे मई, 2005 से टीएचडीसी में निदेशक (वित्त) का प्रभार ग्रहण किए हुए थे। वे 08.06.2014 से एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए है।

श्री ए बी एल श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त)

डीआईएन संख्या : 001601682

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव (आयु 59 वर्ष) व्यापार वित्त और वाणिज्य में स्नाकोत्तर डिग्रीधारक हैं। श्रीयुत श्रीवास्तव इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) फेलो सदस्य भी हैं। आपने एनएचपीसी के विकास और उसकी सफलता में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। आप परियोजना वित्त पोषण के दायित्व का निर्वाह करते रहे हैं, जिसमें संसाधन जुटाना, वित्तीय पुनर्व्यवस्थापन और घेरलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से धन उगाहना तथा उसका अनुकूलतम उपयोग करना शामिल है। श्रीयुत श्रीवास्तव समुचित विभागीय नियंत्रण प्रणालियां तैयार करने में सक्रिय रहे हैं जिससे एनएचपीसी कारपोरेट अभिशासन पद्धतियों को अपनाने में सक्षम रही है। एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री श्रीवास्तव ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) में परियोजना वित्त, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से संसाधन जुटाना जैसे विभिन्न पदों पर काम किया। वे आरईसी के पूर्ण स्वामित्त्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के बोर्ड में भी रह चुके हैं। श्रीयुत श्रीवास्तव पीटीसी इंडिया लिमिटेड और एचएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में एनएचपीसी के नामित निदेशक के रूप में भी रहे हैं। श्रीयुत श्रीवास्तव आरईसी और एनएचपीसी लिमिटेड, दोनों के विनिवेश कार्यक्रम में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वे एनएचपीसी के शेयरों की पुनः खरीद में भी शामिल थे, जो खरीदों की पुनः खरीद करने वाली पहली सीपीएसई थी।

श्री श्रीवास्तव को ''अंतर्राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एसोसिएशन'' (आईपीएमए) द्वारा 'प्रमाणित परियोजना निदेशक' (सीपीडी), आईपीएमए स्तर ए से भी नवाजा गया था। ''परियोजना प्रबंधन प्रमाणीकरण संस्थान'' (आईपीएमसी) परियोजना प्रबंधन एसोसिएटस का एक प्रमाणीकरण निकाय है जो आईपीएमसी तथा राष्ट्रीय दक्षता आधारलाइन के विनियमों में अंतर्गत कार्य करता है। श्री श्रीवास्तव भारत में सीपीडी प्राप्त करने वाले वित्त पृष्ठभूमि के पहले व्यक्ति है। वे इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार स्पेशल अचीवर अवार्ड-2010 प्राप्त करने वालों में शामिल हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी विशिष्ट व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए दिया गया। इसके अतिरिक्त, 23 दिसम्बर, 2011 को टॉप रैंकर्स द्वारा उन्हें वर्ष 2011 हेतु ''टाप रैंकर्स उत्कृष्टता - वर्ष के उपलब्धि धारक'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 14 दिसम्बर, 2014 को ईपीसी वर्ल्ड मीडिया ग्रुप द्वारा उन्हें विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु ''विद्युत क्षेत्र में असाधारण व्यक्तिगत योगदान'' के लिए पुरस्कार से नवाजा गया था। श्रीयुत श्रीवास्तव 1.1.2011 से 23.07.2012 तक एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल चुके हैं। श्री श्रीवास्तव ने 11 फरवरी, 2008 से एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार संभाला।

श्री डी. पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन संख्या : 01277269

श्री डी. पी. भार्गव (आयु 58 वर्ष) रूड़की विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक हैं और उनके पास जल विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों का अनुभव है। वे परियोजनाओं के डिजाइन और इंजीनियरी, विद्युत गृहों का प्रचालन एवं अनुरक्षण, संविदा और अधिप्राप्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्यों, अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों के प्रभारी हैं।

श्री भार्गव ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाथपा झाकरी जल विद्युत केन्द्र में भी कार्य किया हैं।

एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री भार्गव ने एनएचपीसी में विभिन्न पदों पर कार्य किया जिसमें कार्यपालक निदेशक (परियोजना) शामिल है। है। वे एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक निदेशक भी रह चुके है। उन्होंने 26 मार्च, 2009 से एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

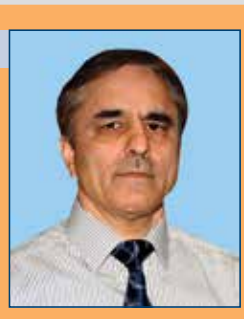

श्री जे. के. शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं)

डीआईएन संख्या : 00387785

श्री जे. के. शर्मा (आयु 56 वर्ष) इंदौर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री धारक हैं और अमेरिकी सिविल इंजीनियरी सोसायटी के एक सदस्य हैं। वे इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) एंड चार्टर्ड इंजीनियर के भी फेलो सदस्य हैं। वे वर्तमान में निर्माण परियोजनाओं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी), निर्माण उपकरण आयोजना (सीईपी), निगमित आयोजना और परियोजना प्रबोधन सेवा समूह (पीएमएसजी) के प्रभारी हैं।

श्री शर्मा के पास भारत तथा विदेश में मुख्य रूप से जल विद्युत के क्षेत्र में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव है। एनएचपीसी में कार्य भार ग्रहण करने से पहले श्री शर्मा ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में निदेशक (सिविल) के रूप में काम किया है। वे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार और मदर टेरेसा उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। वे 27 सितम्बर, 2011 से प्रमाणित परियोजना निदेशक, आईपीएमए लेवल-ए हैं। उन्होंने 10 अप्रैल, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री राधेश्याम मीना, निदेशक (कार्मिक)

डीआईएन संख्या : 00149956

श्री राधेश्याम मीना (आयु 57 वर्ष) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (अब एमएएनआईटी के रूप में विख्यात), भोपाल से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास में विशेषज्ञता के साथ व्यापार विकास में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं।

श्री मीना ने विद्युत क्षेत्र में तकनीकी तथा शासन स्तर पर अपने 33 वर्ष से अधिक के अनुभव के दौरान, डिजाइन, इंजीनियरी, निर्माण, कार्यान्वयन, परीक्षण एवं ट्रांसमिशन लाइनों तथा जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने जैसे विविध कार्यों को संभाला है। वे एनएचपीसी लिमिटेड में कई अन्य विभागों के प्रमुख भी रहे है।

वर्तमान में वे मानव संसाधन प्रबंधन, राजभाषा, मानव संसाधन विकास, विधि, कारपोरेट संचार, परामर्शी एवं संयुक्त उद्यम, व्यापार विकास तथा तापीय सेवाओं और अनुसंधान एवं विकासके दायित्व को संभाले हुए हैं।

श्री मीना कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों तथा सम्मानों के विजेता है। उनमें से कुछेक का उल्लेख किया जा सकता है जैसे श्री आर.एस.मीना को संगठनात्मक विकास, नेतृत्व, नवाचार एवं परिवर्तन प्रबंधन एप्रोच के माध्यम से मानव संसाधन क्षेत्र में अपने असाधारण योगदान के लिए आईपीई (इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइस) द्वारा संस्थापित एचआर नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिल कर मानव संसाधन अग्रणी के रूप में स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया था।

श्री मीना को वर्ष 2012-2014 की अवधि हेतु विद्युत एचआर फोरम का अध्यक्ष चुना गया है जिसे ''मानव संसाधन में उत्कृष्टता के माध्यम से भारतीय विद्युत क्षेत्र की सेवा करने'' के उद्देश्य से गठित किया गया है और वे 2013-15 की अवधि हेतु सार्वजनिक उद्यमों संबंधी स्थायी समिति (स्कोप) के सदस्य है। वे एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाले हुए है।

श्री मीना ने 1981 में एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण किया और 1991 से 1998 तक वे पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में थे। उन्होंने 1998 को फिर से एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण किया कार्यपालक निदेशक (परामर्शी एवं व्यापार विकास) और कार्यकारी निदेशक, क्षेत्र-III, कोलकाता के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 28 अप्रैल, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री के.एन.गर्ग, सरकारी नामिती निदेशक

डीआईएन सं. 06707847

श्री के.एन.गर्ग (59 वर्ष) ने सीईए में सदस्य (हाइड्रो) का कार्यभार 28.6.2013 को ग्रहण किया था। वे बीआईटी मेसरा, रांची से मेकेनिकल अभियांत्रिकी में स्नातक और व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक हैं। उनके पास विद्युत क्षेत्र की विभिन्न विधाओं में लगभग 35 वर्ष का बहुमुखी अनुभव है और वे जल विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं जिसमें जल विद्युत संभाव्यता की आयोजना, आंकलन, सर्वेक्षण तथा जाँच, निर्माण प्रबोधन, डिजाइन एवं अष्यांत्रिकी, जल विद्युत परियोजनाओं का नवीकरण, आधुनिकीकरण, अपरेटिंग तथा जीवन विस्तार सहित बोली दस्तावेजों को तैयार करने, जल विद्युत संयंत्रों के मुख्य उपकरण का निविदा मूल्यांकन आदि शामिल है। श्री गर्ग ने वर्ष 1992 में कोलम्बो योजना के अंतर्गत यू.के. में पम्पड भण्डारण संयंत्रों के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

श्री गर्ग तापीय विद्युत स्टेशनों को कोयले के दीर्घावधि लिंकेज के आवंटन, विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के समन्वय और सीपीआरआई, बंगलौर के साथ मिलकर राष्ट्रीय संदर्शी योजना को तैयार करने तथा पूर्वि ग्रिड के प्रचालन में भी शामिल थे। उन्हें वर्ष 2009 में मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नति दी गई थी और वे सीईए में अखिल भारतीय ग्रिड के प्रबंधन और ट्रांसमिशन प्रणाली के एकीकृत प्रचालन तथा साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के लिए उत्तरदायी थे। बाद में वे जल विद्युत अभियांत्रिकी और प्रोद्योगिकी विकास तथा जल विद्युत अभायांत्रिकी एवं नवीकरण तथा आधुनिकीकरण प्रभागों के प्रमुख रहे। उन्होंने सीईए के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्य किया था।

उन्होनें 7.10.2013 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया था।

श्री मुकेश जैन, सरकारी नामिती निदेशक

डीआईएन संख्या 06733536

श्री मुकेश जैन (52 वर्ष) ने 11.11.2013 से हमारे बोर्ड में एक सरकारी नामिति निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे स्वर्ण पदक के साथ इलेक्ट्रोनिक्स अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्रीधारक, आईआईएम अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक हैं । श्री जैन मध्य प्रदेश काडर के 1989 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने 24 वर्षो के प्रतिष्ठित करियर के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार तथा साथ ही साथ केन्द्र सरकार में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया जिसमें पुलिस अधीक्षक (रायसेन और मंडसौर), क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (जयपुर), महानिरीक्षक सीआईडी (नई दिल्ली), वाणिज्य राज्य मंत्री के निजी सचिव और विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया। वर्तमान में वे विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं।

श्री गुरुदेव सिंह वेदी, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 002286126

श्री गुरुदेव सिंह वेदी (आयु 64 वर्ष) विज्ञान में स्नातक उपाधि और कला में स्नाकोत्तर उपाधि धारक है और इन्होंने नवम्बर 1969 में पंजाब एंड सिंध बैंक में सेवा प्रारंभ की और तेजी से तरक्की करते हुए 2004 में बैंक के महाप्रबंधक पद पर पहुंच गए।

उन्हें देश भर में बैंकिंग उद्योग में, प्रशासनिक कार्यालयों तथा प्रचालनगत कार्यालयों, दोनों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर काम करने का 40 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने मुम्बई, चण्डीगढ़, जयपुर और गुवाहाटी में पंजाब एण्ड सिंध बैंक के विभिन्न आंचलिक कार्यालयों के प्रमुख के रूप में काम किया है। श्री वेदी विदेशी मुद्रा, कार्मिक, निरीक्षण एवं मर्चेन्ट बैंकिंग के क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके है। महाप्रबंधक के रूप में उन्होंने लेखा, टेजरी, सूचना प्रौद्योगिकी और आयोजना एवं विकास प्रभागों के प्रमुख के रूप में काम किया। उन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक को तेजी से विकास करने वाले और लाभ कमाने वाले संस्थान के रूप में परिवर्तित करने के लिए कार्यनीतियां तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

भारत सरकार ने श्री वेदी को 07 नवम्बर 2007 को केनरा बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया। केनरा बैंक में काम करते हुए उन्होंने टेजरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों, सूचना प्रौद्योगिकी, वसूली, लेखा, आयोजना एवं विकास, सामान्य प्रशासन, निरीक्षण और कार्मिक सहित बैंक के लगभग सभी प्रमुख विभागों के प्रभारी के रूप में कार्य किया।

अक्टूबर, 2008 में श्री वेदी कों एक बार फिर से पंजाब एण्ड सिंध बैक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया और बाद में भारत सरकार द्वारा उन्हें 26 अगस्त 2009 को बैक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान बैंक ने हर वर्ष अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करते हुए अपने कार्यव्यापार में 35 प्रतिशत से अधिक का इजाफा किया, जबकि बैंकिंग उद्योग की औसत वृद्धि करीब 20 प्रतिशत थी।

श्री वेदी ने बैंक में कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स प्रारंभ करने और बैंक को एनएसई के साथ सूचीबद्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक/भारत सरकार की मंजूरी हासिल करने में भी सक्रिय भूमिका अदा की।

श्री वेदी एनएचडीसी बोर्ड में एक अंशकालिक सदस्य हैं।

उन्होंने 08.11.2011 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार संभाला।

श्री अरुण कुमार मागो, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 01624833

श्री अरुण कुमार मागो (आयु 69 वर्ष) भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और सामाजिक विज्ञान में एम.फिल. उपाधि धारक है। श्री मागो ने पेरिस से प्रबंधन एवं लोक वित्त में डिप्लोमा और दिल्ली से लोक प्रशासन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है।

श्री मागो ने 1967 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला और प्रशासन एवं प्रबंधन में 37 वर्ष का दीर्घावधि अनुभव प्राप्त किया। श्री मागो ने केन्द्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत ऊर्जा, विद्युत, बंदरगाह, शहरी ढांचा, उद्योग, पर्यावरण एवं वन जैसे अनेक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्होंने बिजली, बंदरगाहों और शहरी ढांचे के क्षेत्र में नीति, आयोजना एवं कार्यान्वयन जैसे विषयों में विशेषज्ञता हांसिल की है।

श्री मागो महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुकें हैं। वे मेट्रोपॉलिटेन कमीशनर, एमएमआरडीए और और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त पद पर रह चुके हैं। वे भारतीय नौवहन निगम और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक भी थे। वे मैसर्स येस बैंक के बोर्ड में भी स्वतंत्र निदेशक थे और इंटर-कनेक्टिड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के जन-प्रतिनिधि निदेशक भी हैं। वर्तमान में वे येस सिक्योरिटीज में अंशकालिक निदेशक है।

श्री मागो 2004 में महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए और 09.11.2011 को उन्हें फिर से एनएचपीसी बोर्ड में नियुक्त किया गया।

श्री आर जयसीलन, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 02143850

श्री आर जयसीलन (आयु 68 वर्ष), ने मद्रास विश्वविद्यालय से बीई (सिविल इंजीनियरी) डिग्री, आईआईटी (मद्रास) से एम.टेक (स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग) डिग्री और नॉर्वेजियन टेक्निकल इंस्टिट्यूट, ट्रोन्डेहम से स्नातकोत्तर डिप्लोमा (जल-विद्युत) प्राप्त किया है। उन्हें जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में 45 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

श्री जयसीलन ने दिसम्बर 1969 में केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा में सहायक निदेशक के पद पर कार्यभार संभाला था और 33 वर्ष से अधिक के सेवाकाल में विभिन्न पदों पर कार्य करने के पश्चात चार वर्ष तक भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया है। वे भारत के अलावा लाओस, म्यांमार, अफगानिस्तान, मोज़ाम्बिक, ओमान, इंडोनेशिया और रवांडा में जल संसाधन विकास से संबंधित कई परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। श्री जयसीलन इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज (आईसीआईडी) के उपाध्यक्ष, जल संसाधन डिविजन कांउसिल, बीआईएस के अध्यक्ष और तोक्यो, जापान में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय में शिक्षक और केन्द्र-राज्य संबंध पर राष्ट्रीय आयोग के आधारभूत ढांचा विकास संबंधी कार्य बल के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने लगभग 25 तकनीकी पेपरों का योगदान दिया है और वे विभिन्न मंचों पर कई व्याख्यान दे चुके है।

श्री जयसीलन सरकारी शिष्टमंडलों के सदस्य के रूप में और व्याख्यान देने तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए 25 से अधिक देशों की व्यापक यात्राएं कर चुकें हैं। श्री जयसीलन जल संसाधन और प्रबंधन, विशेषकर विभिन्न जल विद्युत विकास परियोजनाओं के सिविल पहलुओं के बारे में भारत और विदेश में सलाहकार/परामर्शदाता के रूप में भी काम कर रहे हैं। वे एपीजीईएनसीओ, आंध्र प्रदेश सरकार और एसएसएनएनएल, गुजरात सरकार के लिए कुछ तकनीकी समितियों के अध्यक्ष भी हैं।

श्री जयसीलन की 12.11.2011 को एनएचपीसी बोर्ड में पुनः नियुक्ति हुई।

श्री अशोक कुमार दत्ता, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 00045170

श्री अशोक कुमार दत्ता (आयु 67 वर्ष), आईआईटी खडगपुर में बिजनेस स्कूल के संस्थापक डीन रहे है। श्री दत्ता भारत में सबसे पुराने बिजनेस स्कूल, इंडियन इंस्टिट्यूट फोर सोशल वेल्फेयर एण्ड बिजनेस मैनेजमेंट, का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), के पहले निदेशक के रूप में कार्यभार समाप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में, श्री दत्ता पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य है जिसका पद तथा दर्जा केन्द्रीय राज्य मंत्री के समान है।

श्री दत्ता ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, भारतीय व्यापार घरानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 40 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव प्राप्त किया है। जहाजरानी और परिवहन, तेजी से चलन में आने वाले उपभोक्ता उत्पादों, फार्मास्युटिकल्स, मीडिया और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आपने व्यापक अनुभव प्राप्त किया है।

श्री दत्ता वर्तमान में खादिम्स इंडिया लिमिटेड और एबीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्डों में सेवारत हैं और आल इंडिया टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के चेयरमैन हैं। प्रोफेसर दत्ता ने डीसेल्स यूनिवर्सिटी, यूएसए के ट्रस्टी और कियांग्डो, चीन की ओशियन यूनिवर्सिटी में परामर्शी प्रोफेसर है। वे असम विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (आईईएम) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तथा हैदराबाद में विज्ञान ज्योति ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स के सदस्य हैं। वे 30.03.2012 को एनएचपीसी बोर्ड में शामिल हुए हैं।

श्री अतुल कुमार गर्ग, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 02281287

श्री अतुल कुमार गर्ग (आयु 64 वर्ष), राजनीति विज्ञान और आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है और उन्होंने ब्रिटेन की हुली यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया हैं। श्री गर्ग ने 1976 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में राजस्थान काडर के अंतर्गत कैरियर की शुरूआत की। वे राजस्थान वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक, राजस्थान के राज्यपाल के सचिव और राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सचिव/विशेष सचिव सहित विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं।

सीएडी कमिशनर, चम्बल कमान कोटा, के रूप में कार्य करते हुए श्री गर्ग को दो बार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का प्रथम पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त हुआ।

श्री गर्ग ने कनाडा की सहायता से बड़े पैमाने पर सिंचाई नहर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को समयबद्ध रूप में पूरा करने का दायित्व निभाया। कनाडा की सहायता से चलाया गया यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम था और इसके अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र देश में किसी भी एजेंसी के कार्य क्षेत्र से बड़ा था। श्री गर्ग ने 30.03.2012 को एनएचपीसी बोर्ड में पद भार ग्रहण किया है।

श्री शांतिकाम हजारिका, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 00523656

श्री शांतिकाम हजारिका (आयु 66 वर्ष) बिट्स, पिलानी से स्नातक उपाधि और आईआईएम अहमदाबाद से स्नात्कोत्तर डिप्लोमा धारक है। वे वर्तमान में ज्ञान सागर फांउडेशन के अधिशासी निदेशक हैं जो रॉयल ग्रुप ऑफ इंन्स्टीट्यूशनस का संचालन करता है और असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना में रत है। इससे पूर्व वे असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे।

श्री हजारिका असम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गुवाहाटी (असम सरकार की एक सोसाइटी) के संस्थापक निदेशक थे, एक पद जिस पर उन्होंने 22 वर्ष तक कार्य किया। पूर्व में वह ऑयल इण्डिया लिमिटेड के एक वरिष्ठ कार्यपालक थे जहां उन्होंने लगभग 15 वर्ष तक कार्य किया। उन्होंने 3 वर्ष तक असम राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य (वित्त) के रूप में भी कार्य किया। एनएचपीसी बोर्ड ने कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री हजारिका असम राज्य वेतन आयोग के सदस्य और गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी कार्य किया। वर्तमान में श्री हजारिका असम राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम में एक निदेशक और नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कारपोरेशन लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं । श्री हजारिका डा. बी. बरूआ, केंसर संस्थान की प्रबंधन परिषद के सदस्य और राज्य नवाचार परिषद, असम के एक सदस्य भी हैं।

इन्होंने 24.05.2012 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री ए. गोपालकृष्णन, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 02880344

श्री ए. गोपालकृष्णन (आयु 62 वर्ष) एक सनदी लेखाकार और सनदी लेखाकारों की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक अत्यंत प्रतिष्ठित संगठन मैसर्स वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी में वरिष्ठ पार्टनर हैं, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। श्री गोपालकृष्णन ने मई, 1974 में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सीए फाइनल परीक्षा में 13वां और मई, 1973 में आयोजित सीए इंटरमीडिएट में 36वां स्थान प्राप्त किया था।

श्री गोपालकृष्णन भारतीय उद्योग परिसंघ की राज्य परिषद, केरल क्षेत्र और कराधान अध्ययन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम के सदस्य रहे हैं। वे एर्नाकुलम के चिन्मय मिशन एजुकेशलन एंड कल्चरल ट्रस्ट नाम के शैक्षिक न्यास के साथ मुख्य सेवक के रूप में सम्बद्ध रहे हैं। वे चिन्मय विद्यालय, कोट्टायम के संस्थापक अध्यक्ष हैं। श्री गोपालकृष्णन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया की कोटट्याम शाखा के अध्यक्ष (1999-2000) और कई वर्षों से सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की कोचिंग बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रशिक्षक भी रहे हैं।

वे वर्ष 2007-08 के लिए सीआईआई केरल क्षेत्र के आर्थिक मामलों और कराधान पैनल के संयोजक और दिसम्बर 2009 तक देना बैंक के निदेशक तथा देना बैंक बोर्ड की लेखा-परीक्षक समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

श्री ए. गोपालकृष्णन विभिन्न व्यवसाय संबंधी विषयों पर पेपर प्रस्तुत करते है तथा लेख लिखते रहते है। ये लेख आदि मानकों से संबंधित होते है जिनमें आईएपफआरएस, कराधान, लेखांकन वित्त शामिल है और वे आईसीएआई, चैंबर ऑफ कार्मस, बैंकर्स क्लब आदि जैसे व्यावसायिक निकायों द्वारा आयोजित कई सम्मेलनों और सेमिनारों में व्याख्यान दे चुके हैं। उन्होंने 10.03.2013 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण
एनएचपीसी लिमिटेड,

आपके निदेशकों को, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन पर 38वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखों का लेखा-परीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को सारणी 1 में सार रूप में दर्शाया गया है।

सारणी 1 वित्तीय विशिष्टताए **(रु . करोड़ में)**

विवरण	**2013-14**	**2012-13**
बिक्री	5,335.11	5,049.13
मूल्यह्रास, ब्याज और कर-पूर्व लाभ	3,816.22	4,556.80
मूल्यह्रास	1,210.76	969.29
मूल्यह्रास के पश्चात परन्तु ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	2,605.46	3,587.51
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,022.40	385.38
मूल्यह्रास और ब्याज के पश्चात परन्तु कर से पूर्व लाभ	1,583.06	3,202.13
कर	604.27	853.91
मूल्यह्रास, ब्याज और कर-पश्चात लाभ	978.79	2,348.22
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि लेखे के विवरण का अधिशेष	7,146.38	5,963.10
बांड विमोचन रिजर्व से पश्च लिखित राशि	14.25	14.25
स्व बीमा रिजर्व से पश्च लिखित राशि	3.97	0.92
सीएसआर निधि से पश्च लिखित राशि	7.88	-
लाभांश पर कर-पश्च लिखित	5.11	4.88
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष राशि	8,156.38	8,331.37
विनियोजन		
बांड विमोचन रिजर्व को अंतरण	249.45	249.17
स्व-बीमा निधि को अंतरण	51.74	48.84
सीएसआर रिजर्व को अंतरण	2.30	23.50
आर एण्ड डी निधि को अंतरण	17.16	-
प्रस्तावित/अंतिम लाभांश	332.13	738.05
प्रस्तावित लाभांश पर कर	56.44	125.43
रिजर्व एवं अधिशेष में अग्रेनीत शेष राशि	**7,447.16**	**7,146.38**

लाभ में कमी मुख्यतः सुबानसिरी लोअर और तीस्ता लो डैम-IV परियोजनाओं की ऋण लागत और अन्य प्रशासनिक लागत को निर्माण क्रियाकलाप के रूप में प्रभारित किए जाने के कारण है क्योंकि इन परियोजनाओं के निर्माण संबधी क्रियाकलाप एक लंबी अवधि से बाधित है।

2. विद्युत उत्पादन

वर्ष 2013-14 के दौरान एनएचपीसी ने देश के विभिन्न भागों में अवस्थित 18 विद्युत स्टेशनों के माध्यम से 18,386 एमयू विद्युत का उत्पादन किया जबकि लक्ष्य 21,465 एम.यू. का था। कम उत्पादन का मुख्य कारण अचानक आई बाढ़ के कारण विद्युत गृह में पानी भर जाने के चलते 280 मेगावाट धौलीगंगा विद्युत स्टेशन का पूरी तरह से बंद होना था। धौलीगंगा विद्युत स्टेशन की सभी 4 यूनिटों से उत्पादन पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है। उत्पादन में कमी वर्ष के दौरान कुछ विद्युत स्टेशनों में खराब हाइड्रोलॉजी के कारण भी थी।

पिछली रिपोर्ट के पश्चात से 132 मेगावाट तीस्ता लो डैम-III (पश्चिम बंगाल), 45 मेगावाट निम्मो बाजगो (जम्मू एवं कश्मीर), 240 मेगावाट उरी-II (जम्मू एवं कश्मीर) और 520 मेगावाट पार्बती-III (हिमाचल प्रदेश) विद्युत स्टेशनों को वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया गया था। अभी तक पिछले प्रतिवेदन के पश्चात से 937 मेगावाट की एक अतिरिक्त संस्थापित क्षमता को वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया गया था। वर्तमान में आपकी कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 6507 मेगावाट की है जिसमें एनएचपीसी की एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के 1520 मेगावाट शामिल हैं।

सीईआरसी ने संदर्भित अवधि के दौरान 510 मेगावाट तीस्ता-5 विद्युत स्टेशन, 45 मेगावाट निम्मो बाजगो विद्युत स्टेशन, 44 मेगावाट चुटक विद्युत स्टेशन और 240 मेगावाट उरी-II विद्युत स्टेशन हेतु टैरिफ आदेश जारी किए हैं।

3. प्रस्तावित लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2013-14 के लिए रु 0.30 प्रति शेयर लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन के बाद किया जायेगा। अनुमोदन पर, वर्ष के लिए लाभांश का कुल भुगतान 332.13 करोड़ रूपए होता है।

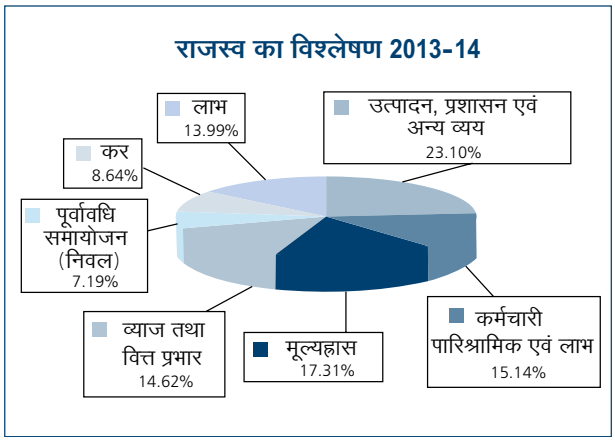

4. वाणिज्यिक कार्य-निष्पादन

वर्ष 2013-14 के दौरान आपकी कंपनी का वाणिज्यिक कार्य-निष्पादन संतोषजनक था। वर्ष के दौरान बिक्री वसूली 6397 करोड़ रूपये (दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम (डेसू) के पुराने बकाया के दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल)/दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (डीपीसीएल) से वसूले गए 358.76 करोड़ रूपये और मणिपुर से वसूल किए गए 14.64 करोड़ रूपये के पुराने बकाया सहित)की थी जबकि पिछले वर्ष यह 5369 करोड़ रूपये की थी। इस वर्ष के दौरान उगाहे गए बिल 5928 करोड़ रूपये के थे जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष बिलों की राशि 5184 करोड़ रूपये थी।

31 मार्च, 2014 को 60 दिवस से अधिक हेतु बकाया देय 955 करोड़ रूपये थे। आपकी कंपनी बकाया देयों की वसूली हेतु चूककर्ता उपयोगिताओं को विद्युत आपूर्ति के नियमन सहित सभी प्रयासों को जारी रखे हुए है। जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त अधिकांश लाभग्राही राज्य अपने देयों का भुगतान अब नियमित आधार पर कर रहे हैं।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) विनियम

सीईआरसी ने 21.2.2014 को 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की टैरिफ अवधि हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 जारी किए हैं।

विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

(क) नई परियोजनाओं हेतु ओ एण्ड एम व्यय 200 मेगावाट से अधिक के विद्युत स्टेशनों हेतु पूंजीगत लागत के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत और 200 मेगावाट से कम वाले विद्युत स्टेशनों हेतु 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ख) इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) को प्रभावी कर दर के साथ सकल बनाते हुए वर्तमान स्तर पर रखा गया है (रन ऑफ रिवर (आरओआर) हेतु 15.5 प्रतिशत और तालाब/भण्डारण के साथ वाले आरओआर हेतु 16.5 प्रतिशत)।

(ग) द्वितीयक ऊर्जा की दर 80 पैंसा प्रति यूनिट से बढ़ाकर 90 पैंसा प्रति यूनिट कर दी गई है।

5. पूंजीगत ढांचा तथा निवल मूल्य

वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की पुन: खरीद के कारण पिछले वर्ष के 12,300.74 करोड़ रूपए की तुलना में वर्तमान में आपकी कंपनी की चुकता पूंजी रु. 11,070.66 करोड़ रही है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य 26,067.65 करोड़ था।

6. वर्तमान में जारी परियोजनाओं की स्थिति

आपकी कंपनी निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में लगी है।

तालिका 2 : वर्ष 2013-14 के दौरान निर्माणाधीन जल विद्युत परियोनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
i.	तीस्ता लो डैम- IV	पश्चिम बंगाल	160
ii.	पार्बती-II	हिमाचल प्रदेश	800
iii.	सुबानसिरी लोवर*	असम/अरुणाचल प्रदेश	2,000
iv.	किशनगंगा	जम्मू एवं कश्मीर	330
	कुल:		**3,290**

* परियोजना कार्य 16.12.2011 से अवरुध्द है। परियोजना को पुन: प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे है।

7. नई परियोजनाएं

तालिका 3. स्वीकृति/अनुमोदन चरण में होने वाली परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

एनएचपीसी द्वारा एकल आधार पर निष्पादित की जाने वाली परियोजनाए

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
i.	कोटली भेल I-ए	उत्तराखंड	195
ii.	तीस्ता-4	सिक्किम	520
iii.	दिबांग	अरूणाचल प्रदेश	3,000
iv.	तवांग-1	अरूणाचल प्रदेश	600
v.	तवांग-2	अरूणाचल प्रदेश	800
	कुल		**5,115**
अनुषंगी कंपनी के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली परियोजनाएं			
vi.	लोकतक डाउनस्ट्रीम	मणिपुर	66
संयुक्त उद्यम के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली परियोजनाए			
vii.	पाकल डुल और अन्य	जम्मू एवं कश्मीर	2,120
	सकल योग:		**7,301**

आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर संबंधित स्थलों पर निर्माण क्रियाकलाप प्रारंभ किए जाएंगे।

उक्त के अतिरिक्त, आपकी कंपनी समूचे देश में पवन और सौर ऊर्जा की संभाव्यता तलाश रही है।

8. डीपीआर/एफआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाए

निम्नलिखित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रारंभ किया गया है :

तालिका-4 सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

क्र.स.	परियोजनाएं	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
i.	बरसर	जम्मू-कश्मीर	1,020
ii.	धौलीगंगा इंटरमीडिएट	उत्तराखंड	210
iii.	गौरीगंगा	उत्तराखंड	120
	कुल:		**1,350**

9. आरजीजीवीवाई-ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाए

एनएचपीसी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और ओडीशा) में फैले 27 जिलों में लगभग 2,844 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं संचालित कर रही है। करने योग्य कुल कार्य की मात्रा अर्थात 9168 विद्युत रहित/विद्युत विहीन गांवों, 19,123 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण और 18.54 लाख बीपीएल कनेक्शनों में से 31 मार्च, 2014 तक एनएचपीसी ने 9150 विद्युत रहित/विद्युत विहीन गांवों, 18,957 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया और 18.5 लाख बीपीएल परिवारों को सेवा कनेक्शन मुहैया करवाए। शेष कार्यो के वर्तमान वर्ष के दौरान पूरा होने की संषवना है।

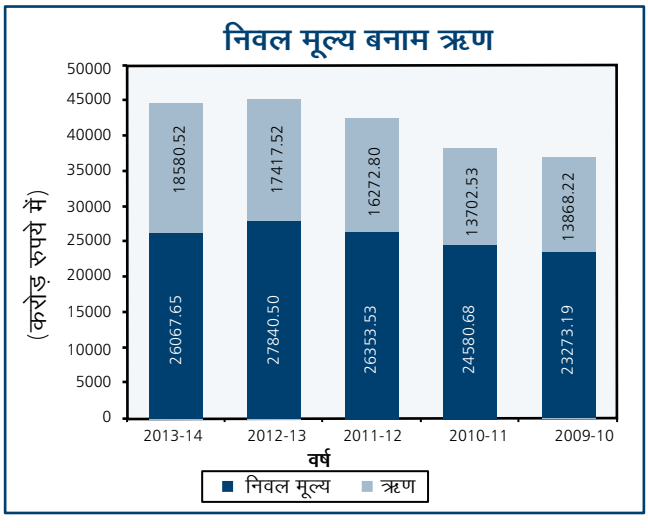

10. ग्रामीण सड़क परियोजना

एनएचपीसी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार के 6 जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

योजना के अंतर्गत एनएचपीसी को 3,228 किलोमीटर कवर करने वाली 758 सड़कों हेतु 1,728.61 करोड़ रूपए की लागत पर निष्पादन का कार्य सौंपा गया था। वित्त वर्ष के अंत तक 3,186 किलोमीटर की 734 सड़कों को पूरा किया गया है।

11. परामर्शी एवं व्यापार विकास सेवाए

एनएचपीसी समूचे विश्व में वैश्विक रूप से प्रमुख संगठनों को जल विद्युत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नदी घाटी अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य, डिजाइन एवं इंजीनियरी, भू-तकनीकी अध्ययन, जलीय क्षणभंगुरता अध्ययन (हाइड्रोलिक टैन्सिऐन्ट स्टॅडीज), जलविज्ञान अध्ययन, निर्माण प्रबंधन, परीक्षण और उत्पादन प्रारंभ कराना तथा प्रचालन एवं रखरखाव में परामर्शी सेवाओं की पेशकश करती हैं।

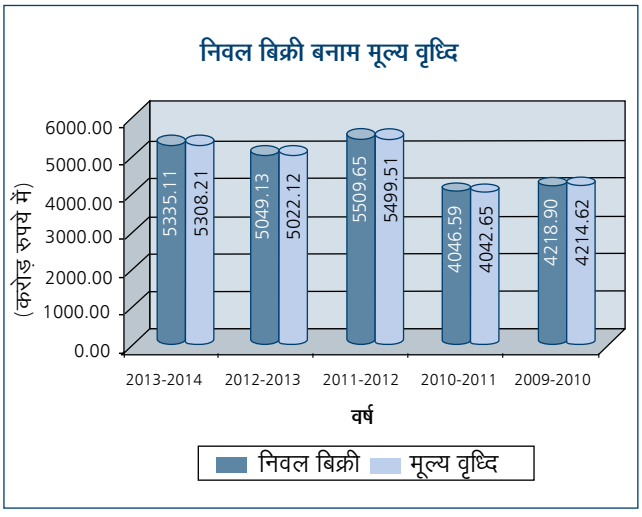

12. वैश्विक पहलें

एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा भूटान में मंगडेचू जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) के क्रियान्वयन हेतु मंगडेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी (एमएचपीए) को डिजाइन एवं इजीनियरी परामर्श की पेशकश की जा रही है।

एनएचपीसी पावर ग्रिड और बीएसईएस राजधानी के नेतृत्व वाले एक संघ के माध्यम से ईथोपिया इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (ईपको) को प्रबंधन परामर्श भी मुहैया करवा रही है। प्रबंधन संविदा 25.08.2013 से दो वर्ष की अवधि हेतु है।

13. नई परियोजनाओं का वित्त-पोषण

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार शुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं के वित्त पोषण में ऋण और इक्विटी का अनुपात 70 : 30 का होना चाहिए।

आपके निदेशकों का मानना है कि आपकी कंपनी की आंतरिक प्राप्तियां नई परियोजनाओं के इक्विटी घटक को वित्त-पोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी की ऋण पूंजी का अनुपात कम होने और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ऊंची होने, जो सम्प्रभु रेटिंग के अनुरूप है, को देखते हुए अपेक्षित ऋण जुटाने में आपकी कंपनी की स्थिति बेहतर है।

कंपनी योजनाबद्ध क्षमता विस्तार कार्यक्रम के लिए अपेक्षित ऋण जुटाने हेतु द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऋण हासिल करने के विकल्प तलाश कर रही है।

14. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (आईटी एंड सी)

एमपीएलएस-वीपीएन/वीसेट-क्यूबैंड/ब्रॉडबैण्ड तकनालॉजियों का उपयोग करते हुए मल्टी-मोड, फेल-सेफ कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सभी स्थानों को कोर्पोरेट कार्यालय से जोड़ दिया गया है।

एनएचपीसी ने वर्तमान में दिल्ली में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा अधिनिगमित (एनआईसीएसआई) के टियर-।।। डाटा सेंटर पर प्रमुख सर्वरों को सह-स्थापित किया है। आपदा रिकवरी (डीआर) साइट ने भी कोलकाता में अपने क्षेत्रीय कार्यालय से प्रचालनों को प्रारंभ कर दिया है।

वर्तमान में, वित्त, मानव संसाधन, अधिप्राप्ति और संविदाएं, मालसूची, परियोजना प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन जैसे व्यापार कार्यों को समूचे संगठन में आईएफएस ईआरपी प्रणाली में क्रियान्वित किया गया है।

15. प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

तेजी से बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य और प्रौद्योगिकीय नवाचार एक अधिकाधिक प्रतिस्पर्धी बाजार परिवेश बना रहे है; आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों का सतत मूल्यांकन करती है तथा उन्हें प्रशिक्षित करती है जिससे वे अपनी उत्पादकता तथा कार्य दक्षता में वृद्धि करने के लिए नवीनतम परिवर्तनों तथा संगत ज्ञान से अवगत रहें।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आंतरिक तथा बाहरी रूप से बहु विधा कार्यक्रमों के माध्यम से भीतर प्रतिभा को विकसित करने या निखारने के लिए चलाया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन के अतिरिक्त, कंपनी सामरिक गठबंधन के माध्यम से अग्रणी तथा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईएम/एक्सएलआरआई/आईआईटी आदि के साथ सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाती है ताकि इसके कर्मचारियों हेतु उन्नत प्रबंधन और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को सुकर बनाया जा सके।

16. कर्मचारी संबंध

वर्ष के दौरान एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं/स्टेशनों/यूनिटों में औद्योगिक संबंध सद्भाव एवं सामंजस्य पूर्ण रहे।

17. पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर)

एनएचपीसी ने राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 की तर्ज पर स्वयं की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति 2007 तैयार की है। कंपनी अपनी आर एंड आर नीति में राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 में प्रस्तावित लाभों से कुछ अधिक लाभ प्रदान करती है। कंपनी की नीति का लक्ष्य किसी परियोजना के निर्माण के कारण परियोजना प्रभावित परिवारों(पीएएफ) की भूमि, मकानों, अन्य संसाधनों, जीवन निर्वाह के साधनों या सामाजिक सहायता प्रणालियों, आदि की हानि से संबंधित मुद्दों का समाधान करती है। परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया जाता है। एनएचपीसी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति में प्रावधान किए अनुसार किसी भी परियोजना की लागत का 0.75 प्रतिशत हिस्सा पुनर्वास ज़ोन और प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली समुदाय एवं सामाजिक विकास योजना (सीएसडीपी) के लिए निर्धारित किया गया है।

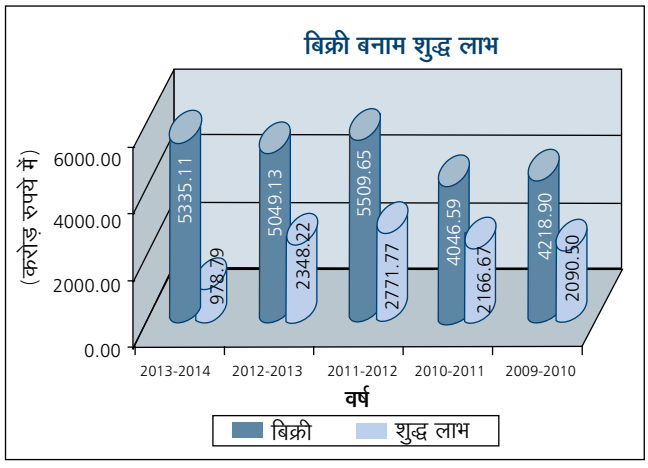

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति को उसकी मूल भावना के अनुसार कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन गतिविधियों के प्रभावकारी निष्पादन हेतु एक प्रचालनगत नियमावली तैयार की गयी है।

तथापि, 1 जनवरी, 2014 से भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर दोनों को भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार तथा भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता के अनुरूप क्रियान्वित किया जा रहा है।

18. सतर्कता कार्यकलाप

सतर्कता विभाग द्वारा नियमित अंतरालों पर नियमित एवं औचक निरीक्षण किए जाते है। परियोजना सतर्कता अधिकारियों द्वारा चिन्हित कार्रवाई योग्य बिंदुओं को सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए परियोजना प्रमुख को सूचित किया जाता है। समय-समय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) द्वारा कार्यों का गहन परीक्षण भी किया जाता है।

कंपनी में 15 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक वाले कार्यों और 25 लाख रूपए तथा उससे अधिक मूल्य की वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु सीवीसी दिशा-निर्देशों पर आधारित सत्यनिष्ठा समझौते को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है।

निवारात्मक सतर्कता के एक भाग के रूप में निरीक्षण/गहन परीक्षण पर आधारित परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों को नियमित रूप से जारी किया जा रहा है। विद्यमान प्रणाली में पारदर्शिता और नीति-शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह और विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान निगमित कार्यालय में सतर्कता अधिकारियों हेतु दो सम्मेलन सह कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया था।

पारदर्शी अधिप्राप्ति प्रणाली के एक भाग और विद्युत मंत्रालय तथा सीवीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में एनएचपीसी ने समूचे संगठन में बड़ी खरीदों में ई-अधिप्राप्ति समाधान का विकल्प चुना है। 10 लाख रूपए मूल्य ये अधिक की आपूर्ति/कार्य/संविदाओं की प्रक्रिया ई-अधिप्राप्ति के माध्यम से की जाती है।

19. जालसाजी निवारक नीति का कार्यान्वयन

एनएचपीसी ने अपने प्रचालनों का ईमानदारीपूर्वक करने और अंततः कंपनी को तेजी से बढ़ने में समर्थ बनाने के लिए एक जालसाजी निवारक नीति तैयार की है।

20. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी में वर्ष 2013-14 के दौरान राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का अनुपालन किया गया। भारत सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास किए गए।

कारपोरेट कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) की तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया गया जहां निदेशकों की मौजूदगी में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की गई थी। राजभाषा के प्रोत्साहन के संबंध में कई पहलें की गई थी जैसे कि हिंदी पखवाड़ा, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी 'पुस्तक पठन सप्ताह', हिंदी काव्य गोष्ठी आदि का आयोजन। दौरान कारपोरेट कार्यालय में 39 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई। 'राजभाषा ज्योति' और 'नगर सौरभ' नामक राजभाषा पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था।

संसदीय राजभाषा समिति की उप समिति ने कंपनी की कुछ यूनिटों का निरीक्षण किया और राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति की सराहना की थी। निगम के भीतर कार्यस्थल पर हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की गई है।

21. जन-संपर्क अभियान/जागरूकता गतिविधिया

समय-समय पर प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से आपकी कंपनी की उपलब्धियों का देश भर में समुचित प्रचारित किया गया ताकि एनएचपीसी को देश में एक अग्रणी एवं दृढ़ जल विद्युत के विकासकर्ता के रूप में दर्शाया जा सके।

एनएचपीसी के विकासात्मक क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए कई मंचों पर एनएचपीसी पर निगमित फिल्में और पर्यावरण पर फिल्मों का प्रसारण किया गया था। एनएचपीसी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2013 में भी प्रतियोगिता की थी।

एनएचपीसी ने 20 से 23 मार्च, 2014 तक पार्बती- ।। जल विद्युत परियोजना में 16वें अंतर-सीपीएसयू कैरम टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इस टूर्नामेंट में 9 केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र पीएसयू/संगठनों ने प्रतिभागिता की थी। एनएचपीसी की टीमों ने वर्ष 2013-14 के दौरान विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित अन्य विभिन्न अंतर सीपीएसयू खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागिता की थी।

ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और इसके संदेश को प्रसारित करने के लिए, एनएचपीसी के समन्वय से जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में, स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। इनका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया।

22. पुरस्कार तथा सम्मान

आज व्यापार का क्षेत्र मात्र लाभ कमाने तक ही सीमित नही है अपितु व्यवहार में कारपोरेट सामाजिक मूल्यों को भी अपनाता है। प्रचालनात्मक उत्कृष्टता जीवन विहीन है जब तक कि कम्पनी द्वारा समग्र विकास की एक सतत प्रक्रिया को प्रस्तुत न किया जाए। एनएचपीसी समग्र विकास हेतु प्रयास करती है और यह कारपोरेट तथा व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर पुरस्कारों एवं उपलब्धियों की एक लम्बी सूची में प्रदर्शित होता है।

प्रबंधन एवं नेतृत्व में पुरस्कार:

कारपोरेट:

- 5वें दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल (डीएसआईजे) पीएसयू पुरस्कारों में ''श्रेष्ठ मूल्य सृजनकर्ता मिनी रत्न''।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2013 में ''मंत्रालय तथा विषग पैविलियन'' श्रेणी के अंतर्गत ''प्रदर्शन में उत्कृष्टता'' हेतु स्वर्ण पदक (विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत अन्य विद्युत पीएसयू सहित)।
- विद्युत एचआर फोरम द्वारा आयोजित ''उत्कृष्टता हेतु खोज 2013'' शीर्षक वाली अंतर संगठन पेपर प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता में टीम एनएचपीसी हेतु विशेष जूरी पुरस्कार।

व्यक्तिगत:

- श्री ए.बी.एल श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) को इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन (आईपीएमसी) द्वारा आईपीएमए स्तर ए के ''प्रमाणित परियोजना निदेशक (सीपीडी)'' का दर्जा प्रदान किया गया है। श्री श्रीवास्तव देश में केवल 13 सीपीडी की अत्यधिक प्रतिष्ठित पंक्ति में शामिल हुए हैं और वित्त पृष्ठभूमि के साथ इस ख्याति को प्राप्त करने वाले वे एकमात्र व्यक्ति हैं।
- श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) - ईपीसी वर्ल्ड मीडिया ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा ''विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्ठ व्यक्तिगत योगदान''।
- श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक) - टॉप रैंकर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट, नई दिल्ली द्वारा ''मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार'' ।
- श्री आर.एस.मीना, निदेशक (कार्मिक) - इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइसेस द्वारा '' मानव संसाधन नेतृत्व पुरस्कार'' और ''पीएसयू में 30 श्रेष्ठ मानव संसाधन अग्रणी'' पुरस्कार।

खेलकूद

कारपोरेट

- अंतर सीपीएसू टूर्नामेंट 2014, विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड में एनएचपीसी की बैडमिंटन टीम (प्रथम स्थान), एनएचपीसी के कबडडी टीम (दूसरा स्थान) और एनएचपीसी महिला कैरम टीम (तीसरा स्थान) प्राप्त किया ।

व्यक्तिगत:

- सुश्री अरूणाचलम नलिनी, सहायक प्रबंधक (वित्त) ने मिशीगन, अमेरिका में 6वें विश्व बौना खेल 2013 में 3 स्वर्ण पदक (शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और बैडमिंटन मिश्रित युगल) और एक कांस्य पदक (महिला बैडमिंटन सिंगल) जीता था।

23. कारपोरेट अभिशासन

सूचीकरण समझौते के खंड 49(VI) और कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट अभिशासन पर एक पृथक अध्याय अनुबंध- । में दिया गया है और निदेशकों की रिपोर्ट का भाग होता है। इसके अतिरिक्त, सूचीकरण समझौते के खंड 49(VI) और कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के पालन के संबंध में प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से एक प्रमाण-पत्र अनुबंध- ।। में दिया गया है और निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग होता है।

24. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोट

समय-समय पर यथा संशोधित सूचीकरण समझौते के खंड 49(VI)(च) और कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक पृथक रिपोर्ट **अनुबंध- ।।।** में दी गई है और निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग होती है।

25. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (च), जिसे कंपनी (निदेशक मंडल सम्बन्धी विवरण का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के साथ पढ़ा जाता है, के संदर्भ में अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय सम्बन्धित जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुबंध-IV** में दी गयी है।

26. कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (2क) जिसे कंपनी (निदेशक मंडल सम्बन्धी विवरण का प्रकटीकरण) नियमावली, 1975, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाता है, के अनुपालन में अपेक्षित सूचना **अनुबंध-V** में दी गयी है और निदेशकों की रिपोर्ट का भाग होती है। यह सूचना एनएचपीसी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी (संयुक्त उद्यमों एवं अनुषंगियों को छोड़कर) में 31 मार्च 2014 को 9,838 कर्मचारी थे। पूरे वर्ष के दौरान 60 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला एक कर्मचारी था और वर्ष के किसी एक भाग हेतु नियोजित पांच लाख रूपये महीना से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 169 थीं।

27. व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सूचीकरण समझौते के खंड 55 के अनुपालन में, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट पर एक पृथक खंड इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है और अनुबंध-VI में दिया गया है।

28. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीय विकास (एसडी)

एनएचपीसी ने समाज के आर्थिक विकास और भीतर तथा बाहरी दोनों हितबद्धों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रति योगदान दिया है। एनएचपीसी की लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक सुपरिभाषित सीएसआर और धारणीय विकास नीति है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीय विकास पर एक पृथक अध्याय **अनुबंध-VII** में दिया गया है।

29. सूचना अधिकार अधिनियम 2005

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने विभिन्न दस्तावेज/रिकार्ड अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए थे। इस जानकारी पर राष्ट्रव्यापी पहुंच सुकर बनाने के लिए प्रत्येक विद्युत स्टेशन/ परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय/यूनिट के स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गयी।

30. सांविधिक लेखा परीक्षक

एनएचपीसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए मैसर्स एस.एन.नन्दा एण्ड कम्पनी, दिल्ली, मैसर्स सिंघी एण्ड कम्पनी, कोलकाता, मैसर्स गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटा, जम्मू और मैसर्स तिवारी एण्ड एसोसिएट्स, दिल्ली को संयुक्त रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

31. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कम्पनी द्वारा शामिल विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां से संबंधित है, जो स्वतः स्पष्ट हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर प्रबंधन का उत्तर **संलग्नक-VIII** में दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **संलग्नक-IX** में दी गयी है। कम्पनी का समेकित वित्तीय विवरण लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ **संलग्नक- X** में दिया गया है।

32. लागत लेखा परीक्षक

लागत लेखांकन रिकार्ड (विद्युत उद्योग) नियमावली 2011 और लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियमावली, 2011 के अंतर्गत निर्धारित लागत लेखों का रखरखाव कंपनी के सभी केन्द्रों द्वारा 2002-03 से रखा जा रहा है। लागत लेखा परीक्षक की निम्नलिखित फर्मों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233-ख के तहत वित्त वर्ष 2013-14 के लिए प्रत्येक फर्म के सामने दर्शाए गए विद्युत स्टेशन के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखा-परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है।

फर्म का नाम	विद्युत केन्द्र का नाम
मैसर्स चन्द्रा वधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली	स्लाल, ऊरी-I और ऊरी-II
मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली	टनकपुर, धौलीगंगा और टीएलडीपी-III
मैसर्स एस.सी.मोहन्ती एंड एसोसिएटस, भुवनेश्वर	रंगित और तीस्ता- V
मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, नई दिल्ली	दुलहस्ती, चूटक और निम्मो बाजगो
मैसर्स कृष्ण सिंह बर्क, फरीदाबाद, (हरियाणा)	चमेरा-I और सेवा-II
मैसर्स बहादुर मुराओ एंड कंपनी, दिल्ली	चमेरा-I, चमेरा-II और पार्बती-III
मैसर्स के.एल.जयसिंह एंड कंपनी, नोएडा	लोकतक और बैरास्यूल

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए मैसर्स कृष्ण सिंह बर्क, लीड लेखा परीक्षक द्वारा समेकित की गई लागत लेखा परीक्षक रिपोर्ट 24 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत की गई थी। उक्त को फाइल करने की निर्धारित तारीख 27 सितम्बर, 2013 थी। जिन लागत परीक्षा फर्मों के ब्यौरे वित्त वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तुत किए गए, उन्हें नीचे दिया गया है :

क्र. सं	पावर स्टेशन	लागत लेखा परीक्षक का नाम	सदस्यता संख्या	पता
1.	उडी I	मैसर्स रवि सहानी एंड कंपनी	16339	सी-40, वेस्ट गोरख पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110032
2.	दुलहस्ती	मैसर्स आर.जे.गोयल एंड कंपनी	14256	31, कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110052
3.	सलाल	मैसर्स आर.जे.गोयल एंड कंपनी	14256	31, कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110052
4.	चमेरा- I	मैसर्स आर एम बंसल एंड कंपनी	22583	ए-201, ट्विन टावर्स, लखनपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208024
5.	बैरा स्यूल	मैसर्स कृष्ण सिंह बर्क	2724	365, सेक्टर-15, फरीदाबाद - 121 007 (हरियाणा)
6.	चमेरा- II	मैसर्स कृष्ण सिंह बर्क	2724	365, सेक्टर-15, फरीदाबाद - 121 007 (हरियाणा)
7.	लोकतक	मैसर्स रवि सहानी एंड कंपनी	16339	सी-40, वेस्ट गोरख पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110032
8.	रंगित	मैसर्स बहादुर मुराओ एंड कंपनी	5574	दुकान नं. 25, डीडीए मार्किट, 'बी' ब्लाक, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
9.	तीस्ता-V	मैसर्स बहादुर मुराओ एंड कंपनी	5574	दुकान नं. 25, डीडीए मार्किट, 'बी' ब्लाक, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
10.	धौलीगंगा	मैसर्स चन्द्रा वाधवा एंड कंपनी	6797	204, कृष्णा हाऊस, 4805/24, भरत राम रोड़, दरियागंज-110002, नई दिल्ली
11.	टनकपुर	मैसर्स चन्द्रा वाधवा एंड कंपनी	6797	204, कृष्णा हाऊस, 4805/24, भरत राम रोड़, दरियागंज-110002, नई दिल्ली
12.	सेवा- II	मैसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी	22583	ए-201,ट्विन टावर्स, लखनपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208024
13.	चूटक	मैसर्स एस.सी.मोहन्ती एंड एसोसिएटस	10924	511, शहीद नगर, भुवनेश्वर-751007
14.	चमेरा-3	मैसर्स एस.सी.मोहन्ती एंड एसोसिएटस	10924	511, शहीद नगर, भुवनेश्वर-751007

कंपनी ने परिहार्य व्यय को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 3 विद्युत स्टेशनों पर नमूना आधार पर लागत कमी अध्ययन करवाए थे।

33. समेकित वित्तीय विवरण :

लेखांकन मानक एएस-21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण, जिसे एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन मानक एएस-23 और संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में लेखांकन मानक एएस-27 के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिपोर्ट में लेखा-परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अंतर्गत दिया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसार धारक कंपनी का अनुषंगी कंपनी में हित संबंधी विवरण वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

34. अनुषंगी कंपनियां

आपकी कंपनी की दो अनुषंगी कंपनियां हैं-एनएचडीसी लिमिटेड और लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड। इन कंपनियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है।

एनएचडीसी लिमिटेड और लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे कंपनी के तुलन-पत्रक के साथ संबद्ध नहीं किए गए हैं। भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र के अनुसार कोई भी शेयरधारक, जो अनुषंगी कंपनियों से संबंधित इन रिपोर्टों की प्रति प्राप्त करने का इच्छुक हो, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को पत्र लिख सकता है। यह जानकारी एनएचपीसी वेबसाइट **www.nhpcindia.com** पर भी उपलब्ध है।

अनुषंगी कंपनियों के वार्षिक लेखे निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और संबंधित अनुषंगी कंपनी के कार्यालय में भी रखे गए हैं।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरण में अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं।

35. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार निदेशक एतदद्वारा निम्न की पुष्टि करते हैं :

i) वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;

iii) निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल-साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं; और

iv) निदेशकों ने ''अनवरत संबंध'' आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

36. निदेशक मंडल

वर्तमान निदेशक मंडल का विवरण कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

पिछली रिपोर्ट के पश्चात से श्री ए.एस.बक्शी, तत्कालीन अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) 1 अगस्त, 2013 से मंडल में निदेशक नही रहे हैं। श्री के.एन.गर्ग, सदस्य (हाइड्रो),केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और श्री मुकेश जैन, संयुक्त सचिव (हाइड्रो) को क्रमशः 7 अक्तूबर, 2013 तथा 11 नवम्बर, 2013 से बोर्ड में नियुक्त किया गया था। श्री जी.साई प्रसाद, संयुक्त सचिव (थर्मल), विद्युत मंत्रालय जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी धारित किए हुए थे, 8.6.2014 से निदेशक नही रहे हैं। श्री आर.एस.टी.शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड ने 8.6.2014 से अपने विद्यमान कार्यभार के अतिरिक्त एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भी प्रभार ग्रहण किया है ।

37. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, के विभिन्न स्कन्धों, विशेष कर विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों, विभागों/बोर्डों, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और निवेशकों से मिले सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल परियोजनाओं को समय से पूरा करने में ठेकेदारों, विक्रेताओं और परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए योगदान की भी सराहना करता है।

निदेशक मंडल विद्युत लेने वाले लाभग्राहियों, राज्य विद्युत बोर्डों और परामर्शी कार्यों हेतु अन्य मूल्यवान ग्राहकों के प्रति भी विशेष आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग हेतु कृतज्ञता व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल एनएचपीसी के सभी कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान किए गए पूर्ण सहयोग हेतु अत्यधिक आभार प्रकट करता है। निदेशक मंडल आश्वस्त है कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में भी अपना श्रेष्ठ योगदान देना जारी रखेंगे।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00171920

तारीख : 14 अगस्त, 2014
स्थान : नई दिल्ली

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

अनुबंध-1

1. अभिशासन संहिता पर कंपनी का विचार

आपकी कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन के एक ऐसे ढांचे को स्थापित किया है जो शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रकटीकरण, शेयरधारकों की सम्पत्ति में अधिकतम वृद्धि और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देता है। आपकी कंपनी का प्रबंधन कंपनी के शेयरधारकों की ओर से अपनी न्यासी की भूमिका को स्वीकार करता है। एनएचपीसी में प्रबंधन अपनी प्रतिबद्धता को विवेकसम्मत, उचित तथा पारदर्शी तरीके से करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है। प्रबंधन का यह मानना है कि यह वैधानिक मजबूरी मात्र नहीं है, बल्कि जीवन शैली का एक अंग है।

सूचीकरण करार में यथानिर्धारित कारपोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं के अनुपालन के अतिरिक्त, हम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई हेतु कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करते हैं।

2. निदेशक मंडल

(i) निदेशकों की संरचना और श्रेणी: एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 2(45) के अर्थों के तहत एक सरकारी कंपनी है क्योंकि कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 85.96 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है।

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 4 निदेशकों से कम तथा 15 से अधिक नहीं होगी, परंतु, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में बोर्ड की वास्तविक संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

वर्तमान में, कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड (निदेशक मंडल) में 14 निदेशक हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पांच कार्यात्मक निदेशक, दो सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा सात स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री जी.साइ प्रसाद, संयुक्त सचिव (तापीय) विद्युत मंत्रालय ने 7 जून, 2014 तक एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी धारण किया था। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 06 जून, 2014 के पत्र संख्या 9/2/2013-एनएचपीसी के माध्यम से श्री आर.एस.टी. साई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यषर सौंपा था। श्री आर.एस.टी.साई ने 8.6.2014 को एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया था। 31 मार्च, 2014 को निदेशक मंडल की संरचना नीचे तालिका-1 में दी गई है।

तालिका 1: 31 मार्च, 2014 को निदेशक मंडल की संरचना

विवरण	बोर्ड ढांचा	31.03.2014 को वास्तविक संख्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
कार्यात्मक निदेशक	4	4
सरकार द्वारा नामिति निदेशक	2	2
स्वतंत्र निदेशक	7	7
कुल	**14**	**14**

वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बोर्ड की प्रत्येक बैठक और पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति तालिका-2 में दी गई है। अन्य बोर्ड अथवा बोर्ड समितियों की संख्या, जिनमें एनएचपीसी के निदेशक 31 मार्च, 2014 को सदस्य अथवा सभापति है, तालिका 3 में दी गई है।

तालिका-2: वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम (सर्व श्री)	बोर्ड बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम (16.09.2013 को हुई)
	आयोजित	भाग लिया	
कार्यात्मक निदेशक			
आर.एस.टी.शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जी.साइ प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(07.06.2014 तक) और संयुक्त सचिव (तापीय), विद्युत मंत्रालय **	15	13	हां
श्री ए बी एल श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त)	15	15	हां

निदेशक का नाम (सर्व श्री)	बोर्ड बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम (16.09.2013 को हुई)
	आयोजित	भाग लिया	
श्री डी. पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी)	15	15	हां
श्री जे. के. शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं)	15	14	हां
श्री आर. एस. मीना, निदेशक (कार्मिक)	15	12	हां
सरकार नामिति निदेशक			
ए. एस. बख्शी, अध्यक्ष, सीईए**	5	1	लागू नहीं
के.एन. गर्ग***, सदस्य (हाइड्रो), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	7	4	लागू नहीं
मुकेश जैन***, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय	5	3	लागू नहीं
स्वतंत्र निदेशक			
जी. एस. वेदी	15	14	हां
ए.के. मागो	15	15	हां
आर. जयसीलन	15	12	हां
अशोक कुमार दत्ता	15	09	हां
अतुल कुमार गर्ग	15	14	हां
शांतिकम हज़रिका	15	12	हां
ए. गोपालकृष्णन	15	09	हां

*श्री आर.एस.टी. शाई को 8 जून, 2014 से बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

**श्री ए.एस.बख्शी और श्री जी.साइ प्रसाद क्रमशः 1 अगस्त, 2013 और 8 जून, 2014 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहे थे।

***श्री के.एन. गर्ग और श्री मुकेश जैन को क्रमशः 7 अक्तूबर, 2013 और 11 नवम्बर, 2013 से बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया था।

तालिका 3: अन्य बोर्ड अथवा बोर्ड समितियों* की संख्या जिसमें एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक 31 मार्च, 2014 को सदस्य या अध्यक्ष है।

निदेशक का नाम (सर्व श्री)	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों के ब्यौरे	समिति सदस्यता तथा समिति अध्यक्षता के ब्यौरे
जी. साइ प्रसाद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (07.06.2014 तक) और संयुक्त सचिव (तापीय), विद्युत मंत्रालय	(1) एनटीपीसी लिमिटेड (2) एनएचडीसी लिमिटेड (3) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	कोई नहीं
श्री ए बी एल श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त)	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री डी पी भार्गव, निदेशक (तकनीकी)	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	कोई नहीं
श्री जे के शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं)	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	कोई नहीं
श्री आर एस मीना, निदेशक (कार्मिक)	एनएचडीसी लिमिटेड	कोई नहीं

निदेशक का नाम (सर्व श्री)	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों के ब्यौरे	समिति सदस्यता तथा समिति अध्यक्षता के ब्यौरे
के.एन.गर्ग, सदस्य (हाइड्रो), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	कोई नहीं	कोई नहीं
मुकेश जैन, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय	एसजेवीएन लिमिटेड	कोई नहीं
जी. एस. वेदी	(1) एमएमटीसी लिमिटेड (2) एनएचडीसी लिमिटेड	(1) अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति, एनएचडीसी लिमिटेड (2) सदस्य, लेखापरीक्षा समिति, एमएमटीसी लिमिटेड
ए.के.मागो	येस सिक्योरीटीज लिमिटेड	कोई नहीं
आर जयसीलन	कोई नहीं	कोई नहीं
अशोक कुमार दत्ता	(1) ऑल इंडिया टैक्नोलॉजीस लिमिटेड (2) एबीसी इंडिया लिमिटेड (3) खादिम इंडिया लिमिटेड (4) बैचमेट्स कॉम प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य, लेखापरीक्षा समिति - खादिम इंडिया लिमिटेड
अतुल कुमार गर्ग	कोई नहीं	कोई नहीं
शांतिकम हज़रिका	(1) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (2) असम इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (3) गोहाटी स्टाक एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड	कोई नहीं
ए.गोपालकृष्णन	(1) सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड (2) सेंटर फॉर एग्जामिनिंग फाइनेन्शियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति - सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड

*लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की अध्यक्षता/सदस्यता को लिया गया है।

कंपनी का कोई निदेशक एक समय में पन्द्रह (15) से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक का पद धारित की हुई सभी कंपनियों में दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य या पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

कंपनी के निदेशकों का परस्पर संबंध नहीं है।

(ii) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या:

वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल की 15 बैठकें हुई। कंपनी ने प्रत्येक 3 माह के दौरान बोर्ड की कम से कम एक बैठक की और बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने से अधिक का अंतराल नहीं रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्योरा नीचे तालिका-4 में दिया गया है।

तालिका-4: वर्ष 2013-14 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकें

क्र. सं.	बोर्ड बैठक संख्या	तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	357	22 अप्रैल, 2013	13	12
2.	358	28 मई, 2013	13	10
3.	359	29 जून, 2013	13	10
4.	360	10 जुलाई, 2013	13	10
5.	361	31 जुलाई, 2013	13	11
6.	362	17 सितम्बर, 2013	12	12
7.	363	24 सितम्बर, 2013	12	9

क्र. सं.	बोर्ड बैठक संख्या	तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
8.	364	28 सितम्बर, 2013	12	9
9.	365	10 अक्टूबर, 2013	13	13
10.	366	24 अक्टूबर, 2013	13	12
11.	367	11 नवम्बर, 2013	14	11
12.	368	24 दिसम्बर, 2013	14	10
13.	369	17 जनवरी, 2014	14	11
14.	370	31 जनवरी, 2014	14	12
15.	371	20 मार्च, 2014	14	10

(iii) निदेशकों की आयु सीमा और कार्य अवधि: कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि अथवा उम्मीदवार की अधिवर्षिता की तारीख तक या भारत सरकार के आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए होती है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले, सरकार द्वारा नामित निदेशक नामित करने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा विद्युत मंत्रालय के अधिकारी न रहने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सामान्यत: 3 वर्ष तक के लिए की जाती है।

(iv) निदेशकों का जीवन-वृत: चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत जिसमें विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति, उन कंपनियों के नाम जिनमें वे निदेशक का पद धारित किए हुए है, और बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता को वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी निदेशकों की संक्षिप्त रूप-रेखा रिपोर्ट में अन्य स्थान पर दी गई है।

(v) बोर्ड बैठकें, समिति बैठकें और प्रक्रियाविधि:

(क) निर्णय लेने की प्रक्रिया: कंपनी ने समस्त कारपोरेट मामलों के व्ययसायीकरण की संवीक्षा के साथ निदेशक मंडल के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया है। इन दिशा-निर्देशों से बोर्ड की बैठकों में निर्णय करने की प्रक्रिया को विवेकपूर्ण एवं सक्षमतापूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है।.

(ख) बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त का निर्धारण और चयन:

- बोर्ड/संबंधित समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के उपरांत उपयुक्त नोटिस जारी करने के बाद बोर्ड/निदेशकों की समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्य सूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, विवेकसम्मत एवं संकेन्द्रित निर्णय किए जा सकें। जब किसी तात्कालिक मुद्दे का समाधान करना हो, तो संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुलाई जाती है अथवा एजेंडा नोटिस पटल पर रखे जाते हे या परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- किसी दस्तावेज को उसकी गोपनीय प्रकृत्ति के कारण अथवा विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में, किसी अतिरिक्त अथवा पूरक दस्तोवज को कार्यसूची नोट के साथ संलग्न करना जब कभी व्यावहारिक न हो, तो ऐसे कागजात बैठक में टेबल पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कार्य सूची दस्तावेज कार्यात्मक निदेशक/सीएमडी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालित किए जाते हैं।
- बैठकों का आयोजन फरीदाबाद अथवा नई दिल्ली स्थित कंपनी के कार्यालयों में किया जाता है।
- जब और जैसी आवश्यकता हों, वित्त, कार्य प्रणाली, मानव संसाधन इत्यादि से संबंधित मामलों पर प्रस्तुतिकरणों को बोर्ड/समिति की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है ताकि सदस्य विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। बोर्ड/समिति के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे मुद्दे की अनुशंसा कर सकता है जो वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड/समिति द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बैठक में बुलाया जा सकता है ताकि विचारित मुद्दों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ग) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना: बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त-पुस्तिका में रिकार्ड किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त अगली बोर्ड की बैठक में पुष्टि के लिए सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

(घ) अनुवर्तन तंत्र: बोर्ड/समिति के मार्ग दर्शन के आधार पर, बोर्ड/समिति के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को अगली बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है जो निर्णयों पर एक प्रभावी रिपोर्टिंग में सहायता करता है।

(ङ) **अनुपालन:** कार्यसूची टिप्पणी तैयार करते समय हमारा यह प्रयास होता है कि विधि के प्रावधानों, नियमों, और दिशा-निर्देशों के अनुपालनीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी अधिनियम, 1956,, लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी दिशा-निर्देशों, सूचीबद्ध करार एवं विभिन्न अन्य कानूनों के तहत सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन हो। निदेशक मंडल कंपनी सचिव द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली विधि अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

बोर्ड को निम्नांकित जानकारी सामान्यत: एजेंडा दस्तावेजों के एक भाग के रूप में दी जाती है अथवा बोर्ड की बैठक के दौरान पटल पर रखी/ प्रस्तुत की जाती है:

- वार्षिक संचालन योजनाएं, बजट तथा तत्संबंधी कोई अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट और तत्संबंधी अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम।
- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- बोर्ड की अनुषंगी कंपनियों की बैठकों के कार्यवृत
- अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण कारोबार और समझौतों का विवरण।
- विभिन्न स्थलों/यूनिटों पर घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी इकाइयों, संयुक्त उद्यमों और कार्यनीतिक भागीदारों का गठन।
- नामांकन आधार पर प्रदान किए गए खरीद/निर्माण/अनुबंधों के संदर्भ में तिमाही जानकारी।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/प्रतिष्ठानों में उनके द्वारा धारित किए गए निदेशक पदों और समिति पदों के बारे में उनके हितों का प्रकटीकरण।
- बड़े पूंजी निवेश प्रस्ताव अथवा बड़ी संविदाओं को प्रदान किया जाना।
- बोर्ड द्वारा वांछित मामलों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट।
- माध्यस्थम मामलों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन और तत्संबंधी कारण।
- बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य कोई सूचना या तो सूचनार्थ अथवा लागू विधियों की आवश्यकतानुसार अनुमोदन अथवा सूचना हेतु।

(vi) आचार संहिता: कंपनी व्यापार नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार व्यापार करने और प्रचलित कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एतदद्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए निर्धारित व्यापार आचार एवं नीतिशास्त्र संहित का वर्ष 2013-14 के दौरान सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन किया गया था।

सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित घोषणा:

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

जी साइ प्रसाद

(**जी. साइ प्रसाद**)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या: 00325308

दिनांक: 30 अप्रैल, 2014
स्थान: नई दिल्ली

(vii) कपट निवारण और जोखिम प्रबंधन नीति: जोखिम प्रबंधन प्रणाली कारपोरेट एवं प्रचालनगत उद्देश्यों के अनुरूप एवं एकीकृत है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यापार प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाता है और विभिन्न समयों पर एक अलग कार्य के रूप में नहीं देखा जाता। जालसाजी निवारण और जोखिम प्रबंधन के बारे में कंपनी ने अलग से नीतियां निर्धारित की हैं।

(viii) बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:

कंपनी द्वारा बोर्ड सदस्यों हेतु प्रशिक्षण पर एक नीति निरूपित की गई है जिसका उद्देश्य नेतृत्व गुणों का विकास करना और निदेशकों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान, कौशल और अनुभव को साझा करने के लिए एक मंच मुहैया करवाना है। इसके अतिरिक्त, यह बोर्ड स्तर के पदाधिकारियों को जोखिम प्रोफाइल सहित कंपनी के व्यापार मॉडल समझने में सहायता करती है।

जब भी बोर्ड द्वारा नए निदेशक की नियुक्ति की जाती है, तो उन्हें कंपनी के लक्ष्य, रणनीतिक दिशा, बुनियादी मूल्यों, वित्तीय मामलों और व्यापार प्रचालनों के संबंध में औपचारिक प्रारंभिक एवं अभिमुखीकरण प्रशिक्षण आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर्स, रिपोर्ट तथा विभागीय नीति दस्तावेजों के माध्यम से दिया जाता है। इससे उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं और पद्धतियों को समझने में मदद मिलती है।

उक्त के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के लिए कार्यस्थल निरीक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए भी स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने पर विचार किया जाता है।

(ix) एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता: भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 1992 की अपेक्षा के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड ने अपनी प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग के लिए एक व्यापक संहिता कार्यान्वित की है। बोर्ड के समक्ष मूल्य संवेदी सूचना को रखे जाते समय पदनामित कर्मचारियों हेतु व्यापार खिड़की बंद रहती है।

3. निदेशक मंडल की समितियां:

बोर्ड ने व्यापार के विभिन्न पहलुओं की देख-रेख के लिए समितियों का गठन किया है। बोर्ड द्वारा निम्नांकित स्थाई समितियों का गठन किया गया है:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. हितधारक संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
4. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति
5. संविदाओं से संबंधित निदेशक समिति.
6. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन पश्चात गतिविधियों से संबंधित निदेशक समिति
7. स्व-बीमा निधि से संबंधित निदेशक समिति
8. परियोजना निवेश समिति
9. प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति
10. निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण

3.1 लेखा-परीक्षा समिति:

लेखा-परीक्षा समिति की संरचना, कोरम, संदर्भ की शर्तें आदि कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। 31 मार्च, 2014 के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार था:

i)	श्री ए. गोपालाकृष्णन	स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
ii)	श्री ए. के. मागो	स्वतंत्र निदेशक
iii)	श्री जी. एस. वेदी	स्वतंत्र निदेशक
iv)	श्री अतुल कुमार गर्ग	स्वतंत्र निदेशक
v)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
vi)	श्री जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं))

बैठकें और उपस्थिति:

बैठकें और उपस्थिति: समिति की बैठक वर्ष में 6 बार अर्थात 14 मई, 2013; 27 मई, 2013; 30 जुलाई, 2013; 16 सितम्बर, 2013, 11 नवम्बर, 2013 और 31 जनवरी, 2014 को हुई। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों के भाग लेने संबंधी ब्योरा नीचे तालिका-5 में दिया गया है।

तालिका-5: लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.स.	2013-14 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री ए. के. मागो	6	6
2	श्री जी. एस. वेदी	6	6
3	श्री अतुल कुमार गर्ग	6	6
4.	श्री ए. गोपालाकृष्णन	6	4
5.	श्री डी.पी. भार्गव *	1	1
6.	श्री जे.के. शर्मा *	1	शून्य

* श्री डी.पी.भार्गव, निदेशक (तकनीकी) और श्री जे.के.शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं) को दिनांक 17 जनवरी, 2014 को आयोजित 369वीं बैठक में बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा समिति में नियुक्त किया गया था।

निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा विषग के प्रमुख, सांविधिक लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। समिति को आवश्यक निर्विष्ट मुहैया करवाने की अपेक्षा होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था।

श्री ए.के. मागो, स्वतंत्र निदेशक ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 17 जनवरी, 2014 तक आयोजित सभी बैठकों की अध्यक्षता की थी। 31 जनवरी, 2014 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्री ए.गोपालाकृष्णन, स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई थी। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के मध्य समयांतराल तीन माह से अधिक का नहीं था। निदेशक (वित्त) और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख वर्ष के दौरान आयोजित सभी लेखापरीक्षा समिति बैठकों में आमंत्रित के रूप में उपस्थित थे। कम्पनी सचिव ने समिति के सचिव के रूप में कार्य किया । लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कम्पनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें:

बोर्ड ने दिनांक 7 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 374वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तों में परिवर्तन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल हैं:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, और विश्वसनीय है।
2. लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश बोर्ड को भेजना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
4. वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना:
   क) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित मामले;
   ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;
   ग) प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर लगाए गए अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
   घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरण में किए गए महत्त्वपूर्ण समायोजन;
   ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्य वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन;
   च) संबंधित पक्ष लेन-देन से संबद्ध कोई प्रकटीकरण; और
   छ) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शर्तें (क्वालिफिकेशन्स)।
5. तिमाही वित्तीय विवरण को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
6. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ मिलकर समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के ढांचे सहित, उसमें कर्मचारियों की संख्या, और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे की कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा।
8. किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।
9. ऐसे मामलों में, जहां किसी धोखेबाज़ी या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्त्वपूर्ण विफलता का संदेह हो और विभागीय लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की जांच के बाद निष्कर्ष सामने आए हों, तो उनकी समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना।
10. कंपनी की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में बातचीत करना तथा लेखापरीक्षा पूरी हो जाने पर फिर से उनके साथ बातचीत करना ताकि किसी महत्त्वपूर्ण सरोकार का पता लगाया जा सके।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों की अदायगी न किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में कोई बड़ी चूक होने के कारणों का पता लगाना।
12. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना।
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. लोक उद्यमों से सम्बद्ध संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक मुक्त आयाम प्रदान करना।
16. कम्पनी में सम्बन्धित पक्ष के सभी प्रकार के कारोबार को मंजूरी देना अथवा बाद में उसमें कोई संशोधन करना।
17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ मिलकर लेखा परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि विषयों के कवरेज की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, व्यर्थ के प्रयासों में कमी लायी जा सके, और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों का प्रभावकारी इस्तेमाल किया जा सके।

18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ मिलकर निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना:
    - कम्पयूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित, आतंरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
    - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशों और निष्कर्षों तथा उन पर प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना।
19. निम्नांकित विषयों पर प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ विचार करना और उनकी समीक्षा करना:
    - पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
    - अपेक्षित जानकारी तक पहुंच या तत्सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों सहित, लेखा परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।
20. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता तथा कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावी उत्पादकता की समीक्षा और निगरानी।
21. अंतर निगमित ऋणों तथा निवेश की जाँच।
22. कंपनी के वचनों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां-कहीं यह आवश्यक हो।
23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
24. प्रबंधन के साथ किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइटस इश्यू, अधिमानी इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में बताए गए के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई निधियों के विवरण और किसी पब्लिक अथवा राइटस इश्यू की प्राप्तियों के उपयोग का प्रबोधन करने वाली प्रबोधक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।
25. कम्पनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और लोक उद्यम विषग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तो में यथा उल्लिखित अन्य कोई कार्य करना।

3.2 हितधारक संबंध समिति

बोर्ड ने 7 जुलाई, 2014 को हुई अपनी 374वीं बैठक में ''शेयरधारक शिकायत समिति'' का नाम बदलकर ''हितधारक संबंध समिति'' रखा और कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप इसकी संदर्भ की शर्तो में परिवर्तन किया।

समिति को बोर्ड द्वारा 17 जनवरी, 2014 को हुई इसकी 369वीं बैठक में पुनर्गठित किया गया है। 31 मार्च, 2014 के अनुसार कम्पनी में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री आर.जयसीलन	स्वतंत्र निदेशक -अध्यक्ष
ii)	श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
iii)	श्री ए.गोपालाकृष्णन	स्वतंत्र निदेशक

बैठकें तथा उपस्थिति:

समिति ने वर्ष के दौरान क्रमश: 22 जुलाई, 2013 तथा 10 मार्च, 2014 को दो बैठकें की थी। सदस्यों द्वारा भाग ली गई समिति बैठकों के ब्यौरे तालिका-6 में दिए गए हैं।

तलिका 6: समिति की बैठकें

क्र.स.	2013-14 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री शांतिकाम हजारिका*	1	1
2	श्री अशोक कुमार दत्ता*	1	1
3	श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	2	2
4	श्री ए. गोपालाकृष्णन*	1	शून्य
5	श्री आर. जयसीलन*	1	1

* श्री ए.गोपालकृष्णन, स्वतंत्र निदेशक और श्री आर.जयसीलन, स्वतंत्र निदेशक को 17 जनवरी, 2014 को आयोजित बोर्ड की 369वीं बैठक में श्री शांतिकाम हजारिका, स्वतंत्र निदेशक और श्री अशोक कुमार दत्ता, स्वतंत्र निदेशक के स्थान पर नियुक्त किया गया था।

संदर्भ की शर्तें:

1. हितधारक संबंध समिति कम्पनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार तथा उनका समाधान करेगी जिसमें शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें शामिल होंगी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और डीपीई द्वारा जारी निगमित शासन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथा अपेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

अनुपालन अधिकारी नाम और पदनाम:

श्री विजय गुप्ता, कम्पनी सचिव सूचीकरण समझौते के खंड के 47(क) के संदर्भ में समिति के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयर धारकों से प्राप्त शिकायतें:

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की सिवाय विवादों अथवा कानूनी बाधाओं से बाधित मामलों के। वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों का ब्यौरा तालिका-7 में दिया गया है।

तालिका-7: शेयर धारकों की शिकायतें:

विवरण	1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभिक शेष	31,मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	31, मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतें	31, मार्च 2014 को लंबित शिकायतें
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	शून्य	162	162	शून्य
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	शून्य	2272	2272	शून्य
सेबी शिकायतें	7	68	73	2
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	शून्य	9	9	शून्य
उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	2	शून्य	शून्य	2
वकील के नोटिस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**9**	**2511**	**2516**	**4**

31 मार्च, 2014 को लंबित निवेशक शिकायतों पर बाद में कार्रवाई की गई है।

सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (स्कोर्स) - सूचीबद्ध कंपनियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु सेबी की ऑनलाइन पोर्टल

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ''स्कोर्स'' नामक एक वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली प्रारंभ ही है, जिसके माध्यम से कोई शेयरधारक किसी कंपनी के विरूद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और शिकायत की स्थिति देख सकता है। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, उसे भविष्य के संदर्भ तथा ट्रैकिंग हेतु एक अनूठी पंजीकरण संख्या आबंटित की जाती है। संबंधित निकाय (मध्यस्थ या सूचीबद्ध कंपनी) इलेक्ट्रानिक रूप से कृत कार्रवाई रिपोर्ट को अपलोड करता है जिसे सेबी तथा साथ ही साथ शिकायतकर्ता द्वारा भी देखा जा सकता है। संबंधित निकाय और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को ऑनलाइन से स्पष्टीकरण मांग सकते है और/अथवा स्पष्टीकरण मुहैया करवा सकते है। सेबी शिकायत के पर्याप्त समाधान हेतु संतुष्ट होने पर उसका निपटान कर देती है।

कोई निवेशक जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा जिसकी स्कोर्स पर पहुंच नहीं है, वह अपनी शिकायत भौतिक रूप में दर्ज करवा सकता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई और रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट से यथा प्राप्त इन शिकायतों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) स्कोर्स के माध्यम से सेबी को प्रस्तुत की गई हैं।

शेयर अंतरण हेतु लंबित मामलों की संख्या:

31 मार्च, 2014 को शेयर अंतरण हेतु कोई अनुरोध लंबित नहीं था।

सभी शेयर अंतरणों का अनुपालन स्टाक एक्सचेंजों द्वारा विहित समय के भीतर पूरा किया गया था; और एक प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के प्रमाण-पत्रों को स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

3.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

एनएचपीसी केन्द्रीय लोक क्षेत्र का एक उद्यम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्तियां, उनके कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तथापि, निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, एक पारिश्रमिक समिति का गठन वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के मध्य विहित सीमाओं को भीतर वितरण हेतु नीति का निर्णय लेने के लिए किया गया था। दिनांक 17 जनवरी, 2014 को आयोजित बोर्ड की 369वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया है। 31 मार्च, 2014 के अनुसार पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

i)	श्री जी. एस. वेदी	स्वतंत्र निदेशक
ii)	श्री शांतिकाम हज़ारिका	स्वतंत्र निदेशक
iii)	श्री अशोक कुमार दत्ता	स्वतंत्र निदेशक
iv)	श्री आर.एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)

बोर्ड ने दिनांक 7 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 374वीं बैठक में ''पारिश्रमिक समिति'' का नाम बदल कर ''नामांकन और पारिश्रमिक समिति'' रखा था और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप इसकी संदर्भ की शर्तों में परिवर्तन किया था।

बैठकें और उपस्थिति:

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें - 23 जुलाई, 2013 और 16 सितम्बर, 2013 को हुई। समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-8 में दिया गया है।

तालिका-8: समिति की बैठकें

क्र.स.	2013-14 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1.	श्री जी एस वेदी	2	2
2.	श्री शांतिकाम हजारिका	2	2
3.	श्री अशोक कुमार दत्ता	2	2
4.	श्री आर.एस.मीना*	शून्य	शून्य

*श्री आर.एस.मीना, निदेशक (कार्मिक) को बोर्ड की दिनांक 17 जनवरी, 2014 को आयोजित 369वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था।

समिति की संदर्भ की शर्तें

1. किसी निदेशक के सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड निरूपित करना।
2. वार्षिक बोनस/कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के वितरण और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों सहित बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों में वितरण सम्बन्धी नीति की अनुशंसा करना।
3. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन हेतु मानदंड का निरूपण।
4. बोर्ड की विविधता पर एक नीति बनाना।
5. निर्धारित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना और बोर्ड से उनकी नियुक्ति तथा पदमुक्त करने की अनुशंसा करना।
6. अन्य भत्ते और परिलब्धियों पर विचार करना और उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए भेजना।
7. कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और डीपीई द्वारा जारी निगमित शासन दिशा-निर्देशों के प्रवाधानों के अनुसार यथापेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

3.4 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति

सीपीएसई हेतु सीएसआर और धारणीयता पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने 29 जून, 2013 को आयोजित अपनी 359वीं बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति गठित की है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 17 जनवरी, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में उक्त समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया है।

31 मार्च, 2014 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल है:

i) श्री अतुल कुमार गर्ग — स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष

ii) श्री डी पी भार्गव — निदेशक (तकनीकी)

iii) श्री आर.एस. मीना — निदेशक (कार्मिक)

बोर्ड ने दिनांक 7 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 374वीं बैठक में श्री मुकेश जैन, संयुक्त सचिव(हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय को समिति में नियुक्त किया था।

बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष के दौरान समिति की पांच बैठक - 24 जुलाई, 2013, 26 अगस्त, 2013, 25 अक्तूबर, 2013, 6 जनवरी, 2014 और 30 जनवरी, 2014 को हुई। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 9 में दिए गए है।

तालिका-9: कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठके:

क्र.स.	2013-14 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1.	श्री ए के मागो*	4	4
2.	श्री अतुल कुमार गर्ग	5	5
3.	श्री डी पी भार्गव	5	5
4.	श्री आर.एस. मीना	1	1
5.	श्री मुकेश जैन**	लागू नहीं	लागू नहीं

*श्री ए.के.मागो, स्वतंत्र निदेशक 17 जनवरी, 2014 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

** श्री मुकेश जैन को 7 जुलाई, 2014 को समिति में नियुक्त किया गया था।

3.5 संविदाओं संबधी निदेशकों की समिति

संविदा संबंधी निदेशकों की समिति को दिनांक 17 जनवरी, 2014 को आयोजित बोर्ड की 369वीं बैठक में पुनर्गठित किया गया था। 31 मार्च, 2014 को संविदा संबंधी निदेशकों की समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

i) श्री ए. के. मागो — स्वतंत्र निदेशक
ii) श्री आर जयसीलन — स्वतंत्र निदेशक
iii) श्री शांतिकाम हजारिका — स्वतंत्र निदेशक
iv) श्री ए बी एल श्रीवास्तव — निदेशक (वित्त)
v) श्री डी पी भार्गव — निदेशक (तकनीकी)
vi) श्री जे के शर्मा — निदेशक (परियोजनाएं)
vii) श्री आर एस मीना — निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैंठकें 31 जुलाई, 2013, 24 अक्तूबर, 2013 और 18 नवम्बर, 2013 को हुई थीं। संविदा संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 10 में दिए गए है।

तालिका-10: ठेकों के संबंधमें निदेशकों की समिति की बैठके:

क्र.स.	2013-14 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	3	3
2	श्री शांतिकम हजारिका	3	3
3	श्री आर.जयसीलन	3	3
4	श्री डी.पी.भार्गव	3	3
5	श्री जे.के.शर्मा	3	3
6	श्री जी.साइ प्रसाद	2	2
7	श्री ए.के.मागो*	शून्य	शून्य
8	श्री आर.एस.मीना*	शून्य	शून्य

* श्री ए.के.मागो, स्वतंत्र निदेशक और श्री आर.एस.मीना, निदेशक (कार्मिक) को दिनांक 17 जनवरी, 2014 को आयोजित बोर्ड की 369वीं बैठक में समिति सदस्य नियुक्त किये गए थे।

समिति के संदर्भ की शर्तें:

संविदाओं संबंधी निदेशकों की समिति की संदर्भ की शर्तें निम्नांकित हैं:

(क) एलओआई/संविदा सौंपना अथवा प्रतिबध्दता करना जो 100 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 200 करोड़ रुपये के कम मूल्य के हैं, ये संलग्नक - क (सीएमडी, एनएचपीसी लिमिटेड को सौंपे गए अधिकारों से बाहर/के सिवाय अधिकार) के मद संख्या 5 (क) (i), (ii) एवं (iii) में दिए गए हैं।.

(ख) संविदा समझौते के बिल ऑफ क्वांटिटि (बीओक्यू) में इंगित मात्राओं के सम्बन्ध में मात्रा विविधता, नई मदों को शुरू करना, बीओक्यू के एक मद के स्थान पर दूसरे मद को प्रतिस्थापित करना, संविदा शर्तों से विचलन जिससे बोर्ड द्वारा अनुमोदित संविदाओं के संविदा मूल्य में 25 प्रतिशत से अधिक या 75 करोड़ रुपये से अधिक संचयी वृद्धि परन्तु यह 200 करोड़ रुपये सीमा के अंदर होगी, मूल्य विविधता के कारण संविदा समझौते में पहले से ही हुई बढ़ोतरी को छोड़कर जो भी कम है, आकस्मिकता के प्रावधान इत्यादि तथा नई सांविधिक आवश्यकताओं या वर्तमान सांविधिक आवश्यकताओं के कारण मूल्य विविधता।

(ग) ठेकेदारों की वजह से न होने वाले विलम्बों हेतु ठेकेदारों को निरर्थक शुल्कों, भाड़ा शुल्क तथा ब्याज का भुगतान जो 10 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य का नहीं होगा, जिसे बाध्यकारी कारणों में शामिल नहीं किया गया हो।

(घ) विवादित दावों की स्वीकृति, जो 10 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के न हो।

बोर्ड ने 7 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 374वीं बैठक में संविदा संबंधी निदेशकों की समिति को भंग कर दिया था।

3.6 एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन-पश्चवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति

बोर्ड ने 1 अप्रैल, 2014 को आयोजित अपनी 372वीं बैठक में 'एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन-पश्चवर्ती गतिविधियों संबंधी समिति' की संदर्भ की शर्तों में परिवर्तन किया था। 31 मार्च, 2014 के अनुसार एनएचपीसी समिति में निम्नांकित सदस्य थे:

i)	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त) - अध्यक्ष
ii)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
iii)	श्री आर. एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष के दौरान समिति की 26 बैठकें हुई। एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन-पश्चवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-11 में दिया गया है।

तालिका-11: एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन-पश्चवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकें:

क्र.स.	2013-14 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	26	25
2	श्री डी. पी. भार्गव	26	20
3	श्री आर. एस. मीना	26	24

समिति के संदर्भ की शर्तें:

1. प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना;
2. प्रतिभूतियों का अंतरण और ट्रांसमिशन;
3. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्रों का री-मेटीरियलाइजेशन;
4. प्रतिभूतियों से संबंधित डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना; और
5. एनएचपीसी प्रतिभूतियों का समेकन/पृथक्करण।

3.7 स्व-बीमा निधि के निवेश सम्बन्धी निदेशकों की समिति

31 मार्च, 2014 को समिति में निम्नांकित सदस्य थे:

i)	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
ii)	श्री डी पी भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
iii)	श्री जे के शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)
iv)	श्री आर एस मीना	निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष के दौरान समिति की बैठक - 19 नवम्बर, 2013 को हुई। बैठक में श्री जे. के. शर्मा के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था।

समिति की संदर्भ की शर्तें:

समिति को स्व-बीमा निधि में उपलब्ध राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बांड्स, और राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा योजनाओं में करने के लिए अधिकृत किया गया है। समिति को ऐसे निवेश की बिक्री/वसूली के लिए भी अधिकृत किया गया है ताकि वह उठाई गयी हानियों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता उपयुक्त ढंग से पूरी कर सके।

3.8 परियोजना निवेश समिति:

बोर्ड ने दिनांक 17 जनवरी, 2014 को आयोजित 369वीं बैठक में परियोजना निवेश समिति का गठन किया । 31 मार्च, 2014 को परियोजना निवेश समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

i)	श्री ए. के. मागो	स्वतंत्र निदेशक
ii)	श्री अशोक कुमार दत्ता	स्वतंत्र निदेशक
iii)	श्री ए. गोपालाकृष्णन	स्वतंत्र निदेशक
iv)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
v)	श्री जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान परियोजना निवेश समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी।

संदर्भ की शर्तें:

समिति नई/विस्तार परियोजनाओं में निवेश संबंधी प्रस्तावों और नई परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टों की जांच करेगी और बोर्ड को उन पर सिफारिशे करेगी।

3.9 प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति:

बोर्ड ने दिनांक 17 जनवरी, 2014 को आयोजित 369वीं बैठक में प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति का गठन किया। 31 मार्च, 2014 को प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

i)	श्री आर जयसीलन	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
ii)	श्री ए के मागो	स्वतंत्र निदेशक
ii)	श्री अतुल कुमार गर्ग	स्वतंत्र निदेशक
iii)	श्री शांतिकाम हजारिका	स्वतंत्र निदेशक
iv)	श्री डी पी भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
v)	श्री जे के शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)

बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 31 जनवरी, 2014 को हुई। बैठक में सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था।

संदर्भ की शर्तें:

समिति आंतरिक मॉनिटरींग की पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली स्थापित करेगी। समिति अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण प्रणालियों, परियोजना क्रियान्वयन और निर्माण में महत्वपूर्ण विपथन, प्रचालन और अनुरक्षण नजर में सार्थक विसामान्यता आदि की समीक्षा करेगी।

3.10 निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण:

बोर्ड ने दिनांक 17 जनवरी, 2014 को आयोजित 369वीं बैठक में सतर्कता समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 1 अप्रैल, 2014 को आयोजित अपनी 372वीं बैठक में सतर्कता समिति का नाम बदल कर 'निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण' कर दिया है। 31 मार्च, 2014 को समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

i)	श्री शांतिकाम हजारिका	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
ii)	श्री अतुल कुमार गर्ग	स्वतंत्र निदेशक
iii)	श्री अशोक कुमार दत्ता	स्वतंत्र निदेशक
iv)	श्री आर.एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 14 फरवरी, 2014 को हुई। बैठक में श्री अशोक कुमार दत्ता के अलावा सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था।

संदर्भ की शर्तें:

समिति सीडीए नियमों के अनुसार इसके समक्ष प्रस्तुत मामलों हेतु एक अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

आईपीओ मुनाफे के निवेश के लिए निदेशकों की समिति

बोर्ड ने दिनांक 17 जनवरी, 2014 को आयोजित 369वीं बैठक में इस समिति को भंग कर दिया था। भंग किए जाने की तिथि को मुनाफे के निवेश के लिए निदेशकों की समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

i) श्री अतुल कुमार गर्ग — स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
ii) श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव — निदेशक (वित्त)
iii) श्री डी. पी. भार्गव — निदेशक (तकनीकी)

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें - 7 जून, 2013, 10 जुलाई, 2013 और 26 अगस्त, 2013 को हुई। आईपीओ मुनाफे के निवेश के लिए निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-12 में दिया गया है।

तालिका-12: आईपीओ मुनाफे के निवेश के लिए निदेशकों की समिति की बैठकें:

क्र.स.	2013-14 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1.	श्री अतुल कुमार गर्ग	3	3
2.	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	3	3
3.	श्री डी पी भार्गव	3	2

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

किसी कार्यात्मक निदेशक, सरकारी मनोमीत निदेशक और एनएचपीसी लिमिटेड के प्रबंधन कार्मिकों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 10 मार्च, 2014 को श्री ए.के.मागो की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। श्री अशोक कुमार दत्ता और श्री ए.गोपालाकृष्णन के अलावा सभी स्वतंत्र निदेशक इस बैठक में उपस्थित थे।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित सीमा के भीतर स्वंतत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल प्राधिकृत है।

भारत सरकार द्वारा जारी विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, बोर्ड अथवा बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक हेतु 15,000/-रूपए के बैठक शुल्क का भुगतान स्वतंत्र निदेशकों को किया जा रहा है। 7 जुलाई, 2014 को हुई बोर्ड की 374वीं बैठक में बैठक शुल्क को 15,000 रूपए से बढ़ा कर 20,000 कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा कार्यात्मक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक को तालिका 13 में दिया गया है।

तालिका 13: वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक (राशि रूपए में)

निदेशक	पदनाम	वेतन	लाभ*	कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)**	जोड
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)	27,25,186	9,61,268	11,50,159	48,36,613
श्री डी.पी.भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	23,59,747	25,79,527	15,74,622	65,13,896
श्री जे.के.शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)	23,52,555	15,05,122	9,16,644	47,74,321
श्री आर.एस.मी मीना	निदेशक (कार्मिक)	26,34,927	4,49,154	15,70,692	46,54,773

* लाभों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण, अनुलाभ, लीज किराया, ईपीएफ (एमसी), पेंशन निधि शामिल है।

** कार्यात्मक निदेशकों को अदा किया जाने वाला कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुरूप कंपनी की प्रोत्साहन योजना पर आधारित है।

कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान कोई स्टाक विकल्प जारी नहीं किया था।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे तालिका 14 में दिए गए है।

तालिका 14 - वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे।

(राशि रूपए में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री जी एस वेदी	2,10,000	1,35,000	3,45,000*
श्री ए के मागो	2,25,000	1,80,000	4,05,000
श्री आर जयसीलन	1,80,000	90,000	2,70,000
श्री अशोक कुमार दत्ता	45,000	45,000	90,000
श्री अतुल कुमार गर्ग	2,10,000	2,55,000	4,65,000
श्री शांतिकाम हजारिका	1,80,000	1,35,000	3,15,000
श्री ए. गोपालकृष्णन	1,35,000	60,000	1,95,000

* श्री जी एस वेदी एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी अर्थात एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में भी एक स्वतंत्र निदेशक है। उल्लिखित राशि में एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा अदा किया गया बैठक शुल्क शामिल नहीं है।.

5. अनुषंगी कम्पनियां

(i) **एनएचडीसी लिमिटेड:** एनएचडीसी लिमिटेड एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी है जिसमें एनएचपीसी के पास इसके चुकता इक्विटी शेयर का 51 प्रतिशत हैं। वर्ष के दौरान, एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त को एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था। सहायक कम्पनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं की जानकारी समय-समय पर एनएचपीसी बोर्ड को दी गई।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट अभिशासन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएचडीसी ''भौतिक सहायक कम्पनी'' की परिभाषा के अंतर्गत भी शामिल है। एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक श्री जी.एस.वेदी को 16 जनवरी, 2013 से एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त किया गया।

वित्त-वर्ष 2013-14 के दौरान एनएचडीसी लिमिटेड की भौतिक प्रगति:

(क) **विविधीकरण:** मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सुपर क्रिटिकल टेकनोलॉजी आधारित 1320 मेगावाट (2X660 मेगावाट) रीवा तापीय विद्युत परियोजना (आरटीपीपी) के स्थापन हेतु एनएचडीसी मध्य प्रदेश सरकार के साथ 29 जून, 2009 को एनएचडीसी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। कोयला लिंकेज हेतु प्रस्ताव पहले से ही भारत सरकार के विचाराधीन है। एनएचडीसी ने रीवा तापीय विद्युत परियोजना हेतु कोयले की व्यवस्था करने के अपने प्रयास में कोयला ब्लाक के आबंटन हेतु भी आवेदन किया है। कंपनी मध्य प्रदेश में पवन और सौर ऊर्जा विकास हेतु संभावित स्थलों की संभाव्यता का भी पता लगा रही है।

(ख) **अन्य क्रियाकलाप:** मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) ने एनएचडीसी को ऊपरी नर्मदा बेसिन में 10 से 25 मेगावाट तक की अल्प तथा लघु जल विद्युत योजनाओं के निष्पादन की पेशकश की है। इन योजनाओं की सकल क्षमता 100 से 150 मेगावाट तक होने की संभावना है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पहले ही एनएचडीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच मसौदा समझौता ज्ञापन को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है, तथापि, मध्य प्रदेश सरकार की अंतिम स्वीकृति प्रतीक्षित है।

(ii) **लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड:** लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) का निगमन 23 अक्टूबर, 2009 को हुआ था। यह कंपनी एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में प्रोन्नत की गई, जिसमें दोनों की शेयर भागीदारी क्रमश: 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट अभिशासन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह कंपनी भौतिक सहायक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। एलडीएचसीएल के बोर्ड की बैठक के कार्यवृत को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना के निष्पादन हेतु सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई है और परियोजना के निष्पादन हेतु संविदा दिए जाने के लिए आवेदकों की पूर्व-अर्हता की जांच प्रक्रियाधीन है।

6. आम बैठक

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीखें, समय और स्थानों का ब्योरा तालिका-15 में दिया गया है।

तालिका-15: वार्षिक आम बैठकें

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2010-11	19.09.2011	3:30 p.m.	मैगपाई टूरिस्ट रिजॉर्ट, सेक्टर-16ए मथुरा रोड़, फरीदाबाद
2011-12	17.09.2012	11:00 a.m.	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा
2012-13	16.09.2013	12 Noon	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा

एनएचपीसी लिमिटेड की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों के ब्यौरे

एनएचपीसी लिमिटेड ने 16 सितम्बर, 2013 को आयोजित अपनी 37वर्ष वार्षिक आम बैठक में विशेष प्रस्तावों को पारित करने के माध्यम से ''शेयरों की पुन: खरीद'' और ''अतिरिक्त निदेशकों'' के संबंध में क्रमश: नए अनुच्छेद 16क तथा 35क को शामिल करके अपने संगम अनुच्छेद में संशोधन किया है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नही किया गया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान डाक मत-पत्र के माध्यम से संचालन हेतु प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव

कम्पनी निम्नलिखित तीन विशेष कारोबार(रों) हेतु डाक मत-पत्र (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में जिसे कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पढ़ा जाता है) के संचालन हेतु प्रस्ताव कर रही है:

1. कम्पनी के प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए कम्पनी की सभी या किसी चल अथवा अचल परिसंपत्तियों और/अथवा अचल संपत्ति को बंधक रखने और/अथवा उस पर प्रभार सृजित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकार देना;
2. ऋण लेने की शक्तियों को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रूपये तक करना; और
3. निजी स्थापन के माध्यम से 2500 करोड़ रूपये तक के अप्रत्याभूत/प्रत्याभूत अपरिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर जारी करना।

दिनांक 18 जुलाई, 2014 के डाक मत-पत्र की सूचना अनुमेय तरीके द्वारा कम्पनी के सदस्यों को पहले ही प्रेषित की जा चुकी है।

डाक मत-पत्र हेतु प्रक्रियाविधि

डाक मत-पत्र का संचालन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110, जिसे कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पढ़ा जाता है), के अनुसार किया जाएगा। तथापि, संदर्भ हेतु संक्षिप्त प्रक्रियाविधि नीचे दी गई है:

1. कम्पनी सभी शेयरधारकों को एक नोटिस भेजेगी जिसमें तत्संबंधी कारणों को स्पष्ट करने वाले एक मसौदा प्रस्ताव को संलग्न किया जाएगा और उनसे नोटिस के प्रेषण की तिथि से 30 दिवस की अवधि के भीतर डाक मत-पत्र अथवा इलेक्ट्रोनिक साधनों द्वारा लिखित में अपनी सहमति अथवा विरोध भेजने को कहा जाएगा।
2. नोटिस स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से भेजा जाएगा और डाक द्वारा नोटिस भेजे जाने के मामले में 30 दिवस की उक्त अवधि के भीतर प्रस्ताव पर शेयरधारक की सहमति अथवा विरोध के सम्प्रेषण को सुकर बनाने के लिए एक डाक प्रभार अदा किया गया लिफाफा संलग्न होगा।
3. यदि इलेक्ट्रोनिक तरीकों द्वारा मतदान सहित डाक मत-पत्र के तरीके द्वारा शेयरधारकों की अपेक्षित संख्या द्वारा प्रस्ताव को सहमति प्रदान की जाती है तो इसे उस संबंध में आयोजित आम बैठक द्वारा विधिवत पारित माना जाएगा।

7. प्रकटीकरण:

(i) संबंधित पक्ष कारोबार: वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ऐसे कोई भौतिकी रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष कारोबार नहीं थे, जिनका कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध होता हो।

संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के ब्योरों को कम्पनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित किए गए लेखांकन मानक-18 के अनुसार लेखाओं का भाग होने वाली टिप्पणियों में शामिल किया गया है।

(ii) सूचीकरण समझौते और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं: कंपनी ने मोटे तौर पर स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण समझौते की सभी सांविधिक आवश्यकताओं और साथ ही साथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित विनियमन व दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग(डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) हेतु निगमित शासन संबंधी दिशा-निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का भी पालन किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या सरकार द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश के लिए कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड/जुर्माना नहीं लगाया गया है।

आवधिक परिणाम तथा अन्य सूचनाएं नियमित तौर पर एनएचपीसी लि. की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रकाशित की जाती हैं। सूचीकरण समझौते और निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को स्वीकार करने संबंधी सूचना **अनुबंधक-क** में प्रदान की गई है।

वित्त वर्ष 2013-14 और पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई अध्यक्षीय निदेश जारी नहीं किया गया।

(iii) लेखांकन प्रबंध : प्रबंधन के मतानुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है। जहां-कहीं लेखांकन मानक से कोई विसामान्यता हो, वहां लेखा टिप्पणियों में उचित प्रकटीकरण दिया गया हैं।

8. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण समझौते के खंड-49 की अपेक्षा के अनुसार श्री आर.एस.टी.शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिनांक 7 जुलाई, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया और यह कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में **अनुबंध-ख** में प्रदान किया गया है।

9. संचार के साधन

कम्पनी के आवधिक वित्तीय परिणामों को सूचीकरण समझौते के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में घोषित किया जाता है। ये परिणाम राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कम्पनी आवधिक परिणाम/रिकॉर्ड प्रत्येक शेयरधारक को नहीं भेजती बल्कि ये परिणाम कम्पनी के वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

कम्पनी ने महत्वपूर्ण निगमित निर्णयों और कार्यकलापों पर अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कीं और उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला।.

कम्पनी द्वारा प्रकाशित लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का ब्योरा तालिका-16 में दिया गया है।

तालिका-16: लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

समाचार पत्र	निम्नांकित तारीखों को समाप्त हुई अवधि के परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30.06.2013	30.09.2013	31.12.2013	31.03.2014
फाइनेंशियल एक्सप्रेस (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	-	12.11.2013	01.02.2014	-
जनसत्ता (हिन्दी)	-	13.11.2013	02.02.2014	-
इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी)	-	12.11.2013	01.02.2014	-
बिजनेस स्टैंडर्ड (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	02.08.2013	-	-	08.07.2014
दैनिक भास्कर (हिन्दी)	-	-	-	09.07.2014

संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रस्तुतीकरण दिए गए और वे कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

10. शेयरधारकों हेतु सूचना

(i) वार्षिक आम सभा:

दिनांक: 26 सितम्बर, 2014

समय: अपराह्न 03:00 बजे

स्थान: म्यूनिसिपल कारपोरेशन आडिटोरियम, फरीदाबाद।

(ii) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वित्तीय कलैंडर

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015
पहली तीन तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	बोर्ड की बैठक के समाप्ति की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी। बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी।
चौथी तिमाही के परिणाम/31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	बोर्ड की बैठक के समाप्ति की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी। बोर्ड की बैठक 30 मई, 2015 को या उससे पहले आयोजित की जाएगी।
एजीएम (वार्षिक आम बैठक)-2015	सितम्बर, 2015 (परिवर्तनशील)

(iii) बही का बंद किया जाना

सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बुक को दिनांक 13.09.2014 से 26.09.2014 तक (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) बंद रखा जायेगा।

(iv) लाभांश का भुगतान

कम्पनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु 0.30 रूपये प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी पर 3 प्रतिशत) के लाभांश की घोषणा की है।

भौतिक शेयरों के संबंध में लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन हेतु रिकार्ड तिथि 26 सितम्बर, 2014 है। डीमैट शेयरों के संदर्भ में लाभांश का भुगतान शेयरों के उन ''लाभार्थी स्वामियों'' को किया जाएगा, जिनके नाम 12 सितम्बर, 2014 को कारोबार बंद होते समय नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की लाभार्थी धारकों संबंधी विवरण में दर्ज होंगे।

(v) लाभांश इतिहास:

वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	लाभांश भुगतान की तिथि
2007-08	300.00 (100 करोड़ रु के अंतरिम लाभांश सहित)	05.08.2008	13.08.2008
2008-09	325.00 (125 करोड़ रु के अंतरिम लाभांश सहित)	31.07.2009	13.08.2009
2009-10	676.54	22.09.2010	01.10.2010
2010-11	738.04	19.09.2011	28.09.2011
2011-12	861.05	17.09.2012	26.09.2012
2012-13	738.04	16.09.2013	25.09.2013

(vi) स्टॉक एक्सचेंजों का सूचीकरण

एनएचपीसी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है:

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
पता: फिरोजी जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001 **स्क्रिप कोड:** 533098 **ISIN:** INE848E01016	**पता:** एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लाक, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400051 **स्क्रिप कोड:** NHPCEQ ISIN : INE848E01016

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक सूचीकरण का भुगतान शुल्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड दोनों को 30 अप्रैल, 2014 से पूर्व किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2014-15 हेतु वार्षिक कस्टूडियन शुल्क का भुगतान दोनों जमाकर्ताओं अर्थात सेन्ट्रल डिपॉजिट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिट्री लिमिटेड को 31 मई, 2014 से पूर्व किया जा चुका है।

(vii) बाजार मूल्य डाटा:

एनएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल,13	22.35	19.85	21.65
मई, 13	21.65	19.15	19.25
जून, 13	19.25	17.15	18.45
जुलाई, 13	19.25	16.55	16.60
अगस्त, 13	17.25	14.80	16.00
सितम्बर, 13	20.35	15.95	19.55
अक्तूबर, 13	20.00	17.90	18.10
नवम्बर, 13	19.10	17.60	18.20
दिसम्बर, 13	19.85	17.75	19.55
जनवरी, 14	19.75	17.45	17.90
फरवरी, 14	18.90	17.35	18.00
मार्च, 14	19.75	17.50	19.10

बीएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल,13	22.35	19.90	21.65
मई, 13	21.65	19.20	19.25
जून, 13	19.60	17.20	18.40
जुलाई, 13	19.20	16.55	16.65
अगस्त, 13	17.10	14.80	16.00
सितम्बर, 13	20.40	15.95	19.50
अक्तूबर, 13	20.00	17.95	18.15
नवम्बर, 13	19.10	17.60	18.15
दिसम्बर, 13	19.85	17.80	19.50
जनवरी, 14	19.75	17.45	17.90
फरवरी, 14	18.85	17.35	17.90
मार्च, 14	19.75	17.55	19.10

(viii) सूचकांक की तुलना में निष्पादन:

बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी शेयर मूल्य

सेन्सेक्स			
महीना	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल,13	19622.68	18144.22	19504.18
मई, 13	20443.62	19451.26	19760.30
जून, 13	19860.19	18467.16	19395.81
जुलाई, 13	20351.06	19126.82	19345.70
अगस्त, 13	19569.20	17448.71	18619.72
सितम्बर, 13	20739.69	18166.17	19379.77
अक्तूबर, 13	21205.44	19264.72	21164.52
नवम्बर, 13	21321.53	20137.67	20791.93
दिसम्बर, 13	21483.74	20568.70	21170.68
जनवरी, 14	21409.66	20343.78	20513.85
फरवरी, 14	21140.51	19963.12	21120.12
मार्च, 14	22467.21	20920.98	22386.27

बीएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल,13	22.35	19.90	21.65
मई, 13	21.65	19.20	19.25
जून, 13	19.60	17.20	18.40
जुलाई, 13	19.20	16.55	16.65
अगस्त, 13	17.10	14.80	16.00
सितम्बर, 13	20.40	15.95	19.50
अक्तूबर, 13	20.00	17.95	18.15
नवम्बर, 13	19.10	17.60	18.15
दिसम्बर, 13	19.85	17.80	19.50
जनवरी, 14	19.75	17.45	17.90
फरवरी, 14	18.85	17.35	17.90
मार्च, 14	19.75	17.55	19.10

एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य

सेन्सेक्स			
महीना	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल,13	5962.30	5477.20	5930.20
मई, 13	6229.45	5910.95	5985.95
जून, 13	6011.00	5566.25	5842.20
जुलाई, 13	6093.35	5675.75	5742.00
अगस्त, 13	5808.50	5118.85	5471.80
सितम्बर, 13	6142.50	5318.90	5735.30
अक्तूबर, 13	6309.05	5700.95	6299.15
नवम्बर, 13	6342.95	5972.45	6176.10
दिसम्बर, 13	6415.25	6129.95	6304.00
जनवरी, 14	6358.30	6027.25	6089.50
फरवरी, 14	6282.70	5933.30	6276.95
मार्च, 14	6730.05	6212.25	6704.20

एनएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल,13	22.35	19.85	21.65
मई, 13	21.65	19.15	19.25
जून, 13	19.25	17.15	18.45
जुलाई, 13	19.25	16.55	16.60
अगस्त, 13	17.25	14.80	16.00
सितम्बर, 13	20.35	15.95	19.55
अक्तूबर, 13	20.00	17.90	18.10
नवम्बर, 13	19.10	17.60	18.20
दिसम्बर, 13	19.85	17.75	19.55
जनवरी, 14	19.75	17.45	17.90
फरवरी, 14	18.90	17.35	18.00
मार्च, 14	19.75	17.50	19.10

(ix) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,
प्लाट नं. 17-24, विट्टलराव नगर,
माधापुर, हैदराबाद- 500081
दूरभाष नं.: +91 40 4465 5000
फैक्स नं.: +91 40 2343 1551
ई-मेल आईडी: einward.ris@karvy.com

(x) शेयर अंतरण प्रणाली

भौतिक खण्ड के अंतर्गत शेयर अंतरण क्रियाकलापों को मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। शेयर अंतरण प्रणाली में अंतरिती से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, उसका प्रमाणीकरण, अन्तरण के ज्ञापन को तैयार करना आदि जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। शेयर अंतरणों को एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन तथा आबंटन-पश्च क्रियाकलापों हेतु निदेशकों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

सूचीकरण समझौते के खंड 47(ग) के अनुपालन में कम्पनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करने वाले छमाही आधार के प्रमाण-पत्र को प्रैक्टिस कर रहे कम्पनी सचिव द्वारा विहित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

(xi) अदा न की गई/दावा न की गई राशियों का निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि (अदा न की गई तथा दावा न की गई कम्पनियों के पास पड़ी राशियों के संबंध में सूचना की अपलोडिंग) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी ने 16 सितम्बर, 2013 (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) को कम्पनी के पास अदा न की गई तथा दावा न की गई राशियों के ब्यौरे को कम्पनी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलाड कर दिया गया है।

(xii) एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा शेयरों की पुनः खरीद

एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निविदा प्रस्ताव मार्ग के माध्यम से विद्यमान शेयरधारकों से अपनी कुल प्रदत्त इक्विटी शेयरपूंजी के 10 प्रतिशत (123,00,74,277) की पुनः खरीद की है जिससे इसकी कुल प्रदत्त शेयर पूंजी से 12,300.74 करोड़ रूपये से कम होकर 11,070,67 करोड़ रूपये हो गई है। पुनः खरीद के पश्चात भारत के राष्ट्रपति की धारिता कम्पनी की कुल प्रदत्त शेयरपूंजी की 86.36 प्रतिशत से कम होकर 85.98 प्रतिशत रह गई है। शेष इक्विटी एफआईआई, म्यूचुअल फण्डों तथा भारतीय जनता द्वारा धारित है।

(xiii) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2014 को शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा और धारण के आकार के अनुसार धारित शेयर नीचे दिए गए हैं:

आकार के अनुसार

(क) 31 मार्च, 2014 को आकार तथा धारिता के प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण:

श्रेणी (राशि रूपए में)	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत
1-5,000	635406	61.36	138588746	1.25
5,001-10,000	288245	27.84	215581829	1.95
10,001-20,000	61446	5.93	91904897	0.83
20,001-30,000	19514	1.89	49933108	0.45
30,001-40,000	8006	0.77	28676838	0.26
40,001-50,000	6539	0.63	30902214	0.28
50,001-1,00,000	9505	0.92	68724098	0.62
1,00,000 और उससे ज्यादा	6859	0.66	10446356766	94.36
कुल	**1035520**	**100.00**	**11070668496**	**100.00**

(ख) 31 मार्च, 2014 को एनएचपीसी लिमिटेड के 100 शेयरों तक धारित शेयरधारकों की शेयरधारिता का वितरण:

श्रेणी (शेयर)	धारकों की संख्या	धारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	इक्विटी का प्रतिशत
1 - 10	52708	5.09	112676	0.00
11 - 20	8430	0.81	140017	0.00
21 - 30	9103	0.88	241091	0.00
31 - 40	4640	0.45	171387	0.00
41 - 50	19566	1.89	969435	0.01
51 - 100	75501	7.29	7188221	0.06

(ग) 31 मार्च, 2014 को स्वामित्व के आधार पर शेयर धारण पैटर्न:

श्रेणी	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को		परिवर्तन (प्रतिशत)
	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत	
भारत सरकार	9516209722	85.96	10623368758	86.36	(0.40)
एफआईआइ	183429954	1.66	265141997	2.16	(0.50)
भारतीय जनता और एचयूएफ	786896162	7.12	805093672	6.54	0.58
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	412307069	3.72	334463517	2.73	0.99
निजी कार्पोरेट निकाय	134504517	1.21	186115830	1.51	(0.30)
म्युचिअल फंड्स	8089308	0.07	59479934	0.48	(0.41)
एनआरआई / ओसीबी	15900420	0.14	16238712	0.13	0.01
अन्य					
क्लिअरिंग सदस्य, ट्रस्ट और पात्र विदेशी निवेशक - व्यक्ति और विदेशी नागरिक	13331344	0.12	10840353	0.09	0.03
कुल	**11070668496**	**100.00**	**12300742773**	**100.00**	

(घ) 31 मार्च, 2014 को प्रमुख शेयरधारक:

31 मार्च, 2014 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक मूल्य के शेयर रखने वालों का विवरण इस प्रकार है:-

शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत	श्रेणी
भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96	केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार
भारतीय जीवन बीमा निगम	270333289	2.44	बीमा कंपनी

(ङ) 31 मार्च, 2014 के अनुसार 10 शीर्ष शेयरधारक:

31 मार्च, 2014 को एनएचपीसी लिमिटेड के 10 शीर्ष शेयरधारक निम्नानुसार है:

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	270333289	2.44
3.	यूको बैंक	33154836	0.30
4.	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केटस स्टॉक इंडेक्स फंड, असेरी	25324080	0.23
5.	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी लि.	19842359	0.18
6.	गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल	18243768	0.16
7.	कारपोरेशन बैंक	14043251	0.13
8.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	13907798	0.13
9.	इमरजिंग मार्केटस कोर इक्विटी पोर्टफोलिया	10682783	0.10
10.	विस्डम ट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कारपोरेश	10296777	0.09
	कुल	**9932038663**	**89.72**

(xiv) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन:

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटीरियलाइज सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी की शेयर पूंजी के संबंध में जमाकर्ताओं के पास डीमैटीरियलाइज रूप में उपलब्ध कुल जारी पूंजी, सूचीबद्ध पूंजी तथा धारित पूंजी के समाधान के लिए शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी कंपनी सचिव से प्राप्त की गई और उसे निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराया गया।

डीमैटिरियलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या

	शेयरों की संख्या	जारी कुल पूंजी का प्रतिशत
एनएसडीएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	10796114205	97.52
सीडीएसएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	274331580	2.48
भौतिक रूप	222711	0.00
कुल	**11070668496**	**100.00**

जमाकर्ताओं के नाम और पते निम्नानुसार हैं:

1. **नेशनल सिक्योरिटी डिपॉस्ट्री लिमिटेड**
   ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल,
   कमला मिल्स कम्पाउन्ड,
   सेनापति बापट मार्ग,
   लोअर परेल, मुंबई-400013
2. **सेन्ट्रल डिपॉस्ट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड**
   फिरोज जीजीभॉय टावर्स,
   28वां तल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 023

(xv) डीमैट उचिन्त खाता

31 मार्च, 2014 को इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के पश्चात उचिन्त खाते में खोले तथा रखे गए शेयरों के ब्यौरे तालिका 17 में दिए गए हैं।

तालिका 17: उचिन्त खाते में शेयर

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	461	181952
शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से संपर्क किया	49	21928
शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से अंतरित किए गए	49	21928
वर्ष के अंत में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	412	160024

टिप्पणी: इन शेयरों पर मत देने का अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेगा जब तक कि उनके वास्तविक स्वामियों द्वारा उनके लिए दावा नहीं किया जाता।

(xvi) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स, कंवर्जन तिथि तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव:

एनएचपीसी ने ऐसे जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स जारी नहीं किए हैं, जिनके इक्विटी पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(xvii) 31 मार्च, 2014 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या:

निदेशक का नाम (सर्व श्री)	धारित शेयरों की संख्या धारित शेयरों की संख्या
जी. साइ प्रसाद	शून्य
श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	49,875
श्री डी. पी. भार्गव	19,999
श्री जे के शर्मा	4,550
श्री आर. एस .मीना	42,000
के. एन .गर्ग	शून्य
मुकेश जैन	शून्य
जी. एस. वेदी	शून्य
ए. के. मागो	शून्य
आर. जयसीलन	शून्य
अतुल कुमार गर्ग	शून्य
ए.के. दत्ता	शून्य
शांतिकम हज़रिका	शून्य
ए. गोपालाकृष्णन	शून्य

(xviii) एनएचपीसी संयत्रों की अवस्थिति:

बैरास्यूल	एनएचपीसी लि., सुरंगनी, जिला-चंबा, हिमाचल प्रदेश-176 317
लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर-लोकतक, कोमकेरेप, मणिपुर-795 124
सलाल-1 और 2	एनएचपीसी लि., डाकघर ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जम्मू एवं कश्मीर-182 312
टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर टीपीएस कैम्पस, बानबासा, जिला चम्बावत, उत्तराखंड- 262 310
चमेरा- I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 325
उड़ी- I	एनएचपीसी लि., गिंगल, डाकघर-मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर -193 122
रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर-रंगित, दक्षिण सिक्किम-737 111
चमेरा- II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 310
धौलीगंगा	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड-262 545
दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चेनाब नगर, सेक्टर- II, किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर-182 206
तीस्ता- V	एनएचपीसी लि., डाकघर-सिंगताम, पूर्वी सिक्किम- 737 134
सेवा- II	एनएचपीसी लि., माश्का, ज़िला कठुआ, (जम्मू-कश्मीर)
चमेरा- I	एनएचपीसी लि., ग्राम धारवाला, पीओ-9, खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176311
चूटक	एनएचपीसी लि., पीओ-मिंजी, जिला कारगिल (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर-194103
तीस्ता लो डैम परियोजना - III	एनएचपीसी लि., रम्बी बाजार, पीओ-रियांग, जिला-दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल)-734321
निम्मो बाजगो परियोजना	एनएचपीसी लिमिटेड, अलची, जिला - लेह (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर, पिन - 194101
उड़ी II	एनएचपीसी कार्यालय सह आवासीय परिसर, नोपोरा, उड़ी, जिला - बारामुला, (जम्मू एवं कश्मीर), पिन 193122
पार्बती- III	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव बहाली, पी.ओ. लारजी, जिला कुल्लु (हिमाचल प्रदेश), पिन 175122

(xix) पत्राचार के लिए पता:

श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी,
प्रथम तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003
ई-मेल: companysecretary@nhpc.nic.in

संप्रेषण हेतु टेलीफोन नम्बर तथा ई-मेल संदर्भ नीचे दिया गया है:

	टेलीफोन नम्बर	**फैक्स नम्बर**
पंजीकृत कार्यालय:	0129-2278421	0129-2277941
निवेशक संबंध प्रकोष्ठ	0129-2250437	-
ई-मेल आईडी	investorcellnhpc@gmail.com, investorcell@nhpc.nic.in	
जन प्रवक्ता - श्री जयंत कुमार, कार्यपालक निदेशक (वित्त)	0129-2278232	-
ई-मेल आईडी	jayantkumar@nhpc.nic.in	

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णत: समर्पित ई-मेल आईडी: companysecretary@nhpc.nic.in है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00171920

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14 अगस्त, 2014

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं: पूर्व पृष्ठों पर दी गई अधिदेशित अपेक्षा के अलावा, सूचीकरण समझौते और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों की गैर अधिदेशित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार से है:

क) **बोर्ड:** कंपनी के अध्यक्ष श्री आर.एस.टी. शाई हैं जो टीएचडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अपने कार्यभार के अलावा एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए हैं। कम्पनी के बोर्ड में कुल मिलाकर 9 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।

ख) **पारिश्रमिक समिति:** कृपया इस रिपोर्ट के पैरा-3.3 का संदर्भ ग्रहण करे।

ग) **शेयर धारकों के अधिकार:** पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध-वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, यह घोषणा कम्पनी की अधिकारिक वेब-साइट पर उपलब्ध है। आवधिक वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशित किए जाते है जैसा कि इस रिपोर्ट में ''संचार के साधन'' के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।

घ) **लेखा परीक्षा अर्हता:** कंपनी का प्रयास सदा ही गैर-अर्हता वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का रहा है।

ङ) **बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण:** कृपया इस रिपोर्ट के पैरा-2(viii) का संदर्भ ग्रहण करे।

च) **बोर्ड के गैर कार्यकारी सदस्यों का मूल्यांकन तंत्र:** वर्तमान में, कम्पनी के बोर्ड में दो सरकारी मनोमीत सहित 9 गैर कार्यकारी निदेशक शामिल है। ये सभी विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये है, इसलिए इन सभी का मूल्यांकन कम्पनी के बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है।

छ) **सचेतक नीति:** एनएचपीसी ने अनैतिक/अनुचित आचरण की घटनाओं की सूचना देने और उक्त की जांच करने तथा उसमें सुधार करने हेतु उचित कदम उठाने के लिए एक सचेतक नीति परिभाषित तथा स्थापित की है। किसी भी कार्मिक को लेखा-परीक्षा समिति पर पहुंच से इंकार नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने अपने कर्मचारियों, विक्रेता प्रतिनिधियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्श दाताओं, सेवा प्रदाताओं अथवा एनएचपीसी के साथ किसी प्रकार का व्यवसाय करने वाले किसी अन्य पक्ष के बारे में कपट या संदिग्ध धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट करने के लिए पहले ही एक कपट निवारण नीति अपनाई है। छल-कपट अथवा संदिग्ध धोखा-धड़ी की समस्त रिपोर्टों की जांच शीघ्रता से की गई है। छल-कपट की रोकथाम के लिए तंत्र बनाना इस नीति में शामिल है।

संलग्नक - ख

सूचीकरण समझौते के खंड 49(v) के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

सेवा में
निदेशक मंडल,
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद

(क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण की संवीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि:

i. इन विवरणों में भौतिक दृष्टि से कोई असत्य जानकारी नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।

ii. इन विवरणों से कंपनी के कार्यों का सत्य एवं न्यायोचित, दोनों ही तरह के स्वरूप का पता चलता है और ये मौजूदा लेखा मानकों, प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(ख) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया, जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी हो अथवा कंपनी की आचार संहिता के विपरीत हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को कायम करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के संचालन में पायी गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को दी है।

(घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को निम्नांकित जानकारी दी है:

i. वर्ष 2013-14 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण बदलाव।

ii. वर्ष 2013-14 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, जिनकी जानकारी वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी दी गई है; और

iii. धोखाधड़ी के महत्त्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आये हों और उनमे प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता/-
(ए.बी.एल श्रीवास्तव)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

हस्ता/-
(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00171920

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 07.07.2014

अनुबंध - II

कारपोरेट अभिशासन का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में

एनएचपीसी लिमिटेड, के सदस्यगण

1. हमने स्टाक एक्सचेंजों के साथ एनएचपीसी लि. के सूचीकरण करार की धारा 49 में वर्णित अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यन्वयन के तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा-परीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति।

3. हमारी राय में तथा अपनी पूर्ण जानकारी और हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त सूचीकरण करार, जिसे मई, 2010 में सीपीएसई हेतु लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाता है, में वर्णित कारपोरेट अभिशासन संबंधी शर्तों का अनुपालन किया हैं।

4. हमारा यह भी मानना है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी सक्षमता या प्रभावकारिता का, जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाता है।

कृते पी.सी.जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव

हस्ता./-
पी.सी.जैन
(स्वामी)
सीपी सं. 3349

स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः 14.08.2014

अनुबंध -III

उद्योग ढांचा और विकास

एक बिलियन से अधिक की अबादी वाले भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व औसत के एक-चौथाई से कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज गति से बढ़ने के साथ, विद्युत में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र में और निवेश में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है ताकि देश के लिए धारणीय औद्योगिक तथा आर्थिक वृद्धि को प्राप्त किया जा सके।

भारत ने विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शानदार प्रगति की है। 31 मार्च, 2014 को इसकी कुल संस्थापित क्षमता 2,43,029 मेगावाट हो गयी है जिसमें ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का योगदान क्रमशः 1,68,255 मेगावाट, 40,531 मेगावाट, 4,780 मेगावाट और 29,463 मेगावाट दर्ज किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य और केन्द्र सरकार), कोयला, जल, परमाणु ईंधन, सूर्य, सौर एवं पवन जैसे भिन्न स्रोतों को उपयोग करते हुए विद्युत के एक बड़े अंश का उत्पादन करता है।

पिछले दो दशकों के दौरान, समूचे विश्व में जल विद्युत को काफी गति प्राप्त हुई है। अर्थक्षम जल विद्युत क्षमता होने वाले देशों में समूचे विश्व में भारत शीर्ष देशों में आता है, जिसमें से काफी अनप्रयुक्त पड़ी है। विद्युत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, भारत का जल विद्युत उत्पादन आशाजनक तथा एनएचपीसी लिमिटेड की भूमिका महत्वपूर्ण प्रतीत होती है।

एनएचपीसी लिमिटेड अनुसूची-'क' के तहत एक मिनीरत्न उद्यम है जिसकी 15,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत अंश पूंजी और लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आधार तथा 6,507 मेगावाट की एक स्थापित क्षमता है। वर्ष 2013-14 के दौरान आपकी कंपनी ने समूचे देश भर में फैले अपने विभिन्न विद्युत संयंत्रों के माध्यम से 18,386 एमयू का उत्पादन किया।

आने वाले वर्षों में एनएचपीसी आशा करती है कि जल विद्युत उत्पादन से इसकी भूमिका कई गुणा बढेगी और यह काफी हद तक भारत की कृषि, औद्योगिक तथा घरेलू विद्युत आवश्यकताओं का समाधान कर पाएगी।

भारत में जल विद्युत संभाव्यता

हमारे देश में व्यापक जल विद्युत संभाव्यता मौजूद है। देश की जल विद्युत संभाव्यता के पुर्नःआकलन अध्ययन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1987 में पूर्ण किए गए थे। अध्ययन के अनुसार स्थापित क्षमता के रूप में जल विद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट अनुमानित है जिसमें से 1,45,320 मेगावाट की संभाव्यता 25 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाली जल विद्युत योजनाओं की है। विभिन्न बेसिनों में कुल 845 जल विद्युत योजनाओं की पहचान की गई है जिससे 442 बिलियन यूनिट बिजली प्राप्त होंगी। उक्त के अतिरिक्त, सीईए द्वारा लगभग 96,524 मेगावाट की कुल क्षमता हेतु पम्पड स्टोरेज योजनाओं की पहचान की गई है।

कार्यनीतिक विविधीकरण

एनएचपीसी लिमिटेड जल विद्युत उत्पादन में भारत की अग्रणी कंपनी है तथा अपने प्रचालनों में तापीय, सौर ऊर्जा के विकास को शामिल करने के प्रारंभिक चरण में भी हैं।

क्षमता, कमजोरी, अवसर, खतरा (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

क) क्षमताएं:

एनएचपीसी की प्राथमिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताएं निम्नलिखित हैं:

- **जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विशेषज्ञता का स्थापित ट्रैक रिकार्ड:** एनएचपीसी को परियोजना कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता हासिल है, जिससे यह प्रतिस्पर्धा में शानदार बढ़त हासिल कर सकी है। डिजाइन एवं इंजीनियरी के क्षेत्र में कम्पनी की बुनियाद भी बड़ी मजबूत है और उसे भू-विज्ञान, भू-भौतिकी, भू-तकनीकी, निर्माण और सामग्री सर्वेक्षण के क्षेत्र में उसके पास अपनी विशेषज्ञता मौजूद है। इसकी इंजीनियरी क्षमताओं में परियोजनाओं की परिकल्पना से लेकर उनके चालू होने तक के तमाम चरण शामिल है। एनएचपीसी की टीम की मदद के लिए उसके पास अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परियोजना परामर्शदाता हैं।

- **दूर-दराज/दुर्गम इलाकों, भू-तकनीकी दृष्टि से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन का अनुभव तथा प्रबंधन:** एनएचपीसी की लगभग सभी परियोजनाएं दूर-दराज के इलाकों में स्थित है जिनमें संभारतंत्र, जलवायु और प्रौद्योगिकी संबंधी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं के सभी प्रकार तथा आकार को निष्पादित करने के लिए दक्ष और अनुभवी व्यावसायिकों की अपनी मजबूत तथा कार्यकुशल टीम के साथ एनएचपीसी ने 20 जल विद्युत स्टेशनों को सफलतापूर्वक विकसित और चालू किया है, जिसमें इसकी सहायक कम्पनी एनएचडीसी के माध्यम से दो शामिल है।

- **उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौते:** एनएचपीसी की ज्यादातर आमदनी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों तथा उनकी उत्तरवर्ती संस्थाओं के साथ विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) के माध्यम से विद्युत की बिक्री से होती है। विभिन्न पावर स्टेशनों से विभिन्न लाभार्थियों को विद्युत का आवंटन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस समय राज्यों की संस्थाओं को दी जाने वाली विद्युत के लिए भुगतान ऋण-पत्रों के माध्यम से किया जाता है जो भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और संबद्ध राज्य सरकारों के बीच तृपक्षीय समझौतों के अनुसार होता है।

  इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा नई परियोजनाओं में निवेश का निर्णय लेते समय कंपनी द्वारा ऐसी नई परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु लाभग्राहियों से प्रतिबद्धता भी प्राप्त करती है।

- **सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मी:** एनएचपीसी के पास सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मियों का दल है। इसके अधिकारियों को इस उद्योग में काम करने का व्यापक अनुभव है। उनके कौशल, उद्योग संबंधी ज्ञान और प्रचालन-अनुभव से कम्पनी को प्रतिस्पर्धा में काफी आगे रहने में मदद मिलती है।
- **दृढ़ वित्तीय स्थिति:** एनएचपीसी लिमिटेड अनुसूची-'ए' के तहत एक मिनीरत्न उद्यम है जिसकी 15,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत अंश पूंजी और 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आधार है।

ख) अवसर

देश के कुल विद्युत उत्पादन में जलविद्युत और तापविद्युत के अनुपात में असंतुलन, विद्युत की सबसे अधिक जरूरत वाले समय में मांग और अपूर्ति के अंतर में वृद्धि और विद्युत फ्रीक्वेंसी में उतार-चढ़ाव जैसे कारणों से नीति निर्माताओं को जल-विद्युत जैसे वैकल्पिक विकल्पों के विकास की ओर ध्यान देने को मजबूर होना पड़ा है। भारत की इस्तेमाल नहीं हो रही विशाल जल विद्युत संभाव्यता, खास तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की, जल विद्युत विकास हेतु एक पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी नए अवसरों की तलाश के लिए अन्य क्षेत्रों नामतः तापीय, पवन, सौर आदि में भी विविध कार्य कर रही हैं।

ग) खतरे/कमजोरियां

एनएचपीसी प्रबंधन को जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निम्नांकित खतरे/जोखिम/कमजोरियों नजर आती हैं:

- **पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति:** पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी (जहां-कहीं लागू हो) प्राप्त करने हेतु कड़े मानदंडों तथा जटिल प्रक्रियाविधियों की वजह से जलविद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में देरी होती है जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
- **भूमि अधिग्रहण:** जलविद्युत परियोजना से जुड़े आधारभूत ढांचे संबंधी कार्यों तथा जलमग्न होने वाले क्षेत्र सहित परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है।
- **भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताएं:** परियोजना से पूर्व किए गए विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण के बावजूद जलविद्युत परियोजनाओं के विभिन्न घटकों जैसे हैड रेस टनल, भूमिगत विद्युतघर, प्रेशर शैफ्ट, और सर्ज शॉफ्ट बनाते समय अक्सर प्रतिकूल स्थितियों सामने आ जाती हैं, विशेष रूप से नए हिमालयी क्षेत्रों में। तथापि, इसके अक्सर होने से परियोजना लागत और इसे पूरा करने की अवधि बढ़ने की पूरी आशंका बनी रहती है।
- **अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद:** भारत में जल राज्य का विषय है, नदियों के अंतर-राज्य नदी विवाद में उलझे होने के कारण कई जल विद्युत परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं या उन्हें छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार, सीमावर्ती क्षेत्रों की कुछ परियोजनाएं/विद्युत स्टेशन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मतभेद के मुद्दे बनती है।
- **प्राकृतिक आपदाएं:** अधिकांश जल परियोजनाएं सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके कारण इन परियोजनाओं को अक्सर विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं को सहना पड़ता है। ऐसे आपदाएं चट्टानें खिसकने, पहाड़ों की ढलानों के ढ़हने, मार्ग बंद होने, बाढ़ तथा बादल फटने के रूप में आती है और इन से निर्माण कार्यक्रम पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है।.
- **अप्रत्याशित जटिलताएं:** परियोजनाओं में अप्रत्याशित जटिलताओं और स्वीकृति मिलने/क्रियान्वयन में विलम्ब जैसे कंपनी के बस से बाहर के कारणों से अनुमानों में परिवर्तन/वृद्धि की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी टैरिफ विनियमनों में परिवर्तन से नकदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **स्वंतत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) से प्रतिस्पर्धा:** एनएचपीसी को नई परियोजनाओं के आवंटन में आईपीपी और अन्य प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- **कानून एवं व्यवस्था:** संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित एनएचपीसी की परियोजनाएं/विद्युत स्टेशन कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं का सामना भी करते है। क्षेत्र के आंतकवादी और उग्र समूह एनएचपीसी को एक सरकारी प्रतिनिधि मानते हुए अक्सर इसे अपना लक्ष्य बनाते है।

घ) जोखिम और चिंताएं

जलविद्युत परियोजनाएं पूंजी-प्रधान होती हैं, इनके पूरा होने में अधिक वक्त लगता है। देश में उपलब्ध विशाल जलविद्युत संभाव्यता के दोहन हेतु निधियों की उपलब्धता को सदैव एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है। जल राज्य का विषय होने के चलते राज्य सरकारें बड़ी मात्रा में मुफ्त विद्युत और इसी तरह के अन्य फायदों की मांग करती हैं जिससे विद्युत शुल्क बहुत बढ़ जाता है।

परिदृश्य:

सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में तकनीकी उन्नयन हेतु किए गए एनएचपीसी के प्रयासों ने आयोजना, सर्वेक्षण और अन्वेषण, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सुधार किया है। इसी प्रकार, सूचना प्रोद्योगिकी के ईष्टतम उपयोग ने निर्माण क्रियाकलापों के प्रबोधन तथा साथ ही चालू किए जाने के पश्चात प्रचालन एवं अनुरक्षण के पर्यवेक्षण को सुव्यवस्थित किया है।

आतंरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

एनएचपीसी ने अपने सभी कार्य और प्रचालनगत क्षेत्रों में एक सुपरिभाषित तथा सुनिर्धारित आतंरिक नियंत्रण प्रणालियां कायम की है। अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाएं शक्तियों के प्रत्यायोजना, प्रलेखबद्ध नीतियों, दिशा-निर्देशों और मैनुअलों पर आधारित प्रणाली द्वारा निर्देशित होती हैं। इसके पास अधिकारियों के पदक्रम पर आधारित सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचा है और पदक्रम के विभिन्न स्तरों के अधिकार और दायित्व भी सुपरिभाषित हैं।

एनएचपीसी में इसका अपना एक स्वतंत्र और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है, जो निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग प्रबंधन की इच्छा अनुसार समय-समय पर विशेष लेखा-परीक्षा कर रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान 15 पावर स्टेशनों की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य आउटसोर्स करके बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को दिया गया है। लेखा परीक्षा की प्रभावोत्पादकता को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग में तकनीकी अधिकारी तैनात किए गए थे। लेखा परीक्षा टिप्पणियों और उन पर कृत कार्रवाई रिपोर्टों के एक सार को लेखा-परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है और लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों का उचित पालन किया जाता है।

वित्तीय विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

प्रचालन परिणाम

वित्त वर्ष 2013 की तुलना में वित्त वर्ष 2014 के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण नीचे दिया गया है।

आय

(करोड़ रुपये में)

	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2013
बेची गई बिजली की यूनिट (मिलियन यूनिट)	15,942	16,397
आय		
ऊर्जा की बिक्री	5,335.11	5,049.13
अन्य प्रचालनशील आय	115.54	141.24
अनुबंधों, परियोजना प्रबधन तथा परामर्श संबंधी कार्यों से प्राप्त राजस्व	86.39	120.36
अन्य आय	1,456.95	992.78
कुल (अपवादजनक मदों से आय के अतिरिक्त)	**6,993.99**	**6,303.51**

कंपनी की आमदनी में, विद्युत की बिक्री से होने वाली आय, अन्य प्रचालनशील आय, अनुबधों, परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाओं से होने वाली आय तथा अन्य आय शामिल हैं। अन्य प्रचालनशील आय में लाभग्राहियों से ब्याज शामिल है। अन्य आय में मुख्य रूप से अधिशेष निधियों के निवेश से प्राप्त ब्याज, प्रतिभूति बॉंड्स/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज तथा लाभांश आय शामिल है। कंपनी की कुल आय वित्त वर्ष 2013 में 6,303.51 करोड़ रूपए से 10.95 प्रतिशत बढ़ कर वित्त वर्ष 2014 में 6,993.99 करोड़ रूपए हो गई थी, जो मुख्यतः चार परियोजनाओं नामतः टीएलडीपी-III, निम्मो बाजगो, उड़ी-II और पार्बती-III के वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान प्रारंभ होने और वित्त वर्ष 2012-13 में चालू की गई दो परियोजनाओं नामतः चमेरा-III और चूटक के पूरे वर्ष प्रचालन, अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड से लांभाश आय में वृद्धि, धौलीगंगा विद्युत स्टेशन से व्यापार बाधा हानि की वसूली, विलंब भुगतान अधिभार में वृद्धि, सावधि जमा पर ब्याज में वृद्धि, वर्तमान वर्ष के ऋण के प्रभाव, सुबानसिरी लोअर तथा टीएलडीपी-III परियोजनाओं के संबंध में अन्य आय, निर्माणाधीन परियोजनाएं जिनमें कार्य बाधित हुआ है, जिनकी प्रतिपूर्ति पुराने विद्युत स्टेशनों में कम उत्पादन के कारण बिक्री में कमी से हुई है, अचानक आई बाढ़ से धौलीगंगा विद्युत स्टेशन को जबरदस्ती बंद किया जाना और देयताओं/प्रावधान के पश्च लेखन में कमी के कारण है।

प्रभार

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विभिन्न विद्युत स्टेशनों के विद्युत प्रभार का निर्धारण अलग-अलग करता है। आयोग ने 19 जनवरी, 2009 को अधिसूचना संख्या एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी जारी की है जो 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ से संबंधित है और इसमें समय-समय पर संशोधन जारी किए जाते है।

प्रभार का निर्धारण वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) के आधार पर किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन एवं रख-रखाव के खर्च को शामिल किया जाता है। इक्विटी पर लाभ (आरओई) में लागू दर पर आयकर (सामान्य कारपोरेट कर दर या न्यूनतम वैकल्पिक कर दर) को जोड़ा जाता है ताकि आयकर की राशि को भी हिसाब में लिया जा सके। क्षमता शुल्क की वसूली विद्युत उत्पादन हेतु मशीनों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है। क्षमता का निर्धारण वार्षिक संयंत्र उपलब्धता मानदंड घटक (नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एवेलेबिलिटी फैक्टर - एनएपीएएफ) को ध्यान में रख कर किया जाता है जो प्रत्येक पावर स्टेशन की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एनएपीएएफ से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त करने और साथ ही साथ संयंत्र के डिजाइन ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा उत्पादन हेतु भी प्रोत्साहन प्राप्त किए जाते है।

ऊर्जा की बिक्री

एनएचपीसी बिजली की बिक्री थोक खरीदारों को करती है जिनमें मुख्य रूप से राज्य सरकारों की विद्युत कंपनियां/निजी वितरण कंपनियां शामिल हैं। बिजलीं की बिक्री दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के आधार पर और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित प्रभार के अनुसार की जाती है। वर्ष 2009-14 की अवधि के लिए 18 में से 16 पावर स्टेशनों के संबंध में प्रभार निर्धारित किये जा चुके हैं। तथापि, चमेरा-III, चूटक, उरी-II और निम्मो बाजगो

पावर स्टेशनों के संबंध में बिक्री को इन पावर स्टेशनों हेतु सीईआरसी द्वारा दिए गए अनंतिम टैरिफ के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, टीएलडीपी-III पावर स्टेशन पर बिक्री को सीईआरसी के पास दायर पूंजीगत लागत के 85 प्रतिशत के आधार पर मान्यता दी गई है और पार्बती-III पावर स्टेशन पर बिक्री को परियोजना की स्वीकृत पूंजीगत लागत के आधार पर अनंतिम रूप से मान्यता प्रदान की गई है।

उक्त विनियम में अन्य बातों के अलावा यह भी व्यवस्था है कि प्रभार संबंधी याचिकाएं दायर करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वित्त वर्ष 2008-09 के लिए लागू न्यूनतम दर से वैकल्पिक/कॉर्पोरेट आय कर को आरओई में जोड़ा जाए। इसके अलावा सीईआरसी ने अपनी अधिसूचना सं. एल-7/145/(160)/2008-सीईआरसी दिनांक 21.06.2011 के द्वारा इस बात की व्यवस्था की है कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी हर वर्ष के लिए ईओई के वार्षिक निश्चित शुल्क में आयकर की दर के घटने या बढ़ने से होने वाली कमी या आधिक्य की वसूली या वापसी आयोग को आवेदन किये बिना सीधे कर सकती है।

वित्त वर्ष 2014 में, एनएचपीसी ने अपनी संस्थापित क्षमता यानी 4,831.20 मेगावाट से 15,942 मिलियन यूनिट बिजली की बिक्री की जबकि वित्त वर्ष 2013 में कम्पनी ने 4,024.20 मेगावाट संस्थापित क्षमता में से 16,397 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री की थी। इससे विद्युत बिक्री में 2.78 प्रतिशत यूनिटों की कमी का पता चलता है। वर्ष 2014 में औसत बिक्री मूल्य (पिछले साल की बिक्री के घटकों को समायोजित करके) 3.38 रुपये प्रति यूनिट रहा जबकि 2013 में यह 3.06 रुपये प्रति यूनिट था।

वित्त वर्ष 2014 में ऊर्जा की बिक्री में 5.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वित्त वर्ष 2013 के 5,049.13 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,335.11 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई, जो मुख्यतः चार परियोजनाओं के वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान प्रारंभ होने और वित्त वर्ष 2012-13 में चालू की गई दो परियोजनाओं के पूरे वर्ष प्रचालन के कारण हुआ, जिसने पुराने पावर स्टेशनों में कम उत्पादन के कारण बिक्री में कमी और अचानक आई बाढ़ से धौलीगंगा पावर स्टेशन को जबरदस्ती बंद किए जाने के कारण हुई बिक्री में कमी की प्रतिपूर्ति कर दी थी। वित्त वर्ष 2014 में कंपनी का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) 77.70 प्रतिशत था जबकि वित्त वर्ष 2013 में यह 85.30 प्रतिशत रहा था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से होने वाली आमदनी में पिछले वर्षों से संबंधित वह बिक्री भी शामिल रहती है जिसे चालू वर्ष में हिसाब में लिया गया है। इसमें ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्धारित विनियमों में निर्धारित फ्रीक्वेंसी की दरों पर शेड्यूल (देय या प्राप्य) के संबंध में उत्पादन में विपथन हेतु अनशेड्यूल्ड इंटरचेंजेज (यूआई) प्रभार और विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन (एफईआरवी) के कारण प्रतिपूर्ति भी शामिल होती है।

सीईआरटी प्रभार विनियमों के अनुसार विदेशी ऋणों और उनके लिए ब्याज के भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले परिवर्तनों को भी पावर हाऊस /विद्युत इकाइयों के हिसाब में लिया जाता है और लाभार्थियों से उसकी वसूली की जाती है या उन्हें वसूली गयी राशि की वापसी की जाती है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलनपत्र जारी करने की तारीख में विदेशी मुद्रा ऋणों पर हुए विनिमय दर में बदलाव की वजह से होने वाले परिवर्तन को लाभ-हानि विवरणी लेखे में समायोजित करने की बजाय लेखे में आस्थगित देयता/परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और बाद में उपभोक्ताओं से उसकी वसूली/या उसका पुनर्भुगतान करके हिसाब में ले लिया जाता है।

वर्ष दर वर्ष तुलना की दृष्टि से विगत वर्षों की बिक्री में जल उपकर और आरएलडीसी शुल्क को छोड़ दिया गया है ताकि समायोजित ऊर्जा बिक्री के स्तर पर पहुंचा जा सके।

इस प्रकार के समायोजन के पश्चात बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2013
सकल बिक्री	5,405.60	5,407.06
जोड़े: मूल्यह्रास पर अग्रिम का पश्चलेखन(एएडी)	50.17	50.17
घटाएं: विनियमित बिक्री समायोजन	5.83	195.82
घटाएं: अदृढ़ विद्युत की बिक्री	8.35	37.58
घटाएं: विदेशी मुद्रा दर अंतर हेतु समायोजन	105.35	118.10
घटाएं: टैरिफ समायोजन	1.13	56.60
निवल बिक्री	5,335.11	5,049.13
घटाएं: पिछले वर्ष की बिक्री	126.89	279.23
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	**5,208.22**	**4,769.90**

पिछले वर्ष की बिक्री मुख्यतः पावर हाऊस के लिए टैरिफ को अंतिम रूप देने तथा संशोधन के कारण हुई है।

समायोजित बिक्री में 9.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मुख्य कारण चार परियोजनाओं के वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान प्रारंभ होना और वित्त वर्ष 2012-13 में चालू की गई दो परियोजनाओं के पूरे वर्ष प्रचालन था।

ठेकों, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श कार्यों से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व निर्माण परियोजनाओं के ठेकों, परियोजना प्रबंधन और परामर्श संबंधी कार्यों से आता है। इन कार्यों में मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचा स्थापित करने, विशेषकर प्राथमिक विद्युत वितरण लाइनों के निर्माण संबंधी राजीव गांधी

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संबंधी कार्य शामिल है। इन दो कार्यक्रमों की देखरेख भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती है और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा सरकारी विभाग लागू करते हैं। एनएचपीसी को पूरे भारत में कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में आवंटित परियोजनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी सौपी गयी है।

ठेकों, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श सेवा संबंधी कार्यों से आय में 28.22 प्रतिशत की कमी आई है और यह वित्त वर्ष 2014 में कम क्रियाकलापों के चलते वित्त वर्ष 2013 में 120.36 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2014 में 86.39 करोड़ रुपये रह गयी है।

अन्य आय

अन्य आय में मुख्य रूप से एकल निपटान योजना के तहत जारी पावर बॉंडों/दीर्घावधि अग्रिमों का प्रतिभूतीकरण, अतिशेष नकदी के निवेश से आय, सहायक कंपनी की इक्विटी में निवेश से मिला लाभांश, लाभग्राहियों से विलंब भुगतान अधिभार, पूर्व अवधि में की गई देयताओं/प्रावधानों की वापिसी और विविध स्रोतों से हुई आमदनी शामिल है।

वित्त वर्ष 2014 में एनएचपीसी की अन्य आय बढ़कर 1,456.95 करोड़ रुपये हो गयी जो वर्ष 2013 में 992.78 करोड़ रुपये के मुकाबले 46.75 प्रतिशत अधिक है। अन्य आय के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपयों में)

अन्य आय	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2013
प्रतिभूतीकृत पावर बॉंडों/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज	99.62	120.35
आवधिक जमा राशियों पर ब्याज	620.28	536.17
लाभांश	377.93	32.03
विलंब भुगतान अधिभार	121.57	75.12
व्यापार बाधा के कारण हानि की वसूली	99.99	-
पश्च लेखन की आवश्यकता न होनी वाली देयताएं/प्रावधान	36.43	192.87
अन्य विविध आय	101.13	36.24
कुल	**1,456.95**	**992.78**

प्रतिभूतीकृत पॉवर बॉंडों/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज से होने वाली आय में 20.73 करोड़ रुपये की कमी का कारण 288.79 करोड़ के बॉंडों/दीर्घावधि अग्रिमों का विमोचन था।

सावधि जमा राशियों पर ब्याज वित्त वर्ष 2013 में 536.17 करोड़ रुपये था जो 2014 में बढ़कर 620.28 करोड़ रुपये हो गया। ऐसा वर्ष के दौरान अधिशेष नकदी के निवेश के कारण हुआ।

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान की गई 6038.55 करोड़ रूपए की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) प्राप्तियों में से, 2012.85 करोड़ रूपए की बिक्री प्राप्तियों का भुगतान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को किया गया था और 4025.70 करोड़ रूपए कंपनी द्वारा प्रतिधारित किए गए थे। 4025.70 करोड़ रूपए में से 3477.90 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग, 31.03.2014 तक उपयोग हेतु निर्दिष्ट परियोजनाओं पर आंतरिक प्रोदभवनों से पहले ही व्यय किए गए पूंजीगत व्यय की पुनःप्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया गया है, 509.09 करोड़ रूपए की अप्रयुक्त राशि का कंपनी की विद्यमान निवेश नीति के अनुसार बैंक जमा में निवेश किया गया है और 38.71 करोड़ रूपए आईपीओ व्यय को पूरा करने के लिए रखे गए है।

वित्त वर्ष 2014 में एनएचपीसी ने अपनी सहायक कंपनियों में निवेश से 377.93 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त किया जबकि 2013 में उसे इससे 32.03 करोड़ रुपये मिले थे।

वित्त वर्ष 2014 के दौरान, सुबानसिरी और टीएलडीपी-IV परियोजनाओं के संबंध में कार्य में बाधा के कारण वर्तमान वर्ष की अन्य आय के क्रेडिट के कारण 58.72 करोड़ रूपए का प्रभाव हुआ था।

वित्त वर्ष 2013 के दौरान, 120.01 करोड़ रूपए हेतु मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (तत्कालीन डेसू) से संबंधित पुराने बकाया प्राप्यों के प्रति पहले के वर्षों में किए गए प्रावधान को, उक्त पुराने देय वसूली योग्य न होने के मद्देनजर वापिस कर दिया गया है।

व्यय

(करोड़ रूपयों में)

व्यय	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2013
उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	995.41	509.14
जल उपकर	620.50	590.28
कर्मचारी लाभ व्यय	1,058.67	887.41
वित्त लागत	1,022.40	385.38
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	1,210.76	969.29
कुल व्यय	**4,907.74**	**3,341.50**

वर्ष 2014 में कुल व्यय 46.87 प्रतिशत बढ़ कर 4,907.74 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2013 में यह 3,341.50 करोड़ रुपये था। व्यय में यह वृद्धि मुख्य रूप से उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्ययों में 516.49 करोड़ रूपए की वृद्धि, कर्मचारी लाभ व्यय में 171.26 करोड़ रूपए की वृद्धि, वित्त लागत में 637.02 करोड़ रूपए की वृद्धि और मूल्यह्रास तथा परिशोधन में 241.47 करोड़ रूपए की वृद्धि के कारण हुई। वित्त वर्ष 2013 में आय की तुलना में वित्त वर्ष 2014 में हमारा कुल व्यय 70.17 प्रतिशत है। जबकि वित्त वर्ष 2013 में यह 53.01 प्रतिशत रहा था।

उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय (जल उपकर छोड़कर)

उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्ययों के अंतर्गत मुख्य रूप से भवनों, संयंत्रों तथा मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, सुरक्षा खर्च तथा बीमा व्यय, प्रावधान आदि शामिल हैं। ये व्यय वित्त वर्ष 2014 में एनएचपीसी के कुल व्यय के 20.28 प्रतिशत के बराबर हैं जबकि वित्त वर्ष 2013 में ये 15.24 प्रतिशत रहे थे। वास्तविक रूप में, इन व्ययों में लगभग 95.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वित्त वर्ष 2013 में 509.14 करोड़ रूपए से वित्त वर्ष 2014 में 995.41 करोड़ रूपए हो गए थे। उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्ययों में 486.27 करोड़ रूपए की वृद्धि मुख्यतः वित्त वर्ष 2012 तक चालू किए गए पावर स्टेशनों में 189.28 करोड़ रूपए से व्यय में वृद्धि, सुबानसिरी लोअर और टीएलडीपी-IV परियोजनाओं के संबंध में कार्य के बाधित रहने के कारण वर्तमान वर्ष के व्यय में प्रभारित किए जाने के चलते 220.70 करोड़ रूपए के प्रभाव और वित्त वर्ष 2014 के दौरान चार परियोजनाओं को चालू करने तथा वित्त वर्ष 2013 में चालू की गई दो परियोजनाओं के पूर्ण प्रचालन के कारण 76.30 करोड़ रूपए की वृद्धि के कारण थी। वित्त वर्ष 2012 तक चालू किए गए पावर स्टेशनों के संबंध में 189.28 करोड़ रूपए की वृद्धि में दुलहस्ती पावर स्टेशन से संबंधित पुराने बकाया के निपटान के प्रति 64.11 करोड़ रूपए के विद्युत प्रभारों के संबंध में प्रावधान, सुबानसिरी अपर, कोटली भेल और धौलीगंगा मध्यवर्ती परियोजनाओं पर व्यय किए गए 50.38 करोड़ रूपए के प्रावधान, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास के प्रति 12.63 करोड़ रूपए की प्रावधान में वृद्धि, बीमा प्रभारों में 12.50 करोड़ रूपए की वृद्धि, सुरक्षा प्रभारों में 8.66 करोड़ रूपए की वृद्धि, मरम्मत और अनुरक्षण व्ययों में 28.10 करोड़ रूपए की वृद्धि और अन्य व्ययों में 12.90 करोड़ रूपए की वृद्धि शामिल है।

बिक्री योग्य ऊर्जा पर प्रति यूनिट व्यय की गणना की जाए तो यह वित्त वर्ष 2013 में 0.31 रूपए की तुलना में वर्ष 2014 में 0.62 रूपए था।

जल उपकर

जल उपकर वित्त वर्ष 2013 में 590.28 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2014 में 620.50 करोड़ रुपये हो गया जो मुख्यतः वर्तमान वर्ष के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में निम्मो-बाजगो और उरी-II पावर स्टेशनों के प्रारंभ होने और वित्त वर्ष 2013 के दौरान चालू चूटक पावर स्टेशन के पूर्ण वर्ष प्रचालन के कारण था।

कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय के अंतर्गत उनका वेतन और पारिश्रमिक, भत्ते, प्रोत्साहन, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना तथा अन्य निधियों में योगदान तथा कल्याण व्यय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2014 में ये सभी व्यय एनएचपीसी के कुल व्यय का 21.57 प्रतिशत हैं जबकि वित्त वर्ष 2013 में ये लगभग 26.56 प्रतिशत रहे थे। सीधे तौर पर कहें तो वित्त वर्ष 2014 में कर्मचारी-लागत में 171.26 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः वित्त वर्ष 2014 के दौरान चार परियोजनाओं को चालू किए जाने तथा वित्त वर्ष 2013 में चालू की गई दो परियोजनाओं के पूर्ण प्रचालन के कारण 88.03 करोड़ रूपए, सुबानसिरी लोअर और टीएलडीपी-IV परियोजनाओं के कार्य में बाधा के कारण वर्तमान वर्ष के व्यय को प्रभारित करने के कारण 107.17 करोड़ रूपए के प्रभाव, वित्त वर्ष 2012 तक चालू पावर स्टेशनों की कर्मचारी लागत में कमी द्वारा 23.94 करोड़ रूपए के समायोजन के कारण थी। यह प्रति इकाई बिक्री योग्य ऊर्जा के सदर्भ में कर्मचारी लागत में वृद्धि में परिणत हुआ है और यह वित्त वर्ष 2013 में 0.54 रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2014 में 0.66 रुपये हो गयी है।

31 मार्च, 2014 को एनएचपीसी की वेतन पंजी में 9,843 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2013 को इनकी संख्या 10,410 थी। इनमें से वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2013 में क्रमशः 5,607 और 5,123 कर्मचारी प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में कार्यरत थे। कर्मचारी हित पर व्यय जो वित्त वर्ष 2013 में 887.41 करोड़ रुपये था, वित्त वर्ष 2014 में 19.30 प्रतिशत बढ़कर 1058.67 करोड़ रुपये हो गया था।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में, कर्मचारी हित व्यय वित्त वर्ष 2013 में 14.08 प्रतिशत था जो 2014 में बढ़कर 15.14 प्रतिशत हो गया।

मूल्यह्रास और बंधक मोचन

कंपनी की परिकलन नीति के अनुसार, मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है। इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और विधि का अनुसरण किया जाता है, परंतु इसमें अपवाद वाली कुछ ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यह्रास कंपनी द्वारा मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

वित्त वर्ष 2014 में मूल्यह्रास लागत 24.91 प्रतिशत बढ़कर 1,210,76 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जबकि वित्त वर्ष 2013 में यह 969.29 करोड़ रुपये थी। मूल्यह्रास संबंधी व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण वित्त वर्ष 2014 के दौरान चार परियोजनाओं को चालू किए जाने तथा वित्त वर्ष 2013 में चालू की गई दो परियोजनाओं के पूर्ण प्रचालन के कारण 233.39 करोड़ रूपए और सुबानसिरी लोअर तथा टीएलडीपी-IV परियोजनाओं के कार्य में बाधा के कारण वर्तमान वर्ष के व्यय को प्रभारित किए जाने से 8.08 करोड़ रूपए था।

कंपनी की कुल आय के प्रतिशत के रूप में गणना करने पर मूल्यह्रास वित्त वर्ष 2013 में 15.38 प्रतिशत था जो 2014 में बढ़कर 17.31 प्रतिशत हो गया।

वित्तीय-प्रभार

''वित्तीय प्रभारों'' में मुख्य रूप से बॉंडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्चे शामिल हैं। लेखा प्रयोजनों के लिए कंपनी के ऋणों को रुपये में दर्शाया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा के उधार भी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से जापानी येन और कनेडियाई डालर में हैं। इसके अलावा एनएचपीसी को विदेशी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी शुल्क के तौर पर कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है।

वित्त प्रभार वित्त वर्ष 2013 में 385.38 करोड़ रूपए से 165.30 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2014 में 1,022.40 करोड़ रूपए हो गए थे। वित्तीय प्रभार में वृद्धि मुख्यत: सुबानसिरी लोअर और टीएलडीपी-IV परियोजनाओं के कार्य में बाधा के कारण वर्तमान वर्ष के व्यय को प्रभारित करने के कारण 483.73 करोड़ रूपए और वित्त वर्ष 2014 के दौरान चार परियोजनाओं को चालू किए जाने तथा वित्त वर्ष 2013 में चालू की गई दो परियोजनाओं के पूर्ण प्रचालन के कारण 201.84 करोड़ रूपए के कारण थी जिसे ऋणों की चुकौती के कारण 48.55 करोड़ रूपए के ब्याज व्यय में कमी द्वारा आंशिक रूप से समायोजित किया गया था।

पूर्वावधि मदें (निवल)

पूर्वावधि मदें (निवल) वित्त वर्ष 2014 में 503.30 करोड़ रूपए से बढ़ गई जो मुख्यत: पूर्व के वर्षों में कार्य बाधित होने के कारण सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में व्यय के प्रभारित किए जाने के कारण 506.73 करोड़ रूपए को वित्त वर्ष 2014 में पहले के वर्षों में मान्यता प्रदान किए गए लाभग्राहियों से अधिशेष आय की वापसी के चलते थी जिसे पहले के वर्षों में सीएसआर और आरडी व्ययों के प्रति सृजित 3.43 करोड़ रूपए के प्रावधान की वापसी द्वारा समायोजित किया गया था।

अपवादात्मक मदें

अपवादात्मक मदों से वित्त वर्ष 2013 में 240.01 करोड़ रूपए की तुलना में वित्त वर्ष 2014 में आय शून्य है जो मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (तत्कालीन डेसू) से संबंधित पुराने बकाया देयों पर ब्याज को मान्यता प्रदान किए जाने के कारण है।

कर पूर्व लाभ

ऊपर बताये गये कारणों से हमारा कर-पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2013 के 3,202.13 करोड़ रुपये से 50.56 प्रतिशत कम होकर वित्त वर्ष 2014 में 1,583.06 करोड़ रुपये रहा था।

कर व्यय

वित्त वर्ष 2014 में हमने कर के लिए 604.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि वित्त वर्ष 2013 में इसके लिए 853.91 करोड़ रुपये दिए गए थे। वित्त वर्ष 2014 में कर में कमी का कारण कर पश्चात लाभ में कमी के चलते वर्तमान वर्ष के करों में 298.96 करोड़ रूपए की कमी, विलंबित कर देयता में 49.32 करोड़ रूपए की वृद्धि द्वारा समायोजन था, जो मुख्यत: वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 4 नई परियोजनाओं को चालू किए जाने के कारण आय कर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास में वृद्धि (अतिरिक्त मूल्यह्रास सहित) और परियोजना व्यय हेतु प्रावधान में वृद्धि के कारण है।

कार्य में बाधा के कारण सुबानसिरी लोअर और तीस्ता लो डैम परियोजना (टीएलडीपी)-III परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं अन्य सामान्य व्यय को प्रभारित किए जाने के कारण प्रभाव।

सुबानसिरी लोअर और तीस्ता लो डैम परियोजना (टीएलडीपी)-IV परियोजनाएं, जो निर्माणाधीन है तथा जहां कार्य क्रमश: 16.12.2011 तथा 20.03.2013 से बाधित है, के संबंध में व्यय की गई ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं अन्य सामान्य व्यय/ अर्जित आय के गैर-पूंजीकरण के कारण आय तथा व्यय शीर्षों पर प्रभाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	सुबानसिरी लोअर	टीएलडीपी-IV	कुल
i)	अन्य आय	48.21	10.51	58.72
ए	कुल आय	48.21	10.51	58.72
i)	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	177.44	42.96	220.70
ii)	कर्मचारी लाभ	72.24	34.93	107.17
iii)	वित्त लागत	391.99	91.74	483.73
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	7.02	1.06	8.08
v)	पूर्वावधि मदे (निवल)	507.66	(0.93)	506.73
बी	कुल व्यय	1,156.65	169.76	1,326.41
सी	कर पूर्व लाभ (ए-बी)	(1,108.44)	(159.25)	(1,267.69)
डी	कर व्यय	(234.77)	(33.69)	(268.46)
ई	कर पश्चात लाभ (सी-डी)	(873.67)	(125.56)	(999.23)

लिक्विडिटी तथा पूंजी संसाधन

लिक्विडिटी

एनएचपीसी कार्यशील पूंजी जुटाने और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के स्रोतों पर निर्भर है। आमतौर पर एनएचपीसी इसके लिए आवधिक ऋणों या बॉंडों को जारी करके लम्बी अवधि के उधार लेती है, जो भारतीय रुपये अथवा विदेशी मुद्राओं में हो सकते हैं। एनएचपीसी के पास नकद राशि या नकदी समकक्ष राशि 31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2013 को क्रमश: 5,303.83 करोड़ रुपये और 5,616.01 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2013 को क्रमश: 320.63 करोड़ रुपये और 361.37 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2013 को क्रमश: 4.83 करोड़ रुपये और 3.92 करोड़ रुपये का अदा न किया गया लाभांश शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

नक़दी प्रवाह

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2013
प्रचालन गतिविधियों से निवल नक़दी अन्तर-प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	3,646.03	1,897.59
निवेश गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(479.80)	(1,294.53)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(3,478.41)	(991.02)

प्रचालनों से कुल नक़दी

प्रचालन संबंधी गतिविधियों से वित्त वर्ष 2014 में कुल 3,646.03 करोड़ रुपये की विशुद्ध नकदी प्राप्त हुई। कर पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात कंपनी को वित्त वर्ष 2014 में 1,583.06 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। प्रचालन संबंधी गतिविधियों से कंपनी की निवल नकदी का परिकलन गैर-नकदी मदों जिनमें 1,225.25 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास (पूर्व अवधि सहित), 1,022.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, टैरिफ समायोजन के चलते 1.13 करोड़ रूपए, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण 50.17 करोड़ रूपए के विलंबित व्यय, पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 38.09 करोड़ रूपए, जमा/निवेश पर अर्जित ब्याज के प्रति 766.28 करोड़ रूपए तथा तथा अन्य गैर-प्रचालनगत मदे शामिल है, को समायोजित करने के बाद किया जाता है। वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन, जिनका वर्तमान अवधि नकदी पर 1,271.47 करोड़ रूपए का प्रभाव पड़ा, जो इनवेंट्री, प्राप्तियों और व्यापार तथा अन्य देयताओं में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण आया था।

प्रचालन संबंधी गतिविधियों से वित्त वर्ष 2013 में कुल 1,897.59 करोड़ रुपये की विशुद्ध नकदी प्राप्त हुई। कर पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात कंपनी को वित्त वर्ष 2013 में 3,202.13 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। प्रचालन संबंधी गतिविधियों से हमारी निवल नकदी का परिकलन गैर-नकदी मदों जिनमें मुख्यतः 984.67 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास (पूर्व अवधि सहित), 385.38 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, टैरिफ समायोजन के चलते 56.60 करोड़ रूपए, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण 49.34 करोड़ रूपए के विलंबित व्यय, पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 192.87 करोड़ रूपए, जमा/निवेश पर अर्जित ब्याज के प्रति 658.66 करोड़ रूपए तथा तथा अन्य गैर-प्रचालनगत मदे शामिल है, को समायोजित करने के बाद किया जाता है। वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन, जिनका वर्तमान अवधि नकदी पर 1,289.03 करोड़ रूपए का प्रभाव पड़ा, जो इनवेंट्री, प्राप्तियों और व्यापार तथा अन्य देयताओं में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण आया था।

निवेश गतिविधियों से निवल नकदी

वित्त वर्ष 2014 में हमने निवेश गतिविधियों में 479.80 करोड़ रुपये की निवल रोकड़ का इस्तेमाल किया। यह मुख्य रूप से स्थिर आस्तियों में 1,796.47 करोड़ रुपये के व्यय, निवेश में 172.47 करोड़ रूपए की कमी और जमा/निवेश पर ब्याज के रूप में होने वाली आय में 766.28 करोड़ रुपये और लाभांश आय में 377.92 करोड़ रुपये की मामूली कमी के समायोजन को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2013 में हमने निवेश गतिविधियों में 1,2949.53 करोड़ रुपये की निवल रोकड़ का इस्तेमाल किया। यह मुख्य रूप से स्थिर आस्तियों में 2,083.75 करोड़ रुपये के व्यय, निवेश में 98.53 करोड़ रूपए की कमी और जमा/निवेश पर ब्याज के रूप में होने वाली आय में 658.66 करोड़ रुपये और लाभांश आय में 32.03 करोड़ रुपये की मामूली कमी के समायोजन को दर्शाता है।

वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी

वित्त वर्ष 2014 में एनएचपीसी को वित्त पोषण गतिविधियों से कुल 3,478.41 करोड़ रुपये की नकद आमदनी हुई। कंपनी ने नए घरेलू सावधि ऋणों और बॉंड़ जारी कर 2,528.01 करोड़ रुपये जुटाए। इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद के कारण हमारा नकदी बाह्य प्रवाह 2,367.89 करोड़ रूपए का था (प्रीमियम भुगतान सहित)। कंपनी ने 1,318.46 करोड़ रुपये के उधार चुकता किये और 1,461.70 करोड़ रुपये ब्याज और वित्त-प्रभार के रूप में अदा किए। वित्त वर्ष 2014 में एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2013 के लिए 858.37 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) का भुगतान किया।

वित्त वर्ष 2013 में एनएचपीसी को वित्त पोषण गतिविधियों से कुल 991.02 करोड़ रुपये की नकद आमदनी हुई। कंपनी ने नए घरेलू सावधि ऋणों और बॉंड़ जारी करके 2,526.65 करोड़ रुपये जुटाए और कंपनी ने 1,200.66 करोड़ रुपये के उधार चुकता किये और 1,321.14 करोड़ रुपये ब्याज और वित्त-प्रभार के रूप में अदा किये। वित्त वर्ष 2013 में एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2012 के लिए 995.87 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) का भुगतान किया।

तुलन-पत्रक मदों पर चर्चा

तुलन-पत्रक की मुख्य बातें

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च को	
	2014	2013
चालू आस्तियों से इतर आस्तियां		
निवल स्थिर आस्तियां	38,736.67	37,749.00
चालू निवेश से इतर निवेश	2,227.02	2,400.61
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	1,089.69	1,238.74
चालू आस्तियों से इतर अन्य आस्तियां	896.37	944.37
चालू आस्तियां		
चालू निवेश	251.87	250.74
मालसूची	72.29	57.07
व्यापारिक प्राप्य	1,863.77	2,049.05
नकदी और बैंक शेष	5,303.83	5,616.01
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	2,093.55	2,099.56
अन्य चालू आस्तियां	1,441.21	2,099.85

वित्तीय स्थिति

कुल मूल्य

वित्त वर्ष 2014 के अंत में कंपनी के निवल मूल्य में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 6.37 प्रतिशत की कम हुई और ये 27,840.50 करोड़ रुपये से कम होकर 26,067.65 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुच गया। इसका मुख्य कारण 2,367.89 करोड़ रूपए की कुल राशि के शेयरों की पुनः खरीद था जिसे आंशिक रूप से कर भुगतान के बाद के लाभ और प्रस्तावित लाभांश तथा लाभांश कर द्वारा समायोजित किया गया था।

निवल अचल परिसंपत्तियां

मूल्यह्रास के बाद एनएचपीसी की स्थिर आस्तियां जिन्हें निवल स्थिर आस्तियां कहा जाता है, 31 मार्च, 2014 को 38,736.67 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2013 को 37,749.00 करोड़ रुपये थी। कंपनी की स्थिर आस्तियों में भूमि, बांध, सुरंगें और भवन जिसमें विद्युतघर भवन, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर तथा स्थूल परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2013 की तुलना में वित्त वर्ष 2014 में अचल परिसंपत्तियों के निवल मूल्य में 2.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों में बढ़ोतरी होना था।

निवेश (चालू और चालू से इतर)

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और इन्हें लागत आधार पर पूरा किया जाता है। दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिवक्वता को वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया जाता है। 31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2013 को एनएचपीसी के निवेश क्रमशः 2,478.89 करोड़ रुपये और 2,651.35 करोड़ रुपये था जिसमें 31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2013 को क्रमशः 250.74 करोड़ रुपये और 250.74 करोड़ रुपये के वर्तमान निवेश (8.50 प्रतिशत कर मुक्त राज्य सरकार के विशेष बॉंड) शामिल है।

निवेश में गिरावट का प्रमुख कारण प्रतिभूतीकृत पावर बॉंडों के मोचन के कारण कमी का निवल प्रभाव है, जिसे भारत सरकार की प्रतिभूतियों, स्व-बीमा निधि में निवेश, अन्य दीर्घावधि जमा राशियों, तथा संयुक्त उद्यमों/अनुषंगी कंपनियों में दीर्घावधि निवेश के समायोजन से किया गया।

एकमुश्त निपटान योजना के अनुपालन में प्राप्त विद्युत बाण्डों को भी निवेश के रूप में लेखांकित किया जाता है। 31 मार्च, 2014 तथा 31 मार्च, 2013 के अनुसार इन निवेशों की राशि क्रमशः 510.03 करोड़ रुपये और 760.76 करोड़ रुपये थी। विद्युत बॉंड में कमी इसका मोचन किए जाने के कारण है।

ऋण एवं अग्रिम (चालू और चालू के अलावा)

एनएचपीसी के ऋण और अग्रिम 31 मार्च, 2014 को 3,183.24 करोड़ रुपये थे जो 31 मार्च, 2013 को 3,338.30 करोड़ रुपये के ऋण और अग्रिम के मुकाबले 4.64 प्रतिशत पर मामूली रूप से कम हैं। ऋण और अग्रिम में अग्रिम आयकर, कर्मचारियों, संविदाकारों तथा आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम शामिल है।

चालू आस्तियों से इतर अन्य आस्तियां

31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2013 को एनएचपीसी की चालू आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियां क्रमशः 896.37 करोड़ रुपये और 944.37 करोड़ रुपये थीं। चालू आस्तियों से इतर अन्य आस्तियों में मुख्यतः विलंबित विदेश मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां और अरुणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम पर प्रोदभूत ब्याज शामिल है।. वित्त वर्ष 2013 के मुकाबले 2014 में 5.08 प्रतिशत की कमी मुख्य कारण विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ से प्रभावित होने वाली आस्थगित विदेशी मुद्रा आस्तियों में कमी होना था।

माल-सूची

माल-सूचियों का मूल्यांकन सम-लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य, में से जो भी कम हो, उस के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2013 को किये गये मूल्यांकन में माल-सूचियों का मूल्य क्रमशः 72.29 करोड़ रुपये और 57.07 करोड़ रुपये आंका गया था।

व्यापारिक लेनदारियां

इसके अंतर्गत विद्युत की बिक्री से संबंधित प्राप्त होने वाली राशियां शामिल हैं। इसमें बिल न किए गए राजस्व प्राप्तियां शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2013 को व्यापारिक लेनदारियां (यानी संदिग्ध ऋणों के लिए निवल प्रावधान) के रूप में क्रमशः 1863.77 करोड़ रुपये और 2049.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें 31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2013 को क्रमशः 426.04 करोड़ रूपए और 1,203.55 करोड़ रूपए की राशि के बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2013 तथा 2014 के मध्य व्यापार प्राप्य में 9.04 प्रतिशत की नामितिक कमी हुई है।

नकद और बैंक जमा राशि

एनएचपीसी की नकदी और बैंक जमा राशि के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं: (i) कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां; तथा (ii) ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की निर्माण लागत के रूप में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी अतिशेष राशि।

31 मार्च, 2014 तथा 31 मार्च, 2013 को कंपनी के पास नकद और बैंक जमा राशि के रूप में क्रमशः 5,303.83 करोड़ रुपये और 5616.01 करोड़ रुपये थे। वित्त वर्ष 2014 में इसमें 312.18 करोड़ रुपये की कमी निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के जरिए क्रमशः 478.90 करोड़ रुपये और 3,478.41 करोड़ रुपये की नकदी की प्राप्ति में वृद्धि और प्रचालन गतिविधियों में लगाये गये 3,646.03 करोड़ रुपये को उसमें समायोजित करने से हुई। हमारे नकदी तथा बैंक शेष में 320.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 361.37 करोड़ रुपये) शामिल है, जो ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 4.83 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3.92 करोड़ रुपये) का अदा न किया गया लाभांश शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः देयों के निपटान में राज्य सरकारों को ऋण पर प्रोदभूत ब्याज, जमा पर प्रोदभूत ब्याज, बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य, अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों से प्राप्य, लाभग्राहियों से प्राप्य ब्याज और प्राप्त दावे शामिल है। 31 मार्च, 2014 तथा 31 मार्च, 2013 को एनएचपीसी की अन्य वर्तमान आस्तियां क्रमशः 1,441.21 करोड़ रुपये और 2099.85 करोड़ रुपये की थीं, यानी वित्त वर्ष 2013 की तुलना में वित्त वर्ष 2014 में इन परिसंपत्तियों में 31.37 प्रतिशत की कमी हुई है।

देयताएं एवं प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च को	
	2014	2013
चालू देयताओं से इतर देयताएं		
दीर्घावधि उधार	18,580.52	17,417.52
आस्थगित कर देयताएं	766.67	460.69
अन्य दीर्घावधि देयताएं	1,605.81	1,705.69
दीर्घावधि प्रावधान	814.70	721.92
चालू देयताएं		
व्यापारिक देयताएं	200.71	179.41
अन्य वर्तमान देयताएं	2,938.21	2,766.60
अल्पावधि प्रावधान	3,002.00	3,412.67

दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि उधार के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 को क्रमशः 5,786.43 करोड़ रुपये, 8,587.73 करोड़ रुपये और 4,206.36 करोड़ रुपये के बॉंड, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण शामिल हैं। वित्त वर्ष 2013 में बॉंड, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण क्रमशः 4,850.28 करोड़ रुपये, 8,754.59 करोड़ रुपये और 3,812.65 करोड़ रुपये के रहे थे।

सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार के साथ-साथ पूंजी बाजार में कार्पोरेट बॉंड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की आस्तियों के तहत सुरक्षित हैं।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दीर्घावधि उधार में 6.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी का कारण 1,000 करोड़ रूपए के नए कर मुक्त बॉंडों जारी किया जाना है जिसके जरिए निर्माणाधीन परियोनाओं के पूंजीगत खर्चे की भरपाई और पहले से जमा हुए आंतरिक खर्च की भी भरपाई की जाएगी।

दीर्घावधि देनदारियां

एनएचपीसी की दीर्घावधि देनदारियों में जमा/रिटेंशन मनी, मूल्यह्रास से निपटने के लिए अग्रिम (एएडी) और विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाली आस्थगित आमदनी शामिल है। इन सब का भुगतान/समायोजन 12 महीनों की अवधि के पश्चात करना होता है।

अन्य दीर्घकालीन देयताएं 31 मार्च, 2014 को 1,605.81 करोड़ रुपये की थीं जबकि इससे पहले के वित्त वर्ष में ये 1,705.69 करोड़ रुपये थीं। इनमें से एएडी 31 मार्च, 2014 और 2013 को क्रमशः 1,209.71 करोड़ रुपये और 1,259.88 करोड़ रुपये था। 01.04.2009 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस अवधारणा को हटाए जाने के बाद खातों में बकाया एएडी को व्यवस्थित तरीके से हिसाब में लिया जा रहा है।

अन्य चालू देनदारियां

एनएचपीसी के वर्तमान दायित्वों यानी चालू देनदारियों में वर्तमान में परिपक्व होने वाले दीर्घावधि ऋण, उधार पर लगा ऐसा ब्याज जो फिलहाल देय नहीं है, जमा/रिटेंशन मनी, मूल्यह्रास के एवज में प्राप्त राशि (एएडी) से हुई अग्रिम आमदनी, और परियोजना प्रबंधन/परामर्श सेवा लागत के लिए प्राप्त अग्रिम में से बची राशि जिसका 12 महीनों में भुगतान/समायोजन किया जाना है।

एनएचपीसी की वर्तमान देनदारियां 2,938.21 करोड़ रुपये की हैं जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 2,766.60 करोड़ रुपये थीं। पिछले साल के मुकाबले चालू साल की देनदारियों में 6.20 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः दीर्घावधि देयों की वर्तमान परिपक्वता, देय सांविधिक देयों, अन्य देयताओं में वृद्धि, के कारण थी जिसे आंशिक रूप से पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों तथा परियोजना/प्रबंधन परामर्शी कार्य के प्रति वसूली योग्य राशि के प्रावधान से समायोजित किया गया था।

प्रावधान (दीर्घावधि और अल्पावधि)

प्रावधानों (दीर्घावधि और अल्पावधि) में कर्मचारियों के हित (बीमा संबंधी), कार्य-निष्पादन से जुड़े वेतन, सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान और कर, लाभांश तथा लाभांश कर, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय आदि संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

पिछले वित्त वर्ष में इन प्रावधानों (अल्पावधि तथा दीर्घावधि) के लिए 4,134.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जो वर्तमान वित्त वर्ष में 7.69 प्रतिशत की कमी के बाद 3,816.70 करोड़ रुपये कर दी गयी है। प्रावधानों में कमी का मुख्य कारण प्रस्तावित लाभांश, तत्संबंधी लाभांश वितरण कर और कराधान हेतु प्रावधान में कमी है जिसकी प्रतिपूर्ति कर्मचारी लाभ (बीमांकित लाभ) तथा अन्य प्रावधानों के प्रति प्रावधान में वृद्धि से हुई है।

तुलनपत्र से इतर मद

आकस्मिक देनदारियां

निम्नलिखित सूची में वित्त वर्ष 2014 और 2013 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देनदारियां दिखायी गयी हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2013
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं:		
पूंजीगत कार्य	8,598.01	10,322.99
जमीन के मुआवजे के मामले	11.65	38.37
विवादित आयकर, बिक्री कर और अन्य मद	747.20	459.95
कुल	**9,356.86**	**10,821.31**

आकस्मिक देयताएं 31 मार्च, 2013 के 10,821.31 करोड़ रुपये के मुकाबले में 31 मार्च, 2014 को 13.53 प्रतिशत कम होकर 9,356.86 करोड़ रूपए हो गयीं जो मुख्यत: पूंजीगत कार्यों के संदर्भ में आकस्मिक देयताओं की कमी के कारण था।

सहायक/संयुक्त उपक्रम कंपनियों की व्यावसायिक और वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उपक्रम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड को एनएचपीसी के संयुक्त उपक्रम के रूप में कंपनी की तरह 01.08.2000 को शामिल किया गया था एवं 3,000 हजार करोड़ रुपये की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी वाली इस कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड की 51 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश सरकार की 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) का निर्माण किया है। 31 मार्च, 2014 तथा 31 मार्च, 2013 को कंपनी की कुल आय क्रमश: 2,115.43 करोड़ रुपये और 1,338.19 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2014 तथा 31 मार्च, 2013 को कंपनी का कर पश्चात लाभ क्रमश: 1,063.63 करोड़ रुपये और 575.64 करोड़ रुपये था।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत हिस्सापूंजी) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत हिस्सापूंजी) के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी से की गयी थी।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी की स्थापना 13.06.2011 को 500 करोड़ रुपये की हिस्सा पूंजी से एनएचपीसी लिमिटेड (49 प्रतिशत हिस्सा पूंजी), जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत हिस्सापूंजी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2 प्रतिशत हिस्सापूंजी) ने मिलाकर की थी। इसका उद्देश्य चिनाब नदी थाले में 2120 मेगावाट क्षमता की पाकलदुल, किरु और कवार जल-विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना था।

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स)

एनपीईएक्स की स्थापना 11.12.2008 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, और टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत के आदान-प्रदान को संचालित करने वाले एक्सचेंज के तौर पर की गयी थी। एनएचपीसी की इस संयुक्त उपक्रम कंपनी में 16.67 प्रतिशत हिस्सेदारी है। तथापि, कंपनी ने इस संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने का निर्णय लिया है।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)

एनएचपीटीएलपीएल की स्थापना 22.05.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में की गयी थी। वित्त वर्ष 2013 के दौरान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान प्रतिष्ठान भी इस संयुक्त उद्यम में शामिल हो गया है जिससे इक्विटी भागीदारी प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार हेतु 20 प्रतिशत हो गई है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट-सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन-लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करना है।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उपक्रम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानदंड (एएस-21)--''समेकित वित्तीय विवरण'' और लेखांकन मानदंड (एएस-27)--''संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार तैयार किये गये हैं।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित रूप में नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2013
कुल आमदनी (अपवाद वाली मदों को छोड़कर)	8,738.03	7,621.32
कर पूर्वी लाभ	2,528.55	3,894.92
कर पश्चात लाभ (माइनोरिटी इंटरेस्ट को समायोजित कर)	1,218.75	2,617.41

वर्ष 2013-14 के दौरान विद्युत स्टेशनों और परियोजनाओं का कार्यनिष्पादन:

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन/ परियोजना का नाम	2013-14 में ''बहुत अच्छी'' एमओयू रेटिंग के लिए उत्पादन लक्ष्य (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2013-14	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2012-13	2013-14 में ''बहुत अच्छी'' एमओयू रेटिंग के लिए पीएएफ लक्ष्य (प्रतिशत)	2013-14 में वास्तविक पीएएफ (प्रतिशत)	2012-13 में वास्तविक पीएएफ (प्रतिशत)
1.	बैरास्यूल	720	638	721	90.0	93.3	98.3
2.	लोकतक	520	640	581	90.0	90.9	92.7
3.	सलाल	3090	3235	3277	60.0	67.6	65.8
4.	टनकपुर	445	384	481	58.0	53.9	64.6
5.	चमेरा-1	2280	2341	2442	92.0	97.4	97.8
6.	उड़ी	2775	2521	2967	68.0	73.0	80.7
7.	रंगित	330	354	328	90.0	93.0	94.0
8.	चमेरा-II	1460	1396	1434	92.0	97.4	96.7
9.	धौलीगंगा	1120	282	1136	90.0	21.1	93.8
10.	दुलहस्ती	2220	2150	2043	92.0	94.1	85.4
11.	तीस्ता-V	2400	2300	2268	90.0	81.6	86.7
12.	सेवा-II	500	502	484	85.0	97.2	81.9
13.	चमेरा-III	1098	938	716	85.0	88.6	94.6
	विद्यमान स्टेशन (क)	**18958**	**17680**	**-**	**-**	**-**	**-**
14.	चूटक	87	34	26	48.0	49.9	29.0
15.	टीएलटीपी III	594	192	3	80.0	32.5	-
16.	निम्मो बाजगो	118	72	16	43.2	67.6	-
17.	उड़ी II	981	404	-	49.8	75.4	-
18.	पार्बती III	701	5	-	26.4	44.5	-
19.	टीएलडीपी IV	26	-	-	80.0	-	-
	नई परियोजनाएं* (ख)	**2507**	**706**	**-**	**-**	**-**	**-**
	समग्र (क+ख)	**21465**	**18386**	**18923**	**75.9**	**77.7**	**85.3**

* एमओयू 2013-14 के अनुसार उत्पादन लक्ष्य विद्यमान तथा नई परियोजनाओं हेतु पृथक थे। तथापि, पीएएफ लक्ष्य एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं हेतु समग्र लक्ष्य को दर्शाते है।

टिप्पणी: 2013-14 के पीएएफ आंकड़े अस्थायी हैं और संबंधित आरपीसी द्वारा प्रमाणित किए जाने हैं।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में उल्लेखनीय विकास

एनएचपीसी अपने सभी विभागों में सभी स्तर पर अपने स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि उनकी उत्पादकता, कुशलता, दक्षता और मनोबल को ऊंचा रखा जा सके। ये कार्यक्रम कर्मचारियों की प्रचालनों, टेक्नॉलॉजी, मानव संसाधन, अभियांत्रिकी आदि के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं तथा परिवर्तनों से अवगत रहने में सहायता करते है।

एनएचपीसी ने अपने चार विद्युत केन्द्रों- टनकपुर (उत्तराखंड), चमेरा-I (हिमाचल प्रदेश) तथा सलाल और उड़ी-I (जम्मू कश्मीर) पावर स्टेशनों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है।

प्रशिक्षण

एनएचपीसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अधिगम कार्यों का आयोजन देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों जैसे आईआईएम बंगलौर, आईआईएम कोलकाता, एएससीआई हैदराबाद, सीपीआरआई बंगलौर, एनसीबी बल्लभगढ़, आईएसएम धनबाद, राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे, आईआईटी रूड़की और दिल्ली, केएलजी सिस्टेल गुड़गांव आदि के साथ मिल कर करती है।

कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालय-।।। में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र क्षेत्र-।।। के अधीन पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में तैनात, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

अजा/अजजा/अपिव श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति के विभिन्न पहलुओं और विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए अन्य आवश्यक प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके अलावा कर्मचारियों को संबंधित विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया।

एनएचपीसी ने कार्यपालकों को उच्चतर योग्यताएं प्राप्त करने और आईआईटी से ढांचागत अभियांत्रिकी, जल संसाधन विकास तथा विद्युत प्रणालियों में विशेषज्ञता के साथ एम.टेक करने के लिए प्रायोजित करते हुए उच्चतर योग्यताओं के माध्यम से उन्हें अपनी दक्षता तथा उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

महिला कर्मचारी

31.03.2014 को एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत नीचे दिया गया है:

समूह	31.03.2014 को कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र स्टाफ संख्या का प्रतिशत
कुल	9,838	947	9.63%

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए:

- इस बात का खास ध्यान रखा गया कि महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नामित किया जाए।
- कारपोरेट कार्यालय में बहुत छोटे बच्चे वाले कर्मचारियों के लिए शिशु सदन सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए तृतीय पक्ष के प्रतिनिधि को शामिल करके विशेष समितियों का गठन किया गया है।
- नवजात शिशुओं/बहुत छोटे बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को ''चाइल्ड केयर लीव'' यानी बच्चों की देखरेख के लिए अवकाश प्रदान किया जाता है।
- नियमानुसार मातृत्व अवकाश की व्यवस्था है।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता-पिता/सास-ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थित के समय में छूट।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

एनएचपीसी दूर-दराज के इलाकों में स्थित अपनी विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति सजग है। कंपनी उन सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए बजट आवंटित करती है, जहां इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आसपास अजा/अजजा/अपिव समुदायों की आबादी अधिक है। सभी कमजोर वर्गों और अजा/अजजा/अपिव समुदायों को आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं/महामारी के दौरान एनएचपीसी कई तरीकों से सहायता करती है और यह चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन करती है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे भर्ती में अजा/अजजा और अपिव के लिए आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। अजा/अजजा कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर विचार करते समय भी मानदंडों में रियायतें दी जाती हैं। एनएचपीसी अजा/अजजा कर्मचारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का भी आयोजन करती है। अजा/अजजा और अपिव श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग-अलग संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में अजा/अजजा और अपिव प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।.

अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

समूह	31.03.2014 को कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिनिधित्व					
		एससी	प्रतिशत	एसटी	प्रतिशत	अ.पि.व.	प्रतिशत
कुल	9,838	1,294	13.2	546	5.5	932	9.5

निःशक्त व्यक्तियों का कल्याणः

निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार हैः

	31.03.2014 को कर्मचारियों की कुल संख्या	शारीरिक रुप से बाधित कर्मचारी			शारीरिक रुप से बाधित कर्मचारीयों का प्रतिशत	
		दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	प्रतिशत
कुल	9,838	8	2	73	83	0.8

दृ.बा.: दृष्टि बाधित, श्र.बा.: श्रवण बाधित, अ.वि.: अस्थि विकलांग।

शारीरिक रुप से बाधित कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शारीरिक रुप से बाधित कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं:-

- सेवा काल में शारीरिक रुप से विकलांग हुए व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- दृष्टि बाधित और अस्थि विकलांग कर्मचारियों को मासिक वाहन भत्ता अदा किया जाता है।
- श्रवण बाधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत का भुगतान कर दिया जाता है और कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति तथा उक्त के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना।
- शारीरिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में आश्रित मानते समय आयु की सीमा मान्य नहीं होती है।

पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा बचत

एनएचपीसी देश को आर्थिक वृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए जल विद्युत निर्माण कार्य को करते हुए देश की विरासत, प्राकृतिक संसाधनों के बचाव और संरक्षण के प्रति समर्पित है।

कंपनी एक ऐसे परिवेश को तैयार करने का प्रयास करती है जहां आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय संरक्षण दीर्घावधि में सुसंगत बन सके। एनएचपीसी यह सुनिश्चित करती है कि ईष्टतम वृद्धि और धारणीयता के मध्य संबंध; और वृद्धि हेतु पर्यावरणीय नीति के प्रभाव परस्पर न टकराएं।

निर्माण गतिविधियों के दुष्प्रभावों की प्रतिपूर्ति प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र सुधार, वन्यजीव संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मत्स्य प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, खदान तथा भराव क्षेत्र में सुधार, पुनर्स्थापना, पुनर्वास आदि जैसे उपायों के द्वारा की जाती हैं।

एनएचपीसी परियोजन प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की समस्याओं तथा आकांक्षाओं के प्रति चिंता एवं संवेदनशीलता दर्शाती है। इस प्रकार, विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श के पश्चात एनएचपीसी ने राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 की तर्ज पर स्वयं की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति 2007 तैयार की है, जिसकी सभी द्वारा सराहना की गई है।

नीति परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए भूमि, घर तथा आजीविका के अन्य साधनो जैसे मुद्दों का आंकलन करती है। यह आय सृजन के मुद्दों के समाधान पर गंभीर विचार-विमर्श को सुकर बनाती है। परियोजना प्रभावित परिवारों को आत्म-निर्भर और स्थिर बनाने पर मुख्य बल दिया जाता है।

कंपनी अपनी नीति में राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 में प्रस्तावित लाभों से कुछ अधिक लाभ प्रदान करती है। इसमें सिंचाई सहायता प्रणाली, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को अविवाहित बालिकाओं के लिए विवाह अनुदान, परिसंपत्ति-विहीन युवाओं को निर्वाह अनुदान, स्व-सहायता समूहो का गठन, अनाथों हेतु सुविधाएं और किसी भी परियोजना की लागत का 0.75 प्रतिशत हिस्सा समुदाय एवं सामाजिक विकास योजना के लिए आवंटित करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी परियोजना के निर्माण के दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए निर्माण के बाद पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययनों का आयोजन करती है।

एनएचपीसी समूचे देश में पवन और सौर ऊर्जा की संभाव्यता का भी पता लगा रही है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एनएचपीसी की लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक सुपरिभाषित सीएसआर और धारणीयता विकास नीति है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता विकास (एसडी) पर एक पृथक अध्याय **अनुबंध-7** में दिया गया है।

सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक वक्तव्य युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऊपर बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। उपर्युक्त वित्तिय आंकड़े कंपनी के लेखा परिक्षण परिणामों के आधार पर है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(**आर.एस.टी. शाई**)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00171920

तारीख: 14 अगस्त, 2014
स्थान: नई दिल्ली

सुश्री अरुणाचलम नलिनी, सहायक प्रबंधक (वित्त), एनएचपीसी लिमिटेड (बीच में) जिन्होंने अमेरिका के मिशिगन शहर में आयोजित 6वे विश्व वामन खेल 2013 में चार पदक जीते, श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक), एनएचपीसी (दाहिने से दूसरे), श्री ए.के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं विधि), एनएचपीसी (सबसे बाएं) तथा श्री एम.एस. बाबू, कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक), (सबसे दाएं) एनएचपीसी के साथ।

अनुबंध - IV

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ई) के साथ पढ़ी जाने वाली कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रकट किया जाने वाला विवरण) नियमावली, 1998 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण:

क. ऊर्जा का संरक्षण

(क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय

विद्युत स्टेशनों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन और अनुकूलतम क्षमता उपयोग को देखने के लिए पुराने विद्युत स्टेशनों की ऊर्जा जांच पूरी हो चुकी है और हाल में प्रारंभ चमेरा-3 विद्युत स्टेशन की ऊर्जा जांच की जा रही है।

(ख) अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हो, जो ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हों;

विद्युत स्टेशनों द्वारा चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा बचत उपायों में सुधार हेतु सीपीआरआई की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) पर वर्णित उपायों का ऊर्जा की खपत में कमी लाने पर असर और वस्तुओं की उत्पादन लागत में परवर्ती प्रभाव;

ऊर्जा की बचत के बारे में सीपीआरआई द्वारा अपनी ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अनुशंसित उपायों को बैरास्यूल, सलाल, लोकतक, टनकपुर, चमेरा-I, रंगित, उड़ी-I, चमेरा-II, धौलीगंगा, दुलहस्ती, तीस्ता-IV और सेवा-।। पावर स्टेशनों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने के बाद हर वर्ष लगभग 13 मिलियन केडब्ल्यूएच प्रति वर्ष की ऊर्जा बचत की संभावना है। इससे बिजली की उत्पादन लागत में कमी आयेगी।

ख. प्रौद्योगिकी आमेलन

(ड) प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए प्रयास फॉर्म बी में दिए गए हैं, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(च) निर्यात से संबंधित क्रियाकलाप, निर्यात में वृद्धि करने के लिए की गई पहलें; उत्पादों और सेवाओं हेतु नए निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएं: ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं किया गया था।

(छ) इस्तेमाल और अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2013-14	2012-13
1.*	**सीआईएफ के आधार पर परिगणित आयात का मूल्य:**		
	i) पूंजीगत सामान	5.73	17.43
	ii) हिस्से पुर्जे	3.59	1.74
2.*	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	i) ज्ञान	-	(0.57)
	ii) ब्याज	45.17	53.36
	iii) अन्य विविध	216.18	108.64
3.*	**प्रचालन इकाइयों में काम में लाए गए हिस्से-पुर्जों और घटकों का मूल्य**		
	i) आयातित	-	2.51 (9.29%)
	ii) स्वदेशी	26.90	24.50 (90.71%)
4.*	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	i) ब्याज आय	-	-
	ii) अन्य	0.05	3.03

* वास्तविक आधार

फार्म -बी

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1. **विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा 2013-14 के दौरान अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया:**
   - क. पावर स्टेशन में ईएचवी ट्रांसफार्मर (400 केवी तक) की स्थल पर मरम्मत हेतु प्रक्रियाविधि का विकास।
   - ख. सुबानसिरी नदी हेतु नदी प्रवाह/डिस्चार्ज उपयों में जीआईएस/जीपीएस का उपयोग।
   - ग. टरबाइन हेतु गाद वाले पानी के लिए शॉफ्ट सील का विकास।
2. **उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों के नतीजों से प्राप्त लाभ:**
   - **पावर स्टेशन में ईएचवी ट्रांसफार्मर (400 केवी तक) की स्थल पर मरम्मत हेतु प्रक्रियाविधि का विकास:**

     वर्तमान व्यवस्था में ईएचपी ट्रांसफार्मरों को मरम्मत हेतु फैक्ट्री विनिर्माताओं के पास ले जाया जाना होता है जिसमें काफी समय लगता है। उच्च गुणवत्ता वाली स्थल पर परीक्षण टेकनालॉजी द्वारा ईएचवी ट्रांसफार्मर की स्थल पर मरम्मत हेतु एक मानक प्रक्रियाविधि के साथ बड़े एचवी विद्युत ट्रांसफार्मर के निदान तथा मरम्मत से जुड़ी समूची स्थल प्रक्रियाओं को ईष्टतम करना संभव होगा। एतदद्वारा, इससे पावर स्टेशन में लागत और ट्रांसफार्मर की मरम्मत में लगने वाला समय और डाउनटाइम कम होगा।
   - **सुबानसिरी नदी हेतु नदी प्रवाह/डिस्चार्ज उपायों में जीआईएस/जीपीएस का उपयोग:** इस ऐप्लीकेशन से जीआईएस/जीपीएस टैलीमीट्री सुविधा की सहायता से ऑनलाइन डिस्चार्ज डाटा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस डाटा को किसी सुदूर स्थल से तुरंत रिकार्ड किया जा सकता है ताकि प्रचालनात्मक पहलुओं तथा परियोजना के संबंध में शीघ्र निर्णयों को सुकर बनाया जा सके।
   - **मशीन हेतु गाद वाले पानी के लिए शॉफ्ट सील का विकास:** हार्ड रेसिन सामग्री की संशोधित शाफ्ट सील डाउनटाइम को कम करेगी और दक्षता को बढ़ाएगी, जिससे अनुरक्षण में आसानी होगी।
3. **2014-15 के लिए भावी योजना**
   - सुबानसिरी लोअर डैम के डाउनस्ट्रीम में सुबानसिरी नदी पर पूर्णतः स्वचालित नदी डिस्चार्ज मापन का विकास।
   - किसी पावर स्टेशन पर कैविटेशन/कटाव का प्रबोधन और उन्हें कम करने के लिए उपाय।
   - बैरास्यूल पावर स्टेशन का नवीकरण, आधुनिकीकरण और अपरेटिंग (आरएम एंड यू)।
   - किसी पावर स्टेशन में गाद स्तरों का प्रबोधन और जलाश्य में गाद के अंतर्वाह को कम करने के उपाय।
4. **वर्ष 2013-14 के दौरान अनुसधान एवं विकास पर व्यय:**

(क)	पूंजी	**0**
(ख)	आवर्ती	**4,78,16,836**
(ग)	कुल	**4,78,16,836**
(घ)	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में कुल आर एंड डी व्यय	**0.09%**

प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार

1. **प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास संक्षेप में निम्नानुसार है:**
   - **हार्ड कोटिंग:** कटाव/कैविटेशन के प्रति अंडरवाटर टरबाइन संघटकों की क्षमता में सुधार के लिए उनकी हार्ड कोटिंग और संभावित समाधान के रूप में एचवीओएफ प्रक्रिया की पहचान के क्षेत्र में विगत में विशेषज्ञता पूर्ण संगठनों के सहयोग से अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन तथा परीक्षण किए गए।
   - **'हाइड्रो जनरेटरों की टरबाइन के लिए सिल्ट एरोजन प्रतिरोधी सामग्री का विकास' नामक एनपीपी परियोजना:** नेशनल मैटॉलजिकल लैबोरेटरी (एनएमएल), जमशेदपुर के साथ मिल कर हाइड्रो जनरेटरों के टरबाइन हेतु गाद कटाव रोधी सामग्री का विकास किया गया है। नई मिश्रधातु विकसित की गई है और पेटेंट को पंजीकृत किया गया है। हाइड्रो-टरबाइन घटक के फील्ड परीक्षण प्रगति पर है।
   - **'उच्च हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर्गत जल प्रभारित क्षेत्रों में सुरंगे बनाना' नामक एनपीपी परियोजना:** इस कार्य को एनएचपीसी द्वारा वर्ष 2013 में किया गया था।

2. **उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप हासिल किए गए लाभ, उदाहरण के लिए उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास और आयात प्रतिस्थापन के रूप में लाभ, निम्नानुसार है:**

   - **हार्ड कोटिंग:** हार्ड कोटिंग एक सतत प्रक्रिया है। टंगस्टेन कारबाइड कोबाल्ट कोटिंग के साथ एचवीओएफ प्रक्रिया के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे है।
   - **'हाइड्रो जनरेटरों की टरबाइन के लिए सिल्ट एरोजन प्रतिरोधी सामग्री का विकास' नामक एनपीपी परियोजना:** इस मिश्रधातु की विशेषताएं एक बार फील्ड परीक्षणों के पश्चात सिद्ध होने पर यह भविष्य की जल विद्युत परियोजनाओं में विभिन्न जल के भीतर वाले टरबाइन घटकों के प्रतिरोधी उपचार संबंधी गाद कटाव में सहायता कर सकता है।
   - **'उच्च हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर्गत जल प्रभारित क्षेत्रों में सुरंगे बनाना' नामक एनपीपी परियोजना:** इसके प्रमुख लाभ उच्च हाइड्रोस्टेटिक दबाव के अंतर्गत जल प्रभारित क्षेत्रों में तीव्र एवं सुरक्षित सुरंग हेतु एक पद्धति स्थापित करने में परिणत होंगे।

3. **पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात की गई प्रौद्योगिकी:**

   पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई प्रौद्योगिक आयात नहीं की गई थी।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(**आर.एस.टी. शाई**)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00171920

तारीख: 14 अगस्त, 2014
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध-V

क) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान वर्ष भर के दौरान ऐसे कर्मचारी जिन्हें 60 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक का पारिश्रमिक दिया गया था, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	कुल पारिश्रमिक रूपए में)	डी-प्रतिनियुक्ति आर-नियमित	योग्यता	आयु (वर्षों में)	अनुभव (वर्षों में)	पिछला धारित रोजगार
1.	डी पी भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	20/02/1979	-	65,13,896	आर	बी.ई. इलेक्ट्रिकल	58	35	लागू नहीं

ख) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान वर्ष के एक भाग के दौरान नियोजित ऐसे कर्मचारियों जिन्हें 5 लाख रूपए प्रति माह से अधिक का पारिश्रमिक दिया गया था, जो सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र दिए गए कर्मचारियों को अदा किया गया बकाया शामिल है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	कुल पारिश्रमिक रूपए में)	डी-प्रतिनियुक्ति आर-नियमित	योग्यता	आयु (वर्षों में)	अनुभव (वर्षों में)	धारित पिछला रोजगार
1	श्री नंदा सिंह	वरिष्ठ एचईएम ऑपरेटर ग्रेड II	19/03/1976	10/04/2013	14,84,672	आर	आठवीं	56	37	लागू नहीं
2	हरदयाल	ऑपरेटर(एचईएम) विशेष ग्रेड II	17/10/1986	15/04/2013	12,97,783	आर	अशिक्षित	56	27	लागू नहीं
3	गुना कांत तमुली	टाइमकीपर ग्रेड II	01/06/2000	16/04/2013	5,84,186	आर	सीनियर सैकेण्डरी	56	13	लागू नहीं
4	एल देवेन सिंह	फिटर विशेष	01/09/1977	20/04/2013	14,20,404	आर	सातवीं	58	36	लागू नहीं
5	भोला राम	वरिष्ठ एचईएम ऑपरेटर ग्रेड II	19/02/1979	21/04/2013	15,58,956	आर	आठवीं	60	34	लागू नहीं
6	मनोज कुमार त्यागी	जेई (मैक.) -विशेष ग्रेड	11/06/2001	15/04/2013	7,84,692	आर	मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, सीनियर सैकेण्डरी/बारहवीं, एएमआईई मकैनिकल इंजीनियरिंग	39	12	लागू नहीं
7	शीला देवी	सफाइवाली विशेष ग्रेड I	29/05/1982	30/04/2013	8,83,252	आर	अशिक्षित	60	31	लागू नहीं
8	मनोज कुमार	प्लम्बर विशेष ग्रेड-II	16/05/1972	30/04/2013	10,89,717	आर	माध्यमिक	60	41	लागू नहीं
9	जगत बहादुर	सुरक्षा गार्ड विशेष ग्रेड I	12/12/1978	30/04/2013	12,07,438	आर	अशिक्षित	60	34	लागू नहीं
10	जगन राय	फिटर-II	21/05/1981	30/04/2013	12,22,969	आर	मैट्रिक से कम	60	32	लागू नहीं
11	अघन बाई	अटेंडेंट विशेष - I	04/10/1978	30/04/2013	12,71,269	आर	अशिक्षित	60	35	लागू नहीं
12	दामोदर ओधार	ड्रेस विशेष ग्रेड II	06/10/1981	30/04/2013	12,72,428	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	32	लागू नहीं
13	नरेश	बेलदार विशेष ग्रेड I	24/01/1974	30/04/2013	13,61,746	आर	सातवीं	60	39	लागू नहीं
14	लोक राम	एससी सहायक ग्रेड I	24/01/1974	30/04/2013	14,15,553	आर	आठवीं	60	39	लागू नहीं
15	कालू राम	दफ्तरी विशेष	12/10/1971	30/04/2013	14,18,072	आर	सातवीं	60	42	लागू नहीं
16	जी एच हुसैन	इलैक्ट्रीशियन विशेषग्रेड I	15/11/1984	30/04/2013	14,42,825	आर	हायर सेकैण्डरी, आईटीआई	60	28	लागू नहीं
17	गुरदेव	बेलदार विशेषग्रेड I	22/01/1974	30/04/2013	14,58,672	आर	अशिक्षित	60	39	लागू नहीं
18	ठाकुर दास	साइंटिफिक	18/01/1978	30/04/2013	14,66,602	आर	मैट्रिक से कम	60	35	लागू नहीं
19	बाबू राम गुप्ता	वरिष्ठ सहायक ग्रेड-I	12/06/1978	30/04/2013	14,81,708	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	35	लागू नहीं
20	पारस राम	मास्टर तकनीशियन (फिट्टर) ग्रेड-II	07/02/1977	30/04/2013	15,22,667	आर	पंचवी	60	36	लागू नहीं
21	पी.के. मैथ्यु	मास्टर तकनीशियन (फिट्टर) ग्रेड-I	24/04/1982	30/04/2013	15,23,524	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी, आईटीआई	60	31	लागू नहीं
22	त्रिलोक सिंह	वरिष्ठ एचईएम ऑपरेटर ग्रेड II	01/04/1975	30/04/2013	15,25,498	आर	मैट्रिक से कम	60	38	लागू नहीं
23	कृष्ण चंद	वरिष्ठ पर्यवेक्षक ग्रेड I	01/03/1984	30/04/2013	15,51,664	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी, आईटीआई सर्वे	60	29	लागू नहीं
24	स्वामी राज मानहस	ओ एस आई	05/10/1976	30/04/2013	15,60,033	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	37	लागू नहीं
25	चमन सिंह	मीटर रीडर	16/01/1976	30/04/2013	15,98,018	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	37	लागू नहीं
26	करम चन्द	मास्टर इलैक्ट्रीशियन ग्रेड I	19/05/1982	30/04/2013	16,10,232	आर	नौवीं	60	31	लागू नहीं
27	जे एस ठाकुर	सहायक ग्रेड विशेष	26/06/1974	30/04/2013	16,15,792	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	39	लागू नहीं
28	मोहिन्दर कुमार	वरिष्ठ फार्मेसिस्ट-I	24/12/1979	30/04/2013	16,25,361	आर	पीयूसी डिप्लोमा फार्मेसिस्ट	60	33	लागू नहीं
29	सुरेश कुमार शर्मा	वरिष्ठ सहायक ग्रेड-I	15/07/1981	30/04/2013	16,26,000	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	32	लागू नहीं

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	कुल पारिश्रमिक रूपए में)	डी-प्रतिनियुक्ति आर-नियमित	योग्यता	आयु (वर्षों में)	अनुभव (वर्षों में)	धारित पिछला रोजगार
30	ए एल अवस्थी	वरिष्ठ सहायक ग्रेड-II	01/04/1975	30/04/2013	16,26,744	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	38	लागू नहीं
31	श्री चंद ठक्कर	कार्य सहायक विशेष ग्रेड-I	18/07/1978	30/04/2013	16,45,651	आर	आईटीआई, मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	35	लागू नहीं
32	धनी राम शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	04/09/1983	30/04/2013	16,49,367	आर	SENIOR SECONDARY / 12TH, B.A.	60	30	लागू नहीं
33	राज कुमार	मास्टर तकनीशियन (मकैनिक) ग्रेड-I	01/07/1978	30/04/2013	16,51,248	आर	अशिक्षित	60	35	लागू नहीं
34	प्रीतम सिंह	वरिष्ठ एससी सहायक ग्रेड I	08/04/1974	30/04/2013	16,58,797	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	39	लागू नहीं
35	मदन गोपाल	मास्टर इलैक्ट्रीशियन ग्रेड -I	19/04/1978	30/04/2013	16,91,142	आर	छठी	60	35	लागू नहीं
36	राज कुमार पराशर	कार्यालय पर्यवेक्षक ग्रेड-I	27/01/1978	30/04/2013	17,02,704	आर	हायर सैकेण्डरी	60	35	लागू नहीं
37	भण्डारी राम शर्मा	अधिकारी (मानव संसाधन)-(ईओ2ए)	15/02/1978	30/04/2013	17,05,284	आर	बीए, पीजी डिप्लोमा, पीएम व आईआर	60	35	लागू नहीं
38	एस. कृष्णामोहन सिंह	मास्टर तकनीशियन (मकैनिक) ग्रेड-I	19/03/1976	30/04/2013	17,53,241	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी, आईटीआई	60	37	लागू नहीं
39	निरंजन सिंह	एएम (आईटी)	27/09/1977	30/04/2013	17,72,418	आर	बी.एससी., कम्प्यूटर विज्ञान में पीजी डिप्लोमा, एम.एससी., एम.सी.ए.	60	36	लागू नहीं
40	देव राज	मास्टर इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-II	20/03/1976	30/04/2013	18,08,395	आर	नौवीं	60	37	लागू नहीं
41	राम प्रकाश	मास्टर तकनीशियन (वायरमेन) ग्रेड-II	17/12/1979	30/04/2013	18,09,120	आर	आठवीं	60	33	लागू नहीं
42	सुनील बहल	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन)	03/02/1983	30/04/2013	18,20,588	आर	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय) पीएम व आईआर, एम.कॉम., बी.कॉम. (ऑनर्स), कार्मिक प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा	60	30	लागू नहीं
43	पारस राम	मास्टर इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-II	29/08/1977	30/04/2013	18,49,121	आर	अशिक्षित	60	36	लागू नहीं
44	रतन चन्द	वरिष्ठ एचईएम ऑपरेटर ग्रेड II	09/05/1979	30/04/2013	18,80,489	आर	सातवीं	60	34	लागू नहीं
45	दुर्गा प्रसाद जोशी	प्रबंधक (एम)	06/05/1978	30/04/2013	19,52,983	आर	मकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	60	35	लागू नहीं
46	टी.आर. ढींगरा	प्रबंधक (सी)	28/09/1977	30/04/2013	20,76,734	आर	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	60	36	लागू नहीं
47	नंदन सिंह बिष्ट	प्रबंधक (वित्त)	13/01/1978	30/04/2013	22,39,167	आर	एसएई, बी.ए.	60	35	लागू नहीं
48	विजय टिक्कू	वरि. प्रबंधक (ई)	31/12/1980	30/04/2013	22,94,350	आर	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	60	32	लागू नहीं
49	एल मंगलेम सिंह	लाइनमैन ग्रेड II	01/06/1979	09/05/2013	42,07,556	आर	सातवीं	54	34	लागू नहीं
50	टी.एन. पाण्डेय	इलैक्ट्रीशियन विशेष ग्रेड I	13/02/1980	10/05/2013	15,46,400	आर	मैट्रिक से कम	54	33	लागू नहीं
51	जीत बहादुर	बेलदार विशेष ग्रेड I	25/04/1985	31/05/2013	11,57,142	आर	अशिक्षित	60	28	लागू नहीं
52	रामजी प्रसाद	स्टोर विशेष	01/11/1981	31/05/2013	12,27,223	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	32	लागू नहीं
53	आज्ञा देवी	अटेंडेंट विशेष - I	23/04/1985	31/05/2013	12,28,207	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	28	लागू नहीं
54	धर्म चन्द	अटेंडेंट विशेष - I	01/08/1977	31/05/2013	12,35,270	आर	मैट्रिक से कम	60	36	लागू नहीं
55	बशीर अहमद	सुरक्षा गार्ड विशेष ग्रेड I	01/07/1984	31/05/2013	12,37,199	आर	पांचवीं	60	29	लागू नहीं
56	कृष्ण चन्द	ड्रेस विशेष ग्रेड II	15/12/1984	31/05/2013	13,08,077	आर	माध्यमिक	60	28	लागू नहीं
57	मन बहादुर	बेलदार विशेष ग्रेड II	28/01/1978	31/05/2013	14,22,332	आर	अशिक्षित	60	35	लागू नहीं
58	संसार चन्द	कुक विशेष ग्रेड II	27/09/1983	31/05/2013	14,37,523	आर	आठवीं	60	30	लागू नहीं
59	ज्ञान चन्द	वरिष्ठ एचईएम ऑपरेटर ग्रेड II	13/01/1986	31/05/2013	14,39,765	आर	सातवीं	60	27	लागू नहीं
60	राज कुमार रजक	मेकैनिक विशेष	23/03/1978	31/05/2013	14,63,129	आर	अशिक्षित	60	35	लागू नहीं
61	सहदेव	फिटर विशेष I	04/07/1981	31/05/2013	14,78,669	आर	आठवीं	60	32	लागू नहीं
62	अमर सिंह	मास्टर तकनीशियन (मकैनिक) ग्रेड II	17/02/1976	31/05/2013	15,13,318	आर	सातवीं	60	37	लागू नहीं
63	कृष्ण सिंह	कार्य सहायक विशेष ग्रेड I	18/05/1977	31/05/2013	15,52,849	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	36	लागू नहीं

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	कुल पारिश्रमिक रूपए में)	डी-प्रतिनियुक्ति आर-नियमित	योग्यता	आयु (वर्षों में)	अनुभव (वर्षों में)	धारित पिछला रोजगार
64	करम चन्द	वरिष्ठ एचईएम ऑपरेटर ग्रेड II	02/07/1986	31/05/2013	15,59,848	आर	सातवीं	60	27	लागू नहीं
65	बोधा	लाइनमेन ग्रेड I	01/07/1977	31/05/2013	15,95,173	आर	मैट्रिक से कम	60	36	लागू नहीं
66	पुष्पा देवी	सहायक विशेष ग्रेड-I	15/03/1984	31/05/2013	16,13,558	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	29	लागू नहीं
67	माखन सिंह	मास्टर तकनीशियन (एसबीटी) ग्रेड-II	05/04/1978	31/05/2013	16,32,549	आर	मैट्रिक से कम	60	35	लागू नहीं
68	हुकुम सिंह	फिटर विशेष	27/12/1978	31/05/2013	16,66,846	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	34	लागू नहीं
69	शारदा रानी	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	01/05/1981	31/05/2013	17,11,899	आर	बी.ए.	60	32	लागू नहीं
70	तेज सिंह	वरिष्ठ फोरमैन (ई) - विशेष	07/04/1971	31/05/2013	17,16,973	आर	मैट्रिक से कम	60	42	लागू नहीं
71	रघुबीर सिंह	सहायक विशेष	26/12/1974	31/05/2013	17,24,158	आर	बी.ए.	60	38	लागू नहीं
72	देश राज	मास्टर तकनीशियन (फिटर) ग्रेड-II	09/05/1979	31/05/2013	17,52,863	आर	आठवीं	60	34	लागू नहीं
73	ऋषपाल सिंह	वरिष्ठ फोरमेन-विशेष	10/12/1984	31/05/2013	18,57,502	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	28	लागू नहीं
74	बिधु राम	मशीन ऑपरेटर (सामान्य/टीयूआर) ग्रेड -I	05/11/1977	31/05/2013	18,86,574	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	36	लागू नहीं
75	एस सी धनिया	सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	17/06/1978	31/05/2013	19,09,999	आर	बी.ए., कार्मिक प्रबंधन व औद्योगिक संबंधों में पीजी डिप्लोमा, जन संपर्क में पीजी डिप्लोमा	60	35	लागू नहीं
76	ऋषिकेश	मास्टर तकनीशियन(मकेनिक) ग्रेड-I	24/04/1976	31/05/2013	19,14,693	आर	आईटीआई, छठी	60	37	लागू नहीं
77	एस इबोचौबा सिंह	उप प्रबंधक (प्रशासन)	26/06/1979	31/05/2013	19,83,234	आर	बी.एससी	60	34	लागू नहीं
78	मोहन सिंह	मास्टर तकनीशियन (रिगर) ग्रेड-I	01/06/1975	31/05/2013	20,82,918	आर	अशिक्षित	60	38	लागू नहीं
79	नंद लाल	उप प्रबंधक (प्रशासन)	04/01/1974	31/05/2013	20,90,371	आर	बी.ए.	60	39	लागू नहीं
80	के के भोला	प्रबंधक (ई)	22/06/1977	31/05/2013	23,03,919	आर	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	60	36	लागू नहीं
81	बिनोदा नंद झा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	22/10/1985	31/05/2013	23,78,150	आर	एमबीबीएस	60	28	लागू नहीं
82	इदरीस अहमद खान	प्रबंधक (लाइब्रेरी)	23/05/1978	31/05/2013	26,45,263	आर	बी.ए., बी.लिब., लाईब्रेरी साइंस में डिप्लोमा	60	35	लागू नहीं
83	एम के रैना	कार्यपालक निदेशक	20/08/1979	31/05/2013	32,30,312	आर	बी.ई इलैक्ट्रिकल	60	34	लागू नहीं
84	रोमेश चन्दर	मास्टर तकनीशियन(मकेनिक) ग्रेड-I	06/09/1978	09/06/2013	16,25,011	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	56	35	लागू नहीं
85	अंग्रेज़ सिंह	प्रशासनिक अधिकारी	01/01/1973	10/06/2013	16,76,909	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	59	40	लागू नहीं
86	टेक बहादुर माला	फिटर-II	28/08/1978	30/06/2013	15,24,207	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	35	लागू नहीं
87	जमितो	बेलदार विशेष	09/02/1974	30/06/2013	15,90,675	आर	मैट्रिक से कम	60	39	लागू नहीं
88	उजलेश चन्द	सुरक्षा गार्ड विशेष ग्रेड I	23/10/1973	30/06/2013	15,93,789	आर	सातवीं	60	40	लागू नहीं
89	तारा चन्द	मास्टर तकनीशियन(मकेनिक) ग्रेड II	31/07/1978	30/06/2013	16,15,391	आर	सातवीं	60	35	लागू नहीं
90	हंस राज	कारपेंटर स्पेशल	23/03/1976	30/06/2013	16,25,031	आर	मैट्रिक से कम	60	37	लागू नहीं
91	राम दयाल	मास्टर तकनीशियन(लाइनमैन) ग्रेड II	09/02/1974	30/06/2013	16,61,620	आर	अशिक्षित	60	39	लागू नहीं
92	नजीर अहमद	मकेनिकल विशेष ग्रेड I	26/07/1978	30/06/2013	16,63,823	आर	मैट्रिक से कम	60	35	लागू नहीं
93	राजवीर सिंह	कार्यालय अधीक्षक-II	16/11/1979	30/06/2013	17,09,957	आर	सीनियर सैकेण्डरी/12वीं, बीए	60	34	लागू नहीं
94	अशोक कुमार	मास्टर तकनीशियन (एसबीटी) ग्रेड-II	04/10/1978	30/06/2013	17,20,180	आर	आठवीं	60	35	लागू नहीं
95	हरबन्स सिंह	वरिष्ठ फोरमैन (सी)	26/11/1975	30/06/2013	17,53,286	आर	मैट्रिक से कम	60	38	लागू नहीं
96	बेसर राम	वरिष्ठ एचईपी ऑपरेटर ग्रेड II	15/01/1976	30/06/2013	18,06,583	आर	मैट्रिक से कम	60	37	लागू नहीं
97	मुनी नाथ	वरिष्ठ टाइमकीपर ग्रेड II	01/06/1979	30/06/2013	18,07,850	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	34	लागू नहीं
98	चौधरी राम	मास्टर तकनीशियन (मकैनिक) ग्रेड II	13/07/1976	30/06/2013	18,10,186	आर	नौवीं	60	37	लागू नहीं

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	कुल पारिश्रमिक रूपए में)	डी-प्रतिनियुक्ति आर-नियमित	योग्यता	आयु (वर्षों में)	अनुभव (वर्षों में)	धारित पिछला रोजगार
99	बलकार सिंह	मास्टर तकनीशियन(मकेनिक) ग्रेड-I	27/10/1978	30/06/2013	18,20,248	आर	आठवीं	60	35	लागू नहीं
100	ध्यान सिंह	कार्य सहायक विशेष ग्रेड-I	07/03/1974	30/06/2013	18,29,662	आर	नौवीं	60	39	लागू नहीं
101	दूनी चन्द	कारपेंटर ग्रेड I	25/05/1974	30/06/2013	18,40,569	आर	अशिक्षित	60	39	लागू नहीं
102	रामजी शाह	मास्टर तकनीशियन (रिगर) ग्रेड-II	19/10/1975	30/06/2013	18,62,479	आर	मैट्रिक से कम	60	38	लागू नहीं
103	देव राज	वरिष्ठ फोरमैन: विशेष	02/11/1973	30/06/2013	18,96,311	आर	मैट्रिक से कम	60	40	लागू नहीं
104	परमजीत सिंह	फिटर विशेष	01/10/1975	30/06/2013	18,98,236	आर	मैट्रिक से कम	60	38	लागू नहीं
105	समीर चन्द्र देब	स्टोर कीपर ग्रेड I	19/03/1976	30/06/2013	19,22,676	आर	हायर सैकेण्डरी	60	37	लागू नहीं
106	जय प्रकाश सिंह	वरिष्ठ पर्यवेक्षक(स्टोर) एस-3	21/06/1977	30/06/2013	19,81,619	आर	बी.एससी.	60	36	लागू नहीं
107	आर.के. ऑबरॉय	ओ.एस. I	28/02/1979	30/06/2013	19,91,565	आर	पीयूसी	60	34	लागू नहीं
108	उमेश झा	प्रबंधक (वित्त)	29/11/1978	30/06/2013	25,42,774	आर	एसएई, बी.ए., सैक्रेटेरियल प्रैक्टिस	60	35	लागू नहीं
109	अनिल भल्ला	प्रबंधक (वित्त)	05/06/1978	30/06/2013	29,05,707	आर	एसएई, बी.कॉम	60	35	लागू नहीं
110	अशोक कुमार तिवारी	कार्यपालक निदेशक (विधि)	02/06/1983	30/06/2013	32,07,257	आर	एलएलबी, एम.ए., बी.ए.	60	30	लागू नहीं
111	खिटु राम	मशीन ऑपरेटर ग्रेड II	08/12/1977	15/07/2013	51,76,155	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	56	36	लागू नहीं
112	सुरेन्द्र सिंह	मास्टर तकनीशियन (रिगर) ग्रेड-II	21/06/1977	31/07/2013	20,08,688	आर	मैट्रिक से कम	60	36	लागू नहीं
113	अली मोहम्मद	एजी विशेषग्रेड-I	27/12/1977	31/07/2013	20,09,104	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	36	लागू नहीं
114	ध्यान सिंह	वरिष्ठ फोरमैन (ई) - विशेष	02/05/1973	31/07/2013	20,39,950	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	40	लागू नहीं
115	युवराज कृष्णा	उप प्रबंधक (जन संपर्क)	25/01/1980	31/07/2013	20,49,110	आर	बी.ए., पत्रकारिता में एम.ए., जन संपर्क में डिप्लोमा, जन संचार में स्नात्तकोत्तर	60	34	लागू नहीं
116	सैयद नजमुल होडा काजमी	वरिष्ठ सहायक ग्रेड-I	10/07/1978	31/07/2013	20,67,088	आर	सीनियर सैकेण्डरी/बारहवीं	60	35	लागू नहीं
117	हंस राज	वरिष्ठ एससी सहायक ग्रेड I	18/01/1978	31/07/2013	20,76,614	आर	हायर सैकेण्डरी	60	36	लागू नहीं
118	धर्म सिंह	मास्टर तकनीशियन (रिगर) ग्रेड-II	01/12/1975	31/07/2013	20,84,199	आर	अशिक्षित	60	38	लागू नहीं
119	कल्याण सिंह	मास्टर इलैक्ट्रीशियन ग्रेड II	13/03/1982	31/07/2013	21,03,982	आर	सीनियर सैकेण्डरी/बारहवीं	60	31	लागू नहीं
120	रतन सिंह	वरिष्ठ फोरमैन (सी)	21/02/1974	31/07/2013	21,04,139	आर	मैट्रिक से कम	60	39	लागू नहीं
121	लाल मन शर्मा	वरिष्ठ फोरमैन - विशेष	01/04/1974	31/07/2013	21,05,203	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	39	लागू नहीं
122	हरनाम सिंह	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	07/02/1978	31/07/2013	21,40,421	आर	बी.ए.	60	36	लागू नहीं
123	चिंता मणि ठाकुर	वरिष्ठ आपरेटर (संप्रेषण) ग्रेड II	14/02/1974	31/07/2013	21,62,817	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	60	39	लागू नहीं
124	जनार्दन जोशी	सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	04/04/1976	31/07/2013	22,88,374	आर	बी.ए.	60	37	लागू नहीं
125	रमेश चन्द्र	वरिष्ठ ड्राफ्टसमैन-विशेष	10/05/1979	31/07/2013	23,37,756	आर	पीयूसी	60	34	लागू नहीं
126	सशील कुमार दाता	कार्यपालक ड्राफ्टमैन - ग्रेड ए	21/06/1982	31/07/2013	24,38,105	आर	आईटीआई ड्राफ्ट्समैन(सिविल)	60	31	लागू नहीं
127	कृष्ण लाल खुराना	उप प्रबंधक (सुरक्षा)	14/02/1978	31/07/2013	24,66,637	आर	स्नातक	60	35	लागू नहीं
128	हरसिमरन सिंह	प्रबंधक (सुरक्षा)	31/07/1978	31/07/2013	28,66,400	आर	बी.कॉम., कार्मिक प्रबंधन व औद्योगिक संबंधों में पीजी डिप्लोमा	60	35	लागू नहीं
129	एस.पी. त्यागी	प्रबंधक (ई)	04/11/1978	31/07/2013	28,78,426	आर	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	60	35	लागू नहीं
130	बी.आर. गुलाटी	वरिष्ठ प्रबंधक (ई)	02/03/1976	31/07/2013	29,55,730	आर	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	60	37	लागू नहीं
131	सतपाल शर्मा	वरिष्ठ एचईएम ऑपरेटर ग्रेड I	23/02/1979	31/07/2013	31,99,890	आर	मैट्रिक से कम	57	34	लागू नहीं
132	मोहम्मद अब्दुल मनिकुद्दीन	सुरक्षा गार्ड विशेष	23/03/1978	17/08/2013	35,58,005	आर	चौथी	57	35	लागू नहीं
133	ए मणि सिंह	बेलदार विशेष	19/02/1982	17/08/2013	46,82,137	आर	आठवीं	52	32	लागू नहीं
134	टीएच संता कुमार मीतई	ऑपरेटर (संप्रेषण) ग्रेड-II	01/07/1980	17/08/2013	48,29,909	आर	बी.ए.	54	33	लागू नहीं
135	कौशल कुमार	वरिष्ठ फार्मेसिस्ट-I	27/09/1977	31/08/2013	25,06,862	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी, फार्मेसी में डिप्लोमा	60	36	लागू नहीं

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	कुल पारिश्रमिक रूपए में)	डी-प्रतिनियुक्ति आर-नियमित	योग्यता	आयु (वर्षों में)	अनुभव (वर्षों में)	धारित पिछला रोजगार
136	अमर चन्द ठाकुर	वरिष्ठ सहायक ग्रेड I	28/03/1974	31/08/2013	25,48,994	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	39	लागू नहीं
137	ओम प्रकाश	हैल्पर विशेष ग्रेड I	10/09/1979	31/08/2013	28,23,467	आर	मैट्रिक से कम	56	34	लागू नहीं
138	वाई सुरजामणि सिंह	प्रबंधक (ई)	26/06/1978	31/08/2013	29,27,663	आर	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	60	35	लागू नहीं
139	शक्ति चन्द	मास्टर तकनीशियन (वेलडर) ग्रेड-I	01/12/1975	31/08/2013	30,56,723	आर	आईटीआई	58	38	लागू नहीं
140	मदन लाल	मास्टर तकनीशियन (रिगर) ग्रेड-II	01/12/1981	31/08/2013	33,48,983	आर	हायर सैकेण्डरी	57	32	लागू नहीं
141	लोचु राम	ड्राइवर विशेष	03/03/1975	31/08/2013	34,01,859	आर	मैट्रिक से कम	57	39	लागू नहीं
142	शत्रुघ्न राय	मास्टर तकनीशियन (एसबीटी) ग्रेड-II	05/10/1978	31/08/2013	38,65,398	आर	पांचवी	56	35	लागू नहीं
143	सुनीत सिंह	वरिष्ठ ड्राफ़्टसमैन-विशेष	09/05/1979	31/08/2013	39,14,219	आर	मैट्रिक/ एसएसएलसी	58	34	लागू नहीं
144	खयाली साहू	हैल्पर विशेष ग्रेड I	14/03/1984	31/08/2013	41,04,982	आर	सातवीं	53	29	लागू नहीं
145	देव राज	ऑपरेटर(यूटीएल) विशेष ग्रेड II	09/02/1977	31/08/2013	41,25,687	आर	पांचवीं	56	37	लागू नहीं
146	बेदी राम	हैल्पर विशेष	04/07/1980	31/08/2013	44,51,175	आर	अशिक्षित	54	33	लागू नहीं
147	देश राज	ड्राइवर विशेष	01/09/1976	31/08/2013	44,63,446	आर	सातवीं	56	37	लागू नहीं
148	रित बहादुर	ऑपरेटर(एचईएम) विशेष ग्रेड I	01/01/1985	31/08/2013	44,77,470	आर	आठवीं	51	29	लागू नहीं
149	जीवन चन्द्र देब	डब्ल्यू/सहायक विशेष	05/09/1977	31/08/2013	45,40,462	आर	आठवीं	56	36	लागू नहीं
150	टी बी थापा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	01/03/1979	31/08/2013	58,11,379	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	53	35	लागू नहीं
151	रीटा मोजा	सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	22/06/1981	16/09/2013	58,08,838	आर	बी.ए.	55	32	लागू नहीं
152	बाल बहादुर	बेलदार विशेष ग्रेड I	04/04/1985	20/09/2013	40,14,785	आर	अशिक्षित	55	28	लागू नहीं
153	पूरण चन्द्र	ड्राईवर विशेष ग्रेड I	01/09/1987	26/09/2013	45,90,325	आर	पांचवीं	55	26	लागू नहीं
154	उमेश चन्द्र पाठक	उप प्रबंधक (मानव संसाधन)	12/06/1980	30/09/2013	33,90,265	आर	स्नातक, कार्मिक प्रबंधन व औद्योगिक संबंधों में पीजी डिप्लोमा	60	33	लागू नहीं
155	कौशल्या देवी I	सफाई विशेष ग्रेड I	06/07/1985	30/09/2013	36,41,380	आर	मैट्रिक से कम	55	28	लागू नहीं
156	जंग बहादुर	हैल्पर विशेष ग्रेड I	28/05/1979	30/09/2013	40,41,954	आर	अशिक्षित	55	34	लागू नहीं
157	मोहन सिंह	ऑपरेटर(एचईएम) विशेष ग्रेड I	08/05/1984	30/09/2013	41,19,654	आर	मैट्रिक से कम	56	29	लागू नहीं
158	फिरंगी साहू	कार्य सहायक विशेष ग्रेड-I	11/04/1985	30/09/2013	43,66,428	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	54	28	लागू नहीं
159	त्रलोक सिंह	ऑपरेटर(बोट) ग्रेड I	06/09/1978	30/09/2013	44,73,001	आर	मैट्रिक से कम	55	35	लागू नहीं
160	टी अमुबा सिंह	वरिष्ठ सहायक ग्रेड-II	01/09/1977	05/10/2013	43,11,137	आर	बी.ए.	57	36	लागू नहीं
161	निक्का राम	मुख्य इंजीनियर (एम)	30/08/1976	31/10/2013	44,35,241	आर	एएमआईई मकैनिकल	60	37	लागू नहीं
162	डी के बक्शी	मुख्य इंजीनियर (एम)	14/08/1976	30/11/2013	42,73,886	आर	ऑटो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	60	37	लागू नहीं
163	डी एस चौहान	महाप्रबंधक (मानव संसाधन)	17/01/1985	30/11/2013	43,56,116	आर	एएलबी, लोक प्रशासन में एम.ए., कार्मिक प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा, बी.एससी.	60	29	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में श्रम अधिकारी
164	ए.के. श्रीवास्तव	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	03/11/1987	30/11/2013	44,33,755	आर	एमबीबीएस	60	26	असम राइफल्स
165	मधुसूदन जी	वरिष्ठ पर्यवेक्षक (सी)-I	01/02/1981	30/11/2013	65,56,515	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	53	33	एन.डी.मजुमदार एंड कंपनी, कोलकाता में जे. ई, पी एंड टी कोलकाता में जे. ई., चुखा हाइडल परियोजना में ए.आर.

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	कुल पारिश्रमिक रूपए में)	डी-प्रतिनियुक्ति आर-नियमित	योग्यता	आयु (वर्षों में)	अनुभव (वर्षों में)	धारित पिछला रोजगार
166	सिबनारायन दाता	मुख्य इंजीनियर (सि)	10/09/1982	31/12/2013	45,17,870	आर	बी.ई. सिविल	60	31	आरईसी, कुरुक्षेत्र/ हरियाणा सिंचाई विभाग
167	संदीप कंसल	मुख्य इंजीनियर (सि)	11/05/1984	31/12/2013	48,64,752	आर	सिविल इंजीनियरिंग में एम.एससी	60	30	सीईए में तकनीकी सहायक
168	विनोद कुमार जैन	मुख्य इंजीनियर (सि)	01/06/1984	31/12/2013	51,33,406	आर	बी.ई. इलैक्ट्रिकल	60	30	लागू नहीं
169	डी के राय	कार्यपालक निदेशक	14/04/1980	28/02/2014	56,42,538	आर	बी.एससी., मकैनिकल इंजीनियरिंग	60	34	लागू नहीं

टिप्पणियां:

1. पारिश्रमिक में वेतन, कैफेटेरिया भत्ता, अवकाश नकदीकरण, कार्यपालकों तथा पर्यवेक्षकों/कामगारों को पीपीआर/पीएलजीआई, अनुलाभ मूल्य, आर्थिक सहायता प्राप्त पट्टे वाला आवास, चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में कर्मचारी तथा नियोक्ता अंशदान शामिल होता है। तथापि, इसमे परियोजना स्थलों पर कंपनी की डिस्पेंसरियों/अस्पतालों में प्रदान किए गए चिकित्सा उपचार का मौद्रिक मूल्य शामिल नहीं होता है क्योंकि इसे कर्मचारी-वार मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी कंपनी के नियमों के अनुसार उपदान/समूह बीमा हेतु पात्र होते है।
2. ऊपर उल्लिखित पारिश्रमिक में वर्ष के दौरान अदा किए गए सेवानिवृत्ति/पृथकीकरण लाभ शामिल होते है और यह कंपनी के कर्मचारियों के नियमित पारिश्रमिक ढांचे को नहीं दर्शाता है।
3. ऊपर सूचीबद्ध कोई भी कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक से संबंधित नहीं है।
4. उपर्युक्त में से कोई भी कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड 2ए के उप खंड (।।।) के अर्थ के भीतर कंपनी में इक्विटी शेयर के प्रतिशत को धारित नहीं किए हुए है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(**आर.एस.टी.शाई**)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00171920

तारीख: 14 अगस्त, 2014
स्थान: नई दिल्ली

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुबंध - VI

खण्ड क: कम्पनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. **कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**

   एल40101एचआर1975 जीओआई 032564

2. **कम्पनी का नाम**

   एनएचपीसी लिमिटेड

3. **पंजीकृत पता**

   एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 (भारत)

4. **वेबसाइट**

   www.nhpcindia.com

5. **ईमेल आईडी**

   brr@nhpc.nic.in

6. **रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष**

   2013-14

7. **क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड बार)**

*समूह	वर्ग	उपवर्ग	विवरण
351	3510	35101	जल विद्युत स्टेशनों द्वारा विद्युत उत्पादन

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकरण के अनुसार, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

8. **तीन महत्वपूर्ण उत्पाद/सेवाएं, जिनका कम्पनी निर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)**

   (i) ऊर्जा (जल विद्युत)

   (ii) परामर्शी सेवाएं

9. **उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कम्पनी व्यवसायिक कार्यकलाप करती है**

   9.1. अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 बड़े स्थानों का ब्यौरा दें)

   एनएचपीसी की भूटान तथा इथोपिया में व्यावसायिक मौजूदगी है। भूटान में एक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की जा चुकी है और सीईए से स्वीकृति अंतिम चरण में है। एनएचपीसी भूटान में एक चालू परियोजना के लिए अभियांत्रिकी तथा डिजाइन हेतु परामर्शी सेवाएं भी मुहैया करवा रही है। इथोपिया में एनएचपीसी, विद्युत उत्पादन हेतु इथोपियन एनर्जी पावर कारपोरेशन को एनएचपीसी, पीजीसीआईएल और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के संघ के माध्यम से परामर्शी सेवाएं मुहैया करवा रही हैं।

   9.2. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

   हमारे पास सारे देश में 7 राज्यों में 18 पावर स्टेशन तथा 4 निर्माण परियोजनाएं हैं।

राज्य	स्थान	
	प्रचालनाधीन	निर्माणाधीन
जम्मू एवं कश्मीर	बारामूला(2), कठुआ, कारगिल, लेह, रियासी, किश्तवाड	बांदीपुरा
हिमाचल प्रदेश	चम्बा (4) और कुल्लू	मण्डी
उत्तराखण्ड	चम्पावत और पिथौरागढ़	
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग
अरूणाचल प्रदेश		लोअर सुबानसिरी
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम	
मणिपुर	बिशनपुर	

10. कम्पनी द्वारा सेवित बाजार- स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय

निम्न वर्णित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय लाभग्रहियों को बिजली बेची जाती है।

जम्मू एवं कश्मीर	राजस्थान	सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मणिपुर
पंजाब	बिहार	मेघालय
चण्डीगढ़	ओड़ीशा	मिजोरम
उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	त्रिपुरा
हरियाणा	असम	नागालैण्ड
दिल्ली	अरुणाचल प्रदेश	झारखण्ड

खण्ड ख: कम्पनी का वित्तीय ब्यौरा

1. प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये में)

11,070.67 करोड़ रुपये (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

2. कुल राजस्व (भारतीय रुपये में)

5,537.04 करोड़ रुपये (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

3. कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपये में)

978.79 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2013-14)

4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल व्यय

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर हमारा कुल व्यय वर्ष 2013-14 में 31.88 करोड़ रूपये है जो वित्त वर्ष 2013-14 हेतु हमारे कर पश्चात लाभ का 3.26 प्रतिशत है ।

5. उन कार्यकलापों की सूची, जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है।

i. शिक्षा

ii. स्वास्थ्य देखरेख

iii. खेलकूद, कला और संस्कृति/अन्य पहलें

iv. ग्रामीण विकास - सामाजिक और भौतिक अवसंरचना विकास

v. पर्यावरण एवं धारणीयता

खण्ड ग: अन्य ब्यौरा

1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां है ?

हां, वर्तमान में एनएचपीसी लिमिटेड की दो सहायक कम्पनियां हैं, नामतः

i. एचएचडीसी लिमिटेड

ii. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

2. क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनी(यों) की संख्या बतायें ?

नहीं, सहायक कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेती हैं।

3. क्या कोई अन्य निकाय/निकायों (उदाहरणार्थ, आपूर्तिकर्त्ताओं, वितरकों आदि) के साथ कम्पनी व्यवसाय करती है, कम्पनी के व्यावसयिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेते हैं ? यदि हां, तो ऐसे निकाय/निकायों की संख्या बताएं ? [30% से कम 30-60%] 60% से अधिक;

कोई भी निकाय, जो कम्पनी के साथ व्यवसाय करते हैं, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेते हैं।

खण्ड घ: व्यावसायिक उत्तरदायित्व सूचना

1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

1.1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर: 01601682
- नाम: श्री ए बी एल श्रीवास्तव
- पदनाम: निदेशक (वित्त)

1.2. व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रमुख का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर: लागू नहीं
- नाम: श्री ए.के.सरकार
- पदनाम: कार्यपालक निदेशक (योजना)
- दूरभाष: 0129-2271425
- ईमेलआइडी: aksarkar@nhpc.nic.in

2. सिद्धान्तवार (एनवीजी के अनुसार) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियां:-

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपके पास के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हित धारकों के साथ परामर्श करके नीतियां बनाई जाती हैं ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं ? यदि हां, तो स्पष्ट करें ? (नीतियां आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 जैसे अन्तरराष्ट्रीय मानकों की भावना के अनुरूप के अलावा, एमवीजी दिशानिर्देशों पर आधारित होती है)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4	क्या बोर्ड द्वारा यह नीति अनुमोदित की गई है ? यदि हां,	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या कम्पनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशकों/अधिकारियों की एक निर्दिष्ट समिति होती है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	ऑन-लाइन देखने के लिए नीति हेतु लिंक दर्शाएं ?*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति को सम्बद्ध आन्तरिक और बाह्य हितधारकों को संप्रेषित किया जाता है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक ढांचा है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों से सम्बद्ध हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से सम्बद्ध कोई शिकायत निवारण तन्त्र है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कम्पनी ने आन्तरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्याकरण का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

* सीएसआर नीति www.nhpcindia.com/csr-policy.htm पर उपलब्ध है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति: www.nhpcindia.com/r-andr-policy.htm पर उपलब्ध है। धोखाधड़ी नीति, कार्पोरेट शासन अनुपालन तथा व्यावसायिक सौदा प्रतिबंध संबंधी नीति www.nhpcindia.com/corporate-govrnance.htm पर उपलब्ध है। व्यवसाय आचरण संहिता तथा आचार, व्हिसल ब्लोवर नीति, सत्यनिष्ठा करार, समुचित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र और एनएचपीसी आचरण एवं, अनुशासन तथा अपील नियम कम्पनी के इंटरनेट पर उपलब्ध है ।

2क. यदि किसी सिद्धान्त पर क्रम संख्या 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है।

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कम्पनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2	ऐसा कोई भी चरण नहीं है, जहां कम्पनी स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति में ना हो।									
3	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति के संसाधन नहीं है।									
4	अगले 6 महीने के भीतर ऐसा करने की योजना है।									
5	अगले 1 महीने में भीतर ऐसा करने की योजना है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. **व्यावसायिक उत्तरदायित्व से सम्बद्ध शासन**

- **निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कितने अन्तराल के बाद कम्पनी के व्यावसायिक कार्य निष्पादन का आकलन करना होता है।**

  कम्पनी के व्यावसायिक कार्य-निष्पादन का आकलन वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष किया जायेगा।

- **क्या कम्पनी व्यावसायिक उत्तरदायित्व या प्रतिधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है । इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है । यह कितने समय बाद प्रकाशित की जाती है ?**

  यह दूसरी व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट है । पिछले वर्ष की भांति आगे से यह प्रतिवर्ष प्रकाशित की जायेगी और वार्षिक प्रतिवेदन का भाग होगी। इस रिपोर्ट को एनएचपीसी की वेबसाइट **http://www.nhpcindia.com/annual-report.htm** पर उपलब्ध है।

खण्ड ड: सिद्धान्त-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धान्त 1

1. **क्या आचार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कम्पनी को ही कवर करती हैं? हां/नहीं, क्या इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू किया जाता है ?**

   कम्पनी कार्पोरेट शासन को अच्छे प्रबंधन का अटूट हिस्सा मानती है । कम्पनी का व्यावसायिक आचरण आचार संहिता है जो इसके बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है । इसके अलावा, कम्पनी के पास या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी संबंधी नीति है, व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनाई गई है । इसके अलावा, कम्पनी ने 15 करोड़ या इससे अधिक के मूल्य के सभी प्रापण कार्यों तथा 25 लाख या इससे अधिक मूल्य के माल या सेवाओं के प्रापण के लिए सत्यनिष्ठा नीति कार्यान्वित की है । इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के पास अनैतिक व्यवहार की स्थिति में बोलीदाताओं (अर्थात् समूह, संयुक्त उद्यम, आपूर्तिकर्त्ता/ठेकेदार) के साथ व्यावसायिक लेन-देन बन्द करने के लिए नीति तथा प्रक्रिया भी है।

2. **विगत वित्तीय वर्ष में हित धारकों से कितनी शिकायतें मिली तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ?**

   हमें वर्ष 2013-14 के दौरान कार्पोरेट शासन मानकों तथा व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कुछ हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

   की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

विवरण	1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2013-14 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2014 को लंबित
शेयरधारक				
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	162	162	0
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	0	2272	2272	0
सेबी शिकायतें	7	68	73	2
स्टॉक एक्सचेंज शिकायते	0	9	9	0
उपभोक्ता फोरम/ अदालती मामले	2	0	0	2
आपूर्तिकर्ता				
आपूर्तिकर्ता धोखाधड़ी	1	1	1	1

   कम्पनी के समक्ष 2013-14 में, अपनी व्हिसल ब्लोअर नीति के अन्तर्गत कोई शिकायत नहीं आई है।

   धोखाधड़ी नीति के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 प्राप्त एक शिकायत का समाधान कर लिया गया है और आपूर्तिकर्ता को 5 वर्षों के लिए ब्लॅक लिस्टिड कर दिया गया है। वर्ष 2013-14 में प्राप्त शिकायत पर जांच प्रगति पर है और जांच पूरी होने के बाद समुचित कार्यवाही की जायेगी।

सिद्धान्त 2

1. **अपने तीन उत्पादों या सेवाओं को बताएं जिनके डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताएं, खतरे और/अवसर पैदा हुए हैं।**

   जलविद्युत उत्पादन।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री इत्यादि) संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें।**

   जल के गैर-उपभोग उपयोग द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन होता है इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जल विद्युत अक्षय ऊर्जा का स्रोत है।

3. क्या कम्पनी के पास सतत स्रोत (वाहन सहित) की प्रक्रिया है ? यदि हां, तो आपके आदानों का कितना प्रतिशत सतत रूप से स्रोत किया गया ? लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में ब्यौरा भी प्रस्तुत करें।

कम्पनी अपने विक्रेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है और उन्हें अपनी वृद्धि में शामिल करती है। कम्पनी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन में शामिल करती है। कम्पनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) का अनुपालन करती है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की आईसीबी प्रक्रियाओं, सीवीसी दिशानिर्देशों तथा सुरक्षित कार्य दशाओं, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर्यावरणीय नीतियों इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य विक्रेता व्यवहारों की तरह जांच की जाती है। कम्पनी के अधिकारी पारदर्शी तरीके से सभी एजेंसियों/एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित आधार पर परामर्श करते हैं।

तथापि, कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं से लिए गए कुल आदानों के प्रतिशत का पता लगाना कठिन है।

4. क्या कम्पनी ने अपने कार्यस्थल के आस-पास समुदायों सहित स्थानीय तथा लघु उत्पादकों से माल और सेवाओं की अधि प्राप्ति के लिए कोई कदम उठाए हैं ? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल विद्युत उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में ऐसे जल का उपयोग होता है जो पीने योग्य न हो। किन्तु वाहन किराये पर लेने, सामग्री की हैंडलिंग, हाउसकीपिंग, अपशिष्ट हैंडलिंग तथा बागवानी के लिए परियोजना के आस-पास स्थानीय लोगों के साथ अनुबंध किए गए हैं। इन अनुबंधों से परियोजना स्थल के आस-पास उद्यम विकास हुआ है और स्थानीय जनता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

5. क्या कम्पनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुर्नचक्रण का तन्त्र उपलब्ध है ? यदि हां, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है (अलग-अलग <5%, 5-10%, >10%)।

जल विद्युत उत्पादन से कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है और उपभोग वाले पानी द्वारा उत्पादित जलविद्युत संयंत्रों का उत्पाद बिजली है। इसके अलावा, परियोजनाओं हेतु सुरक्षित तथा टिकाऊ ढांचों के लिए सुदृढ़ और ईष्टतम डिजाइन से संबंधित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

सिद्धान्त 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।
2. कृपया अस्थाई/संविदात्मक/नैमित्तिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।
3. कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बतायें।
4. कृपया स्थाई निःशक्त कर्मचारियों की संख्या बतायें।
5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है ?
6. स्थाई कर्मचारी का कितना प्रतिशत आपके इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं ?
7. कृपया यह बतायें कि वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें कीं और वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी शिकायतें लंबित थीं ?
8. निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?

1.	कर्मचारियों की कुल संख्या	9,838 (31.03.2014 के अनुसार)
2.	अस्थाई/संविदात्मक/वैमित्तिक आधार पर लिए गये कर्मचारियों की कुल संख्या	एनएचपीसी प्रत्यक्ष रूप से संविदा पर कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है।
3.	स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या	947 (31.03.2014 के अनुसार)
4.	कुल निःशक्त कर्मचारियों की संख्या	83 (31.03.2014 के अनुसार)
5.	कर्मचारी संघ	कार्पोरेट से किसी एसोसिएशन या संघ को औपचारिक रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
6.	कर्मचारी संघ में स्थाई कर्मचारियों की सदस्यता का प्रतिशत	लागू नहीं
7.	वर्ष 2013-14 में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम से संबंधित शिकायतों तथा 2013-14 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई भी शिकायत न तो प्राप्त हुई और न लम्बित है।
	2013-14 में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2013-14 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	दर्ज शिकायतः 0 लम्बित शिकायतः 0
	2013-14 में विभेदकारी रोजगार से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2013-14 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है

8.	उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया (संबंधित प्रत्येक श्रेणी में कुल प्रतिशत के रूप में) (2013-14)	
	स्थाई कर्मचारी	35.88%
	स्थाई महिला कर्मचारी	28.63%
	अस्थाई /संविदात्मक/नैमित्तिक	लागू नहीं
	नि:शक्त कर्मचारी	29.68%

सिद्धान्त 4

1. क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य हितधारकों का चित्रण किया है ? हां/नहीं।

हां, हमने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों सहित बाह्य हितधारकों का चित्रण तथा पहचान की है। हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय, समुदाय, आपूर्तिकर्त्ता एवं संविदाकार, निवेशक और शेयर होल्डर, सरकार तथा विनियामक और समकक्ष व्यक्ति तथा उद्योग पारिस्थितिकी प्रणाली शामिल हैं।

2. उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों की पहचान की है ?

हमारे वंचित तथा सुभेद्य हितधारकों में नि:शक्त कर्मचारी, लड़कियां/महिलाएं अजा/अजजा समुदाय और ग्रामीण/परियोजनाओं के आस-पास परियोजना विस्थापित समुदाय शामिल हैं।

3. क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों से सम्पर्क करने के लिए कोई विशेष पहल की है ? यदि हां, तो लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में इसका ब्यौरा दें ?

- नि:शक्त कर्मचारी कम्पनी का प्रयास एनएचपीसी को ऐसा कार्यस्थल बनाने का प्रयास है जो नि:शक्त कर्मचारियों और विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारियों के अनुकूल हो। इसका उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई प्रतियोगिताओं, मंचों तथा प्रशिक्षा के अध्ययन से उनमें आत्म विश्वास जगाना है।
- बालिका/महिला और अजा/अजजा समुदाय कम्पनी परियोजनाओं के स्थल में शिक्षा के लिए अजा/अजजा और छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम चलाती है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके और कोचिंग केन्द्र स्थापित करके स्थानीय समुदायों के प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का कार्य करती है। कम्पनी ग्रामीण युवकों/महिलाओं की नियोजनीयता को बढ़ाने तथा उनकी उद्यमशीलता के विकास के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- ग्रामीण/परियोजना विस्थापित समुदाय कम्पनी निर्माण कार्यों के लिए तथा उपयुक्त सीमा तक समुचित अर्हताप्राप्त और अनुभवी कर्मचारियों और श्रमिकों को नियोजित करने की सलाह देती है। निविदा के लिए श्रमिक केवल स्थानीय क्षेत्र से ही भर्ती किए जायें। इसके अतिरिक्त, सिविल निर्माण कार्यों और सेवा संविदाओं संबंधी संविदा पुस्तिका में एनएचपीसी में श्रेणी 'घ' और 'ङ' के रूप में पंजीकरण हेतु परियोजना प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों में छूट देने का प्रावधान है।

सिद्धान्त 5

1. क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी पर ही लागू होती है या यह नीति समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?

कम्पनी एसए 8000 मानकों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेवार तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान में ''एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियम'' केवल कर्मचारियों पर लागू होते हैं, हालांकि हम अपने हित धारकों से आशा करते हैं कि वे उसमें अंतर्निहित मानकों का पालन करेंगे तथा उन्हें बनाए रखेंगे। एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपीन नियमड किसी कर्मचारी के अधिकार या विशेषाधिकार के तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियम से, या सेवा की शर्तों और निबंधनों द्वारा या ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के बीच हुए किसी समझौते से संरक्षण के लिए है।

2. गत वित्तीय वर्ष में हित धारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया ?

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार हैं:

01.04.2013 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2013-14 के दौरान समाधान	31.03.2014 को अंतिम शेष
3	24	26	1

सिद्धान्त 6

1. **क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति कम्पनी पर ही लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?**

   एनएचपीसी के पास समन्वित प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र है जो अपने कार्पोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं/बिजली घरों केलिए गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली को कवर करता है।

2. **क्या कम्पनी के पास जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियां/पहलें हैं ?**

   हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें। हां, कम्पनी जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है, जोकि स्वच्छ बिजली है तथा विद्युत उत्पादन के अन्य पारम्परिक पद्धतियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है। यह जहां कहीं ऊर्जा की कमी हो तथा अधिकतम मांग को पूरा करना उसके लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाती है।

   इसके अलावा, एनएचपीसी समन्वित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणीकृत कम्पनी है, जो एनएचपीसी कार्पोरेट कार्यालय के लिए पीएएस 99:2006 के अनुसार, अन्तरराष्ट्रीय मानकों आईएसको 9001:2000 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2004(पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा आकलन श्रंखला) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। आईएनएस प्रमाणीकरण पर्यावरण अनुकूल तरीके के विकास हेतु किये जाने वाले प्रयासों के लिए सचमुच में अन्तरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है। एनएचपीसी द्वारा अपनाई गई पर्यावरणीय नीति का उद्देश्य जल विद्युत क्षेत्र में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समाधान करना, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखना और इसमें निरन्तर सुधार लाना है।

   पर्यावरण प्रबंध के क्षेत्र में एनएचपीसी के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है:

   i. कैंचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी)
   ii. प्रतिपूरक वन रोपण/स्वैच्छिक वन रोपण
   iii. हरित मेल विकास व लैंडस्केपिंग
   iv. जलाशय रिम शोधन
   v. मक डम्पिंग और खान स्थलों को पुनर्जीवित करना
   vi. जैव विविधता संरक्षण
   vii. मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन
   viii. निर्माण उपरान्त मूल्यांकन प्रभाव

   इन प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा http://www.nhpcindia.com/key-areas.htm पर उपलब्ध है।

3. **क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान और उनका आकलन करती है ? हां/नहीं।**

   हां, एनएचपीसी जलविद्युत के सतत् उत्पादन के प्रति प्रतिबद्ध है। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन पर्यावरण पर संभावित प्रभाव (सकारात्मक और नकारात्मक) की पहचान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निष्कर्षों पर आधारित, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का प्रस्ताव किया जाता है और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना निर्माण के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

4. **क्या कम्पनी के पास स्वच्छ विकास तन्त्र से सम्बद्ध कोई परियोजना है ? यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालना रिपोर्ट दाखिल की गई है ?**

   हां, मार्च, 2009 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) की स्वच्छ विकास तन्त्र कार्यकारी बोर्ड द्वारा एसीएम0002 पद्धतिः नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन हेतु समेकित प्रक्रियाविधि के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित निम्मो बाजगो और चुटक नामक एनएचपीसी की दो जल विद्युत परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं। अभी तक ये परियोजनाएं नार्दर्न ग्रिड से जोड़ी नहीं गई है, जैसा कि मूल रूप से प्रस्ताव था, और क्षेत्र में स्थानीय रूप से बिजली की आपूर्ति कर रही है। इस परिवर्तन के कारण परियोजनाएं एसीएम0002 के लागू होने की शर्तों का पालन नहीं करती और इस प्रकार यूएनएफसीसीसी के विद्यमान पंजीकरणों के अंतर्गत कोई सीईआर उत्पन्न नहीं करेगी। उपरोक्त परिवर्तनों को समाविष्ट करने के लिए प्रक्रियाविधि एएम0103: आइसोलेशन ग्रिडों में नवीकरणीय विद्युत उत्पादन के अन्तर्गत परियोजनाओं के पुनः पंजीकरण के लिए प्रयास जारी है।

   आज की तारीख तक पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

5. **क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहलें की हैं। हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।**

   जलविद्युत उत्पादन अपने आप में एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल है। किन्तु, कम्पनी ने सौर ऊर्जा के संबंध में अतिरिक्त पहलें की हैं। ऐसी पहलों की विस्तृत सूची http://www.nhpcindia.com/renewable-energy-sources.htm पर उपलब्ध है।

6. **सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कम्पनी द्वारा उत्सर्जन/निकले अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है ?**

   हां, जलविद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के दौरान ठोस अपशिष्ट, तरल बहिस्राव या गैसों का उत्सर्जन नहीं हुआ, इसके अलावा, जलविद्युत उत्पादन के समय पानी में कोई सन्दूषण नहीं हुआ। तथापि, विद्युत उत्पादन के बाद, नदी जल की गुणवत्ता मेंकिसी भी प्रकार के परिवर्तन के आकलन केलिए नदी जल की गुणवत्ता का निरन्तर विश्लेषण किया जाता है। इन्हें सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गईअनुमेय सीमा के भीतर पाया गया है।

7. **सीपीसीबी/एसपीसीबी से वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त हुए, जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया)।**

   वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत में ऐसे कोई नोटिस लंबित नहीं थे।

सिद्धान्त 7

1. **क्या आपकी कम्पनी किसी व्यापार, मंडल या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हां, तो केवल उन बड़ों का नाम बताएं जो आपके साथ व्यवसाय करते हैं।**

   एनएचपीसी लोक उद्यम के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) का सदस्य है। स्कोप का मूल उद्देश्य 'सरकारी क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहित योगदान के बारे में जनता की बेहतर समझदारी' को बढ़ाना है।

2. **क्या आपने उन्नति या जनता की बेहतरी की वकालत की है/उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से लाबिंग की है ? हां/नहीं, यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों को स्पष्ट करें (ड्राप बाक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धान्त, अन्य)**

   हम जनता की बेहतरी के लिए शासन व प्रशासन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

सिद्धान्त 8

1. **क्या कम्पनी के पास सिद्धान्त 8 से सम्बद्ध नीति को आगे बढ़ाने में कोई कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।**

   हां, 1 अप्रैल, 2013 से कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और चिरकालिकता संबंधी सरकारी उद्यम विभान के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएचपीसी को सीएसआर और सतत विकास परियोजनाओं पर पीएटी का 1 प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता है। एनएचपीसी ने डीईपी के दिशानिर्देशों की तरह ही सीएसआर संबंधी ढांचागत योजना 2010-11 में अपनाई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, सीएसआर कार्यकलापों पर 3,187.97 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

   एनएचपीसी के कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा चिरकालिक पहलों में ध्यान वंचित, सुभेद्य और उपेक्षित हितधारकों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों में परियोजना क्षेत्रों में और उसके आस-पास केन्द्रित किया गया है। एनएचपीसी समावेशी वृद्धि और साम्य विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, आस-पास के क्षेत्र के विकास, स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण, कौशल विकास आदि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक विकास की कई पहलें करता है।

   इसके अलावा, सीएसआर और दीर्घकालिक गतिविधियों के लिए वार्षिक बजट का यह 5 प्रतिशत आपातकालीन आवश्यकताओं, जिसमें (क) प्राकृतिक आपदाओं/त्रासदियों के दौरान शुरूकिये जाने वाले राहत कार्य, और (ख) प्रधान मंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोष और/या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अंशदान शामिल है, के लिए रखा गया है।

2. **क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आन्तरिक दल/अपने प्रतिस्थान/बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी संस्थाओं/या अन्य संगठनों के माध्यम से चलाये जाते हैं ?**

   कम्पनी की अधिकांश सीएसआर परियोजनाएं आंतरिक दलों के माध्यम से, कुछ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी तथा सरकारी संस्थाओं/स्थानीय निकायों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाती है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है ?**

   हमारी सीएसआर पहल संबंधी प्रभाव आकलन आज की तारीख तक नहीं किया गया है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपके कम्पनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है - धनराशि भारतीय रुपये में और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा ?**

परियोजना	वर्ष 2013-134 के लिए धनराशि (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)
स्वास्थ्य देखभाल	284.59 लाख
शिक्षा	1,534.90 लाख
ग्रामीण विकास - सामाजिक और भौतिक अवसंरचना विकास	916.05 लाख
खेलकूद, कला एवं संस्कृति/अन्य पहलें	317.28 लाख
पर्यावरण और धारणीयता	135.15 लाख
कुल व्यय	**3,187.97 लाख**

एनएचपीसी द्वारा शुरूकी गई सीएसआर परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. शिक्षा
   - क. ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम को सुकर बनाना, स्थानीय समुदाय के लिए कोचिंग केन्द्र खोलना तथा प्रशिक्षण सहायता प्रदान की गई।
   - ख. व्यवहारात्मक विकास पर विशेष बल देते हुए प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारा गया।
   - ग. ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार परक बनाने तथा उनमें उद्यमशीलता के विकास के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया।
   - घ. शिक्षा के लिए अजा/अजजा छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई।
   - ड. शिक्षा के लिए छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई।
2. स्वास्थ्य देखरेख
   - क. नई डिस्पेसरियां खोलकर/दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूदा डिस्पेंसरियों का उन्नयन करके समुदायों के समग्र स्वास्थ्य दशाओं में सुधार लाने के लिए सहायता दी गई।
   - ख. एनएचपीसी के दूरस्थ स्थानों में ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए मातृत्व केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन।
   - ग. ग्रामीण नागरिकों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किये।
   - घ. बच्चों में कुपोषण तथा उनके खराब स्वास्थ्य के संबंध में माता-पिता के लिए जागरूकता कार्यक्रम और कुपोषण से पीड़ित बच्चोंके लिए विटामिन और टैबलेट का निःशुल्क वितरण की व्यवस्था।
3. ग्रामीण विकास - समाजिक और भौतिक अवसंरचना विकास
   - क. गांवों में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार के लिए अवसंरचना और समुदाय विकास निर्माण कार्य किए।
   - ख. महिलाओं के लिए शौचालयों के प्रावधान पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना के माध्यम से गांवों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार।
   - ग. कृषि उत्पादों, उदाहरणार्थ फलों, सब्जियों आदि को सुरक्षित रखने के लिए शीतागारों की स्थापना हेतु सरकारी उपक्रमों की पहलों के साथ कार्यवाही/सहयोजन करना।
4. खेलकूद, कला एवं संस्कृति/अन्य पहलें
   - क. कृषि उत्पादकता आदि बढ़ाने के लिए किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण सहायता दी गई।
   - ख. स्थानीय उत्सवों आदि को प्रयोजित करके ग्रामीण खेलों/स्थानीय संस्कृति देते हेतु कार्यक्रम आयोजित किये गये।
5. पर्यावरण और धारणीयता
   - क. स्वैच्छिक वनीकरण और पौधों को लगाना
   - ख. वर्षा जल संचयन
   - ग. सौर स्ट्रीट लाइट और सौर लैन्टर्न का वितरण
   - घ. जम्मू एवं कश्मीर में कूल (सिंचाई चैनल) का नवीकरण कृषि उत्पादकता

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया 50 शब्दों या इसके आसपास उत्तर दें।

हां, कम्पनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि हमारी सामुदायिक पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाये, यद्यपि क्रियान्वयन के प्रारंभिक चरणों में थोड़ा सहारा चाहिए होता है। विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं में और इनके आस-पास स्थानीय आवश्यकताओं का उचित आकलन कम्पनी के अनुभवी आन्तरिक दल द्वारा किया जाता है। सामुदायिक विकास पहलें करने से पूर्व हमारी आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण का समुचित विश्लेषण किया जाता है। क्रियान्वयन के दौरान उचित अंतराल पर प्रबोधन और मेंटरिंग की जाती है। हमारी सामुदायिक पहलों की निगरानी तथा मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसियों/विशेषज्ञों/स्थानीय निकायों/स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है। हमारी पहलों के संबंध में और आगे जानकारी भावी योजना प्रयोजनो हेतु लाभग्राहियों तथा मीडिया स्त्रोतों के माध्यम से भी एकत्रित की जाती हैं।

सिद्धान्त 9

1. **वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लम्बित है।**

   वित्तीय वर्ष 2012-13 दौरान दायर ग्राहक/उपभोक्ता शिकायतों का कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

2. **क्या कम्पनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है ? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)**

   लागू नहीं।

3. **क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी हित धारक ने अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक लम्बित है ?**

   किसी हितधारक ने ऐसा कोई मामला दायर नहीं किया है।

4. **क्या आपकी कम्पनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता सन्तुष्टि प्रवृत्तियों का अध्ययन कराया था ?**

   एनएचपीसी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए वार्षिक ग्राहक बैठकों का आयोजन करता है। अंतिम ग्राहक बैठक 22.03.2014 से 23.03.2014 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें उत्तरी, पूर्वी, पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्यों से ग्राहकों (लाभग्राहियों) ने भाग लिया। परस्पर चर्चा के अतिरिक्त वार्षिक कार्य-निष्पादन/द्विपक्षीय मुद्दों पर लाभग्राहियों से ग्राहक फीडबैक भी लिया जाता है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00171920

तारीख: 14 अगस्त, 2014
स्थान: नई दिल्ली

एनएचपीसी में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीय विकास (एसडी)

अनुबंध VII

प्रस्तावना

एनएचपीसी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति अपनी सतत प्रतिबद्धता दर्शायी है और अपने प्रचालन के क्षेत्र के आस-पास में विभिन्न सामुदायिक विकास पहलों को कर रही है। 12 अप्रैल, 2013 को डीपीई के संशोधित दिशानिदेशों के जारी होने के साथ धारीणीयता क्रियाकलापों का सीएसआर के साथ विलय कर दिया गया था।

सीएसआर एवं एसडी नीति

एनएचपीसी की सीएसआर एवं धारणीयता नीति का उददेश्य दीर्घावधि पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक विकास को सुकर बनाना है।

नीति का बल दिया जाने वाला क्षेत्र दो स्तरीय है:

(क) संगठनात्मक एकता तथा नैतिकतापूर्ण व्यवहार के उच्च स्तरों को बनाए रखते हुए सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके से व्यापार का संचालन, हमारे क्रियाकलापों के सषी क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन की रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण में पारदर्शिता के अपेक्षित स्तरों के अनुरूप, कर्मचारियों के कल्याण हेतु चिन्ता दर्शाते हुए, प्रचालनात्मक पद्धतियों तथा प्रबंधन व्यवहारों को अपनाना। इससे सभी हितधारकों के भरोसे एवं विश्वास को जीतने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय धारणीयता को बढावा मिलेगा।

(ख) एनएचपीसी के प्रचालनों तथा क्रियाकलापों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से सीधे प्रभावित स्टेक होल्डर्स की चिन्ताओं पर ध्यान देना। .

उद्देश्य:

- प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाविधियों में पारदर्शिता के माध्यम से संगठनात्मक एकता और नैतिकतापूर्ण व्यापार व्यवहारों को बढ़ावा देना।
- ऐसी हरित प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं तथा मानकों को अपनाना जो सामाजिक तथा पर्यावरणीय धारणीयता में योगदान देते हों।
- क्षमता निर्माण उपायों, सीमांत तथा वंचित तबकों / समुदायों के सशक्तिकरण के माध्यम से समावेशी वृद्धि और साम्य विकास में योगदान देना।
- सुरक्षा, रक्षा, व्यावसायिक समृद्धि और स्वस्थकर कार्य करने की स्थितियों की उनकी चिन्ताओं पर ध्यान देते हुए कर्मचारियों तथा श्रमिकों (आकस्मिक/संविदात्मक) के कल्याण को बढावा देना।

कार्यक्षेत्र:

- एनएचपीसी परियोजना के निकट योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी। सीएसआर/धारणीयता के अंतर्गत चुनी गई योजना/क्रियाकलाप से मूलत: हितधारक को लाभ मिलना चाहिए।
- एनएचपीसी के पास सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं की पहचान तथा चयन, क्रियान्वयन में मार्गदर्शन, योजनाओं/क्रियाकलापों के प्रबोधन तथा समीक्षा हेतु निगमित स्तर तथा एनएचपीसी की परियोजनाओं/फील्ड यूनिटों दोनों पर एक उचित संगठनात्मक ढांचा होगा।
- एनएचपीसी निगम की सीएसआर तथा धारणीयता नीतियों के संबंध में अपने कर्मचारियों के सुग्राहीकरण तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने और पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक विकास और नैतिकतापूर्ण व्यापार व्यवहारों को अपनाने की आवश्यकता के प्रति वांछित मनोवृत्ति परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
- एनएचपीसी ऐसी योजनाओं/क्रियाकलापों को प्रारंभ करेगी जिनके समाज को दृश्य सामाजिक, आर्थिक अथवा पर्यावरणीय लाभ होते हों।

क्रियान्वयन हेतु प्रबंधन ढांचा:

सीएसआर तथा धारणीयता हेतु प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार है:

- विभिन्न सीएसआर तथा धारणीयता पहलुओं के बजट आबंटन, प्रगति की समीक्षा और मार्गदर्शन हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा किसी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय समिति।
- अधिमानत: कार्यपालक निदेशक स्तर का नोडल अधिकारी जिसकी सहायता के लिए एक टीम होगी, जो सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों की पहचान तथा चयन का समन्वय करेगा और उक्त के क्रियान्वयन की प्रगति पर एक प्रभावी निगरानी भी रखेगा।
- सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों आदि की पहचान, क्रियान्वयन तथा प्रबोधन हेतु क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/परियोजना प्रमुख/यूनिट प्रमुख तथा उनकी टीम।

एनएचपीसी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति पर और ब्यौरों हेतु एनएचपीसी की वेबसाइट निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:
http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/csr_sust_policy.pdf

सीएसआर के अंतर्गत कवर की गई परियोजनाएं:

चूंकि एनएचपीसी के विद्युत स्टेशन/परियोजनाएं समूचे भारत में भिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अवस्थित हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की पहचान और निरूपण किसी स्थल विशेष की अपेक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इस आश्य से क्रियाकलापों के व्यापक क्षेत्र की पहचान की गई है जिसे विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं में तथा उसके आस-पास काफी हद तक प्रारंभ किया गया है। इन क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है:

I. शिक्षा:

शिक्षा प्रदान करने, विशेषकर गरीब तथा वंचित महिलाओं को, के मामलो में एनएचपीसी अग्रणी है। विभिन्न परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)/व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम/उत्कृष्टता योजना केन्द्र (सीओई) के माध्यम से कुल 13 आईटीआई को अपनाया गया है (जम्मू एवं कश्मीर में 7, उत्तराखंड में 4 और अरूणाचल प्रदेश में 2)। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी परियोजना/विद्युत स्टेशन/टाउनशिप के आस-पास के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बालिकाओं की एक बड़ी संख्या को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

II. स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है जिसे आपकी कंपनी अत्यधिक गम्भीरतापूर्वक लेती है। एनएचपीसी ने परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में कई चिकित्सा शिविर आयोजित किए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवा वितरित करती है।

महिलाओं तथा बच्चों को ध्यान में रखते हुए एनएचपीसी आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान देते हुए आधारभूत ढांचे का निर्माण करती है जिसका विस्तार महिलाओं हेतु किया जाता हे जिसमे एनएचपीसी परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों के आस-पास स्कूल, स्वच्छता, मातृत्व केन्द्र मुहैया करवाना शामिल है। इन कदमों से संबंधित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।

III. ग्रामीण विकास:

क्षेत्र विद्युतीकरण, सामुदायिक केन्द्र, पंचायतघर, पानी की नालियां, सड़कें आदि जैसे विभिन्न आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विस्तार हेतु विभिन्न परिधीय विकास कार्यों को संबंधित सरकारी एजेंसियों तथा स्थानीय समुदाय के साथ स्थानीय लोगों की आवश्यकता तथा अपेक्षा के अनुसार करवाया गया है। ऐसे स्कूलों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिकता दी जाती है जो प्रचालन तो कर रहे हैं परन्तु जिनमें भवन, उपकरण आदि की सुविधाएं नही हैं।

IV. अन्य:

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण खेलकूदों तथा कला और संस्कृति को कार्यक्रम प्रायोजित करके (प्रशिक्षण शिविरों/टूर्नामेंटों/सांस्कृतिक कार्यक्रमों/मेले आदि के आयोजन द्वारा)और ग्रामीण क्लबों तथा संस्थाओं को खेलकूद की किट तथा उपकरण मुहैया करवाकर बढ़ावा दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने प्राकृतिक आपदा के पश्चात उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण के प्रति योगदान दिया है और राहत तथा पुनर्वास उपायों से संबंधित कार्यो को भी किया गया था।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान सीएसआर और एसडी पर किया गया क्षेत्र-वार व्यय निम्नानुसार है:

- शिक्षा : 1,534.90 लाख रूपए
- स्वास्थ्य देखभाल : 284.59 लाख रूपए
- ग्रामीण विकास : 916.05 लाख रूपए
- पर्यावरण और धारणीयता : 135.15 लाख रूपए
- सीएसआर क्षमता निर्माण और अन्य क्रियाकलाप, खेलकूद, कला एवं संस्कृति आदि : 317.28 लाख रूपए

कुल : 3,187.97 लाख रूपए

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00171920

तारीख: 14 अगस्त, 2014
स्थान: नई दिल्ली

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जम्मू व कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित चुटक पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करने के दौरान जनता को बधाई देते हुए ।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जम्मू व कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित एनएचपीसी के उड़ी-II पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करने के दौरान, सभा को संबोधित करते हुए ।

एनएचपीसी लिमिटेड

वार्षिक लेखे

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अनुबंध - VIII

सेवा में
सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड

लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट हमने एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2014 के अनुसार तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है, पर दिनांक 30 मई, 2014 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। इन वित्तीय विवरणों को सदस्यों के समक्ष परिचालित किए जाने से पूर्व 7 जुलाई, 2014 को निदेशक मंडल द्वारा संशोधित किया गया था। हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 28 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो 332.12 करोड़ रूपये की राशि के प्रस्तावित लाभांश की घोषणा और उस पर 56.44 करोड़ रूपये की राशि के लाभांश वितरण पर कर के कारण वित्तीय विवरणों में संशोधन में परिणत हुआ। बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधि केवल वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 28 में संदर्भित किए अनुसार वित्तीय विवरणों के संशोधन तक ही सीमित है। हम लेखे के संशोधित वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट निम्नानुसार सूचित करते हैं: हमने एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के 31 मार्च, 2014 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार एवं अन्य विवरणात्मक जानकारी की लेखा-परीक्षा की है। **वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व** इन वित्तीय विवरण को इस प्रकार से तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का हैं ताकि वे कंपनी अधिनियम, 1956 (''अधिनियम'') की धारा 211 की उप-धारा (3सी), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पढ़ा जाता है, में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन तथा नकदी प्रवाह का एक सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करें। इस उत्तरदायित्व में ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उचित रूप से प्रस्तुत करने से संगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल होता है जो महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हो, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के। **लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व** हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षण की योजना तथा निष्पादन इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, परंतु वह कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर मत व्यक्त करने के प्रयोजन हेतु ऐसा नहीं करता। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराती है।	

मत हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं: (क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 को कंपनी की स्थिति का;; (ख) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का; और (ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।	
मामले का महत्वपूर्ण क्षेत्र हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:	
(क) वित्तीय विवरणों के पैरा 1 की टिप्पणी संख्या 7 जो फरवरी तथा मार्च, 2014 माह में आहरित अधिक वेतन की वापसी के संबंध में है जिसे बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों से वसूल किया जाना है जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी के इस आशय के अनुमोदन को प्रभावी किया जाएगा कि वेतनमान 1.1.1997 से निर्धारित वेतनमानों में कमियों को ठीक करने के पश्चात 1.1.2007 से निर्धारित किए जाएं। 1.2.2014 से वसूली प्रभावी करने के सक्षम प्राधिकारी के निदेशों को क्रियान्वित करने की कार्रवाई की पुष्टि विद्युत मंत्रालय के पास लम्बित है।	1.2.2014 से वसूली को प्रभावी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के निदेशों के क्रियान्वयन की कार्रवाई की पुष्टि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्रार्थित है। इसी बीच एनएचपीसी अधिकारी एसोसिएशन ने वैयक्तिक वेतन समायोजन (पीए) वसूली को रोकने के क्रियान्वयन के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर कर्मचारियों को वेतन के साथ पीए का भुगतान जारी है।
(ख) वित्तीय विवरण के पैरा 2 की टिप्पणी संख्या 11, जिसे टिप्पणी संख्या 29 पैरा 9 तथा 14 के साथ पढ़ा जाता है, जो सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में होनेवाली अनिश्चितताओं का वर्णन करती है। ऐसी परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण हेतु किए गए व्यय को अग्रेनीत किया जा रहा है क्योंकि ये परियोजनाएं अन्वेषण के अधीन है/इनके लिए विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृति/वित्तीय सहायता लंबित है।	प्रबंधन के मतानुसार, जिन परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय किया जा रहा है, वे अभी भी सक्रिय है, अतः सर्वेक्षण तथा अन्वेषण की लागत को अग्रेनीत किया जा रहा है। तथापि, प्रावधान जहां कहीं आवश्यक हो, बहियों में किया गया है।
(ग) वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 1, जो कंपनी द्वारा/इसके विरूद्ध संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। कुछ मामलों में अधिनिर्णय का निर्णय कंपनी के विपरीत हुआ है/निचली अदालतों में कंपनी हार गई है और मामले को उच्चतर अदालतों में उठा रही है। प्रबंधन कंपनी के विरूद्ध निर्णयों के संबंध में किसी संभावित बाह्य प्रवाह की परिकल्पना नही करता है सिवाए लेखा बहियों में पहले प्रावधान किए गए के। इन मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।	कंपनी को लेखांकन मानक 29 के पैरा 68 के अनुसार आकस्मिक देयता से संबंधित किसी बाह्यप्रवाह संबंधी अनिश्चितता को प्रकट करना अपेक्षित होता है, और इसलिए उक्त को प्रकट किया गया है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 227(4ए) की उप-धारा (4ए) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003, (''आदेश''), कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 द्वारा यथा संशोधित, की अपेक्षा के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।
2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम सूचित करते है कि:
   - क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;
   - ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;
   - ग. इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है;
   - घ. हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पढ़ा जाता है, में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है;
   - ङ. कंपनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 को जारी अधिसूचना संख्या एफ.न.8/5/2001-सीएल.वी के अंतर्गत अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप-धारा (1) के खंड (जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते;
   - च. चूंकि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत अदा किए जाने वाले उपकर की दर के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और न ही उसने उक्त धारा के अंतर्गत कोई नियम जारी किए है, जिसमें उक्त उपकर को अदा किए जाने का तरीका विहित किया गया हों, कंपनी द्वारा कोई उपकर देय नहीं है।.

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	कृते सिंघी एण्ड कंपनी	कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस	कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 302049ई	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 002870एन
(सीए भावना नंदा)	**(सीए बी.एल. छोरारिया)**	**(सीए राम कुमार गुप्ता)**	**(सीए देवेन्द्र मग्गू)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-095275	सदस्यता सं.-0022973	सदस्यता सं.-097382	सदस्यता सं.-085739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में ''अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना'' शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध

1. अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में:

   (क) कम्पनी ने सामान्यत: उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।

   (ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए इस सत्यापन की आवधिकता तर्कसंगत है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में लेखा बहियों की तुलना में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।

   (ग) वर्ष के दौरान अचल परिसम्पतित्यों का कोई महत्वपूर्ण निपटान नहीं किया गया है।

2. मालसूची के संदर्भ में:

   (क) वर्ष के दौरान मालसूची का प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृति तर्कसंगत है।

   (ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।

   (ग) हमारे मतानुसार कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में पाई जाने वाली विसंगति का लेखा बहियों में उचित निपटान किया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को मंजूर किए गए/को दिए/से लिए गए ऋण के संदर्भ में:

   (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।

   (ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ङ), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते है।

4. हमारे मतानुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय और विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। प्रणाली लेखापरीक्षा ने प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए सुधार सुझाए है।

5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, प्रतिष्ठानों या अन्य पक्षों के साथ लेन-देन के बारे में:

   (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी प्रविष्टि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में की जानी हो।

   (ख) उक्त उप-खंड (क) के मद्देनजर उप-खंड 4 (iii) (ख) लागू नहीं होता है।

6. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. अनुमोदित लेखा-परीक्षा योजना के अनुसार आवधिक अंतरालों पर मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों में विभिन्न अनुभागों की आंतरिक लेखा-परीक्षा को अंजाम देने के लिए कंपनी का एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है/बाहरी एजेंसियों को दायित्व सौंपा गया है। आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग और बाहरी एजेंसी द्वारा अपनायी गई आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है परंतु आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

8. कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में सामग्री, श्रम और स्वयं द्वारा व्यय की गई लागत से संबंधित वस्तुओं के बारे में समुचित लेखा-बहियां अनुरक्षित की हैं। तथापि, हमने सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन लेखा-बहियां का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

9. सांविधिक देयों के बारे में:

   (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताओं को सामान्यत: नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2014 को उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

   (ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए बिक्री कर, आय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर के देयों की राशि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

विधि	देय राशि की प्रकृति	राशि करोड़ रुपए में	जिस वर्ष से संबंधित है	जिस फोरम पर विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	0.07	नि.व. 2011-12	आईटीओ (टीडीएस), श्रीनगर
	आयकर	0.10	नि.व. 2008-09 और 2009-10	कोटली भेल 1-ए
	कुल	**0.17**		
विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	235.02	1994-95	बिक्री कर अधिकरण, श्रीनगर
	बिक्री कर	48.76	1995-96	बिक्री कर अधिकरण, श्रीनगर
	बिक्री कर	2.99	1996-97	बिक्री कर अधिकरण, श्रीनगर
	बिक्री कर	0.54	2008-09	एईटीसी, कुल्लू
		0.29	2009-10	
	प्रवेश कर	0.91	2013-14	निर्धारण अधिकारी, लखनपुर
	अचल संपत्ति कर	0.19	1991-92 to 2000-01	उपायुक्त, वाणिज्य कर (अपील)
	वैट	0.14	2006-07	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर, सिलीगुड़ी
		0.76	2007-08	
		0.43	2008-09	
		0.07	2009-10	
		0.15	2010-11	
	कुल	**290.25**		
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	0.06	1999-00	सीमा शुल्क विभाग, मुंबई
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	13.97	2010-11	वाणिज्य कर अधिकारी, फरीदाबाद
	सेवा कर	0.04	2005-06 to 2008-09	कोलकाता
	समग्र योग	**304.49**		

10. कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नही है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।
11. लेखापरीक्षा के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।
12. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर तथा ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यों को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।
13. हमारे मतानुसार कम्पनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए इस खंड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
14. हमारे मतानुसार कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसके मद्देनजर कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4(xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
15. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्यों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।
16. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया गया, जिनके लिए वे वसूल किए गये थे।
17. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, हमारी राय में अल्पावधि आधार पर ऐसी कोई निधि नहीं जुटाई गई, जिसका इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए किया गया हो।
18. कम्पनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आंवटन नहीं किया है।
19. कम्पनी ने वर्ष के दौरान जारी कर मुक्त बॉन्ड के संबंध में उचित प्रतिभूति सृजित की है।
20. कंपनी ने वर्ष के दौरान डिबेंचर की प्रकृति में कर मुक्त, प्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड जारी किए है और वित्तीय विवरण में उक्त के अंत उपयोग को प्रकट किया है तथा उक्त का उपयोग बताए गए प्रयोजन हेतु किया गया है।
21. भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षण व्यवहारों के अनुसार की गई कंपनी की बहियों तथा रिकार्डों की हमारी जांच के दौरान कंपनी द्वारा या इसके साथ धोखा-धड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी नहीं पाई गई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते सिंघी एण्ड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 302049ई	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 002870एन
(सीए भावना नंदा)	**(सीए बी.एल. छोरारिया)**	**(सीए राम कुमार गुप्ता)**	**(सीए देवेन्द्र मग्गू)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-095275	सदस्यता सं.-0022973	सदस्यता सं.-097382	सदस्यता सं.-085739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

31 मार्च, 2014 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	नोट सं.	31मार्च 2014 को	31मार्च 2013 को
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
(1)	**शेयरधारकों की निधि**			
	(क) शेयर पूंजी	2	11,070.67	12,300.74
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	14,996.98	15,539.76
(2)	**गैर-वर्तमान देयताएं**			
	(क) दीर्घावधि ऋण	4	18,580.52	17,417.52
	(ख) स्थगित कर देयता	5	766.67	460.69
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	1,605.81	1,705.69
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7	814.70	721.92
(3)	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) व्यापार प्राप्य	8	200.71	179.41
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	9	2,938.21	2,766.60
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	7	3,002.00	3,412.67
	कुल		**53,976.27**	**54,505.00**
II.	**आस्तियां**			
(1)	**गैर-वर्तमान आस्तिया**			
	(क) अचल आस्तियां			
	(1) गोचर आस्तियां	10.1	23,315.21	17,311.74
	(2) अगोचर आस्तियां	10.2	764.33	728.22
	(3) चालू पंजी कार्य	11	14,657.13	19,709.04
	(ख) गैर-वर्तमान निवेश	12	2,227.02	2,400.61
	(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	1,089.69	1,238.74
	(घ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	14	896.37	944.37
(2)	**चालू आस्तियां**			
	(क) वर्तमान निवेश	15	251.87	250.74
	(ख) मालसूची	16	72.29	57.07
	(क) व्यापार प्राप्य	17	1,863.77	2,049.05
	(घ) नकदी तथा बैंक शेष	18	5,303.83	5,616.01
	(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	13	2,093.55	2,099.56
	(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	19	1,441.21	2,099.85
	कुल		**53,976.27**	**54,505.00**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
	वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय	28		
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणिया	29		

टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**ए.बी.एल. श्रीवास्तव**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 01601682	डीआईएन 00171920

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते सिंघी एण्ड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 302049ई	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 002870एन
(सीए भावना नंदा)	**(सीए बी.एल. छोरारिया)**	**(सीए राम कुमार गुप्ता)**	**(सीए देवेन्द्र मग्गू)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-095275	सदस्यता सं.-0022973	सदस्यता सं.-097382	सदस्यता सं.-085739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा

(करोड़ रुपए में)

	नोट सं.	31मार्च 2014 को		31मार्च 2013 को	
आय					
i) प्रचालन से राजस्व	**20**		5,537.04		5,310.73
ii) अन्य आय	**21**		1,456.95		992.78
कुल राजस्व			**6,993.99**		**6,303.51**
व्यय					
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	**22**		1,615.91		1,099.42
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	**23**		1,058.67		887.41
iii) वित्त लागत	**24**		1,022.40		385.38
iv) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**25**		1,210.76		969.29
कुल व्यय			**4,907.74**		**3,341.50**
पूर्व अवधि मदों, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा सतत प्रचालन से कर पूर्व लाभ			2,086.25		2,962.01
पूर्वावधि मदे (निवल)	**26**		503.19		(0.11)
विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ			1,583.06		2,962.12
विशिष्ट मद			-		(240.01)
असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ			1,583.06		3,202.13
असाधारण मदें			-		-
कर पूर्व लाभ			1,583.06		3,202.13
कर संबंधी व्यय	**27**				
i) वर्तमान कर		251.62		587.41	
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		46.68		9.85	
iii) विलंबित कर		305.97		256.65	
कर संबंधी कुल व्यय			**604.27**		**853.91**
वर्ष के लिए लाभ			**978.79**		**2,348.22**
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)					
बुनियादी तथा तनूकृत			0.82		1.91
तनूकृत			0.82		1.91
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**				
वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय	**28**				
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणिया	**29**				
टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।					

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00171920

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन

(सीए भावना नंदा)
भागीदार
सदस्यता सं.-095275

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 302049ई

(सीए बी.एल. छोरारिया)
भागीदार
सदस्यता सं.-0022973

कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 001728एन

(सीए राम कुमार गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं.-097382

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 002870एन

(सीए देवेन्द्र मग्गू)
भागीदार
सदस्यता सं.-085739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

टिप्पणी संख्या-01 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरणों को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोदभवन आधार, कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पढ़ा जाता है जिसमें उसके अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल है और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है।

2. अचल परिसंपत्तियां

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.3 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।

2.4 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि-इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.5 अधिशेष घोषित अचल परिसंपत्तियों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी हास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के पश्च लेखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर लिया जाता है। परियोजना के निर्माण पर आरोप्य प्रशासनिक तथा सामान्य ऊपरी तथा अन्य व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय(ईडीसी)'' के अंतर्गत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना के चालू होने पर व्यस्थित आधार पर प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर आवंटित किया जाता है, सिवाय भुमि तथा आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

4.4 ऐसी सुविधाओं, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नही होता है परन्तु जिनका निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक होता है, के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय ''निर्माण के दौरान व्यय(ईडीसी)'' पर प्रभारित किया जाता है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के सृजन पर किया गया व्यय ''लाभ एवं हानि विवरण'' को प्रभारित किया जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 मूर्त अचल परिसम्पत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यह्रास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी 11.25 प्रतिशत

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण 30 प्रतिशत

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत लेखे में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्त वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता हैं।

5.6.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.6.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास ऐसी परिसंपत्ति के उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से संबंधित भूमि के पट्टे की शेष अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, अधिनिर्णय/अदालती मामले के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.9 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और कलपुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति /चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित किए अनुसार निश्चित अंशदान योजनाओं के प्रति कंपनी की देयता को लेखांकित और संबंधित निधियों को उनका भुगतान किया जाता है, जिनका प्रशासन पृथक न्यासों के माध्यम से किया जाता है।

9.2 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित किए अनुसार निश्चित अंशदान योजनाओं के प्रति कंपनी की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उपदान निधि का प्रशासन एक पृथक न्यासों के माध्यम से किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखे (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण ''संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संबंध में उसे पूर्ण करने के लिए अनुमानित लागत'' के प्रति ''सूचित तिथि तक वहन की गई लागत'' के अनुपात में किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है। लाभांश आय को उक्त के प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि कंपनी द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अर्हक मूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह आंकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर क्षतिग्रस्त है। यदि ऐसा कोई संकेतक विद्यमान हो, तो कंपनी सीजीयू की प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाती है। नकदी उत्पादक यूनिटों की वहन लागत, प्राप्य लागत से अधिक होने पर क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है। प्राप्य राशि में परिवर्तन होने और ऐसी हानि के या तो अब विद्यमान न होने अथवा कम हो जाने पर क्षति हानि को वापिस किया जाता है।

15. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधान को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान बाध्यता हो और यह संभावना हो कि देयता के निपटान हेतु संसाधनों का बाह्य प्रवाह अपेक्षित होगा और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकता हो। प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को देयता के निपटान हेतु अपेक्षित प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है और उसमें वर्तमान मूल्य के लिए छूट नहीं दी जाती।

आकस्मिक देयताओं को प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए उनका समायोजन किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 2 : शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	संख्या में	(करोड़ रूपए में)	संख्या में	(रूपए करोड़ में)
(क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	15000000000	15000.00	15000000000	15000.00
(ख) जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रूपए)	11070668496	11,070.67	12300742773	12300.74
(ग) इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान				
	शेयरों की संख्या	**शेयर पूंजी (करोड़ रूपए में)**	**शेयरों की संख्या**	**शेयर पूंजी (रूपए करोड़ में)**
बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	12300742773	12300.74	12300742773	12300.74
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/ सब्सिक्राइब्ड शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	-	-	-	-
घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद के कारण शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	1230074277	1,230.07	-	-
बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	11070668496	11,070.67	12300742773	12,300.74

(घ) कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

(ङ) **कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों की निर्दिष्ट संख्या**

	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
भारत के राष्ट्रपति	**9516209722**	**85.96**	**10623368758**	**86.36**

(च) 31.03.2014 के ठीक पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, कंपनी ने अनुबंध का अनुपालन करते हुए बिना नकदी के भुगतान के पूर्ण प्रदत्त के रुप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/ किसी इक्विटी शेयर को वापिस नहीं खरीदा है।

(छ) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने 19.25 रुपए प्रति शेयर (अंकित मूल्य 10 रुपए प्रति शेयर) की दर पर 1230074277 शेयरों की पुनः खरीद की है।

टिप्पणी सं. 3 : आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
पूंजी मोचन आरक्षित				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	-			
जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन	1,230.07			
तुलन-पत्रक की तारीख पर		1,230.07		-
प्रतिभूति प्रीमियम खाता		2,868.74		2,868.74
बांड शोधन आरक्षित				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	649.55		414.63	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	249.45		249.17	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	14.25		14.25	
तुलन-पत्रक की तारीख पर		884.75		649.55
स्व बीमा निधि				
पिछले तुलन पत्रक के अनुसार	738.82		690.90	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	51.74		48.84	
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	2.73		0.92	
	787.83		738.82	
घटाएं : दावों के कारण समायोजन	8.82		7.29	
तुलन-पत्रक की तारीख पर		779.01		731.53

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आरक्षित				
पिछले तुलन पत्रक के अनुसार	23.50		-	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	2.30		23.50	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	7.88			
तुलन-पत्रक की तारीख पर		17.92		23.50
अनुसंधान एवं विकास निधि				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	-			
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	17.16			
तुलन-पत्रक की तारीख पर		17.16		-
सामान्य आरक्षित				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	4,120.06		4,120.06	
घटाएं : वर्ष के दौरान पुनः खरीद हेतु प्रयुक्त	1,137.82		-	
घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरण	1,230.07			
तुलन-पत्रक की तारीख पर		1,752.17		4,120.06
अधिशेष**		7,447.16		7,146.38
कुल		**14,996.98**		**15,539.76**
** अधिशेष				
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		978.79		2,348.22
अग्रेणीत शेष		7,146.38		5,963.10
जोड़े :				
बॉंड विमोचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि		14.25		14.25
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्चलिखित राशि		7.88		-
स्व बीमा निधि से पश्चलिखित राशि		3.97		0.92
लाभांश पर कर -पश्चलिखित		5.11		4.88
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष		**8,156.38**		**8,331.37**
बॉंड विमोचन आरक्षी को अंतरित		249.45		249.17
स्व बीमा निधि को अंतरित		51.74		48.84
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि को अंतरित		2.30		23.50
अनुसंधान एवं विकास निधि को अंतरित		17.16		-
लाभांश				
- प्रस्तावित		332.13		738.05
लाभांश पर कर				
- प्रस्तावित		56.44		125.43
अग्रेणीत शेष		**7,447.16**		**7,146.38**

* गत वर्ष तक धारणीय विकास निधि की व्यय न की गई राशि

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण
बॉंड्स्						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे 'क' देखें)	5,850.28	63.85	5,786.43	4,907.28	57.00	4,850.28
सावधि ऋण						
• बैंकों से						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे 'ख' देखें)	4,256.90	262.92	3,993.98	3,645.87	188.97	3,456.90
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे 'ग' देखें)	2,061.56	203.65	1,857.91	2,226.54	184.54	2,042.00
• अन्य पार्टियों से						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे 'घ' देखें)	5,297.68	703.93	4,593.75	6,001.62	703.93	5,297.69
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे 'ङ' देखें)	2,400.07	51.62	2,348.45	1,845.99	75.34	1,770.65
	19,866.49	1,285.97	18,580.52	18,627.30	1,209.78	17,417.52
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	-		-	-		-
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि (प्रतिभूति के ब्यौरों हेतु टिप्पणी सं. 12 देखे)	2,164.81	255.27	1,909.54	2,403.72	259.88	2,143.84
31.03.2014 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	-		-	-		-
31.03.2014 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	-		-	-		-

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)		
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)-प्रतिभूत		
(i) कर मुक्त बॉंड - 3ए श्रंखला * 5 और 10	336.07	-
(1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)		
(ii) कर मुक्त बॉंड - 3बी श्रंखला * 5 और 10	253.62	-
(1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)		
(iii) कर मुक्त बॉंड - 2ए श्रंखला * 5 और 10	213.12	-
(1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)		
(iv) कर मुक्त बॉंड - 2बी श्रंखला * 5 और 10	85.61	-
(1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)		

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
v) बॉंड - आर-3 श्रंखला * 5 (10,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.2.2019 से 11.02.28 के बीच 89.20 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	892.00	892.00
vi) बॉंड - क्यू श्रंखला * 6 (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (12.3.2016 से 12.03.27 के बीच 105.50 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	1,266.00	1,266.00
vii) बॉंड - आर-2 श्रंखला * 5 (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2016 से 11.02.27 के बीच 31.84 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	382.08	382.08
viii) बॉंड - आर-1 श्रंखला * 5 (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2015 से 11.02.26 के बीच 6.85 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	82.20	82.20
ix) बॉंड - पी श्रंखला * 5, 7 और 10 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (01.02.16 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	2,000.00	2,000.00
x) कर मुक्त बॉंड - 1 श्रंखला * 5 और 10 (1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	-
xi) कर मुक्त बॉंड - 3बी श्रंखला * 5 और 10 (1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	-
xii) बॉंड - ओ श्रंखला * 2 (10,00,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (31.03.2009 से 31.03.2018 के बीच 57 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	228.00	285.00
कुल बॉंड (क)	**5850.28**	**4907.28**

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
(ख) सावधि ऋण -प्रतिभूत (बैंक)		
i) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1	12.00	16.00
(31.03.2014 को 9.40 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2 करोड़ रूपये प्रत्येक की 6 छमाही किस्तों में 31.03.2014 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
ii) केनरा बैंक *2	60.00	80.00
(31.03.2014 को 6.86 प्रतिशत की ऊपरी सीमा की अस्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किस्तों में 09.11.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
iii) सिंडिकेट बैंक *2	54.90	73.20
(31.03.2014 को 7.20 प्रतिशत की ऊपरी सीमा की अस्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किस्तों में 23.02.2014 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
iv) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2	60.00	80.00
(31.03.2014 को 7.20 प्रतिशत की ऊपरी सीमा की अस्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किस्तों में 31.03.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
v) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2	70.00	80.00
(31.03.2014 तक 7.20 प्रतिशत की ऊपरी सीमा की अस्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 7 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
vi) इंडियन बैंक *1	-	33.34
(27.02.2014 को अदा किया गया)		
vii) इंडियन बैंक *4 और 9	75.00	75.00
(31.03.2014 को 11.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 29.09.2014 को 75 करोड़ रूपये का एकबारगी पुनर्भुगतान)		
viii) यूको बैंक *8	875.00	958.33
(31.03.2014 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 41.67 करोड़ रुपये प्रत्येक की 21 छमाही किस्तों में 30.06.2024 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
ix) कारपोरेशन बैंक *11	500.00	500.00
(31.03.2014 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 06.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
x) केनरा बैंक *11	200.00	200.00
(31.03.2014 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.16 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 16.07.2026 तक जमा 16.10.2026 को 4.48 करोड़ रूपए की अंतिम किश्त के साथ पुनर्भुगतान योग्य)		
xi) इंडियन ओवरसीज बैंक *11	200.00	200.00
(31.03.2014 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xii) पंजाब एंड सिन्ध बैंक *11	200.00	200.00
(31.03.2014 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 17.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xiii) इंडसइंड बैंक *11	-	100.00
(09.10.2013 को पुनर्भुगतान किया गया)		

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
xiv) सिंडिकेट बैंक *11	300.00	300.00
(31.03.2014 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6.25 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 02.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xv) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया *11	150.00	150.00
(31.03.2014 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.13 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 03.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xvi) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया * 3 & 6	1,000.00	500.00
(31.03.2014 को 10.49 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 20.83 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 27.03.2028 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xvii) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद * 1 & 6	500.00	100.00
(31.03.2014 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 28.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
कुल सावधि ऋण बैंक (प्रतिभूत)	**4,256.90**	**3,645.87**
(ग) सावधि ऋण -अप्रतिभूत (बैंक)-विदेशी मुद्रा		
i) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-I*12	171.80	184.36
(31.03.2014 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 7.16 करोड़ रुपये प्रत्येक की 24 छमाही किस्तों में 20.01.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
ii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-II*12	657.55	697.83
(31.03.2014 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 23.48 करोड़ रुपये प्रत्येक की 28 छमाही किस्तों में 20.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
iii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-III*12	693.86	704.46
(31.03.2014 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 17.35 करोड़ रुपये प्रत्येक की 40 छमाही किस्तों में 20.03.2014 से 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
iv) डच बैंक और अन्य *12	538.35	639.89
(0.57 प्रतिशत छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन की अस्थिर ब्याज दर पर 53.84 करोड़ रुपये प्रत्येक की 10 छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	**2,061.56**	**2,226.54**
(घ) सावधि ऋण -अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)		
i) भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7	1,458.33	1,666.67
58.33 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 1400 करोड़ रुपये पर 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 14 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
ii) भारतीय जीवन बीमा निगम *6	1,580.00	1,738.00
(31.03.2014 को 9.118 प्रतिशत औसत ब्याज दर पर 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 20 समान छमाही किस्तों में 30.04.2012 से 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य)		
iii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8	562.50	637.50
(31.03.2014 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 18.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 30 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य)		

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
iv) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8	83.70	102.30
(31.03.2014 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रुपये प्रत्येक की 18 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
v) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8	52.50	59.50
(31.03.2014 को 9.90 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 30 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
vi) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2&3	1,056.33	1,202.03
(31.03.2014 को 10.54 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 36.425 करोड़ रुपये प्रत्येक की 29 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
vii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1	216.82	258.12
(31.03.2014 को 10.54 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 10.325 करोड़ रुपये प्रत्येक की 21 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
viii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1	287.50	337.50
(31.03.2014 को 10.54 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की 23 समान तिमाही किस्तों में 15.01.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	**5,297.68**	**6,001.62**
(ङ) सावधि ऋण अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)		
विदेशी मुद्रा		
i) एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा *12	103.25	177.18
(31.03.2014 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 25.81 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
केन्द्र सरकार से ऋण		
ii) निम्मो - बाज़गो जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	270.00	270.00
(4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 15 करोड़ की 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)		
iii) चुटक जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	364.00	364.00
(2.5 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 15.17 करोड़ रूपए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)		
iv) किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	1,662.82	1,034.81
(1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)		
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	**2,400.07**	**1,845.99**
समग्र योग (क + ख + ग + घ +ङ)	**19,866.49**	**18,627.30**

*** प्रतिभूति का विवरण**

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-III के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
4. मणिपुर राज्य में अवस्थित कंपनी के लोकतक पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
5. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
6. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम-।।। जल विद्युत परियोजना तथा सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता-V जल विद्युत परियोजनाओं की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
7. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के बही ऋण तथा भंण्डारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के बैरास्यूल पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
11. जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के चूटक विद्युत स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के निम्मो-बाज़गो विद्युत स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के उड़ी विद्युत स्टेशन और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
12. उपरोक्त क्रमांक ग(i), ग(ii), ग(iii), ग(iv) और ङ(i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं

टिप्पणी सं. 5 : स्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
स्थगित कर देयताएं				
i) मूल्यह्रास	3256.62		2,992.08	
घटाएं : स्थगित कर परिसंपत्तिया				
i) संदिग्ध ऋणों, माल-सूची और अन्य के लिए प्रावधान	123.25		102.24	
ii) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	128.56		115.72	
स्थगित कर देयता		3,004.81		2,774.12
घटाएं : वसूली योग्य		2,238.14		2,313.43
स्थगित कर देयता (निवल)		**766.67**		**460.69**

व्याखात्मक टिप्पणी :-

कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 ''आय पर कर'' का अनुपालन करते हुए 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रुपये 230.69 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये 326.56 करोड़ रूपए) स्थगित कर देयता के रूप में सृजित किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 6 : अन्य दीर्घावधि देयताए

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	कुल देयता	घटाएं :- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं :- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
जमा/प्रतिधारण निधि	398.24	141.00	257.24	428.84	132.99	295.85
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	1,259.88	50.17	1,209.71	1,310.05	50.17	1,259.88
विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित आय	138.86	-	138.86	149.96	-	149.96
कुल	**1,796.98**	**191.17**	**1,605.81**	**1,888.85**	**183.16**	**1,705.69**

टिप्पणी सं. 7 : प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	708.27	44.60	752.87	1,177.59	107.67	1,285.26
वर्ष के दौरान वर्धन	77.18	91.36	168.54	44.44	117.58	162.02
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	64.52	64.52	513.76	180.65	694.41
अंतिम शेष	**785.45**	**71.44**	**856.89**	**708.27**	**44.60**	**752.87**
ख) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		27.11	27.11		23.93	23.93
वर्ष के दौरान वर्धन		2.90	2.90		3.27	3.27
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		-	-		-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-		0.09	0.09
अंतिम शेष		30.01	30.01		27.11	27.11
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		30.01	30.01		27.11	27.11
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		-	-		-	-
ग) उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		67.71	67.71		130.56	130.56
वर्ष के दौरान वर्धन		61.76	61.76		71.47	71.47
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		60.81	60.81		127.59	127.59
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		5.32	5.32		6.73	6.73
अंतिम शेष		63.34	63.34		67.71	67.71
घ) सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		8.88	8.88		213.49	213.49
वर्ष के दौरान वर्धन		40.14	40.14		8.88	8.88
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		8.88	8.88		166.71	166.71
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-		46.78	46.78
अंतिम शेष		40.14	40.14		8.88	8.88

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल
ड) अन्य						
i) कराधान हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		1,860.71	1,860.71		1,664.24	1,664.24
वर्ष के दौरान वर्धन		316.39	316.39		587.41	587.41
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		571.46	571.46		390.94	390.94
अंतिम शेष		1,605.64	1,605.64		1,860.71	1,860.71
ii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		738.04	738.04		861.05	861.05
वर्ष के दौरान वर्धन		332.12	332.12		738.04	738.04
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		738.04	738.04		861.05	861.05
अंतिम शेष		332.12	332.12		738.04	738.04
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		125.43	125.43		139.68	139.68
वर्ष के दौरान वर्धन		56.44	56.44		125.43	125.43
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		120.32	120.32		134.80	134.80
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		5.11	5.11		4.88	4.88
अंतिम शेष		56.44	56.44		125.43	125.43
iv) प्रावधान - अन्य						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		365.92	365.92		367.53	367.53
वर्ष के दौरान वर्धन		392.32	392.32		36.22	36.22
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		20.10	20.10		13.24	13.24
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		8.06	8.06		24.59	24.59
अंतिम शेष		730.08	730.08		365.92	365.92
v) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		91.20	91.20		34.60	34.60
वर्ष के दौरान वर्धन		1.13	1.13		56.60	56.60
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		42.52	42.52		-	-
अंतिम शेष		49.81	49.81		91.20	91.20
vi) धारणीय विकास व्यय हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		2.30	2.30		-	-
वर्ष के दौरान वर्धन		-	-		2.30	2.30
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		2.30	2.30		-	-
अंतिम शेष		-	-		2.30	2.30
vii) अनुसंधान एवं विकास व्यय हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		13.86	13.86		-	-
वर्ष के दौरान वर्धन		-	-		13.86	13.86
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		13.86	13.86		-	-
अंतिम शेष		-	-		13.86	13.86
viii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	13.65	94.02	107.67	9.86	78.15	88.01
वर्ष के दौरान वर्धन	17.98	-	17.98	4.59	30.55	35.14
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.38	41.03	43.41	0.80	14.68	15.48
अंतिम शेष	29.25	52.99	82.24	13.65	94.02	107.67
कुल	**814.70**	**3,002.00**	**3,816.70**	**721.92**	**3,412.67**	**4,134.59**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1) बोर्ड ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/खंड-III के माध्यम से बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे के संबंध में वेतनमान संबंधी सक्षम प्राधिकारी के इस अनुमोदन को सम्प्रेषित करने वाले कि 1.1.97 से निर्धारित वेतनमान में कमियों का सुधार करने के पश्चात वेतनमान 1.1.2007 से निर्धारित किए जाएं और 1.1.97 से निर्धारित विपथनकारी वेतनमानों को नियमित नही किया जाए कि निदेशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। सक्षम प्राधिकारी के निदेशों को प्रभावी करते हुए फरवरी तथा मार्च, 2014 माह हेतु आहरित अधिक वेतन को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और इसे कर्मचारियों से वसूला जाना है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.5.2014 के पत्र संख्या पीडब्ल्यूए-504-खंड-4/ 62 के माध्यम से सूचित करते हुए यह पुष्टि की है कि 1.2.2014 से वैयक्तिक समायोजन की वसूली सक्षम प्राधिकारी के उक्त निदेश के अनुरूप है। पुष्टि लम्बित होने पर ''वेतन संशोधन हेतु प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत वैयक्तिक समायोजन वेतन (फिटमेंट लाभ) के प्रति 30.01 करोड़ रूपये (31.1.2014 तक वर्तमान वर्ष के 2.90 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित) की संचित राशि को इसके प्रति ''अदा किए गए अग्रिम'' के तौर पर तदनुरूपी राशि को दर्शाया गया है।

2) 'प्रावधान-अन्य' समूह के अंतर्गत प्रावधानों में से 65.54 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 38.47 करोड़ रुपए) की राशि प्रोटेस्ट के अंतर्गत जमा की गई थी और उसे टिप्पणी संख्या 13-जमा एवं अग्रिम में ''जमा राशियां'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 8 : व्यापार देयताएं

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
वस्तुओं और सेवाओं हेतु	200.71	179.41
	200.71	179.41

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी सं. 30- लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 9 : अन्य चालू देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (देखे टिप्पणी सं. 4)		1,285.97		1,209.78
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज		242.62		203.85
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)		50.17		50.17
आदा न किया गया लाभांश		4.83		3.92
पूजीं कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता		480.80		532.79
जमा/प्रतिधारण निधि		141.00		132.99
जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि		0.04		0.04
सांविधिक देयताएं		276.55		236.47
अन्य देयताएं		252.46		174.96
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	227.36		285.66	
घटाएं :जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	222.29	5.07	276.04	9.62
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4417.35		4262.40	
घटाएं : परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	4222.62		4054.36	
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	(3.97)	198.70	(3.97)	212.01
		2,938.21		**2,766.60**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

* ऊपर दर्शाए गए मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि और दीर्घावधि ऋणों की प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत वर्तमान परिपक्वता की प्रतिभूति के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी सं. 4 में प्रकट किए गए है।

टिप्पणी सं. 10.1 गोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2013	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2014	01.04.2013	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2013
भूमि-फ्रीहोल्ड	229.69	30.59	-	-	260.28	-	-	-	-	260.28	229.69
भूमि-लीजहोल्ड	333.05	46.30	4.17	(9.07)	366.11	30.44	10.73	(9.29)	31.88	334.23	302.61
सड़कें और पुल	363.17	7.61	7.17	(53.14)	310.47	92.32	11.10	(15.98)	87.44	223.03	270.85
भवन	2,036.65	718.00	16.02	(24.05)	2,714.58	619.86	74.88	(25.03)	669.71	2,044.87	1,416.79
रेलवे साइडिंग्स	40.30	-	-	(1.34)	38.96	17.51	2.67	(1.34)	18.84	20.12	22.79
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	14,618.18	3,898.54	-	(4.16)	18,512.56	4,296.01	754.96	2.15	5,053.12	13,459.44	10,322.17
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	6,684.50	2,621.64	11.58	(0.22)	9,294.34	2,260.62	355.87	0.25	2,616.74	6,677.60	4,423.88
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	89.87	4.97	0.16	(0.52)	94.16	46.63	3.03	(0.46)	49.20	44.96	43.24
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	67.70	2.24	-	(1.34)	68.60	21.81	3.50	(1.29)	24.02	44.58	45.89
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	35.31	2.34	0.02	(0.65)	36.98	13.16	2.03	(0.66)	14.53	22.45	22.15
निर्माण उपकरण	91.06	10.35	1.32	0.33	100.42	56.81	5.36	(0.90)	61.27	39.15	34.25
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	37.55	3.45	0.05	(0.30)	40.65	6.66	1.58	(0.32)	7.92	32.73	30.89
विद्युतीय संस्थापनाए	3.94	0.62	0.02	(0.39)	4.15	1.50	0.21	(0.40)	1.31	2.84	2.44
वाहन	27.32	3.73	2.05	(1.92)	27.08	18.40	1.06	(3.62)	15.84	11.24	8.92
विमान / नौकाएं	0.62	0.24	0.07	(0.01)	0.78	0.27	0.04	(0.07)	0.24	0.54	0.35
फर्नीचर और फिक्सचर	46.21	4.00	0.55	(1.95)	47.71	23.93	3.08	(2.20)	24.81	22.90	22.28
कम्प्यूटर	57.31	4.89	2.17	(3.57)	56.46	45.95	4.64	(4.98)	45.61	10.85	11.36
संचार उपकरण	13.90	1.04	0.17	(0.41)	14.36	6.38	0.80	(0.49)	6.69	7.67	7.52
कार्यालय उपकरण	43.24	3.40	1.52	(1.15)	43.97	19.47	2.70	(2.07)	20.10	23.87	23.77
अनुसंधान और विकास	1.36	-	-	(0.01)	1.35	0.47	0.09	(0.01)	0.55	0.80	0.89
अन्य आस्तियां	50.43	3.77	1.24	(1.75)	51.21	21.62	2.94	(1.99)	22.57	28.64	28.81
उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	42.02	0.55	9.18	(33.39)	-	4.59	-	(4.59)	-	-	37.43
गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <5000 रुपये।	17.08	1.47	0.60	(1.92)	16.03	17.07	1.42	(2.48)	16.01	0.02	0.01
अप्रचलित /अधिशेष आस्तियां	2.76	0.65	0.26	(0.75)	2.40	-	-	-	-	2.40	2.76
कुल	**24,933.22**	**7,370.39**	**58.32**	**(141.68)**	**32,103.61**	**7,621.48**	**1,242.69**	**(75.77)**	**8,788.40**	**23,315.21**	**17,311.74**
पिछले वर्ष	22,291.73	2,874.71	38.51	(194.71)	24,933.22	6,637.59	1,021.33	(37.44)	7,621.48	17,311.74	15,654.14

टिप्पणी सं. 10.2 अगोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2013	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2014	01.04.2013	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2013
भूमि-इस्तेमाल का अधिकार	748.70	42.74	-	(2.00)	789.44	21.21	4.38	-	25.59	763.85	727.49
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	38.12	0.37	0.06	(0.46)	37.97	37.39	0.60	(0.50)	37.49	0.48	0.73
कुल	**786.82**	**43.11**	**0.06**	**(2.46)**	**827.41**	**58.60**	**4.98**	**(0.50)**	**63.08**	**764.33**	**728.22**
पिछले वर्ष	769.20	18.45	0.31	(0.52)	786.82	55.02	3.85	(0.27)	58.60	728.22	714.18

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1) 296.77 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 278.23 करोड़ रुपये) मूल्य की 978.95 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2356.79 हेक्टेयर) भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं। उनके पंजीकरण से संबंधित स्टैम्प शुल्क आदि व्यय को घटित होने के बाद हिसाब में लिया जाएगा।

2) भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी-अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 7.83 हैक्टेयर भूमि शामिल नहीं है।

3) गोचर परिसंपत्तियों में वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6267.10 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5408.20 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।

4) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास हेतु परियोजना के पूंजीकरण के समय सकल ब्लाक में समायोजन, परिसंपत्तियों का अंतर-शीर्ष वर्गीकरण और गलत वर्गीकरण सुधार हेतु समायोजन शामिल है।

5) सेवा- I I, चूटक, चमेरा- I I I, तीस्ता लो डैम- I I I, निम्मो बाजगो, उड़ी और पार्बती- I I I विद्युत स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन विद्युत स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

6) समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिर्वतन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	**31.03.2014 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**	**31.03.2013 के अनुसार (करोड़ रुपये में)**
सड़के और पुल	-	(1.52)
भवन	-	(13.71)
जल वैज्ञानिक कार्य	-	(125.92)
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	-	(28.99)
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	-	(0.15)
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी अन्य	-	0.02
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	-	(0.06)
कुल	**-**	**(170.33)**

टिप्पणी सं. 11 : चालू पूंजी कार्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01.04.2013	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2014
सड़कें और पुल	66.23	12.81	(18.00)	7.62	53.42
भवन	1,299.34	197.00	144.89	704.90	936.33
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,707.18	1,171.98	1,417.95	3,839.65	5,457.46
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,945.61	317.10	1,094.07	2,556.75	2,800.03
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	9.15	0.37	0.81	2.69	7.64
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	3.92	1.38	(0.39)	3.31	1.60
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	2.27	0.41	(0.85)	1.34	0.49
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	2.14	2.26	0.11	3.27	1.24
संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य आस्तियां	2.45	41.51	(2.13)	29.40	12.43
उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं।	103.58	0.15	(103.73)	-	0.00
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	241.50	27.68	(31.10)	-	238.08
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	0.64	-	-	-	0.64
निर्माण के दौरान खर्च *	7,256.21	988.65	(3,101.55)	-	5,143.31
घटाएं : प्रावधानों के लिए	119.61	55.91	(5.88)	-	169.64
उप जोड़ (क)	**19,520.61**	**2,705.39**	**(594.04)**	**7,148.93**	**14,483.03**
* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 28 देखें					

	01.04.2013		समायोजन		31.03.2014
निर्माण भंडार	190.08	-	(14.46)	-	175.62
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.65	-	(0.13)	-	1.52
उप जोड़ (ख)	**188.43**	**-**	**(14.33)**	**-**	**174.10**
समग्र जोड़	**19,709.04**	**2,705.39**	**(608.37)**	**7,148.93**	**14,657.13**
पिछले वर्ष	19349.74	3329.71	(173.03)	2797.38	19709.04

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1) निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रुप में 472.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 925.06 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

2) सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 799.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 781.26 करोड़ रुपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.79 करोड़ रूपये की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में 43.56 करोड़ रूपये की राशि मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 755.46 करोड़ रुपये के शेष में से 114.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 84.16 करोड़ रुपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रुप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 641.12 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 553.53 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है।

3) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुतउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

4) किरू और क्वार जल विद्युत परियोजनाएं मेसर्स चेनाब वेली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड, जेकेएसपीडीसी तथा पीटीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा निष्पादित की जानी है। इन परियोजनाओं को 30.6.2013 को संयुक्त उद्यम कंपनी को सौंपा गया है। तदनुसार, वर्तमान वर्ष के दौरान 30.6.2013 तक इन परियोजनाओ पर एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा व्यय की गई 103.03 करोड़ रूपये की राशि को संयुक्त उद्यम कंपनी को अंतरित किया गया है।

5) निर्माण के दौरान व्यय में तिपाइमुख जल विद्युत परियोजना में किया गया 2.38 करोड़ रूपए का व्यय शामिल है, जिसे मणिपुर सरकार और एसजेवीएन लिमिटेड की प्रतिभागिता के साथ एक प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। उक्त राशि का प्रावधान वर्तमान अवधि के दौरान बहियों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परियोजना को वन स्वीकृति प्रदान किए जाने में इंकार के चलते किया गया है।

6) अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 3774.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3459.57 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को सीडब्ल्यूआईपी के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

7) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरुप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रेनीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 12 : गैर वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
क. व्यापार उद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त)	12000000	10	12.00	12000000	10.00	12.00
व्यापार अनुद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
(i) अनुषंगी कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
- एनएचडीसी लिमिटेड	10024200	1000	1002.42	10024200	1000	1002.42
- लोक तक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	87092309	10	87.09	87092309	10	87.09
- चेनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	100000000	10	100.00
(ii) संयुक्त उद्यम कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
- चेनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	100000000	10	100.00	-	-	-
- नेशनल पॉवर एक्सचेंज लिमिटेड	-	-	-	2188325	10	2.19
(मूल्य में कमी के लिए प्रावधान)			-			(0.77)
- नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	14875000	10	14.88	11060000	10	11.06
(ख) बांड्स में निवेश						
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त निम्नांकित राज्य सरकारों के विशेष बॉण्ड						
अरुणाचल प्रदेश	972	1000	0.10	1944	1000	0.19
बिहार	19070	1000	1.91	38140	1000	3.81
हरियाणा	565000	1000	56.50	1130000	1000	113.00
हिमाचल प्रदेश	17868	1000	1.79	35736	1000	3.57
जम्मू कश्मीर	770696	1000	77.07	1541392	1000	154.14
झारखंड	14310	1000	1.43	28620	1000	2.86
मेघालय	532	1000	0.05	1064	1000	0.11
मिजोरम	3210	1000	0.32	6420	1000	0.64
नागालैंड	6920	1000	0.69	13840	1000	1.38
पंजाब	222810	1000	22.28	445620	1000	44.56
राजस्थान	85473	1000	8.55	85473	1000	8.55
सिक्किम	2336	1000	0.23	4672	1000	0.47
त्रिपुरा	2668	1000	0.27	5336	1000	0.53
उत्तर प्रदेश	786890	1000	78.69	1573780	1000	157.38
उत्तराखंड	87430	1000	8.74	174860	1000	17.49
पश्चिम बंगाल	6722	1000	0.67	13444	1000	1.34
(ग) शेयर आवेदन राशि						
संयुक्त उद्यम कम्पनियां						
- नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड			-			3.82
उप जोड़ (क)			**1475.68**			**1727.83**

विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
ख. गैर-व्यापार उद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
इंडियन ओवसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त)	360800	10	0.36	360800	10	0.36
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश#						
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150000	10000	150.77	150000	10000	150.77
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12380	10000	12.26	12380	10000	12.26
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027	57000	10000	52.94	57000	10000	52.94
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 2027	17940	10000	17.83	17940	10000	17.83
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032	35000	10000	34.62	35000	10000	34.62
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 2032	34000	10000	31.28			
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कोरपोरेट्स बांड्स में निवेश#						
8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	688	1000000	69.63	688	1000000	69.63
8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	30	1000000	2.99	30	1000000	2.99
8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2035	120	1000000	12.09	120	1000000	12.09
8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2030	150	1000000	15.13	150	1000000	15.13
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	40	1250000	5.04	40	1250000	5.04
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024	156	1250000	19.51	156	1250000	19.51
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	364	1250000	45.52	364	1250000	45.52
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	51	1000000	5.16	51	1000000	5.16
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	467	1000000	45.97	467	1000000	45.97
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	477	1000000	47.37	477	1000000	47.37
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन बांड्स 2020	600	1000000	59.93	600	1000000	59.93
9.75 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन बांड्स 2021	230	1000000	23.05	230	1000000	23.05
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बॉण्ड 15.11.2032	120	1000000	12.00	120	1000000	12.00

विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बॉण्ड	100000	1000	10.61	100000	1000	10.61
8.48 प्रतिशत एनएचएआई कर मुक्त बॉण्ड	473	100000	47.28			-
उप-जोड़ (ख)			**751.34**			**672.78**
कुल (क + ख)			**2227.02**			**2400.61**
# द्वष्ट बीमा निधि से निर्दिष्ट निवेश						
उद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			763.34			684.78
(ii) समग्र बाजार मूल्य			815.75			755.22
अनुद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			1463.68			1716.60
(ii) मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान			0.00			0.77
लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी सं. 13 : ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) पूंजी अग्रिम						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.39		0.39	3.87		3.87
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के बदले	460.27		460.27	613.08		613.08
- अन्य	139.20		139.20	154.82		154.82
घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	10.71		10.71	6.38		6.38
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	47.80		47.80	45.55		45.55
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	47.80		47.80	45.55		45.55
ख) जमा राशियां						-
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	85.34	50.86	136.20	45.74	37.01	82.75
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	0.01	0.01		0.01	0.01
घटाएं :संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01
ग) अन्य ऋण और अग्रिम						
i) **कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)**						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	130.08	21.11	151.19	107.59	19.03	126.62
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	21.94	35.55	57.49	31.61	31.56	63.17
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		0.02	0.02		0.01	0.01
ii) **संविदाकार/ आपूर्तिकार/ सेवा प्रदाता को अग्रिम**						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		0.30	0.30		0.71	0.71
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
– बैंक गारंटी के बदले		10.09	10.09		15.17	15.17
– अन्य		18.90	18.90		8.15	8.15
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		0.47	0.47		0.49	0.49

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
iii) ग्राहक से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	38.04	25.36	63.40	63.41	38.04	101.45
iv) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	225.00		225.00	225.00		225.00
v) अन्य अग्रिम						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.14	26.60	26.74		1.44	1.44
घटाएं : संदिग्ध अन्य ऋणों तथा अग्रिम हेतु प्रावधान	-	0.49	0.49	-	0.50	0.50
vi) अग्रिम आय कर तथा स्त्रोत पर कटौती किया गया कर		1,904.78	1,904.78		1,948.45	1,948.45
	1,089.69	**2,093.55**	**3,183.24**	**1,238.74**	**2,099.56**	**3,338.30**

	31 मार्च 2014 को (करोड़ रूपए में)	31 मार्च 2013 को (करोड़ रूपए में)
व्याख्यात्मक टिप्पणी: -		
निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा	0.02	0.05

ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

टिप्पणी सं. 14 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज				
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	177.96		144.83	
- अन्य	-	177.96	6.35	151.18
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां		713.64		789.35
विदेशी मुद्रा उतार-चढाव पर विलंबित व्यय		4.77		3.84
		896.37		**944.37**

टिप्पणी सं. : 15 चालू निवेश

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रूपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रूपए में)
व्यापार अनुद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
संयुक्त उद्यम कंपनियां (पूर्णतः प्रदत्त)						
- नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	2188325	10	2.19	-	-	-
(मूल्य में कमी हेतु प्रावधान)			(1.06)			-

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रूपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रूपए में)
(ख) बांड्स में निवेश (दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिपक्वता)						
निम्नांकित राज्य सरकारों के 8.50 प्रतिशत कर-मुक्त विशेष बॉण्ड :						
अरुणाचल प्रदेश	972	1000	0.10	972	1000	0.10
बिहार	19070	1000	1.91	19070	1000	1.91
हरियाणा	565000	1000	56.50	565000	1000	56.50
हिमाचल प्रदेश	17868	1000	1.79	17868	1000	1.79
जम्मू कश्मीर	770696	1000	77.07	770696	1000	77.07
झारखंड	14310	1000	1.43	14310	1000	1.43
मेघालय	532	1000	0.05	532	1000	0.05
मिजोरम	3210	1000	0.32	3210	1000	0.32
नागालैंड	6920	1000	0.69	6920	1000	0.69
पंजाब	222810	1000	22.28	222810	1000	22.28
सिक्किम	2336	1000	0.23	2336	1000	0.23
त्रिपुरा	2668	1000	0.27	2668	1000	0.27
उत्तर प्रदेश	786890	1000	78.69	786890	1000	78.69
उत्तराखंड	87430	1000	8.74	87430	1000	8.74
पश्चिम बंगाल	6722	1000	0.67	6722	1000	0.67
						-
कुल			**251.87**			**250.74**
अनुद्धृत निवेश						
संचयी लागत			252.93			250.74
मूल्य में कमी हेतु समेकित प्रावधान			1.06			-
मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार						

विवरणात्मक टिप्पणी : -

कंपनी ने नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। बाहर निकलने के लंबित होने तक उक्त संयुक्त उद्यम में निवेश के मूल्य में कमी के प्रति 1.06 करोड़ रूपए के अद्यतन प्रावधान को किया गया है।

टिप्पणी सं. 16 : मालसूची

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)				
भंडार तथा कलपुर्जे	93.28		77.69	
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	1.31	94.59	1.16	78.85
खुले औजार		2.09		1.80
रद्दी मालसूची		0.92		1.24
संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री		0.60		0.38
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		25.91		25.20
		72.29		**57.07**

टिप्पणी सं. 17 व्यापार प्राप्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
भुगतान हेतु देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	515.17	365.74
- अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए	34.77	43.70
अन्य व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	1,348.60	1,683.31
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34.77	43.70
	1,863.77	2,049.05

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देय अथवा प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

टिप्पणी सं. 18 नकदी एवं बैंक शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क	**नक़दी एवं नकदी समकक्ष**		
	हस्तगत नकदी	0.19	0.31
	(रु 0.01 करोड़ (पिछले वर्ष रु 0.01 करोड़) के स्टैम्प शामिल हैं।)		
	हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	15.93	0.08
	बैंकों में शेष राशि		
	• **अनुसूचित बैंकों के साथ**		
	- चालू खाते में		
	- स्व बीमा निधि	0.46	0.46
	- अन्य	235.02	257.98
	- जमा खातों में (तीन माह या उससे कम की परिपक्वता वाले जमा)		
	- अन्य	334.63	409.49
	• **अन्य बैंकों के साथ**		
	- चालू खाते में		
	- बैंक ऑफ भूटान	0.01	0.07
ख	**अन्य बैंकों में शेष**		
	तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि वाले जमा		
	• **अनुसूचित बैंकों के साथ**		
	- स्व बीमा निधि	22.67	45.80
	- आईपीओ प्राप्तिया	509.09	1,089.34
	- अन्य	4,181.00	3,808.56
	जमा खाता- अदा न किया लाभांश	4.83	3.92
		5,303.83	**5,616.01**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2014 तक 3477.90 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कम्पनी की प्रचलित निवेश नीति के अनुसार शेष 509.09 करोड़ रुपये बैंक जमा के रूप में निवेश किए गए हैं और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।

2) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 320.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 361.37 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं और कम्पनी के व्यापार के लिए निर्बाध रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी सं. 19 : अन्य चालू आस्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
क)	**निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज**				
	उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	32.97		37.28	
	जमा राशियां				
	- आईपीओ	8.16		70.68	
	- स्व-बीमा	16.83		20.14	
	- अन्य जमा राशियां	206.55		118.66	
	अन्य				
	- अच्छे माने गए	2.20		35.73	
	- संदिग्ध माने गए	67.94		-	
	उप-जोड़	334.65		282.49	
	घटाएं : सदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	67.94	266.71	-	282.49
ख)	बिल न किए गए राजस्व खाते में प्राप्तियां		426.04		1,203.55
ग)	अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से प्राप्य		282.59		174.18
घ)	लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज		108.04		333.97
ङ)	प्राप्य दावे	665.67		327.37	
	घटाएं : संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	328.81	336.86	259.75	67.62
च)	निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहकों की ओर से)		20.75		20.75
छ)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06		37.06	
	घटाएं : बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	37.06	-	37.06	-
ज)	बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा/जांच लंबित होने वाली हानियां	11.17		9.03	
	घटाएं :लंबित जांच वाली/ बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षित हानियों के लिए प्रावधान	11.17	-	9.03	-
झ)	अन्य		0.22		17.29
			1,441.21		**2,099.85**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) ग्राहकों के बकाए का निपटान करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए ऋण के अंतर्गत रु 32.97 करोड़ (पिछले वर्ष 32.97 करोड़ रुपये) मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित हैं। इसके समान राशि अन्य देयताओं के अंतर्गत टिप्पणी-9 में (अन्य चालू देयताओं) दर्शायी गई है क्योंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को प्रोत्साहनों के भुगतान के मुद्दे का अभी समाधान नहीं हुआ है।

2) बिल न किए गए राजस्व के खाते में प्राप्यों के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :- 1) जम्मू कश्मीर जल उपकर रु 210.27 करोड़ (पिछले वर्ष रु 908.81 करोड) 2) कर समायोजन (-) रु 10.34 करोड़ (पिछले वर्ष (-) रु 22.10 करोड) 3) एमईए बिक्री रु 1.72 करोड़ (पिछले वर्ष रु 5.84 करोड़) 4) अन्य रु 224.39 करोड़ (पिछले वर्ष रु 311.00 करोड)।

3) अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य में पकल दुल, कीरू और कवार जल विद्युत परियोजना पर किए गए पूंजीगत व्यय के प्रति कंपनी का दावा शामिल है जिसे मैसर्स सीवीपीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेपीडीसी और पीटीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।

टिप्पणी सं. 20 : प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**बिक्री**				
	ऊर्जा की बिक्री		5,405.60		5,407.06
	घटाएं :				
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अन्तर हेतु समायोजन	105.35		118.10	
	टैरिफ समायोजन	1.13		56.60	
	विनियमित बिक्री समायोजन	5.83		195.82	
	बिजली उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व (ईडीसी टिप्पणी सं. 28 एल (क) को अंतरित)	8.35	120.66	37.58	408.10
	उप-जोड़ (क)		5,284.94		4,998.96
ख	**मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्चलिखित**		50.17		50.17
	उप-जोड़ (ख)		50.17		50.17
ग	**अन्य प्रचालनशील आय**				
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)		115.54		141.24
	उप-जोड़ (ग)		115.54		141.24
घ	**संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**				
	संविदा आय	41.32		65.05	
	परियोजना प्रबंधन/ परामर्शी कार्यों से राजस्व	45.07	86.39	55.31	120.36
	कुल योग (क+ख+ग+घ)		**5,537.04**		**5,310.73**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) बिक्री को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम टैरिफ के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है सिवाय चमेरा-।।।, चूटक, तीस्ता लो डैम-।।।, निम्मो बाजगो, उरी-।।, तथा पार्बती-।।। विद्युत स्टेशनों के संबंध में चमेरा-।।।, चूटक, निम्मो बाजगो और उरी-।। विद्युत स्टेशनों के संबंध में बिक्री को इन विद्युत स्टेशनों हेतु सीईआरसी द्वारा दिए गए अंतिम टैरिफ के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है, तीस्ता लो डैम-।।। विद्युत स्टेशन पर बिक्री को सीईआरसी के पास दायर पूंजीगत लागत के 85 प्रतिशत के आधार पर मान्यता दी गई है और पार्बती-।।। विद्युत स्टेशन पर बिक्री को परियोजना की स्वीकृत पूंजीगत लागत के आधार पर अंतिम रूप से मान्यता प्रदान की गई है।

2) बिक्री के अंतर्गत रु 60.50 करोड़ (पिछले वर्ष 80.66 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष की बिक्री के रूप में शामिल है, जिन्हें चालू वर्ष के टैरिफ को अंतिम रूप देते समय शामिल किया गया।

3) कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आबंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनुरूप बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में 11.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 339.38 करोड़ रुपये) शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो। तदनुसार, 5.83 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 195.82 करोड़ रुपये) उन लाभार्थियों के बकाया देयों में समायोजित किए गए हैं।

4) बिक्री में रु 502.80 करोड (पिछले वर्ष रु 801.54 करोड़) शामिल है, जिसकी बिलिंग अभी की जानी है।

5) दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरूप, पर्याप्त सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान बहियों में रु 1.13 करोड़ (पिछले वर्ष रु 56.60 करोड) का प्रावधान किया गया है।

6) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-7/145/(160)/ 2000-सीईआरसी दिनांक 19.01.2009 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 39 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जाती है और इसका लेखांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुरूप, चालू वर्ष की बिक्री में रु 114.05 करोड़ (पिछले वर्ष रु 54.66 करोड़) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वर्ष के दौरान वसूल किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 21 : अन्य आय

(₹ in Crore)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क	**गैर-वर्तमान निवेश से आय**		
	व्यापार		
	- अनुषंगियों से लाभांश	375.91	30.07
	- लाभांश-अन्य	1.92	1.80
	- ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5% कर मुक्त बॉण्ड)	59.34	80.65
	गैर-व्यापार		
	- लाभांश आय-अन्य	0.10	0.16
	- ब्याज-स्व बीमा निधि	60.66	56.05
ख	**अन्य**		
	ब्याज		
	- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	7.01	9.16
	- अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	33.27	30.54
	- जमा खाता-स्व बीमा निधि	3.97	4.86
	- जमा खाता- स्व बीमा निधि इतर	579.20	507.93
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	10.38	8.74
	- अन्य	75.42	90.43
	विलंब भुगतान अधिभार	121.57	75.12
	स्व उत्पादित वीईआर की बिक्री से आय	0.05	3.03
	व्यापार बाधा के कारण होने वाली हानि की वसूली	99.99	-
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.05	0.51
	देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	40.32	211.60
	अन्य	43.04	34.12
	विनिमय दर अंतर	32.54	18.45
	कुल	1,545.74	1,163.22
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय	63.91	135.57
	घटाएं :ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय	24.88	34.87
	लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल	**1,456.95**	**992.78**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) **प्रावधान/देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है**

खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	-	0.02
भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.99	0.21
खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	14.64	148.69
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	5.77	0.78
लंबित जांच हानियों/पश्च लेखन की प्रतीक्षा कर रही हानियों के लिए प्रावधान	-	5.50
मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	-	0.09
पीआरपी/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	5.31	6.73
अधिवर्षिता/ पेंशन निधि के लिए प्रावधान	-	46.78
अन्य	13.61	2.80
कुल	**40.32**	**211.60**

2) लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-4 परियोजना से संबंधित 58.72 करोड़ रूपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमशः व्याख्यात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 10 तथा 11 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 22 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**उत्पादन व्यय**				
	जल उपयोग प्रभार		630.04		592.44
ख.	**भंडार एवं कलपुर्जों की खपत**		26.90		27.01
ग.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**		23.09		32.59
घ.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	- भवन	45.18		34.29	
	- मशीनरी	31.01		47.09	
	- अन्य	96.46	172.65	45.85	127.23
ड.	**प्रशासनिक व्यय**				
	किराया	46.74		37.87	
	दरें और कर	4.23		8.17	
	बीमा	64.28		44.19	
	स्व: बीमा निधि का उपयोग	3.97		0.92	
	सुरक्षा व्यय	146.17		126.24	
	विद्युत प्रभार	106.48		37.75	
	यात्रा एवं वाहन	20.55		19.48	
	वाहनों पर खर्च	10.27		9.41	
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	13.18		10.34	
	विज्ञापन एवं प्रचार	9.22		7.59	
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.37		0.33	
	दान या चंदा	-		2.50	
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.43		5.79	
	पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.32		0.35	
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	9.01		4.80	
	परामर्शी प्रभार -विदेशी	-		0.05	
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	48.04		29.04	
	कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय	30.19		6.49	
	परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	0.74		0.91	
	बट्टे खाते डाली गयी परिसम्पत्तियां/दावें	0.16		0.36	
	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	13.16		0.65	
	लाभग्राही राज्यों को ब्याज	9.29		14.34	
	ग्राहकों को छूट	14.69		15.60	
	कारपोरेट सामाजिक दायित्व/ धारणीय विकास/ सामुदायिक विकास व्यय	31.88		14.78	
	स्व उत्पादित वीईआरएस पर व्यय	0.01		1.25	
	अन्य सामान्य खर्च	98.39		82.11	
	विनिमय दर अंतर	47.33		20.02	
	लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)	2.29		1.67	
	निदेशक खर्च	0.24		0.28	
	विनियमित बिजली पर व्यय	0.89		20.20	
	घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	0.89	-	20.20	-
	कुल		736.63		503.28

टिप्पणी सं. 22 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय *(जारी)*

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
च. प्रावधान				
खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	5.72		-	
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	2.25		45.79	
खराब तथा संदिग्ध दावे/ब्याज हेतु प्रावधान	139.61		60.27	
भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	0.63		1.42	
निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.30		-	
परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	55.91		3.00	
अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान मुहैया करवाया गया	2.40		0.77	
अन्य	0.01		-	
		206.83		111.25
जोड़ (क+च)		1,796.14		1,393.80
घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि		180.15		294.37
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली		0.08		0.01
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल		1,615.91		1,099.42

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यत: परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2) कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, 31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए 9.29 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 14.34 करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।

3) लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है: -

i) सांविधिक लेखा-परीक्षक				
लेखा-परीक्षक के रूप में				
- लेखा-परीक्षा शुल्क	0.45		0.45	
- कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.14	0.59	0.14	0.59
अन्य क्षमता में				
कराधान मामल	0.01		-	
अन्य मामले/ सेवाएं	0.80	0.81	0.45	0.45
खर्चों की अदायगी		0.74		0.52
ii) लागत लेखा परीक्षक				
- लेखा-परीक्षा शुल्क		0.14		0.10
- खर्चों की अदायगी		0.01		0.01
		2.29		1.67

4) लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-4 परियोजना से संबंधित 220.70 करोड़ रूपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमश: व्याख्यात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 10 तथा 11 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 23 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते	1,124.70	1,148.59
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	183.52	185.66
कर्मचारी कल्याण व्यय	124.67	113.27
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	0.11	0.01
कुल	1,433.00	1,447.53
घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	373.66	559.41
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0.67	0.71
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल	**1,058.67**	**887.41**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 38.37 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 36.37 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।

	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
2) उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है :		
i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	74.19	68.57
ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	95.22	67.00
	169.41	135.57

3) लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-iv परियोजना से संबंधित 107.17 करोड़ रूपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमशः व्याख्यात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 10 तथा 11 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 24 : वित्त लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क. निम्नलिखित पर ब्याज					
भारत सरकार ऋण		14.22		-	
बॉण्ड		473.97		339.93	
विदेशी मुद्रा ऋण		45.17		54.22	
सावधि ऋण		923.45		877.04	
अन्य ब्याज प्रभार		7.40		1.96	
	उप जोड		**1,464.21**		**1,273.15**
ख. अन्य ऋण लागत					
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय		2.84		0.86	
प्रतिबद्धता शुल्क		0.07		2.56	
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क		28.84		33.95	
अन्य वित्त प्रभार		4.52		6.71	
	उप जोड़		**36.27**		**44.08**

टिप्पणी सं. 24 : वित्त लागत *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
ग. विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि					
ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर		29.66		10.52	
घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन		29.66		10.52	
	उप जोड़		-		-
	कुल (क से ग)		1,500.48		1,317.23
घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत			478.08		931.85
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल			**1,022.40**		**385.38**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-iv परियोजना से संबंधित 483.73 करोड़ रूपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमशः विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 10 तथा 11 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. : 25 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय		1,247.67	1,025.18
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन		(12.27)	(15.24)
	कुल	1,235.40	1,009.94
घटाएं : ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		24.64	40.65
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल		**1,210.76**	**969.29**

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-iv परियोजना से संबंधित 8.08 करोड़ रूपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमशः व्याख्यात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 10 तथा 11 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. : 26 पूर्वावधि मद (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय			
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित		-	(0.83)
देनदारों से ब्याज/अधिभार		(12.79)	-
अन्य		4.52	17.04
	उप जोड़ (क)	(8.27)	16.21
व्यय			
वेतन तथा मजदूरी		0.23	2.16
मरम्मत तथा अनुरक्षण		0.92	(0.51)
वित्त लागत		(0.22)	-
मूल्यह्रास तथा परिशोधन		1.92	0.65
अन्य		496.45	16.01
	उप जोड़ (ख)	499.30	18.31
कुल पूर्वावधि व्यय (ग) = (ख)-(क)		507.57	2.10
घटाएं - ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय			
पूर्वावधि व्यय	3.79		2.17	
घटाएं - पूर्वावधि आय	(0.59)		(0.04)	
	उप जोड़ (घ)	4.38		2.21
	लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल (ग-घ)	**503.19**		**(0.11)**

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-iv परियोजना से संबंधित 506.73 करोड़ रूपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमशः व्याख्यात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 10 तथा 11 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. : 27 कर व्यय

(करोड रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
आय कर प्रावधान		251.62		587.41
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		46.68		9.85
आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)	230.69		326.56	
घटाएं : वसूली योग्य	(75.28)	305.97	69.91	256.65
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल		604.27		853.91

टिप्पणी सं. 28 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	153.93		258.82	
	उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	24.77		42.83	
	स्टाफ कल्याण व्यय	10.64		15.65	
	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	0.11		0.11	
	उप जोड़		189.45		317.41
ख	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	भवन	3.91		6.45	
	मशीनरी	0.33		1.14	
	अन्य	5.21		13.11	
	उप जोड़		9.45		20.70
ग	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
	किराया	12.45		16.70	
	दरें और कर	10.35		8.39	
	बीमा	1.16		0.31	
	सुरक्षा व्यय	19.13		29.40	
	विद्युत प्रभार	5.36		6.29	
	यात्रा एवं वाहन	2.57		4.90	
	वाहनों पर व्यय	1.54		3.40	
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.69		2.93	
	विज्ञापन एवं प्रचार	0.57		0.82	
	मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.74		1.02	
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	1.33		1.62	
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च	13.60		31.23	
	कंपनी द्वारा नियंत्रित न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय	26.85		5.44	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.01		0.03	
	पश्च लेखित परिसंपत्तियां/ दावे	-		-	
	अन्य सामान्य व्यय	7.96		15.01	
	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0.02		0.03	
	विनिमय दर अन्तर (ऋण)	15.46		16.26	
	उप जोड़		121.79		143.78

टिप्पणी सं. 28 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय *(जारी)*

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
घ. वित्त लागत					
निम्नलिखित पर ब्याज -					
बॉण्ड		90.22		275.22	
सावधि ऋण		382.30		649.84	
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय		3.32		0.68	
प्रतिबद्धता शुल्क		-		2.48	
अन्य वित्त प्रभार		2.21		3.60	
	उप जोड़		478.05		931.82
ङ प्रावधान		27.06		105.72	
	उप जोड़		27.06		105.72
च मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		20.72		34.99	
	उप जोड़		20.72		34.99
छ. पूर्वावधि मदें					
पूर्वावधि व्यय		3.69		2.16	
घटाएं - पूर्वाविधि आय		(0.59)		(0.04)	
	उप जोड़		4.28		2.20
ज. निगमित कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय					
अन्य आय		(2.68)		(10.79)	
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय		21.85		24.02	
कर्मचारी लाभ व्यय		184.21		242.00	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		3.92		5.66	
वित्त लागत		0.03		0.03	
प्रावधान		-		0.15	
पूर्वावधि मदें (निवल)		0.10		0.01	
	उप जोड़		207.43		261.08
झ. घटाएं: प्राप्तियां और वसूलियां					
क) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व		8.35		37.58	
ख) अन्य					
ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज		38.09		88.23	
विविध प्राप्तियां		7.70		4.60	
विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)		12.86		12.71	
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान		2.23		18.73	
संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार		0.35		0.51	
	उप जोड़		69.58		162.36
	कुल (क+ख+ग+घ+ ङ+च+ छ+ज+झ)		**988.65**		**1,655.34**

टिप्पणी संख्या - 29 : अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण :-

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकर नही किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विपथन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल 8752.57 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10106.82 करोड़ रूपये) के दावे दर्ज किए हैं इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नही हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरूद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति 761.66 करोड रूपये (पिछले वर्ष 323.70 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है। तथापि, इन दावों का प्रबंधन ने आंकलन किया है और 154.56 करोड़ रुपये के संभावित बाह्य प्रवाह का परिणामी प्रावधान किया है और 8598.01 करोड़ रुपये को आकस्मिक देयता माना गया है जिसके संबंध में या तो बाह्य प्रवाह की संभावना नही है अथवा संभावित बाह्य प्रवाह का एक विश्वसनीय अनुमान नही लगाया जा सकता।

(ii) भूमि मुआवजा मामला

परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष 40.28 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 38.37 करोड़ रुपये) की राशि के उच्चतर मुआवजे हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने के चलते कम्पनी ने आंकलन किया है और संभावित बाह्य प्रवाह के रूप में 28.63 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करवाई है। शेष दावों के संबंध में संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नही माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय अधिकरणों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर मामलों की राशि 337.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 331.42 करोड़ रुपये) है जिसके संबंध में संसाधनों के किसी बाह्य प्रवाह को संभाव्य नही माना गया है। उनका निपटान लम्बित होने के चलते कम्पनी ने आंकलन किया है और संभावित बाह्य प्रवाह के रूप में 7.78 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करवाई है। शेष दावों के संबंध में संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नही माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य आकस्मिक देयताओं की राशि 417.47 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 128.53 करोड़ रुपये) है। ये दावे विभिन्न फोरम के समक्ष लम्बित हैं जिनके संबंध में संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नही माना गया है।

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को 52.24 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 40.71 करोड़ रुपये) की भरपायी होने की संभावना है।

ङ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 10.86 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 22.31 करोड़ रुपये) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए है, जिन्हें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।

2. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि 3473.95 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष रूपये 3958.36 करोड़ रूपये) है।

3. चमेरा-।।। विद्युत स्टेशन को चालू करने के पश्चात वर्ष 2012-13 के दौरान पहाड़ी ढलानों में कुछ सीपेज देखी गई थी जिससे निकटवर्ती गांव के स्थानीय निवासियों के घर तथा खेत प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित भूमि के अधिग्रहण का एक प्रस्ताव प्रबंधन के विचाराधीन है जिसके लिए मुआवजा 13.76 करोड़ रूपए अनुमानित है। इसके अतिरिक्त, सीपेज को ठीक करने की लागत का अभी पता लगाया जाना है।

4. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अंतिम भुगतान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 38.61 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 177.81 करोड़ रुपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

5. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गईं परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

6. कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न अवधियों वाले 1000 करोड़ रूपये की राशि के प्रत्याभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड जारी किए हैं। इश्यू 18.10.2013 को खुला तथा 23.10.2013 को बन्द हुआ। आवंटन 2.11.2013 को पूरा हुआ था और प्रतिभूति 7.11.2013 को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई थी। इश्यू प्राप्तियों का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन हेतु किया गया है।

7. 10 रूपये प्रत्येक के 1,230,074,277 इक्विटी शेयरों (प्रदत्त इक्विटी शेयरों की पूर्व पुनः खरीद का 10 प्रतिशत) की विद्यमान शेयरधारकों/लाभग्राही स्वामियों से 19.25 रूपये प्रति शेयर के मूल्य पर खरीद आनुपातिक आधार पर निविदा प्रस्ताव प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। पुनः खरीद के पश्चात कंपनी के इक्विटी शेयरों को 1,230,07,42,773 से कम करके 1,107,06,68,496 कर दिया गया है और पुनः खरीद किए गए शेयरों के अंकित मूल्य के समान 1230.07 करोड़ रूपये की राशि को पूंजी मोचन आरक्षित लेखे को अंतरित कर दिया गया है।

8. तवांग जल विद्युत परियोजना ने तवांग बेसिन में सभी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (नेहू) के माध्यम से संचालित किए जाने वाले जैव-विविधता अध्ययन के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण को 1.24 करोड़ रूपये का पूंजीगत अग्रिम दिया है। व्यय विवरण की प्राप्ति पर उक्त अग्रिम को अरूणाचल प्रदेश सरकार से एनएचपीसी द्वारा ली गई के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं से सबंधित व्यय के प्रति समायोजित करते हुए वसूल करने के लिए निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी द्वारा ली गई के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति अन्य परियोजनाओं के निर्माण हेतु आने पर प्राप्य है।

9. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन परामर्शी समिति (एफएसी) ने 12.7.2013 को आयोजित अपनी बैठक में दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना के संबंध में वन स्वीकृति को निरस्त करने की सिफारिश की थी। तथापि, एक समीक्षा अनुरोध पर निवेश संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीआई) ने अपनी 9.12.2013 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया था कि सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय शीघ्रता से वन भूमि के अपवर्तन हेतु अपेक्षित स्वीकृति प्रदान कर सकता है। तदनुसार, संशोधित प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि एफएसी ने अपनी 29/30.4.2014 को हुई बैठक में प्रस्ताव को अस्वीकार करने को दोहराया है तथा सिफारिश की है फिर भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना पर पुनः विचार हेतु कंपनी से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। अंतिम स्वीकृति लम्बित होने के चलते इस परियोजना पर व्यय की गई 149.04 करोड़ रूपये की राशि को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेनित किया गया है।

10. सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं, तथापि, महत्वपूर्ण तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी है। यद्यपि स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप शीघ्र ही पुनः प्रारंभ किया जाना प्रत्याशित है क्योंकि मामले पर भारत सरकार के स्तर पर अनुवर्तन किया जा रहा है, फिर भी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के मतानुरूप 766.90 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष की 386.88 करोड़ रूपये की राशि सहित) की ऋण लागत और 341.54 करोड़ रूपये (139.69 करोड़ रूपये की पिछले वर्ष की राशि सहित) की प्रशासन तथा अन्य लागत को वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

11. तीस्ता लो डैम-iv परियोजना में निर्माण क्रियाकलापों की प्रगति 20.3.2013 से एक संविदाकार द्वारा कार्य रोके जाने के कारण मन्द गति से चल रही है और उस संविदाकार को उसके जोखिम तथा लागत पर स्थल के कब्जे की प्राप्ति हेतु नोटिस जारी किया गया है। इन तथ्यों तथा परिस्थितियों के अंतर्गत 91.35 करोड़ रूपये की ऋण लागत और 67.91 करोड़ रूपये की प्रशासन तथा अन्य लागत को वर्ष के दौरान लाभ् एवं हानि लेखे पर प्रषरित किया गया है।

12. 17 जून, 2013 की प्रातः उत्तराखंड में बादल फटने और अप्रत्याशित बाढ़ के कारण पानी धौलीगंगा विद्युत स्टेशन (280 मेगावाट) में घुस गया और समूची प्रणाली डूब गई जो संयंत्र से उत्पादन को रोके जाने और उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी एवं विद्युत स्टेशन के विभिन्न सहायक ढांचों को क्षति में परिणत हुआ। विद्युत स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर हैं। तथापि, अधिक्य खण्ड से अधिक की किसी हानि, यदि कोई हो, को कम्पनी द्वारा वहन किया जाना होगा जिसका निर्धारण अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात होगा और तत्संबंधी प्रभाव का तदनुसार लेखांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत स्टेशन की यूनिट संख्या 4 तथा 3 को क्रमशः 30.4.2014 और 1.5.2014 को ग्रिड के साथ परीक्षण समक्रमित किया गया है। उत्तरी क्षेत्र लोड प्रेषण केन्द्र (एनआरएलडीसी) ने क्रमशः 3.5.2014 तथा 6.5.2014 से यूनिट संख्या 4 एवं 3 हेतु इंजेक्शन शेडयूल अनुमोदित किया है। अंतिम निपटान लम्बित होने तक 35 करोड़ रूपये तथा 99.99 करोड़ रूपये के लेखा भुगतान अद्यतन तिथि तक बीमा कंपनी से क्रमशः सामग्री क्षति तथा व्यापार अवरोध हेतु प्राप्त किए जा चुके हैं।

13. कोटली भेल-1ए परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश से कवर होती है जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अगले आदेशों तक इन परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न करने और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव-विविधता पर होने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। इस परियोजना के भविष्य के संबंध में निर्णय लंबित होने तक अद्यतन तिथि तक किए गए 126.37 करोड़ रूपये की राशि के व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, इस परियोजना पर किए गए बाद के व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

14. निदेशक मंडल ने अपनी 20.3.2014 को आयोजित बैठक में चर्चा की थी कि बरसर जल विद्युत परियोजना की व्यवहार्यता भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार से वित्तीय सपोर्ट पर निर्भर है। तदनुसार, परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत सरकार तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता हेतु प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए उन्हें एप्रोच करने का निर्णय लिया गया था। बोर्ड द्वारा यह पुष्टि की गई थी कि यदि परियोजना

को अर्थक्षम नही पाया जाता है तो परियोजना पर किए गए व्ययों को बटटेखाते में डाला जाना होगा। बाद में 23.5.2014 को विद्युत मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें जल संसाधन मंत्रालय और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और इसमें मामले को जल संसाधन मंत्रालय के साथ आगे अनुवर्तन लेने के लिए प्रस्ताव को पुनः विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। यह भी दर्शाया गया था कि जल संसाधन मंत्रालय बरसर जल विद्युत परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना मानते हुए उसकी डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां मुहैया करवाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगा। बोर्ड के इस प्रस्ताव के अनुरूप परियोजना की प्रारंभिक जांच जारी है और उस पर किए गए 154.64 करोड़ रूपये के व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेनित किया जा रहा है।

15. ऐसी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जहां न तो भूमि और न ही परिसंपत्ति कंपनी के स्वामित्व में है, उसे पूर्णता की अवधि तक चालू पूंजीगत कार्य और उसके पश्चात वित्त वर्ष 2012-13 तक इस मुद्दे पर तत्कालीन लेखांकन नीति संख्या 2.3 तथा 5.8 के अनुरूप वाणिज्यिक संबंधित परियोजना की पहली यूनिट का प्रचालन प्रारंभ होने के वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में अचल परिसंपत्ति के रूप में परिशोधन किया जाता है। तथापि, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने इस मुद्दे पर एक नई लेखांकन नीति संख्या 4.4 प्रारंभ की है जिसमें ऐसी सुविधाओं के सृजन हेतु परियोजना के निर्माण के दौरान किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नही होता है परन्तु जिसका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उसे ''निर्माण के दौरान व्यय पर प्रभारित किया जाता है।'' तदुनसार, 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारम्भ/संशोधित/समाप्त किया गया है -

नीति संख्या	विवरण	वर्ष हेतु लाभ पर प्रभाव
तत्कालीन नीति संख्या 2.3	ऐसी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय संबंधी नीति जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्ति कंपनी के स्वामित्व में है (समर्थकारी परिसंपत्तियां) को नई लेखांकन नीति संख्या 4.4 को लागू किए जाने पर समाप्त कर दिया गया है।	कर पश्चात लाभ में 1.28 करोड़ रूपये की वृद्धि
तत्कालीन नीति संख्या 5.8	नीति संख्या 2.3 में संदर्भित पूंजीगत व्यय के परिशोधन संबंधी नीति को लेखांकन नीति 2.3 को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरुप हटा दिया गया है।	
नीति संख्या 4.4	कंपनी का नियंत्रण न होने वाली सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय संबंधी नई नीति को प्रारम्भ किया गया है।	

16. वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी ने ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के संबंध में निर्माण संविदाओं पर लेखांकन मानक-7 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लागू होने पर आईसीएआई की ईएसी से मत प्राप्त किया है। उक्त मत के अनुसार ऐसे कार्यो के संबंध में प्रकटीकरण केवल एजेंसी शुल्क/सेवा प्रभार के संबंध में ही दिया जाना चाहिए क्योंकि उसे कम्पनी के राजस्व का भार माना जाता है। उक्त के मद्देनजर पिछले वर्ष के संबंध में भी प्रकटीकरण को संशोधित किया गया है। संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है -

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	रिपोर्टिंग तिथि तक चालू संविदाओं पर व्यय की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटाए पहचानी गई हानि) की संचित राशि	415.65	342.69
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	422.01	375.09
3.	प्रतिधारण की राशि	शून्य	शून्य
4.	परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	8.82	17.52
5.	देयता के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों को देय सकल राशि	6.30	7.27

17. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2013 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	0.60	(1.98)
(ii)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (ऋण लागत को रूप में)*	29.65	10.52
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	14.19	3.55
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	(0.02)	(0.09)
(v)	अचल परिसंपत्तियों की वहन राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	-	(170.33)

* तथापि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नही हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्ते) विनियम के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु विनिमय दर परिवर्तन को आईसीएआई की ईएसी के मतानुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से प्राप्य) को अंतरित किया जाता है।

18. 'कर्मचारी लाभों' के संबंध में लेखांकन मानक 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

क) विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :

निर्धारित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कपंनी का यह दायित्व है कि वह इस निधि मे अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

ख. सामाजिक सुरक्षा योजना

अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

ग. कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

घ. उपदान

कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड रुपये है। इस योजना का प्रबंधन संबंधित प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है और कंपनी का दायित्व न्यास को बीमांकिक मूल्य के आधार पर अंशदान देना है।

ङ. अवकाश

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमश: 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

च. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना(आरईएचएस)

कंपनी की एक सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धरित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

छ. सेवानिवृत्त/मृत्यु पर भत्ता

कपंनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

ज. सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह

कंपनी की नीति है कि वह अधिर्वाषता की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000 रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

उपरोक्त योजनाएं क, ख, ग और घ वित्त-पोषित हैं और शेष गैर-वित्तपोषित हैं।

31.03.2014 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है :-

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता :-

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (1994-96)
छूट दर	8.50%	8.00%
भविष्य की वेतनवृद्धि	6.50%	6.0%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन :-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
	वित्त-पोषित	गैर-वित्तपोषित	
वर्ष के प्रारंभ में पीवीओ	604.44 {568.40}	361.00 {383.82}	383.82 {325.28}
ब्याज लागत	48.35 {45.48}	28.88 {30.71}	30.71 {26.02}
वर्तमान सेवा लागत	25.31 {24.47}	18.09 {16.65}	9.50 {8.90}
अदा किया गया लाभ	(50.37) {(49.46)}	(57.19) {(140.18)}	(7.00) {(4.69)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(5.08) {15.55}	50.57 {70.00}	30.48 {28.31}
वर्ष के अंत में पीवीओ	622.65 {604.44}	401.35 {361.00}	447.51 {383.82}

तालिका-3 योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (वित्त-पोषित)
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	618.41 {-}
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	49.47 {-}
अंशदान	- {581.42}
निधि से निकासी	(38.00) {(-)}
योजनागत परिसंपत्तियों से बीमांकिक लाभ/(हानि)	6.70 {36.99}
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	636.58 {618.41}

तालिका-4 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
	वित्त-पोषित	गैर-वित्तपोषित	
वर्ष के शुरू में पीवीओ	622.65 {604.44}	401.35 {361.00}	447.51 {383.82}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	636.58 {618.41}	- {-}	- {-}
निधिक स्थिति	(13.92) {(13.97)}	(401.35) {(361.00)}	(447.51) {(383.82)}
अमान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	- {-}	- {-}	- {-}
तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता/परिसंपत्ति (-)	(-)13.92 {(-)13.97}	401.35 {361.00}	447.51 {383.82}

तालिका-5 : लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी खाते में मान्य राशि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्तमान सेवा लागत	25.31 {24.47}	18.09 {16.65}	9.50 {8.90}
ब्याज लागत	48.35 {45.48}	28.88 {30.71}	30.71 {26.02}
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	(49.47) {-}	- {-}	- {-}
वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(11.78) {(21.44)}	50.57 {70.00}	30.48 {28.31}
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी में मान्यताप्राप्त व्यय	12.41 {48.51}	97.54 {117.36}	70.69 {63.23}

नोट : {} पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।

सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2014 को क्रमशः 5.04 करोड़ रुपये और 2.96 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 4.94 करोड़ रुपये और 3.08 करोड़ रुपये) है।

19. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) कंपनी के सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए कंपनी का एक ही भौगोलिक खंड हैं।

20. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखांकन मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:-

क) संबंधित पक्ष

(i) संयुक्त उद्यम कम्पनियां

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री जी.साइ प्रसाद	संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, जिन्हें 24.07.2012 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया हैं।
श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
श्री जे के शर्मा	निदेशक (परियोजनांए)
श्री आर एस मीना	निदेशक (कार्मिक)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त) को वर्तमान वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 2.08 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 3.01 करोड़ रुपये) है।

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पक्षों के साथ किया गया लेन-देन शून्य।

21. प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रूपए में)	978.79	2,348.22
सार्वहर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	11980586454	12300742773
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत तथा कम किया गया	0.82	1.91
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

22. (क) संयुक्त उद्यमों मे हित :

कंपनी का नाम	निम्नांकित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2014	31.03.2013
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	20%	20%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड *	16.67%	16.67%
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड **	49.98%	49%

* कंपनी ने इस संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने का निर्णय लिया है।

** कंपनी एनएचपीसी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम निकाय है जिसमें इक्विटी भागीदारी 49:49:02 है। पिछले वर्ष के दौरान अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों अपने आनुपातिक अंश से कम का योगदान देने के कारण उक्त निकाय में एनएचपीसी की आनुपातिक धारिता 49 प्रतिशत से बढ़ कर 82 प्रतिशत हो गई थी। अतः 31.03.2013 तक उक्त निकाय को एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम मानने के बजाए इसकी अनुषंगी माना गया था। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान, अन्य भागीदारों ने भी अपना अनुपातिक अंश दे दिया है और उक्त निकाय को एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम माना गया है।

ख) उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत मे संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कपंनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

		31.03.2014 *	31.03.2013
क.	परिसंपत्तियां	278.53	170.33
ख.	देयताएं	155.71	91.50
ग.	आकस्मिक देयताए	1.62	0.01
घ.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	43.18	49.97
ड.	विदेशी मुद्रा में व्यय	-	0.14

		वर्ष 2013-14 हेतु*	वर्ष 2012-13 हेतु
क.	आय	5.74	1.51
ख.	व्यय	0.12	0.41

* मैसर्स नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के संबंध में गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित आंकड़ों सहित।

23. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2014 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

24. कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची-vi के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष हेत	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष हेत
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	5.73	17.43
	ii) कलपुजे	3.59	1.74
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ज़ानकारी	-	(0.57)
	ii) ब्याज	45.17	53.36
	iii) अन्य विविध मामले	216.18	108.64
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	2.51(9.29%)
	ii) देशीय	26.90	24.50(90.71%)
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य	0.05	3.03

* प्रोदभवन आधार।

25. प्रमाणित उत्सर्जन कमी (वीईआर) से संबंधित प्रकटीकरण :-

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	निवेश के रूप में धारित वीईआर की संख्या और मूल्यांकन का आधार	शून्य
2.	प्रमाणीकरण के अधीन वीईआर की संख्या	शून्य
3.	वर्ष के दौरान व्यय की गई उत्सर्जन कमी उपकरण का मूल्यह्रास और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत (करोड़ रुपए में)	शून्य
4.	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री किए गए वीईआर की संख्या और उनका तत्संबंधी मूल्य	5,31,480/-रूपए हेतु बिक्री की गई 16000 यूनिट

26. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपए में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	0.17
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज	0.10 *
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय, किन्तु अदा न किया गया ब्याज।	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

* लेखा बहियों में ब्याज लेखांकित नहीं किया गया है।

27. प्रारम्भिक शेष/पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

28. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु निदेशक मंडल द्वारा 30 मई, 2014 को प्रदान किए गए अनुमोदन के परिणामस्वरूप निदेशक मंडल ने 7.7.2014 को आयोजित बैठक में 0.30 रूपये प्रति शेयर (कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा फार्म, 1956 के नियम 23 के अंतर्गत निकटतम रूपये में पूर्णांक किए जाने के अधीन) की दर से लाभांश की सिफारिश की है। तदनुसार, कंपनी ने क्रमशः 332.12 करोड़ रूपये और 56.44 करोड़ रूपये की राशि के लाभांश तथा लाभांश वितरण कर हेतु प्रावधान किया है। निदेशक मंडल द्वारा पहले अनुमोदित लेखे में उस सीमा तक संशोधन किया जाता है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**ए.बी.एल. श्रीवास्तव**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 01601682	डीआईएन 00171920

हमारी समसंख्यक तिथी की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते सिंघी एण्ड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 302049ई	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 002870एन
(सीए भावना नंदा)	**(सीए बी.एल. छोरारिया)**	**(सीए राम कुमार गुप्ता)**	**(सीए देवेन्द्र मग्गू)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-095275	सदस्यता सं.-0022973	सदस्यता सं.-097382	सदस्यता सं.-085739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		**1,583.06**		**3,202.13**
	जोड़ें -				
	मूल्यह्रास (पूर्वावधि और ईआरवी प्रभाव सहित)	1,225.25		984.67	
	वित्त लागत (ईडीसी का निवल)	1,022.40		385.38	
	प्रावधान (निवल हानि)	179.77		5.38	
	टैरिफ समायोजन (हानि)	1.13		56.60	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/पश्चलेखित दाव	0.90		1.26	
	विनिमय दर अंतर	41.59		8.54	
	निवल विलंबित ईआरवी	63.68	2,534.72	92.34	1,534.17
			4,117.78		**4,736.30**
	घटाएं -				
	पश्चलिखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	50.17		49.34	
	प्रावधान (निवल लाभ)	38.09		192.87	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि की वसूली	1.06		0.51	
	लाभांश आय	377.92		32.03	
	ब्याज आय	766.28	1,233.52	658.66	933.41
	कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**2,884.26**		**3,802.89**
	कार्यशील पूंजी में कमी(वृद्धि)				
	माल सूची	(15.92)		(14.46)	
	व्यापार प्राप्य	194.21		(53.51)	
	अन्य परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	684.73		(425.36)	
	अन्य देयताएं और प्रावधान	408.45		(795.70)	
			1271.47		(1289.03)
	कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**4,155.73**		**2,513.86**
	घटाएं - कर		509.70		616.27
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**3,646.03**		**1,897.59**
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)		(1796.47)		(2083.75)
	निवेश/बॉण्ड से प्राप्ति		172.47		98.53
	ब्याज आय		766.28		658.66
	प्राप्त लाभांश		377.92		32.03
	निवेश क्रियाकलापो से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(479.80)**		**(1294.53)**

		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
ग.	**वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**		
	शेयरों की पुनः खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)	(2367.89)	0.00
	अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	(858.37)	(995.87)
	ऋण	2,528.01	2,526.65
	ऋणों का पुनर्भुगतान	- (1318.46)	(1200.66)
	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	(1461.70)	(1321.14)
	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(3478.41)**	**(991.02)**
	नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**(312.18)**	**(387.96)**
	अवधि के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य	5,616.01	6,003.97
	अवधि के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	5,303.83	5,616.01
		-	-

नकदी प्रवाह विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1 नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत चैक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड़ कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते हैं। तुलन-पत्र की टिप्पणी सं.18 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य के ब्यौरे निम्नानुसार है :

नकदी तथा नकदी-तुल्य	586.24	668.39
अन्य बैंक शेष *	4,717.59	4,947.62
	5,303.83	**5,616.01**

* अन्य बैंक शेष में 320.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 361.37 करोड़ रुपये), जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं, तथा 4.83 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.92 करोड़ रुपए) का अदा न किया गया लाभांश भी शामिल है, और ये राशियां कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

2 निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई ऋण लागत के प्रति 472.52 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 925.06 करोड़ रुपए) की राशि शामिल नहीं है।

3 31.3.2014 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 717.62 करोड़ रुपए है।

4 वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2014 तक 3477.90 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कम्पनी की प्रचलित निवेश नीति के अनुसार शेष 505.09 करोड़ रुपये बैंक जमा के रुप में निवेश किए गए हैं और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।

5 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**ए.बी.एल. श्रीवास्तव**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 01601682	डीआईएन 00171920

हमारी समसंख्यक तिथी की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते सिंघी एण्ड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 302049ई	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 002870एन
(सीए भावना नंदा)	**(सीए बी.एल.छोररिया)**	**(सीए राम कुमार गुप्ता)**	**(सीए देवेन्द्र मग्गू)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-095275	सदस्यता सं.-0022973	सदस्यता सं.-097382	सदस्यता सं.-085739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुपालन में अनुषंगी कंपनी से संबंधित विवरण

1.	कम्पनी का नाम और पता	एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल (मध्य प्रदेश)	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
2.	अनुषंगी कंपनी के वित्तीय वर्ष का समापन	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2014
3.	क) शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य (ख) धारण की सीमा	(क) 1000/-रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 1,00,24,200 इक्विटी शेयर। (ख) जारी किए गए 1,96,25,800 शेयरों में से 1,00,24,200 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड के पास हैं।	(क) 10/-रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 8,70,92,309 इक्विटी शेयर। (ख) जारी किए गए 11,76,92,309 शेयरों में से 8,70,92,309 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड के पास हैं।
4.	अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ/(हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में नहीं दर्शाया गया है।		
	(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष।	(क) तुलन-पत्र में लाभ के रूप में अग्रेनीत 270.75 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात 138.08 करोड़ रुपए।	(क) तुलन-पत्र में लाभ के रूप में अग्रेनीत 2.80 करोड़ रूपए का 74 प्रतिशत अर्थात 2.07 करोड़ रुपए।
		(ख) 59.05 करोड़ रुपए का लाभांश, जो 115.79 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।	(ख) शून्य
	ii) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्त वर्षो के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है।	तुलन-पत्र में अग्रेनीत लाभ के रूप में 2415.21 करोड़ रूपए का 51 प्रतिशत अर्थात 1231.76 करोड़ रुपये।	तुलन-पत्र में हानि के रूप में अग्रेनीत 10.19 करोड़ रूपए का 74 प्रतिशत अर्थात 7.54 करोड़ रुपए।
5.	अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ / (हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में दर्शाया गया हो :-		
	(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु।	(i) 345.84 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश जो 677.09 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।	शून्य
	(ii) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षो के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है।	(ii) 215.06 करोड़ रूपए का लाभांश जो 421.61 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।	शून्य
6.	अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच अनुषंगी कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड के हिस्से में परिवर्तन।	शून्य	शून्य
7.	वर्तमान देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए अनुषंगी कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों, निवेशों, ऋण देने और लेने के लिए अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच वास्तविक परिवर्तन	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00171920

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

अनुबंध - IX

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षका का यह दायित्व है कि कि वह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं सुनिश्चितता मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करें। यह कार्य लेखापरीक्षक द्वारा अपनी दिनांक 07 जुलाई, 2014 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट(संशोधित) के माध्यम से पूरा किया गया बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कागजात देखे बिना स्वंतत्र रूप से की गई है और इसे मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी कार्मिकों की जांच तथा कुछेक लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित रखा गया है। लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिस पर टिप्पणी की जाए या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरक रिपोर्ट दी जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-

(**तनुजा एस. मित्तल**)

प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा एवं

पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-।।।,

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 अगस्त, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अनुबंध - X

सेवा में
निदेशक मंडल
एनएचपीसी लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी'') और इसकी सहायक कंपनियों (''समूह'') के समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2014 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है, पर दिनांक 30 मई, 2014 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। इन वित्तीय विवरणों को सदस्यों के समक्ष परिचालित किए जाने से पूर्व 7 जुलाई, 2014 को निदेशक मंडल द्वारा संशोधित किया गया था। हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 31 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो 388.56 करोड़ रूपये की राशि के प्रस्तावित लाभांश, जिसमें लाभांश वितरण कर शामिल है, की घोषणा के कारण वित्तीय विवरणों में संशोधन में परिणत हुआ। बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधि केवल वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 29 पैरा 31 में संदर्भित किए अनुसार वित्तीय विवरणों के संशोधन तक ही सीमित है। हम लेखे के संशोधित वित्तीय विवरण पर निम्नानुसार सूचित करते हैं :-

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी'') और इसकी अनुषंगियों (समूह) के 31 मार्च, 2014 के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार एवं अन्य विवरणात्मक जानकारी की लेखा-परीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन समेकित वित्तीय विवरण को इस प्रकार से तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का हैं ताकि वे कंपनी अधिनियम, 1956 (''अधिनियम'') की धारा 211 की उप-धारा (3सी), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पढ़ा जाता है, में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाह का एक सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करें। इस उत्तरदायित्व में ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उचित रूप से प्रस्तुत करने से संगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल होता है जो एक सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करें और महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हो, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षण की योजना तथा निष्पादन इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि समेकित वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर समेकित वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करने वाले समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, परंतु निकाय के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर मत व्यक्त करने के प्रयोजन हेतु नहीं। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ समेकित वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराती है।

मत

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं:

(क) समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 को कंपनी की स्थिति का;

(ख) समेकित लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का; और

(ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

मामले का बल दिया जाने वाला क्षेत्र

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

(क) वित्तीय विवरणों के पैरा 1 की टिप्पणी संख्या 7 जो फरवरी तथा मार्च, 2014 माह में आहरित अधिक वेतन की वापसी के संबंध में है जिसे बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों द्वारा वसूल किया जाना है जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी के इस आशय के अनुमोदन को प्रभावी किया जाएगा कि वेतनमान 1.1.1997 से निर्धारित वेतनमानों में कमियों को ठीक करने के पश्चात 1.1.2007 से निर्धारित किए जाएं। 1.2.2014 से वसूली प्रभावी करने के सक्षम प्राधिकारी के निदेशों को क्रियान्वित करने की कार्रवाई की पुष्टि विद्युत मंत्रालय के पास लम्बित है।

(ख) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 11 पैरा 2 जो नोट संख्या 29 पैरा 12 तथा 17 के साथ पढ़े जाने पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं के परिणामों के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। ऐसी परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने के लिए किए गए व्यय को अग्रेनित किया जा रहा है क्योंकि यह परियोजनाएं अन्वेषण/स्वीकृति लम्बित/विभिन्न प्राधिकारियों के पास वित्तीय सहायता के अंतर्गत हैं।

(ग) वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 29 का पैरा 4 जो कंपनी द्वारा/इसके विरूद्ध संविदाकारों तथा अन्यों पर/उनके द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी वाद के परिणामों के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करता है। कुछ मामलों में अधिनिर्णय का पंचाट निर्णय कंपनी के विपरीत हुआ है/निचली अदालतों में कंपनी हार गई है और मामले को उच्चतर अदालतों में उठा रही है। प्रबंधन कंपनी के विरूद्ध निर्णयों के संबंध में किसी संभावित बाह्य प्रवाह की परिकल्पना नही करता है सिवाए लेखा बहियों में पहले प्रावधान किए गए है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।

अन्य मामले

हमने कंपनी की निम्नलिखित अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की है और समेकित वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने की सीमा तक इन अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में परिसंपत्तियों, राजस्व तथा निवल नकदी प्रवाह के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

(करोड़ रूपए में)

नाम	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
अनुषंगी			
एनएचडीसी लिमिटेड	7,762.53	2,115.43	(1,434.36)
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	142.92	4.31	(56.81)
संयुक्त उद्यम कम्पनियां			
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	107.17	0.00	(24.40)
नेशनल पॉवर एक्सचेंज लिमिटेड	6.91	0.67	(0.86)
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	512.09	11.25	42.25

ये वित्तीय विवरण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए गए है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, सिवाय नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड हेतु जिसके गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (एनएचपीसी लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित) समेकित किए गए है। हमारे मतानुसार, जहां तक अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों के संबंध में हमारा मत है, ये पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर और नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार आधारित है। इन मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते सिंघी एण्ड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 302049ई	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 002870एन
(सीए भावना नंदा)	**(सीए बी.एल.छोरारिया)**	**(सीए राम कुमार गुप्ता)**	**(सीए देवेन्द्र मग्गू)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-095275	सदस्यता सं.-0022973	सदस्यता सं.-097382	सदस्यता सं.-085739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

31 मार्च, 2014 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
I. इक्विटी और देयताए			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	11,070.67	12,300.74
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	17,175.30	17,494.33
(2) अल्पसंख्यक हित		3,065.68	2,890.12
(3) गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) दीर्घावधि ऋण	4	19,309.04	18,805.90
(ख) स्थगित कर देयता	5	934.39	624.09
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	1,728.18	1,827.10
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7	825.10	729.95
(4) वर्तमान देयताएं			
(क) व्यापार प्राप्य	8	223.41	189.14
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	9	3,263.70	3,198.26
(ग) अल्पावधि प्रावधान	7	3,805.66	4,276.47
कुल		**61,401.13**	**62,336.10**
II. आस्तियां			
(1) गैर-वर्तमान आस्तियां			
(क) अचल आस्तियां			
(i) गोचर आस्तियां	10.1	26,035.41	20,228.86
(ii) अगोचर आस्तियां	10.2	3,553.82	3,308.45
(iii) चालू पंजी कार्य	11	14,923.98	19,961.84
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	12	1,022.63	1,196.33
(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	1,135.85	1,276.22
(घ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	14	1,324.32	1,132.38
(2) चालू आस्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	15	250.74	250.74
(ख) मालसूची	16	79.84	64.22
(ग) व्यापार प्राप्य	17	2,422.43	2,240.05
(घ) नकदी तथा बैंक शेष	18	6,142.78	7,976.46
(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	13	2,732.55	2,452.84
(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	19	1,776.78	2,247.71
कुल		**61,401.13**	**62,336.10**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय	28		
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	29		

टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**ए.बी.एल. श्रीवास्तव**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 01601682	डीआईएन 00171920

हमारी समसंख्यक तिथी की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते सिंघी एण्ड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 302049ई	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 002870एन
(सीए भावना नंदा)	**(सीए बी.एल.छोरारिया)**	**(सीए राम कुमार गुप्ता)**	**(सीए देवेन्द्र मग्गू)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-095275	सदस्यता सं.-0022973	सदस्यता सं.-097382	सदस्यता सं.-085739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु	
आय					
i) प्रचालन से राजस्व	20	7465.92		6406.17	
घटाएं : विद्युत शुल्क		49.98	7,415.94	-	6,406.17
ii) अन्य आय	21		1,322.09		1,215.15
कुल राजस्व			8,738.03		7,621.32
व्यय					
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	22		1,900.07		1,181.70
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	23		1,132.59		951.52
iii) वित्त लागत	24		1,180.21		596.21
iv) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25		1,499.37		1,241.07
कुल राजस्व			5,712.24		3,970.50
पूर्व अवधि मदों, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा सतत प्रचालन से कर पूर्व लाभ			3,025.79		3,650.82
पूर्वावधि मदे (निवल)	26		497.24		(4.09)
विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ			2,528.55		3,654.91
विशिष्ट मदें			-		(240.01)
असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ			2,528.55		3,894.92
असाधारण मदें			-		-
कर पूर्व लाभ			2,528.55		3,894.92
कर संबंधी व्यय	27				
i) वर्तमान कर		538.42		738.75	
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		46.68		9.80	
iii) विलंबित कर		310.30		273.73	
कर संबंधी कुल व्यय			895.40		1,022.28
वर्ष के लिए लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन से पूर्व)			1,633.15		2,872.64
अल्पसंख्यक हित को अंतरित लाभ/हानि का अंश			414.40		255.23
वर्ष के लिए लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन के पश्चात)			1,218.75		2,617.41
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)					
बुनियादी तथा तनूकृत			1.02		2.13
तनूकृत			1.02		2.13
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय	28				
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	29				
टिप्पणी 1 से 29 इस लेखे का अभिन्न अंग है।					

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**ए.बी.एल. श्रीवास्तव**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 01601682	डीआईएन 00171920

हमारी समसंख्यक तिथी की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते सिंघी एण्ड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएटस**	**कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 302049ई	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 002870एन
(सीए भावना नंदा)	**(सीए बी.एल.छोरारिया)**	**(सीए राम कुमार गुप्ता)**	**(सीए देवेन्द्र मग्गू)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-095275	सदस्यता सं.-0022973	सदस्यता सं.-097382	सदस्यता सं.-085739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

टिप्पणी संख्या-1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - समेकित

1. तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरणों को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोद्भवन आधार, कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पढ़ा जाता है जिसमें उसके अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल है और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है।

2. अचल परिसंपत्तियां

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.3 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रुप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रुप में माना गया है।

2.4 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि-इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.5 अधिशेष घोषित अचल परिसंपत्तियों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रुप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रुप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(b) कलपुर्जो के पश्च लेखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्ज़ों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्ज़ों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(c) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को "भंडार एवं कलपुर्ज़े" माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर लिया जाता है। परियोजना के निर्माण पर आरोप्य प्रशासनिक तथा सामान्य ऊपरी तथा अन्य व्यय को "निर्माण के दौरान व्यय(ईडीसी)" के अंतर्गत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना के चालू होने पर व्यस्थित आधार पर प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर आवंटित किया जाता है, सिवाय भूमि तथा आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को "निर्माण के दौरान व्यय" (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रुप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रुप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

4.4 ऐसी सुविधाओं, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नही होता है परन्तु जिनका निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक होता है, के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय "निर्माण के दौरान व्यय(ईडीसी)" पर प्रभारित किया जाता है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के सृजन पर किया गया व्यय "लाभ एवं हानि विवरण" को प्रभारित किया जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 मूर्त अचल परिसम्पत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यह्रास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है :-

(i)	निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी	11.25%
(ii)	कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण	30%

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रुप से (शत-प्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रुप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्त वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता हैं।

5.6.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.6.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास ऐसी परिसंपत्ति के उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से संबंधित भूमि के पट्टे की शेष अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, अधिनिर्णय/अदालती मामले के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.9 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 सामग्री और कलपुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रुप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित किए अनुसार निश्चित अंशदान योजनाओं के प्रति कंपनी की देयता को लेखांकित और संबंधित निधियों को उनका भुगतान किया जाता है, जिनका प्रशासन पृथक न्यासों के माध्यम से किया जाता है।

9.2 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित किए अनुसार निश्चित अंशदान योजनाओं के प्रति कंपनी की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उपदान निधि का प्रशासन एक पृथक न्यासों के माध्यम से किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखे (आरईए) को अंतिम रुप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रुप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रुप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण "संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संबंध में उसे पूर्ण करने के लिए अनुमानित लागत" के प्रति "सूचित तिथि तक वहन की गई लागत" के अनुपात में किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है। लाभांश आय को उक्त के प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रुप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि कंपनी द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अर्हक मूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रुप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रुप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह आंकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर क्षतिग्रस्त है। यदि ऐसा कोई संकेतक विद्यमान हो, तो कंपनी सीजीयू की प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाती है। नकदी उत्पादक यूनिटों की वहन लागत, प्राप्य लागत से अधिक होने पर क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है। प्राप्य राशि में परिवर्तन होने और ऐसी हानि के या तो अब विद्यमान न होने अथवा कम हो जाने पर क्षति हानि को वापिस किया जाता है।

15. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधान को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरुप कंपनी की वर्तमान बाध्यता हो और यह संभावना हो कि देयता के निपटान हेतु संसाधनों का बाह्य प्रवाह अपेक्षित होगा और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकता हो। प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को देयता के निपटान हेतु अपेक्षित प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है और उसमें वर्तमान मूल्य के लिए छूट नहीं दी जाती। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए उनका समायोजन किया जाता है।

16. सहायता अनुदान

मध्य प्रदेश सरकार से "सिंचाई और आर एण्ड आर घटक" के प्रति और गुजरात सरकार से "सरदार सरोवर घटक" के प्रति प्राप्त अंशदान की राशि जो व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की लागत से संबंधित नही है उसे प्रारम्भ में सहायता अनुदान - आरक्षित माना जाता है और बाद में उसी अनुपात में ऐसे योगदान से प्राप्त परिसंपत्तियों पर बटटेखाते में डाले गए मूल्यह्रास के रुप में समायोजित किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 2 : शेयर पूंजी

विवरण		31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
		संख्या में	(करोड़ रू पए में)	संख्या में	(करोड़ रू पए में)
क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	15000000000	15,000.00	15000000000	15,000.00
ख)	जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	11070668496	11,070.67	12300742773	12,300.74
ग)	इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान	**शेयरों की संख्या**	**शेयरों पूंजी (करोड़ रू पए में)**	**शेयरों की संख्या**	**शेयरों पूंजी (करोड़ रू पए में)**
	बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	12300742773	12,300.74	12300742773	12,300.74
	जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/ सब्सिक्राइब्ड शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	-	-	-	-
	घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद के कारण शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	1230074277	1,230.07	-	-
	बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	11070668496	11,070.67	12300742773	12,300.74
घ)	कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।				
ङ)	कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	**31 मार्च, 2014 को**		**31 मार्च, 2013 को**	
		संख्या में	**प्रतिशत में**	**संख्या में**	**प्रतिशत में**
	- भारत के राष्ट्रपति	9516209722	85.96	10623368758	86.36

च) 31.03.2014 के ठीक पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, कंपनी ने अनुबंध का अनुपालन करते हुए बिना नकदी के भुगतान के पूर्ण प्रदत्त के रुप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रुप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/ किसी इक्विटी शेयर को वापिस नहीं खरीदा है।

छ) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने 19.25 रुपए प्रति शेयर (अंकित मूल्य 10 रुपए प्रति शेयर) की दर पर 1230074277 शेयरों की पुनः खरीद की है।

टिप्पणी सं. 3 : आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
पूंजी मोचन आरक्षित				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	-		-	
जोड़े : अधिशेष से अंतरण	1230.07		-	
तुलन-पत्रक की तारीख पर		1,230.07		-
सहायता-अनुदान - आरक्षित				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	605.52		616.59	
जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन	155.76		29.78	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	36.55		29.20	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजन	-		11.65	
तुलन-पत्रक की तारीख पर		724.73		605.52
प्रतिभूति प्रीमियम खाता		2,868.74		2,868.74
बांड शोधन आरक्षित				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	649.55		414.63	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	249.45		249.17	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	14.25		14.25	
तुलन-पत्रक की तारीख पर		884.75		649.55

टिप्पणी सं. 3 : आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
स्व बीमा निधि				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	820.82		772.77	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	51.74		48.84	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजन			(0.13)	
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	2.73		0.92	
	869.83		820.82	
घटाएं : दावों के कारण समायोजन	8.82		7.29	
तुलन-पत्रक की तारीख पर		861.01		813.53
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि/फंड				
पिछले तुलन पत्रक के अनुसार	23.50			
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	9.35		23.50	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	7.88			
तुलन-पत्रक की तारीख पर		24.97		23.50
अनुसंधान एवं विकास निधि				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	-		-	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	21.90		-	
तुलन-पत्रक की तारीख पर		21.90		-
सामान्य आरक्षित				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	4120.06		4120.06	
जोड़ें: अधिशेष से अंतरित	54.33		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान पुनः खरीद हेतु प्रयुक्त	1,137.82		-	
घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरण	1,230.07			
तुलन-पत्रक की तारीख पर		1,806.50		4,120.06
अधिशेष*		8,752.63		8,413.43
कुल		**17,175.30**		**17,494.33**
* अधिशेष				
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		1,218.75		2,617.41
अग्रेणीत शेष		8,413.43		6,964.38
धारण के अनुपात में परिवर्तन/ संयुक्त उद्यम के गैर-समेकन के कारण प्रारंभिक शेष में समायोजन		(0.67)		1.69
जोड़े :				
बांड विमाचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि		14.25		14.25
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्चलिखित राशि		7.88		-
स्व बीमा निधि से पश्चलिखित राशि		3.97		0.92
लाभांश पर कर -पश्चलिखित		5.11		4.88
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष		**9,662.72**		**9,603.53**
बांड विमाचन आरक्षी को अंतरित		249.45		249.17
स्व बीमा निधि को अंतरित		51.74		48.84
सामान्य आरक्षित को अंतरित		54.33		-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि को अंतरित		9.35		23.50
अनुसंधान एवं विकास निधि को अंतरित		21.90		-
लाभांश				
-प्रस्तावित		332.13		738.05
लाभांश पर कर				
- अंतरिम		115.07		-
- प्रस्तावित		76.12		130.54
अग्रेणीत शेष #		**8,752.63**		**8,413.43**

संयुक्त नियंत्रण वाले निकायों का 3.25 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष (-)1.52 करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण
बॉण्ड्स						
-प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे क देखें)	5850.28	63.85	5786.43	4,907.28	57.00	4850.28
- अप्रतिभूत						-
सावधि ऋण						
• बैंकों से						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ख देखें)	4596.15	352.39	4243.76	4,616.32	378.54	4237.78
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ग देखें)	2061.56	203.65	1857.91	2,226.54	184.54	2042.00
• अन्य पार्टियों से						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे घ देखें)	5911.42	838.93	5072.49	6,744.12	838.93	5905.19
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ङ देखें)	2400.07	51.62	2348.45	1,845.99	75.34	1770.65
# कुल	20819.48	1,510.44	19309.04	20340.25	1,534.35	18805.90
# संयुक्त नियंत्रण वाले निकायों का 6.24 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) का अंश शामिल है।						
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि (प्रतिभूति के ब्यौरों हेतु टिप्पणी सं. 12 देखे)	2,164.81	255.27	1909.54	2,403.72	259.88	2,143.84
31.03.2014 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	-	-		-	-	-
31.03.2014 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	-	-		-	-	-

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)			31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
(क)	**बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)-प्रतिभूत**			
	i)	**कर मुक्त बॉण्ड - 3ए शृंखला * 5 और 10** (1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	-
	ii)	**कर मुक्त बॉण्ड - 3बी शृंखला * 5 और 10** (1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	-
	iii)	**कर मुक्त बॉण्ड - 2ए शृंखला * 5 और 10** (1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	-
	iv)	**कर मुक्त बॉण्ड - 2बी शृंखला * 5 और 10** (1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	-
	v)	**बॉण्ड - आर-3 शृंखला * 5** (10,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.2.2019 से 11.02.28 के बीच 89.20 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	892.00	892.00

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)		31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
vi)	**बॉण्ड - क्यू श्रंखला * 6** (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (12.3.2016 से 12.03.27 के बीच 105.50 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	1,266.00	1,266.00
vii)	**बॉण्ड - आर-2 श्रंखला * 5** (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2016 से 11.02.27 के बीच 31.84 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	382.08	382.08
viii)	**बॉण्ड - आर-1 श्रंखला * 5** (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2015 से 11.02.26 के बीच 6.85 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	82.20	82.20
ix)	**बॉण्ड - पी श्रंखला * 5, 7 और 10** (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (01.02.16 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	2,000.00	2,000.00
x)	**कर मुक्त बॉण्ड - 1ए श्रंखला * 5 और 10** (1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	-
xi)	**कर मुक्त बॉण्ड - 1बी श्रंखला * 5 और 10** (1000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	-
xii)	**बॉण्ड - ओ श्रंखला * 2** (10,00,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (31.03.2009 से 31.03.2018 के बीच 57 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)	228.00	285.00
	कुल बॉण्ड (क)	**5850.28**	**4907.28**
(ख)	**सावधि ऋण -प्रतिभूत (बैंक)**		
i)	**स्टेट बैंक आफ पटियाला *1** (31.03.2014 को 9.40 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये प्रत्येक की 6 छमाही किस्तों में 31.03.2014 तक पुनर्भुगतान योग्य)	12.00	16.00
ii)	**केनरा बैंक *2** (31.03.2014 को 6.86 प्रतिशत की ऊपरी सीमा की अस्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किस्तों में 09.11.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य)	60.00	80.00
iii)	**सिंडिकेट बैंक *2** (31.03.2014 को 7.20 प्रतिशत की ऊपरी सीमा की अस्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किस्तों में 23.02.2014 तक पुनर्भुगतान योग्य)	54.90	73.20
iv)	**ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2** (31.03.2014 को 7.20 प्रतिशत की ऊपरी सीमा की अस्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किस्तों में 31.03.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	60.00	80.00
v)	**ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2** (31.03.2014 तक 7.20 प्रतिशत की ऊपरी सीमा की अस्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 7 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)	70.00	80.00

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)		31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
vi)	**इंडियन बैंक *1**	-	33.34
	(27.02.2014 को अदा किया गया)		
vii)	**इंडियन बैंक *4 और 9**	75.00	75.00
	(31.03.2014 को 11.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 29.09.2014 को 75 करोड़ रुपये का एकबारगी पुनर्भुगतान)		
viii)	**यूको बैंक *8**	875.00	958.33
	(31.03.2014 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 41.67 करोड़ रुपये प्रत्येक की 21 छमाही किस्तों में 30.06.2024 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
ix)	**कारपोरेशन बैंक *11**	500.00	500.00
	(31.03.2014 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 06.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
x)	**केनरा बैंक *11**	200.00	200.00
	(31.03.2014 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.16 करोड़ रुपये प्रत्येक की 47 तिमाही किस्तों में 16.07.2026 तक जमा 16.10.2026 को 4.48 करोड़ रुपए की अंतिम किश्त के साथ पुनर्भुगतान योग्य)		
xi)	**इंडियन ओवरसीज बैंक *11**	200.00	200.00
	(31.03.2014 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xii)	**पंजाब एंड सिन्ध बैंक *11**	200.00	200.00
	(31.03.2014 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 17.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xiii)	**इंडसइंड बैंक *11**	-	100.00
	(09.10.2013 को पुनर्भुगतान किया गया)		
xiv)	**सिंडिकेट बैंक *11**	300.00	300.00
	(31.03.2014 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6.25 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 02.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xv)	**यूनियन बैंक आफ इंडिया *11**	150.00	150.00
	(31.03.2014 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.13 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 03.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xvi)	**स्टेट बैंक आफ इंडिया * 3 & 6**	1,000.00	500.00
	(31.03.2014 को 10.49 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 20.83 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 27.03.2028 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xvii)	**स्टेट बैंक आफ हैदराबाद * 1 & 6**	500.00	100.00
	(31.03.2014 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 28.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xviii)	**सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया * 13**	-	202.80
	(03.03.2014 को पुनर्भुगतान किया गया)		
xix)	**देना बैंक * 13**	-	171.72
	(03.03.2014 को पुनर्भुगतान किया गया)		
xx)	**देना बैंक * 13**	-	154.79
	(05.03.2014 को पुनर्भुगतान किया गया)		
xxi)	**एचडीएफसी बैंक लिमिटेड * 13**	204.91	242.16
	(31.03.2014 को 12.50 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 18.63 करोड़ रुपए प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xxii)	**एचडीएफसी बैंक लिमिटेड * 13**	134.34	156.73
	(31.03.2014 को 11.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 11.20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 30.09.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xxiii)	**युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया * 13**		42.25
	(08.10.2013 को पुनर्भुगतान किया गया)		
	कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूत)	**4,596.15**	**4,616.32**

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
(ग) सावधि ऋण -अप्रतिभूत (बैंक)-विदेशी मुद्रा		
i) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-I*12 (31.03.2014 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 7.16 करोड़ रुपये प्रत्येक की 24 छमाही किस्तों में 20.01.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	171.80	184.36
ii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-II*12 (31.03.2014 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 23.48 करोड़ रुपये प्रत्येक की 28 छमाही किस्तों में 20.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	657.55	697.83
iii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-III*12 (31.03.2014 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 17.35 करोड़ रुपये प्रत्येक की 40 छमाही किस्तों में 20.03.2014 से 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)	693.86	704.46
iv) डश बैंक और अन्य *12 (0.57 प्रतिशत छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन की अस्थिर ब्याज दर पर 53.84 करोड़ रुपये प्रत्येक की 10 छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	538.35	639.89
कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	**2,061.56**	**2,226.54**
(घ) सावधि ऋण -अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)		
i) भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7 58.33 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 1400 करोड़ रूपये पर 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 14 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	1,458.33	1,666.67
ii) भारतीय जीवन बीमा निगम *6 (31.03.2014 को 9.118 प्रतिशत औसत ब्याज दर पर 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 20 समान छमाही किस्तों में 30.04.2012 से 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	1,580.00	1,738.00
iii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8 (31.03.2014 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 18.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 30 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	562.50	637.50
iv) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8 (31.03.2014 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रुपये प्रत्येक की 18 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	83.70	102.30
v) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8 (31.03.2014 को 9.90 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 30 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	52.50	59.50
vi) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2&3 (31.03.2014 को 10.54 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 36.425 करोड़ रुपये प्रत्येक की 29 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	1,056.33	1,202.03
vii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1 (31.03.2014 को 10.54 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 10.325 करोड़ रुपये प्रत्येक की 21 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	216.83	258.12
viii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1 (31.03.2014 को 10.54 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की 23 समान तिमाही किस्तों में 15.01.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	287.50	337.50
ix) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *14 (31.03.2014 को 10.80 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 67.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की 20 समान छमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	607.50	742.50
x) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *15 ऋण का पुनर्भुगतान 40 समान त्रैमासिक किश्तों में किया जाएगा। मूलधन का पुनर्भुगतान परियोजना के चालू होने की तिथि से 2 वर्ष पश्चात प्रारंभ होगा, तथापि ब्याज का पुनर्भुगतान चालू किए जाने के पश्चात होगा। कंपनी उक्त ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएससी नीति के अनुसार प्रत्येक संवितरण की तिथि पर विद्यमान ब्याज की दर से करेगी।	6.24	-
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	**5,911.43**	**6,744.12**

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)		31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
(ङ)	**सावधि ऋण अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)**		
	विदेशी मुद्रा		
i)	**एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा *12**	103.25	177.18
	(31.03.2014 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 25.81 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
	केन्द्र सरकार से ऋण		
ii)	**निम्मो - बाज़गो पावर-स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	270.00	270.00
	(4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 15 करोड़ की 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)		
iii)	**चुटक पावर-स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	364.00	364.00
	(2.5 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 15.17 करोड़ रु पए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)		
iv)	**किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	1,662.82	1,034.81
	(1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)		
	कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	**2,400.07**	**1,845.99**
	समग्र योग (क + ख + ग + घ +ङ)	**20,819.49**	**20,340.25**

*** प्रतिभूति का विवरण**

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरुप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरुप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-II के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरुप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
4. मणिपुर राज्य में अवस्थित कंपनी के लोकतक पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
5. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरुप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
6. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम- I।। पावर स्टेशन तथा सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता-5 पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
7. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा पावर स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर समरुप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम समरुप प्रभार द्वारा संरक्षित।
9. हिमांचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के बैरास्यूल पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
10. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरुप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
11. जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के चूटक पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के निम्मो-बाज़गो पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के उड़ी पावर स्टेशन और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरुप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
12. उपरोक्त क्रमांक ग(i), ग(ii), ग(iii), ग(iv) और ङ(i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।
13. ऋणदाताओं के पक्ष में एनएचडीसी लिमिटेड की इंदिरा सागर परियोजना की अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख को जमा करके पहले समरुप प्रभार और इसकी सभी वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों पर भी पहले समरुप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।
14. ऋणदाताओं के पक्ष में एनएचडीसी लिमिटेड की ओमकारेश्वर परियोजना अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख को जमा करके पहले समरुप प्रभार और इसकी सभी वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों पर भी पहले समरुप प्रभर द्वारा प्रत्याभूत।
15. ऋण समूचे ब्याज सहित कंपनी की परियोजनाओं की सारी चल परिसंपत्तियों (बही ऋण के अतिरिक्त) जिसमें चल मशीनरी, मशीनरी कलपुर्जे, औजार तथा एक्सेसरीज, ईंधन स्टॉक, कलपुर्जे और परियोयजना स्थल पर वर्तमान तथा भविष्य की सामग्री शामिल है, पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में रेहन के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा प्रत्याभूत हैं।

टिप्पणी सं. 5 : स्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
स्थगित कर देयताएं				
i) मूल्यह्रास	3922.53		3679.78	
घटाएं : स्थगित कर परिसंपत्तियां				
i) संदिग्ध ऋणों, माल-सूची और अन्य के लिए प्रावधान	123.25		102.24	
ii) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	131.47		120.67	
स्थगित कर देयता		3,667.81		3,456.87
घटाएं : वसूली योग्य		2,733.42		2,832.78
स्थगित कर देयता (निवल)#		**934.39**		**624.09**

संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों का अंश शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 "आय पर कर" का अनुपालन करते हुए 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रुपये 210.94 करोड़ (पिछले वर्ष 349.17 करोड़ रुपए) स्थगित कर देयता के रुप में सृजित किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 6 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	कुल देयता	घटाएं :- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता	कुल देयता	घटाएं :- वर्तमान देयता	दीर्घावधि देयता
जमा/प्रतिधारण निधि	409.32	149.75	259.57	437.63	140.41	297.22
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	1379.92	50.17	1329.75	1,430.09	50.17	1,379.92
विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित आय	138.86	-	138.86	149.96	-	149.96
कुल #	**1,928.10**	**199.92**	**1,728.18**	**2,017.68**	**190.58**	**1,827.10**

संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों का अंश 0.22 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.08 करोड़ रुपए) शामिल है।

टिप्पणी सं. 7 : प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
		दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल
क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	716.30	44.93	761.23	1190.64	108.53	1,299.17
	वर्ष के दौरान वर्धन	79.55	91.86	171.41	44.55	121.22	165.77
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.00	64.95	64.95	518.22	184.82	703.04
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	0.67	-	0.67
	अंतिम शेष	**795.85**	**71.84**	**867.69**	**716.30**	**44.93**	**761.23**
ख)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		28.69	28.69		31.16	31.16
	वर्ष के दौरान वर्धन		2.91	2.91		3.62	3.62
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		-	-			-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		0.02	0.02		6.09	6.09
	अंतिम शेष		31.58	31.58		28.69	28.69
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		**31.58**	**31.58**		**28.69**	**28.69**
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		-	-		-	-

	विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
ग)	**उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		73.60	73.60		146.69	146.69
	वर्ष के दौरान वर्धन		68.28	68.28		76.88	76.88
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		64.90	64.90		142.78	142.78
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		6.14	6.14		7.19	7.19
	अंतिम शेष		**70.84**	**70.84**		**73.60**	**73.60**
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		0.04	0.04		0.04	0.04
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		**70.80**	**70.80**		**73.56**	**73.56**
घ)	**सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		17.91	17.91		223.21	223.21
	वर्ष के दौरान वर्धन		42.52	42.52		10.76	10.76
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		20.11	20.11		169.17	169.17
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		0.02	0.02		46.89	46.89
	अंतिम शेष		**40.30**	**40.30**		**17.91**	**17.91**
ड)	**अन्य**						
i)	**कराधान हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		2185.39	2185.39		1914.38	1,914.38
	वर्ष के दौरान वर्धन		602.70	602.70		738.81	738.81
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		571.46	571.46		467.80	467.80
	अंतिम शेष		**2,216.63**	**2216.63**		**2185.39**	**2,185.39**
ii)	**प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		738.04	738.04		861.05	861.05
	वर्ष के दौरान वर्धन		332.12	332.12		738.04	738.04
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		738.04	738.04		861.05	861.05
	अंतिम शेष		**332.12**	**332.12**		**738.04**	**738.04**
iii)	**प्रस्तावित लाभांश पर कर**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		135.44	135.44		149.23	149.23
	वर्ष के दौरान वर्धन		76.12	76.12		135.44	135.44
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		130.33	130.33		144.35	144.35
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		5.11	5.11		4.88	4.88
	अंतिम शेष		**76.12**	**76.12**		**135.44**	**135.44**
iv)	**प्रावधान - अन्य**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		404.62	404.62		397.87	397.87
	वर्ष के दौरान वर्धन		402.64	402.64		48.81	48.81
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		22.33	22.33		17.47	17.47
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		8.07	8.07		24.59	24.59
	अंतिम शेष		**776.86**	**776.86**		**404.62**	**404.62**

टिप्पणी सं. 7 : प्रावधान *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
v)	**टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		91.63	91.63		34.60	34.60
	वर्ष के दौरान वर्धन		1.13	1.13		57.03	57.03
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		42.52	42.52		-	-
	अंतिम शेष		**50.24**	**50.24**		**91.63**	**91.63**
vi)	**निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		2.89	2.89		16.26	16.26
	वर्ष के दौरान वर्धन		-	-		3.25	3.25
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		-	-		11.47	11.47
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		2.89	2.89		5.15	5.15
	अंतिम शेष		**-**	**-**		**2.89**	**2.89**
vii)	**धारणीय विकास/अनुसंधान एवं विकास व्यय हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		20.44	20.44			-
	वर्ष के दौरान वर्धन			-		20.44	20.44
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		20.44	20.44			-
	अंतिम शेष		**-**	**-**		**20.44**	**20.44**
viii)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	13.65	561.62	575.27	9.86	686.71	696.57
	वर्ष के दौरान वर्धन	17.98	-	17.98	4.59	30.55	35.14
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.38	390.87	393.25	0.80	24.56	25.36
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	131.08	131.08
	अंतिम शेष	**29.25**	**170.75**	**200.00**	**13.65**	**561.62**	**575.27**
	कुल #	**825.10**	**3,805.66**	**4,630.76**	**729.95**	**4,276.47**	**5,006.42**

संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में दीर्घावधि प्रावधानों में 0.04 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) और अल्पावधि प्रावधानों में 2.72 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) बोर्ड ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/खंड-2 के माध्यम से बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे के संबंध में वेतनमान संबंधी सक्षम प्राधिकारी के इस अनुमोदन को सम्प्रेषित करने वाले कि 1.1.97 से निर्धारित वेतनमान में कमियों का सुधार करने के पश्चात वेतनमान 1.1.2007 से निर्धारित किए जाएं और 1.1.97 से निर्धारित विपथनकारी वेतनमानों को नियमित नही किया जाए कि निदेशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। सक्षम प्राधिकारी के निदेशों को प्रभावी करते हुए फरवरी तथा मार्च, 2014 माह हेतु आहरित अधिक वेतन को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और इसे कर्मचारियों से वसूला जाना है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.5.2014 के पत्र संख्या पीडब्ल्यूए-504-खंड-4/ 62 के माध्यम से सूचित करते हुए यह पुष्टि की है कि 1.2.2014 से वैयक्तिक समायोजन की वसूली सक्षम प्राधिकारी के उक्त निदेश के अनुरुप है। पुष्टि लम्बित होने पर 'वेतन संशोधन हेतु प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत वैयक्तिक समायोजन वेतन (फिटमेंट लाभ) के प्रति 31.58 करोड़ रुपये (31.1.2014 तक वर्तमान वर्ष के 2.91 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित) की संचित राशि को इसके प्रति 'अदा किए गए अग्रिम' के तौर पर तदनुरुपी राशि को दर्शाया गया है।

2. 'प्रावधान-अन्य' समूह के अंतर्गत प्रावधानों में से 65.54 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 38.47 करोड़ रुपए) की राशि प्रोटेस्ट के अंतर्गत जमा की गई थी और उसे टिप्पणी संख्या 13-जमा एवं अग्रिम में "जमा राशियां" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 8 : व्यापार देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
वस्तुओं और सेवाओं हेतु	223.41	189.14
कुल #	**223.41**	**189.14**

संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में 0.79 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.65 करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी सं. 30 लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 9 : अन्य चालू देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (देखे टिप्पणी सं. 4)		1,510.44		1,534.35
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज		249.19		217.67
अग्रिम प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)		50.17		50.17
अदा न किया गया लाभांश		4.83		3.92
पूजीं कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता		540.75		561.75
जमा/प्रतिधारण निधि		149.75		140.41
जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि		0.04		0.04
सांविधिक देयताएं		283.90		243.55
अन्य देयताएं		270.86		192.41
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	227.36		318.02	
घटाएं :जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	222.29	5.07	276.04	41.98
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4,417.35		4,262.40	
घटाएं : परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	4,222.62		4,054.36	
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	(3.97)	198.70	(3.97)	212.01
कुल #		**3,263.70**		**3,198.26**

संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में 5.96 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.18 करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

* **ऊपर दर्शाए गए मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि और दीर्घावधि ऋणों की प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत वर्तमान परिपक्वता की प्रतिभूति के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी सं. 4 में प्रकट किए गए है।**

टिप्पणी स. 10.1 गोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2013	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2014	01.04.2013	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2013
भूमि-फ्रीहोल्ड	229.69	30.59	-	-	260.28	-	-	-	-	260.28	229.69
भूमि-लीजहोल्ड	340.81	46.34	4.17	(12.07)	370.91	30.99	10.87	(9.34)	32.52	338.39	309.82
सड़कें और पुल	376.38	7.61	7.17	(53.14)	323.68	94.83	11.59	(15.98)	90.44	233.24	281.55
भवन	2,703.59	721.94	16.14	(25.49)	3,383.90	770.82	97.45	(23.32)	844.95	2,538.95	1,932.77
रेलवे साइडिंग्स	40.31	-	-	(1.34)	38.97	17.51	2.67	(1.34)	18.84	20.13	22.80
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	16,295.46	3,908.49	-	(3.62)	20,200.33	4,744.37	843.61	12.29	5,600.27	14,600.06	11,551.09
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	8,254.45	2,630.22	11.77	(0.08)	10,872.82	2,717.62	438.77	6.52	3,162.91	7,709.91	5,536.83
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	114.02	4.97	0.16	(0.57)	118.26	53.43	4.30	(0.45)	57.28	60.98	60.59
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	71.78	2.48	-	(1.42)	72.84	22.74	3.74	(1.29)	25.19	47.65	49.04
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	39.74	2.34	0.02	(0.73)	41.33	14.68	2.26	(0.68)	16.26	25.07	25.06
निर्माण उपकरण	98.39	10.68	1.32	(0.06)	107.69	62.04	5.89	(1.24)	66.69	41.00	36.35
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	40.12	3.89	0.04	(0.30)	43.67	7.12	1.68	(0.32)	8.48	35.19	33.00
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.53	0.82	0.02	(0.39)	4.94	1.58	0.24	(0.40)	1.42	3.52	2.95
वाहन	29.90	3.73	2.05	(2.40)	29.18	20.02	1.14	(3.78)	17.38	11.80	9.88
विमान / नौकाएं	0.62	0.24	0.07	(0.01)	0.78	0.27	0.04	(0.07)	0.24	0.54	0.35
फर्नीचर और फिक्सचर	53.47	4.81	0.60	(2.93)	54.75	26.64	3.53	(2.29)	27.88	26.87	26.83
कम्प्यूटर	60.48	5.36	2.22	(3.81)	59.81	48.25	4.94	(5.09)	48.10	11.71	12.23
संचार उपकरण	14.42	1.05	0.17	(0.41)	14.89	6.59	0.84	(0.49)	6.94	7.95	7.83
कार्यालय उपकरण	46.93	3.96	1.54	(1.63)	47.72	20.83	2.94	(2.08)	21.69	26.03	26.10
अनुसंधान और विकास उपकरण	2.55	-	-	(0.01)	2.54	0.47	0.16	(0.01)	0.62	1.92	2.08
अन्य आस्तियां	54.40	4.62	1.24	(1.93)	55.85	22.86	3.21	(2.02)	24.05	31.80	31.54
उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	61.05	0.55	27.71	(33.89)	-	23.35	-	(23.35)	-	-	37.70
गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <5000 रूपये	18.21	1.61	0.61	(2.04)	17.17	18.20	1.55	(2.59)	17.16	0.01	0.01
अप्रचलित / अधिशेष अस्तियाँ	2.77	0.65	0.26	(0.75)	2.41	-	-	-	-	2.41	2.77
कुल #	**28,954.07**	**7,396.95**	**77.28**	**(149.02)**	**36,124.72**	**8,725.21**	**1,441.42**	**(77.32)**	**10,089.31**	**26,035.41**	**20,228.86**
पिछले वर्ष	26,290.49	2,896.15	38.93	(193.64)	28,954.07	7,540.42	1,219.94	(35.15)	8,725.21	20,228.86	18,750.07

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के अंश के रूप में निवल ब्लाक में 6.42 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.03 करोड़ रूपए) शामिल है।

टिप्पणी स. 10.2 अगोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2013	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2014	01.04.2013	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2013
भूमि-इस्तेमाल का अधिकार	3,946.09	378.38	-	(2.00)	4,322.47	638.45	131.13	-	769.58	3,552.89	3,307.64
अगोचर परिसंपत्तियां - कम्प्यूटर साफ्टवेयर	39.03	1.07	0.06	(0.46)	39.58	38.22	0.93	(0.50)	38.65	0.93	0.81
कुल #	**3,985.12**	**379.45**	**0.06**	**(2.46)**	**4,362.05**	**676.67**	**132.06**	**(0.50)**	**808.23**	**3,553.82**	**3,308.45**
पिछले वर्ष	4,002.56	114.47	131.38	(0.53)	3,985.12	570.01	106.91	(0.25)	676.67	3,308.45	3,432.55

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के अंश के रूप में शून्य करोड़ रूपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रूपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1) 296.77 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 284.23 करोड़ रुपये) मूल्य की 978.95 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2356.79 हेक्टेयर) भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं। उनके पंजीकरण से संबंधित स्टैम्प शुल्क आदि व्यय को घटित होने के बाद हिसाब में लिया जाएगा।

2) भूमि के अतर्गत सुबानसिरी-अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 7.83 हैक्टेयर भूमि शामिल नहीं है।

3) गोचर परिसंपत्तियों में वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 10244.93 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9362.50 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।

4) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास हेतु परियोजना के पूंजीकरण के समय सकल ब्लाक में समायोजन, परिसंपत्तियों का अंतर-शीर्ष वर्गीकरण और गलत वर्गीकरण सुधार हेतु समायोजन शामिल है।

5) सेवा-।।, चूटक, चमेरा-।।।, तीस्ता लो डैम-।।।, निम्मो बाजगो, उडी और पार्बती-।।। विद्युत स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन विद्युत स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

6) समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिर्वतन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	31.03.2014 के अनुसार (करोड़ रुपए में)	31.03.2013 के अनुसार (करोड़ रुपए में)
सड़कें और पुल	-	(1.52)
भवन	-	(13.71)
हाइड्रोलिक वैज्ञानिक कार्य	-	(125.89)
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	-	(28.98)
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	-	(0.15)
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी अन्य	-	0.02
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	-	(0.06)
कुल	-	(170.29)

टिप्पणी सं. 11 : चालू पूंजी कार्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2013	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2014
सड़कें और पुल	69.54	13.46	(19.74)	7.62	55.64
भवन	1,300.25	200.62	144.85	706.37	939.35
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,707.18	1,171.98	1,417.95	3,839.65	5,457.46
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,945.60	331.45	1,094.07	2,556.75	2,814.37
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	9.16	0.37	0.81	2.69	7.65
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	3.94	1.58	(0.39)	3.51	1.62
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	2.26	0.41	(0.85)	1.33	0.49
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	2.54	2.29	0.11	3.71	1.23
संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य आस्तियां	2.67	42.54	(2.13)	30.64	12.44
उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं।	103.83	0.16	(103.99)	-	(0.00)
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	256.85	37.67	(34.19)	-	260.33
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	0.64	15.95	-	-	16.59
निर्माण के दौरान खर्च *	7,488.53	1,011.78	(3,147.98)	-	5,352.33
घटाएं : प्रावधानों के लिए	119.60	55.91	(5.88)	-	169.63
उप जोड़ (क)	**19,773.39**	**2,774.35**	**(645.60)**	**7,152.27**	**14,749.87**

*** अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 28 देखें**

	01.04.2013		समायोजन		31.03.2014
निर्माण भंडार	190.11	-	(14.47)	-	175.64
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.66	-	(0.13)	-	1.53
उप जोड़ (ख)	188.45	-	(14.34)	-	174.11
जोड़ #	**19,961.84**	**2,774.35**	**(659.94)**	**7,152.27**	**14,923.98**
पिछले वर्ष	19,398.67	3,361.27	4.07	2,802.17	19,961.84

संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में 187.11 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.52 करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1) निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रुप में 472.66 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 925.06 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

2) सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 799.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 781.26 करोड़ रुपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.79 करोड़ रुपये की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए एक व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में 43.56 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 755.46 करोड़ रुपये के शेष में से 114.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 84.16 करोड़ रुपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 641.12 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 553.53 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेनित किया गया है।

3) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को लेखें में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबद्ध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

4) किरूऔर क्वार जल विद्युत परियोजनाएं मैसर्स चेनाब वेली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड, जेकेएसपीडीसी तथा पीटीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा निष्पादित की जानी है। इन परियोजनाओं को 30.6.2013 को संयुक्त उद्यम कंपनी को सौंपा गया है। तदनुसार, वर्तमान वर्ष के दौरान 30.6.2013 तक इन परियोजनाओ पर एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा व्यय की गई 103.03 करोड़ रुपये की राशि को भी संयुक्त उद्यम कंपनी को अंतरित किया गया है।

5) निर्माण के दौरान व्यय में तिपाइमुख जल विद्युत परियोजना में किया गया 2.38 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है, जिसे मणिपुर सरकार और एसजेवीएन लिमिटेड की प्रतिभागिता के साथ एक प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। उक्त राशि का प्रावधान वर्तमान अवधि के दौरान बहियों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परियोजना को वन स्वीकृति प्रदान किए जाने में इंकार के चलते किया गया है।

6) अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 3776.61 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3460.39 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को सीडब्ल्यूआईपी के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

7) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरुप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रेनीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 12 : गैर वर्तमान निवेश

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
व्यापार उद्धृत		
- इक्विटी माध्यम से	12.00	12.00
व्यापार अनुद्धृत		
- 8.50 प्रतिशत कर मुक्त राज्य सरकार विशेष बॉण्ड	259.29	510.02
- शेयर आवेदन राशि		1.53
गैर व्यापार - उद्धृत		
- इक्विटी माध्यम से	0.36	0.36
- सरकारी प्रतिभूति	299.70	268.42
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ लोक वित्त संस्थान और कारपोरेट बॉण्ड	451.28	404.00
कुल #	**1,022.63**	**1,196.33**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए)

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
उद्धृत निवेश		
(i) संचित लागत	763.34	684.78
(ii) संचित बाजार मूल्य	815.75	755.22
गैर-उद्धृत निवेश		
(i) संचित लागत	259.29	511.55
(ii) मूल्य में कमी हेतु संचित प्रावधान	-	-
लेखांकन नीति सं. 6 के अनुसार मूल्यांकन		

टिप्पणी सं. 13 : ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**पूंजी अग्रिम**						
	-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.39		0.39	3.87		3.87
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदले	460.27		460.27	613.08		613.08
	-अन्य	146.53		146.53	159.95		159.95
	घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	10.72		10.72	6.38		6.38
	-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	47.81		47.81	45.56		45.56
	घटाएं :संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	47.81		47.81	45.56		45.56
ख)	**जमा राशियां**						
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	92.60	54.21	146.81	52.42	39.88	92.30
	-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	0.51	0.51	-	0.51	0.51
	घटाएं :संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान	-	0.51	0.51	-	0.51	0.51
ग)	**अन्य ऋण और अग्रिम**						
	i) कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
	-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	156.38	23.41	179.79	127.68	21.03	148.71
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	26.83	37.41	64.24	37.19	33.36	70.55
	-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02
	ii) संविदाकार/ आपूर्तिकार/ सेवा प्रदाता को अग्रिम						
	-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		0.30	0.30	-	0.71	0.71
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	– बैंक गारंटी के बदले		10.09	10.09	-	15.26	15.26
	– अन्य		20.26	20.26	-	12.39	12.39
	-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		0.47	0.47	-	0.48	0.48
	iii) **ग्राहक से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण**						
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	38.04	25.36	63.40	63.41	38.04	101.45
	iv) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण						
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	225.00		225.00	225.00		225.00
	v) अन्य अग्रिम						
	-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.53	30.95	31.48	-	1.64	1.64
	घटाएं : संदिग्ध अन्य ऋणों तथा अग्रिम हेतु प्रावधान	-	0.49	0.49	-	0.50	0.50
	vi) अग्रिम आय कर तथा स्रोत पर कटौती किया गया कर		2,530.56	2530.56	-	2290.53	2,290.53
	कुल #	1,135.85	2,732.55	3,868.40	1,276.22	2,452.84	3,729.06

संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में दीर्घावधि ऋण तथा अग्रिम में 6.45 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.33 करोड़ रुपए) और अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम में 3.83 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.25 करोड़ रुपए) शामिल है।

	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
व्याख्यात्मक टिप्पणी	₹ in Crore	₹ in Crore
निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा	0.02	0.05
ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।		

टिप्पणी सं. 14 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
क) दीर्घावधि व्यापार प्राप्य		427.95		188.01
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए				
ख) अन्य				
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :				
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	177.96		144.83	
- अन्य	-	177.96	6.35	151.18
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां		713.64		789.35
विदेशी मुद्रा उतार-चढाव पर विलंबित व्यय		4.77		3.84
कुल #		**1,324.32**		**1,132.38**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल है।

टिप्पणी सं. : 15 चालू निवेश

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
व्यापार अनुद्धृत		
- 8.50 प्रतिशत कर मुक्त राज्य सरकार विशेष बॉण्ड	250.74	250.74
कुल #	250.74	250.74

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
गैर-उद्धृत निवेश		
संचित लागत	250.74	250.74
मूल्य में कमी हेतु संचित प्रावधान	-	
- लेखांकन नीति सं. 6 के अनुसार मूल्यांकन		

टिप्पणी सं. 16 : मालसूची

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)				
भंडार तथा कलपुर्जे	96.91		81.81	
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	1.91	98.82	2.11	83.92
खुले औजार		2.16		1.88
रद्दी मालसूची		1.00		1.30
स्थल पर सामग्री		3.16		1.94
संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री		0.61		0.38
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		25.91		25.20
कुल #		**79.84**		**64.22**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल है।

टिप्पणी सं. 17 व्यापार प्राप्ति योग्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
भुगतान हेतु देय होने की तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य		
-अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	727.16	473.72
-अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए	34.77	43.70
अन्य व्यापार प्राप्य		
-अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	1,695.27	1,766.33
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34.77	43.70
कुल #	**2,422.43**	**2,240.05**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देय अथवा प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

टिप्पणी सं. 18 नकदी एवं बैंक अधिशेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क नक़दी एवं नकदी समकक्ष		
हस्तगत नकदी (रु. 0.01 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.01 करोड़) के स्टैम्प शामिल हैं।)	0.23	0.36
हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	15.93	0.27
बैंकों में शेष राशि		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते में		
- स्व बीमा निधि	0.46	0.46
- अन्य	272.42	291.79
- जमा खातों में (तीन माह या उससे कम की परिपक्वता वाले जमा)		
- अन्य	662.61	952.21
• अन्य बैंकों के साथ		
- चालू खाते में		
- बैंक ऑफ भूटान	0.01	0.07
ख अन्य बैंकों में शेष		
तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि वाले जमा		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- स्व बीमा निधि	22.67	45.80
- आईपीओ प्राप्तियां	509.09	1,089.34
- अन्य	4,590.03	5,324.08
जमा खाता- अदा न किया लाभांश	4.83	3.92
12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले जमा		
- अन्य	64.50	268.16
कुल #	6,142.78	7,976.46

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में 70.13 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7.64 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2014 तक 3477.90 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कम्पनी की प्रचलित निवेश नीति के अनुसार शेष 509.09 करोड़ रुपये बैंक जमा के रुप में निवेश किए गए हैं और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।

2) नकदी तथा बैंक शेष में लेटर ऑफ क्रेडिट अथवा समान सुविधा खोलने हेतु बैंकों के साथ रखी गई 0.31 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.47 करोड़ रुपये) की सीमांत राशि शामिल है जो 31.3.2014 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

3) नकदी तथा बैंक शेष में कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो हेतु 320.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 361.37 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है जो कम्पनी के व्यापार हेतु मुक्त रुप से उपलब्ध नहीं है।

4) नकदी तथा बैंक शेष में ओमकारेश्वर परियोजना के संबंध में "भूमि हेतु भूमि" के प्रति भू-वचितों द्वारा जमा की गई 5.11 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10.48 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है जो 31.3.2014 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

5) नकदी तथा बैंक शेष में माननीय विधि न्यायालयों के आदेशानुसार बैंक में रखी गई 8.24 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 7.80करोड़ रुपये) की राशि शामिल है जो 31.3.2014 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी सं. 19 : अन्य चालू आस्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
क) निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :-				
उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	32.97		37.28	
जमा राशियां				
- आईपीओ	8.16		70.68	
- स्व-बीमा	16.83		20.14	
- अन्य जमा राशियां	266.79		245.17	
अन्य				
- अच्छे माने गए	2.20		35.73	
- संदिग्ध माने गए	67.94		-	
उप-जोड़	394.89		409.00	
घटाएं : सदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	67.94	326.95	-	409.00
ख) बिल न किए गए राजस्व खाते में प्राप्तियां		480.18		1,269.38
ग) संयुक्त उद्यमों से प्राप्य		140.09		-
घ) लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज		111.27		335.72
ङ) प्राप्य दावे			453.24	
घटाएं : सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	329.06	697.31	260.00	193.24
च) निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहकों की ओर से)		20.75		20.75
छ) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06		37.06	
घटाएं : बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	37.06	-	37.06	-
ज) बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा/जांच लंबित होने वाली हानियां			9.31	
घटाएं : लंबित जांच वाली/ बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षित हानियों के लिए प्रावधान	11.35	-	9.31	-
झ) अन्य		0.23		19.62
कुल #		**1,776.78**		**2,247.71**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में 0.95 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.17 करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) ग्राहकों के बकाया का निपटान करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए ऋण के अंतर्गत रु. 32.97 करोड़ (पिछले वर्ष 32.97 करोड़ रुपये) मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित हैं। इसके समान राशि अन्य देयताओं के अंतर्गत टिप्पणी-9 में (अन्य चालू देयताओं) दर्शायी गई है क्योंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को प्रोत्साहनों के भुगतान के मुद्दे का अभी समाधान नहीं हुआ है।

2) बिल न किए गए राजस्व के खाते में प्राप्यों के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :- 1) जम्मू कश्मीर जल उपकर रु. 210.27 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 908.81 करोड़) 2) कर समायोजन 24.41 करोड़ (पिछले वर्ष 8.48 करोड़) 3) एमईए बिक्री रु. 1.72 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 5.84 करोड़) 4) अन्य रु. 243.78 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 346.25 करोड़)।

टिप्पणी सं. 20 : प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रुपए में)

	विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**बिक्री**					
	ऊर्जा की बिक्री			7,243.44		6,487.40
	घटाएं :					
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अन्तर हेतु समायोजन		105.35		118.10	
	टैरिफ समायोजन		1.13		57.03	
	विनियमित बिक्री समायोजन		5.83		195.82	
	बिजली उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व (नोट सं.28 आई (क)देखें)		8.35	120.66	37.58	408.53
		उप-जोड़ क		**7,122.78**		**6,078.87**
ख	**मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्चलिखित**	**उप-जोड़ ख**		50.17		50.17
ग	**अन्य प्रचालनशील आय**					
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)			212.10		156.77
		उप-जोड़ ग		212.10		156.77
घ	**संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**					
	संविदा आय		41.32		65.05	
	परियोजना प्रबंधन/ परामर्शी कार्यों से राजस्व		39.55		55.31	
		उप-जोड़ घ		**80.87**		**120.36**
		कुल योग (क+ख+ग+घ) #		**7,465.92**		**6,406.17**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) बिक्री को केन्द्रीय विद्युत/विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम टैरिफ के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है सिवाय चमेरा-।।।, चूटक, तीस्ता लो डैम-।।।, निम्मो बाजगो, उदी-।।, तथा पार्बती-।।। विद्युत स्टेशनों के संबंध में। चमेरा-।।।, चूटक, निम्मो बाजगो और उदी-।। विद्युत स्टेशनों के संबंध में बिक्री को इन विद्युत स्टेशनों हेतु सीईआरसी द्वारा दिए गए अनंतिम टैरिफ के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है, तीस्ता लो डैम-।।। विद्युत स्टेशन पर बिक्री को सीईआरसी के पास दायर पूंजीगत लागत के 85 प्रतिशत के आधार पर मान्यता दी गई है और पार्बती-।।। विद्युत स्टेशन पर बिक्री को परियोजना की स्वीकृत पूंजीगत लागत के आधार पर अनंतिम रुप से मान्यता प्रदान की गई है।

2) बिक्री के अंतर्गत रु. 371.43 करोड़ (पिछले वर्ष 92.01 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष की बिक्री के रुप में शामिल है, जिन्हें चालू वर्ष के टैरिफ को अंतिम रूप देते समय शामिल किया गया।

3) कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आवंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनुरुप बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में 11.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 339.38 करोड़ रुपये) शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो। तदनुसार, 5.83 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 195.82 करोड़ रुपये) उन लाभार्थियों के बकाया देयों में समायोजित किए

4) बिक्री में रु. 553.29 करोड (पिछले वर्ष रु. 848.54 करोड़) शामिल है, जिसकी बिलिंग अभी की जानी है।

5) दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरुप, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान बहियों में रु. 1.13 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 57.03 करोड) का प्रावधान किया गया है।

6) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-7/145/(160)/ 2000-सीईआरसी दिनांक 19.01.2009 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 39 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जाती है और इसका लेखांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुरुप, चालू वर्ष की बिक्री में रु. 148.80 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 85.24 करोड़) स्थगित कर के रुप में शामिल हैं, जो वर्ष के दौरान वसूल किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 21 : अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**गैर-वर्तमान निवेश से आय**		
	व्यापार		
	- लाभांश-अन्य	1.92	1.80
	- ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5% कर मुक्त बॉण्ड)	59.34	80.65
	गैर-व्यापार		
	- लाभांश-अन्य	0.10	0.16
	- ब्याज-स्व बीमा निधि	60.66	56.05
ख)	**अन्य**		
	ब्याज		
	- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	7.01	9.16
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	33.27	30.54
	- जमा खाता-स्व बीमा निधि	3.97	4.86
	- जमा खाता- स्व बीमा निधि से इतर	754.52	713.31
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	12.64	10.52
	- अन्य	134.96	121.11
	विलंब भुगतान अधिभार	121.57	75.11
	स्व उत्पादित वीईआर की बिक्री से आय	0.05	3.03
	व्यापार बाधा के कारण होने वाली हानि की वसूली	99.99	-
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.06	0.51
	देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	41.21	222.66
	अन्य	46.76	38.90
	विनिमय दर अंतर	32.54	18.45
	कुल (क+ख)	**1,411.57**	**1,386.82**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय	64.60	136.80
	घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित	24.88	34.87
	आय लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल #	**1,322.09**	**1,215.15**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रूप में 5.74 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.12 करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1)	प्रावधान/देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है		
	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	-	0.02
	भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.99	0.21
	खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	14.64	148.69
	खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	5.77	1.12
	लंबित जांच हानियों/पश्च लेखन की प्रतीक्षा कर रही हानियों के लिए प्रावधान	-	5.52
	मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	-	6.09
	पीआरपी/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	5.94	7.19
	अधिवर्षिता/ पेंशन निधि के लिए प्रावधान	0.02	46.89
	अन्य	13.85	6.93
	कुल	**41.21**	**222.66**

2) लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-iv परियोजना से संबंधित 58.72 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमशः व्याख्यात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 13 तथा 14 में दिया गया हैं।

टिप्पणी सं. 22 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क. उत्पादन व्यय				
जल उपयोग प्रभार		630.04		592.44
ख. भंडार एवं कलपुर्जों की खपत		30.05		28.88
ग. संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय		23.09		32.59
घ. मरम्मत तथा अनुरक्षण				
- भवन	49.42		40.38	
- मशीनरी	31.90		51.78	
- अन्य	115.00	196.32	58.56	150.72
ड. प्रशासनिक व्यय				
किराया	52.75		44.06	
दरें और कर	203.24		10.47	
बीमा	74.44		53.28	
स्व: बीमा निधि का उपयोग	3.97		0.92	
सुरक्षा व्यय	155.86		135.30	
विद्युत प्रभार	115.35		47.17	
यात्रा एवं वाहन	22.30		21.04	
वाहनों पर खर्च	10.69		9.72	
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	13.84		10.99	
विज्ञापन एवं प्रचार	11.00		8.49	
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.60		0.56	
दान या चंदा	-		2.50	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	6.30		6.65	
पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.36		0.38	
परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	10.74		8.04	
परामर्शी प्रभार -विदेशी	2.10		0.05	
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	48.04		29.04	
कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय	30.64		6.56	
परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	0.75		0.91	
बट्टे खाते डाली गयी परिसम्पत्तियां/दावें	0.16		0.36	
पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	13.16		0.65	
लाभग्राही राज्यों को ब्याज	9.29		14.34	
ग्राहकों को छूट	26.67		25.35	
कारपोरेट सामाजिक दायित्व/ धारणीय विकास/ सामुदायिक विकास व्यय	36.05		19.14	
स्व उत्पादित वीईआरएस पर व्यय	0.01		1.25	
अन्य सामान्य खर्च	102.54		88.84	
विनिमय दर अंतर	47.33		20.02	
लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)	2.43		1.79	
निदेशक खर्च	0.27		0.29	
विनियमित बिजली पर व्यय	0.89		20.20	
घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	0.89	- 1,000.88	20.20	- 568.16
कुल		**1,880.38**		**1,372.79**

टिप्पणी सं. 22 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
च. प्रावधान				
खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	5.72		-	
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	2.25		45.79	
खराब तथा संदिग्ध दावे/ब्याज हेतु प्रावधान	139.61		60.27	
भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	0.63		1.42	
परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	55.91		3.00	
अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान मुहैया करवाया गया	2.40		0.79	
अन्य	0.01		-	
		206.53		111.27
जोड़ (क+च)		**2,086.91**		**1,484.06**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि		186.76		302.35
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली		0.08		0.01
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**1,900.07**		**1,181.70**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रूप में .08 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.19 करोड़ रूपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यत: परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2) कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, 31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए 9.29 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 14.34 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरुप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।

3) लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए में)

i) **सांविधिक लेखा-परीक्षक**	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		30.09.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
लेखा-परीक्षक के रूप में				
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.54		0.51	
कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.16	0.70	0.16	0.67
अन्य क्षमता में				
कराधान मामले	0.01		-	
अन्य मामले/ सेवाएं	0.81	0.82	0.46	0.46
खर्चों की अदायगी		0.75		0.53
ii) लागत लेखा परीक्षक				
लेखा-परीक्षा शुल्क		0.15		0.12
खर्चों की अदायगी		0.01		0.01
		2.43		1.79

4) लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-iv परियोजना से संबंधित 220.70 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमश: विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 13 तथा 14 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 23 : कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	30.09.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,198.15	1,213.37
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	195.53	195.75
कर्मचारी कल्याण व्यय	129.47	117.69
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	0.11	0.01
कुल	**1,523.26**	**1,526.82**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	390.00	574.59
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0.67	0.71
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**1,132.59**	**951.52**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में .08 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.16 करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 41.22 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 38.81 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।

2) उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है :	31.03.2014 को समाप्त अवधि हेतु	30.09.2013 को समाप्त अवधि हेतु
i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	78.51	72.42
ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	100.76	70.23
	179.27	**142.65**

3) लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-iv परियोजना से संबंधित 107.17 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमशः विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 13 तथा 14 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 24 : वित्तीय लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		30.09.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**निम्नलिखित पर ब्याज -**				
	भारत सरकार ऋण	14.22		-	
	बॉण्ड	473.97		339.93	
	विदेशी मुद्रा ऋण	45.17		54.22	
	सावधि ऋण	1,081.30		1,087.78	
	अन्य ब्याज प्रभार	7.40		1.96	
	उप जोड़		**1,622.06**		**1,483.89**
ख.	**अन्य ऋण लागत**				
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	2.84		0.86	
	प्रतिबद्धता शुल्क	0.07		2.56	
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	28.84		33.95	
	अन्य वित्त प्रभार	4.62		6.81	
	उप जोड़		**36.37**		**44.18**

टिप्पणी सं. 24 : वित्तीय लागत *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		30.09.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
ग. विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि					
ब्याज लागत में समायोजन के रुप में समझा गया विनिमय अंतर		29.66		10.52	
घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन		(29.66)		(10.52)	
	उप जोड़		-		-
	कुल (क से ग)		**1,658.43**		**1,528.07**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत			478.22		931.86
लाभ एवं हानि लेखा में ले जाया गया कुल			**1,180.21**		**596.21**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-iv परियोजना से संबंधित 483.73 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमश: विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 13 तथा 14 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 25 : मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	30.09.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	1,573.48	1,326.85
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	(12.27)	(15.24)
कुल	**1,561.21**	**1,311.61**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25.29	41.34
घटाएं : सहायता अनुदान - आरक्षित को समायोजन (बट्टे खाते डाला गया अनुदान) (देखिए टिप्पणी सं. 3)	36.55	29.20
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**1,499.37**	**1,241.07**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि विवरण में अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-iv परियोजना से संबंधित 8.08 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमश: विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 13 तथा 14 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 26 : पूर्वावधि व्यय (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	30.09.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	-	(0.83)
देनदारों से ब्याज/अधिभार	(12.79)	-
अन्य	4.52	17.04
उप जोड़ (क)	**(8.27)**	**16.21**
व्यय		
वेतन तथा मजदूरी	0.29	2.16
मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.92	(0.51)
वित्त लागत	(0.21)	-
मूल्यह्रास तथा परिशोधन	1.93	(3.13)
अन्य	490.50	16.07
उप जोड़ (ख)	**493.43**	**14.59**
कुल पूर्वावधि व्यय (ग) = (ख)-(क)	**501.70**	**(1.62)**

टिप्पणी सं. 26 : पूर्वावधि व्यय (निवल) (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		30.09.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
घटाएं - ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय					
पूर्वावधि व्यय		3.87		2.43	
घटाएं - पूर्वावधि आय		(0.59)		(0.04)	
	उप जोड़ (घ)		4.46		2.47
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल (ग-घ)			**497.24**		**(4.09)**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में शून्य करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल में सुबानसिरी लोअर परियोजना और तीस्ता लो डैम-4 परियोजना से संबंधित 506.73 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जिसका विवरण क्रमश: विवरणात्मक टिप्पणी संख्या 29, पैरा 13 तथा 14 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 27 : कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		30.09.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
आय कर प्रावधान		538.42		738.75
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		46.68		9.80
आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)	210.94		349.17	
घटाएं : वसूली योग्य	(99.36)	310.30	75.44	273.73
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल #		**895.40**		**1,022.28**

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में 1.92 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपए) शामिल है।

टिप्पणी सं. 28 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		30.09.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**कर्मचारी लाभ खर्चे**				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते	162.74		265.82	
	उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	25.99		43.89	
	स्टाफ कल्याण व्यय	11.03		16.01	
	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	0.11		0.11	
	उप जोड़		**199.87**		**325.83**
ख	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	भवन	4.12		6.61	
	मशीनरी	0.33		1.14	
	अन्य	5.42		13.22	
	उप जोड़		**9.87**		**20.97**
ग	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
	किराया	12.73		16.92	
	दरें और कर	10.36		8.40	
	बीमा	1.18		0.32	
	सुरक्षा व्यय	19.13		29.40	

टिप्पणी सं. 28 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

	विवरण		31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		30.09.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	विद्युत प्रभार		5.38		6.32	
	यात्रा एवं वाहन		3.04		5.09	
	वाहनों पर व्यय		1.64		3.49	
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक		2.74		2.95	
	विज्ञापन एवं प्रचार		0.61		0.91	
	मनोरंजन एवं आतिथ्य व्यय		0.01		0.01	
	मुद्रण एवं स्टेशनरी		0.83		1.06	
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार -स्वदेशी		1.47		3.34	
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार -विदेशी		2.10		0.00	
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च		13.60		31.23	
	कंपनी द्वारा नियंत्रित न होने वाली सुविधाओं के अनुरक्षण/सृजन पर किया गया व्यय		26.85		5.44	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.01		0.03	
	पश्च लेखित परिसंपत्तियां/ दावे		-		0.00	
	अन्य सामान्य व्यय		8.25		15.21	
	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		0.02		0.03	
	विनिमय दर अन्तर (ऋण)		15.46		16.26	
		उप जोड़		**125.41**		**146.41**
घ.	**वित्त लागत**					
	निम्नलिखित पर ब्याज -					
	बॉण्ड		90.22		275.22	
	सावधि ऋण		382.44		649.84	
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय		3.32		0.69	
	प्रतिबद्धता शुल्क		-		2.48	
	अन्य वित्त प्रभार		2.21		3.60	
		उप जोड़		**478.19**		**931.83**
ङ	**प्रावधान**		27.06		105.72	
		उप जोड़		27.06		105.72
च	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**		20.99		35.21	
		उप जोड़		**20.99**		**35.21**
छ.	**पूर्वावधि मदें**					
	पूर्वावधि व्यय		3.75		2.16	
	घटाएं - पूर्व अवधि आय		(0.59)		(0.04)	
		उप जोड़		**4.34**		**2.20**
ज.	**कारपोरेट कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**					
	अन्य आय		(2.93)		(10.94)	
	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय		24.42		29.10	
	कर्मचारी लाभ व्यय		190.13		248.76	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		4.30		6.13	

टिप्पणी सं. 28 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		30.09.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	वित्त लागत	0.03		0.03	
	प्रावधान	-		0.15	
	पूर्वावधि मदें (निवल)	0.12		0.27	
	उप जोड़		**216.07**		273.50
झ.	**घटाएं प्राप्तियां और वसूलियां**				
क)	विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	8.35		37.58	
ख)	अन्य				
	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	38.09		88.23	
	विविध प्राप्तियां	7.97		5.56	
	विनिमय दर अन्तर (ऋण)	12.86		12.71	
	पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान	2.38		18.85	
	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार	0.37		0.51	
	उप जोड़		**70.02**		163.44
	कुल (क+ख+ग+घ+ ड+च+ छ+ज+झ)		**1,011.78**		1,678.23

संयुक्त नियंत्रित निकायों के अंश के रुप में 0.29 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष (-) .15 करोड़ रुपए) शामिल है।

टिप्पणी संख्या - 29 : अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां - समेकित

1. समकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इसके हित के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

2. क) लेखांकन के आधार -

   i) समेकन में अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि तक ही लिया जाता है।

   ii) समेकित वित्तीय विवरणों को कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक-21 समेकित वित्तीय विवरणों और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप तैयार किया गया है।

   iii) संयुक्त उद्यम में हित को कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक-27 "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में सूचित किया गया है।

   ख) समेकन के सिद्धान्त -

   i) कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन-दर-लाइन आधार पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी समान मदों के बही मूल्य को जोड़कर, अंतरा-समूह शेष, अन्तरा समूह कारोबार और प्राप्त न किए गए लाभ अथवा हानियों को हटाकर मिश्रित किया जाता है।

   ii) समेकित वित्तीय विवरण जिसमें संयुक्त उद्यमों में कंपनी का हित शामिल होता है, जिसे लेखांकन तथा रिपोर्टिंग की अनुपातिक समेकन पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित किया गया है जिसके द्वारा कंपनी के किसी संयुक्त रुप से नियंत्रित निकाय की प्रत्येक परिसंपत्ति, देयता, आय तथा व्यय में कंपनी के अंश को एक पृथक लाइन मद माना गया है।

   iii) समेकित वित्तीय विवरणों को समान कारोबार तथा समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं हेतु एकीकृत लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किया गया है, सिवाय कुछ मदों के जिनका प्रभाव भौतिक नही है।

3. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अनुषंगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नानुसार है :

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	भारत	74%
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	भारत	20%
नेशनल पॉवर एक्सचेंज लिमिटेड	भारत	16.67%
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	भारत	49.98%

4. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण :-

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकर नही किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विपथन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल 9,025.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10575.38 करोड़ रुपये) के दावे दर्ज किए हैं इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नही हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरूद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति 892.61 करोड रुपये (पिछले वर्ष 444.39 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है। तथापि, इन दावों का प्रबंधन ने आंकलन किया है और 154.56 करोड़ रुपये के संभावित बाह्य प्रभाव का परिणामी प्रावधान किया है और 8,870.95 करोड़ रुपये को आकस्मिक देयता माना गया है जिसके संबंध में या तो बाह्य प्रवाह की संभावना नही है अथवा संभावित बाह्य प्रवाह का एक विश्वसनीय अनुमान नही लगाया जा सकता।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि के संबंध में कुछ भूमि -वंचितों ने विभिन्न प्राधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष 1,235.42 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1,248.39 करोड़ रुपये) की राशि के उच्चतर मुआवजे हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने के चलते कम्पनी ने आंकलन किया है और संभावित बाह्य प्रवाह के रुप में 28.63 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करवाई है। शेष दावों के संबंध में संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नही माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय अधिकरणों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर मामलों की राशि 337.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 331.42 करोड़ रुपये) है जिसके संबंध में संसाधनों के किसी बाह्य प्रवाह को संभाव्य नही माना गया है। उनका निपटान लम्बित होने के चलते कम्पनी ने आंकलन किया है और संभावित बाह्य प्रवाह के रुप में 7.78 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करवाई है। शेष दावों के संबंध में संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नही माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य आकस्मिक देयताओं की राशि 418.53 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 128.56 करोड़ रुपये) है। ये दावे विभिन्न फोरम के समक्ष लम्बित हैं जिनके संबंध में संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नही माना गया है।

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रुप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को 52.24 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 40.71 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ती होने की संभावना है।

ङ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 10.86 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 22.31 करोड़ रुपये) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए है, जिन्हें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।

5. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि 3,582.42 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 4,138.35 करोड़ रुपये) है।

6. चमेरा-।।। विद्युत स्टेशन को चालू करने के पश्चात वर्ष 2012-13 के दौरान पहाड़ी ढलानों में कुछ सीपेज देखी गई थी जिससे निकटवर्ती गांव के स्थानीय निवासियों के घर तथा खेत प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित भूमि के अधिग्रहण का एक प्रस्ताव प्रबंधन के विचाराधीन है जिसके लिए मुआवजा 13.76 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसके अतिरिक्त, सीपेज को ठीक करने की लागत का अभी पता लगाया जाना है।

7. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 38.61 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 177.81 करोड़ रुपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

8. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गईं परियोजनाएं भी शामिल हैं।

   ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

9. कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न अवधियों वाले 1000 करोड़ रुपये की राशि के प्रत्याभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड जारी किए हैं। इश्यू 18.10.2013 को खुला तथा 23.10.2013 को बन्द हुआ। आवंटन 2.11.2013 को पूरा हुआ था और प्रतिभूति 7.11.2013 को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई थी। इश्यू प्राप्तियों का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन हेतु किया गया है।

10. 10 रूपये प्रत्येक के 1,230,074,277 इक्विटी शेयरों (प्रदत्त इक्विटी शेयरों की पूर्व पुनः खरीद का 10 प्रतिशत) की विद्यमान शेयरधारकों/लाभग्राही स्वामियों से 19.25 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर खरीद अनुपातिक आधार पर निविदा प्रस्ताव प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। पुनः खरीद के पश्चात कंपनी के इक्विटी शेयरों को 1,230,07,42,773 से कम करके 1,107,06,68,496 कर दिया गया है और पुनः खरीद किए गए शेयरों के अंकित मूल्य के समान 1,230.07 करोड़ रुपये की राशि को पूंजी मोचन आरक्षित लेखे को अंतरित कर दिया गया है।

11. तवांग जल विद्युत परियोजना ने तवांग बेसिन में सभी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (नेहू) के माध्यम से संचालित किए जाने वाले जैव-विविधता अध्ययन के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण को 1.24 करोड़ रुपये का पूंजीगत अग्रिम दिया है। व्यय विवरण की प्राप्ति पर उक्त अग्रिम को अरुणाचल प्रदेश सरकार से एनएचपीसी द्वारा ली गई के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं से सबंधित व्यय के प्रति समायोजित करते हुए वसूल करने के लिए निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी द्वारा ली गई के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति अन्य परियोजनाओं के निर्माण हेतु आने पर प्राप्य है।

12. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन परामर्शी समिति (एफएसी) ने 12.7.2013 को आयोजित अपनी बैठक में दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना के संबंध में वन स्वीकृति को निरस्त करने की सिफारिश की थी। तथापि, एक समीक्षा अनुरोध पर निवेश संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सीसीआई) ने अपनी 9.12.2013 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया था कि सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय शीघ्रता से वन भूमि के अपवर्तन हेतु अपेक्षित स्वीकृति प्रदान कर सकता है। तदनुसार, संशोधित प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि एफएसी ने अपनी 29/30.4.2014 को हुई बैठक में प्रस्ताव को अस्वीकार करने को दोहराया है तथा सिफारिश की है फिर भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना पर पुनः विचार हेतु कंपनी से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। अंतिम स्वीकृति लम्बित होने के चलते इस परियोजना पर व्यय की गई 149.04 करोड़ रुपये की राशि को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेशित किया गया है।

13. सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं, तथापि, महत्वपूर्ण तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी है। यद्यपि स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप शीघ्र ही पुनः प्रारम्भ किया जाना प्रत्याशित है क्योंकि मामले पर भारत सरकार के स्तर पर अनुवर्तन किया जा रहा है, फिर भी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति (ईएसी) के मतानुरुप 766.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष की 386.88 करोड़ रुपये की राशि सहित) की ऋण लागत और 341.54 करोड़ रुपये (139.69 करोड़ रुपये की पिछले वर्ष की राशि सहित) की प्रशासन तथा अन्य लागत को वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

14. तीस्ता लो डैम-4 परियोजना में निर्माण क्रियाकलापों की प्रगति 20.3.2013 से एक संविदाकार द्वारा कार्य रोके जाने के कारण मन्द गति से चल रही है और उस संविदाकार को उसके जोखिम तथा लागत पर स्थल के कब्जे की प्राप्ति हेतु नोटिस जारी किया गया है। इन तथ्यों तथा परिस्थितियों के अंतर्गत 91.35 करोड़ रुपये की ऋण लागत और 67.91 करोड़ रुपये की प्रशासन तथा अन्य लागत को वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखे पर प्रभारित किया गया है।

15. 17 जून, 2013 की प्रातः उत्तराखंड में बादल फटने और अप्रत्याशित अधिक बाढ़ के कारण पानी धौलीगंगा विद्युत स्टेशन (280 मेगावाट) में घुस गया और समूची प्रणाली डूब गई जो संयंत्र से उत्पादन को रोके जाने और उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी एवं विद्युत स्टेशन के विभिन्न सहायक ढांचों को क्षति में परिणत हुआ। विद्युत स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर हैं। तथापि, अधिक्य खण्ड से अधिक की किसी हानि, यदि कोई हो, को कम्पनी द्वारा वहन किया जाना होगा जिसका निर्धारण अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात होगा और तत्संबंधी प्रभाव का तदनुसार लेखांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत स्टेशन की यूनिट संख्या 4 तथा 3 को क्रमशः 30.4.2014 और 1.5.2014 को ग्रिड के साथ परीक्षण समक्रमित किया गया है। उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (एनआरएलडीसी) ने क्रमशः 3.5.2014 तथा 6.5.2014 से यूनिट संख्या 4 एवं 3 हेतु इंजेक्शन शेडयूल अनुमोदित किया है। अंतिम निपटान लम्बित होने तक 35 करोड़ रुपये तथा 99.99 करोड़ रुपये के लेखा भुगतान अद्यतन तिथि तक बीमा कंपनी से क्रमशः सामग्री क्षति तथा व्यापार अवरोध हेतु प्राप्त किए जा चुके हैं।

16. कोटली भेल-1ए परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश से कवर होती है जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अगले आदेशों तक इन परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न करने और अलकनंदा तथा भगीरथी नदी बेसिन की जैव-विविधता पर होने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। इस परियोजना के भविष्य के संबंध में निर्णय लंबित होने तक अद्यतन तिथि तक किए गए 126.37 करोड़ रुपये की राशि के व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, इस परियोजना पर किए गए बाद के व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

17. निदेशक मंडल ने अपनी 20.3.2014 को आयोजित बैठक में चर्चा की थी कि बरसर जल विद्युत परियोजना की व्यवहार्यता भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार से वित्तीय सपोर्ट पर निर्भर है। तदनुसार, परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत सरकार तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता हेतु प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए उन्हें एप्रोच करने का निर्णय लिया गया था। बोर्ड द्वारा यह पुष्टि की गई थी कि यदि परियोजना को अर्थक्षम नहीं पाया जाता है तो परियोजना पर किए गए व्ययों को बटटेखाते में डाला जाना होगा। बाद में 23.5.2014 को विद्युत मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें जल संसाधन मंत्रालय और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और इसमें मामले को जल संसाधन मंत्रालय के साथ आगे अनुवर्तन हेतु लेने के लिए प्रस्ताव को पुनः विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। यह भी दर्शाया गया था कि जल संसाधन मंत्रालय बरसर जल विद्युत परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना मानते हुए उसकी डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां मुहैया करवाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगा। बोर्ड के इस प्रस्ताव के अनुरुप परियोजना की प्रारम्भिक जांच जारी है और उस पर किए गए 154.64 करोड़ रुपये के व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रुप में अग्रेनित किया जा रहा है।

18. ऐसी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जहां न तो भूमि और न ही परिसंपत्ति कंपनी के स्वामित्व में है, उसे पूर्णता की अवधि तक चालू पूंजीगत कार्य और उसके पश्चात वित्त वर्ष 2012-13 तक इस मुद्दे पर तत्कालीन लेखांकन नीति संख्या 2.3 तथा 5.8 के अनुरूप वाणिज्यिक संबंधित परियोजना की पहली यूनिट का प्रचालन प्रारंभ होने के वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में अचल परिसंपत्ति के रुप में परिशोधन किया जाता है। तथापि, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने इस मुद्दे पर एक नई लेखांकन नीति संख्या 4.4 प्रारम्भ की है जिसमें ऐसी सुविधाओं के सृजन हेतु परियोजना के निर्माण के दौरान किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नही होता है परन्तु जिसका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उसे "निर्माण के दौरान" व्यय पर प्रभारित किया जाता है। तदुनसार, 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारम्भ/संशोधित/समाप्त किया गया है -

नीति संख्या	विवरण	वर्ष हेतु लाभ पर प्रभाव
तत्कालीन नीति संख्या 2.3	ऐसी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय संबंधी नीति जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्ति कंपनी के स्वामित्व में है (समर्थकारी परिसंपत्तियां) को नई लेखांकन नीति संख्या 4.4 को लागू किए जाने पर समाप्त कर दिया गया है।	कर पश्चात लाभ में 1.52 करोड़ रुपये की वृद्धि
तत्कालीन नीति संख्या 5.8	नीति संख्या 2.3 में संदर्भित पूंजीगत व्यय के परिशोधन संबंधी नीति को लेखांकन नीति 2.3 को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरुप हटा दिया गया है।	
नीति संख्या 4.4	कंपनी का नियंत्रण न होने वाली सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय संबंधी नई नीति को प्रारम्भ किया गया है।	

19. वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी ने ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के संबंध में निर्माण संविदाओं पर लेखांकन मानक-7 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लागू होने पर आईसीएआई की ईएसी से मत प्राप्त किया है। उक्त मत के अनुसार ऐसे कार्यो के संबंध में प्रकटीकरण केवल एजेंसी शुल्क/सेवा प्रभार के संबंध में ही दिया जाना चाहिए क्योंकि उसे कम्पनी के राजस्व का भार माना जाता है। उक्त के मद्देनजर पिछले वर्ष के संबंध में भी प्रकटीकरण को संशोधित किया गया है। संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है -

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	रिपोर्टिंग तिथि तक चालू संविदाओं पर व्यय की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटाए मान्यता दी गई हानि) की संचित राशि	415.65	342.69
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	422.01	375.09
3.	प्रतिधारण की राशि	शुन्य	शुन्य
4.	परिसंपत्ति के रुप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	8.82	17.52
5.	देयता के रुप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों को देय सकल राशि	6.30	7.27

20. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है : (करोड़ रुपए में)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2013 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (एफईआरवी के अनुसार)	0.60	(1.98)
(ii)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (ऋण लागत के अनुसार) *	29.65	10.52
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रुप में)	14.19	3.55
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रुप में)	(0.02)	(0.09)
(v)	अचल परिसंपत्तियों की वहन की गई राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	0.24	(170.29

* तथापि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नही पड़ा है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्ते) विनियम के अनुरुप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु विनिमय दर परिवर्तन को आईसीएआई की ईएसी के मतानुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से प्राप्य) को अंतरित किया जाता है।

21. 'कर्मचारी लाभों' के संबंध में लेखांकन मानक (एएस) 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

क) विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :

निर्धारित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धरित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि मे अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करें।

ख. सामाजिक सुरक्षा योजना

अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रुप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

ग. कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

घ. उपदान

कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रुप में 15 दिन का वेतन (15/26x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन संबंधित प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है और कंपनी का दायित्व न्यास को बीमांकिक मूल्य के आधार पर अंशदान देना है।

ङ. अवकाश

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमश: 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी को लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

च. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना(आरईएचएस)

कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धरित सीमा तक बहिरंग रोगी के रुप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

छ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर देयभत्ता

कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

ज. सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह :

कंपनी की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000 रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

उपरोक्त योजनाएं क, ख, ग और घ वित्त-पोषित हैं और शेष गैर-वित्तपोषित हैं।

31.03.2014 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है :-

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता :-

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (1994-96)
छूट दर	8.50%	8.00%
भविष्य की वेतनवृद्धि	6.50%	6.0%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन :- (करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
	वित्त-पोषित	गैर-वित्तपोषित	
वर्ष के प्रारंभ में पीवीओ	611.06	366.88	386.06
	{573.04}	{390.67}	{327.41}
ब्याज लागत	48.88	29.36	30.89
	{45.85}	{31.26}	{26.19}
वर्तमान सेवा लागत	26.23	18.99	9.76
	{25.26}	{17.37}	{9.17}
अदा किया गया लाभ	(50.48)	(57.61)	(7.01)
	{(49.61)}	{(144.07)}	{(4.70)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.61)	51.66	30.35
	{16.52}	{71.65}	{27.99}
वर्ष के अंत में पीवीओ	631.08	409.28	450.05
	{611.06}	{366.88}	{386.06}

तालिका-3 योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :- (करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान
	(वित्त-पोषित)
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	623.22 {-}
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	49.92 {-}
अंशदान	1.81 {586.12}
निधि से निकासी	(38.00) {(-)}
योजनागत परिसंपत्तियों से बीमांकिक लाभ/(हानि)	6.84 {37.10}
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	643.79 {623.22}

तालिका-4 तुलन-पत्र में ली गई राशि (करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
	वित्त-पोषित	गैर-वित्तपोषित	
वर्ष के अंत में पीवीओ	631.08 {611.06}	409.28 {366.88}	450.05 {386.06}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	643.79 {623.22}	- {-}	- {-}
निधिक स्थिति	(12.71) {(12.16)}	(409.28) {(366.88)}	(450.05) {(386.06)}
अमान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	- {-}	- {-}	- {-}
तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता/परिसंपत्ति	(-)12.71 {(-)12.16}	409.28 {366.88}	450.05 {386.06}

तालिका-5 : लाभ एवं हानि लेखे/ईडीसी खाते में ली गई राशि (करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्तमान सेवा लागत	26.23 {25.26}	18.99 {17.38}	9.76 {9.17}
ब्याज लागत	48.88 {45.85}	29.36 {31.26}	30.89 {26.19}
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	(49.92) {-}	- {-}	- {-}
वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(11.45) {(20.58)}	51.66 {71.65}	30.35 {27.99}
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी में मान्यताप्राप्त व्यय	13.74 {50.53}	100.01 {120.29}	71.00 {63.35}

नोट : { } पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।

सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2014 को क्रमशः 5.34 करोड़ रुपये और 2.97 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 5.20 करोड़ रुपये और 3.09 करोड़ रुपये) है।

22. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) कंपनी के सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं, इसलिए कंपनी का एक ही भौगोलिक खंड हैं।

23. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखांकन मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:-

क) संबंधित पार्टी

(i) संयुक्त उद्यम कम्पनियां

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री जी.साइ प्रसाद	संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, 24.07.2012 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
श्री जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री आर.एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)
श्री के.एम. सिंह	मुख्य कार्यकारी निदेशक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त) को वर्तमान वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 2.36 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3.01 करोड़ रुपये) है।

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार-शून्य।

24. प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रुप में प्रयुक्त कर-पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	1218.75	2617.41
हर के रुप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	11980586454	12300742773
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत तथा कम किया गया	1.02	2.13
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

25. (क) संयुक्त उद्यमों का हित :

कंपनी का नाम	निम्नांकित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2014	31.03.2013
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	20%	20%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड *	16.67%	16.67%
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड **	49.98%	49%

* कंपनी ने इस संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने का निर्णय लिया है।

** कंपनी एनएचपीसी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम निकाय है जिसमें इक्विटी भागीदारी 49:49:02 है। पिछले वर्ष के दौरान अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों अपने अनुपातिक अंश से कम का योगदान देने के कारण उक्त निकाय में एनएचपीसी की अनुपातिक धारिता 49 प्रतिशत से बढ़ कर 82 प्रतिशत हो गई थी। अतः 31.03.2013 तक उक्त निकाय को एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम मानने के बजाए इसकी अनुषंगी माना गया था। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान, अन्य भागीदारों ने भी अपना अनुपातिक अंश दे दिया है और उक्त निकाय को एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम माना गया है।

(ख) उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत मे संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कपंनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

		31.03.2014 *	31.03.2013
क.	परिसंपत्तियां	278.53	170.33
ख.	देयताएं	155.71	91.50
ग.	आकस्मिक देयताएं	1.62	0.01
घ.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	43.18	49.97
ङ.	विदेशी मुद्रा में व्यय	-	0.14

		वर्ष 2013-14 हेतु*	वर्ष 2012-13 हेतु
च.	आय	5.74	1.51
छ.	व्यय	0.12	0.41

* मैसर्स नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के संबंध में आंकड़ें गैर-लेखापरीक्षित है।

26. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2014 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

27. कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची-6 के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण			31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :			
	i)	पूंजीगत वस्तुएं	6.66	17.43
	ii)	कलपुर्जे	3.59	1.74
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय			
	i)	ज्ञान	-	(0.57)
	ii)	ब्याज	45.17	53.36
	iii)	अन्य विविध मामले	216.18	108.64

विवरण			31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य			
	i)	आयातित	-	2.51(8.69%)
	ii)	देशी	30.05	26.37(91.31%)
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन			
	i)	ब्याज	-	-
	ii)	अन्य	0.05	3.03

* प्रोदभवन आधार।

28. प्रमाणित उत्सर्जन कमी (वीईआर) से संबंधित प्रकटीकरण :-

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	निवेश के रुप में धारित वीईआर की संख्या और मूल्यांकन का आधार	शून्य
2.	प्रमाणीकरण के अधीन वीईआर की संख्या	शून्य
3.	वर्ष के दौरान व्यय की गई उत्सर्जन कमी उपकरण का मूल्यह्रास और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत (करोड़ रुपए में)	शून्य
4.	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री किए गए वीईआर की संख्या और उनका तत्संबंधी मूल्य	5,31,480/-रुपए हेतु बिक्री की गई 16000 यूनिट

29. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपए में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	0.17
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज	0.10 *
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय, किन्तु अदा न किया गया ब्याज।	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रुप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

* लेखा बहियों में ब्याज लेखांकित नहीं किया गया है।

30. प्रारम्भिक शेष/पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

31. दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु निदेशक मंडल द्वारा 30 मई, 2014 को प्रदान किए गए अनुमोदन के परिणामस्वरुप निदेशक मंडल ने 7.7.2014 को आयोजित बैठक में 0.30 रुपये प्रति शेयर कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा फार्म, 1956 के नियम 23 के अंतर्गत निकटतम रुपये में पूर्णांक किए जाने के अधीन) की दर से लाभांश की सिफारिश की है। तदनुसार, कंपनी ने क्रमशः 332.12 करोड़ रुपये और 56.44 करोड़ रुपये की राशि के लाभांश तथा लाभांश वितरण कर हेतु प्रावधान किया है। निदेशक मंडल द्वारा पहले अनुमोदित लेखे में उस सीमा तक संशोधन किया जाता है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**ए.बी.एल. श्रीवास्तव**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 01601682	डीआईएन 00171920

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते सिंघी एण्ड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोशिएटस**	**कृते तिवारी एंड एसोशिएट्स**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 302049ई	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 002870एन
(सीए भावना नंदा)	**(सीए बी.एल. छोरारिया)**	**(सीए राम कुमार गुप्ता)**	**(सीए देवेन्द्र मग्गू)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-095275	सदस्यता सं.-0022973	सदस्यता सं.-097382	सदस्यता सं.-085739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		**2,528.55**		**3,922.88**
	जोड़ें -				
	मूल्यह्रास (पूर्वावधि और ईआरवी प्रभाव सहित)	1,513.88		1,224.70	
	वित्त लागत (ईडीसी का निवल)	1,180.21		596.21	
	प्रावधान (निवल हानि)	188.86		0.18	
	टैरिफ समायोजन (हानि)	1.13		56.60	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/पश्चलेखित दावे	0.90		7.22	
	विनिमय दर अंतर	41.59		8.54	
	निवल विलंबित ईआरवी	63.68		92.34	
			2,990.25		**1,985.79**
	घटाएं -				
	पश्चलिखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	50.17		49.34	
	प्रावधान (निवल लाभ)	38.08		192.87	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि की वसूली	1.06		0.51	
	लाभांश आय	2.02		1.96	
	ब्याज आय	999.80		894.12	
			1,091.13		**1,138.80**
	कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**4,427.67**		**4,769.87**
	कार्यशील पूंजी में कमी(वृद्धि)				
	माल सूची	(16.33)		(15.81)	
	व्यापार प्राप्य	(413.40)		(23.20)	
	अन्य परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	506.53		(414.03)	
	अन्य देयताएं और प्रावधान	114.07		(697.63)	
			190.87		(1,150.67)
	कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**4,618.54**		**3,619.20**
	घटाएं - कर		794.18		773.55
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**3,824.36**		**2,845.65**
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)	(2,249.92)		(2,398.93)	
	निवेश/बॉण्ड से प्राप्ति	172.47		172.81	
	ब्याज आय	1,000.08		894.58	
	प्राप्त लाभांश	2.02		1.97	
	निवेश क्रियाकलापो से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(1,075.35)**		**(1,329.57)**
ग.	**वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	शेयरों की पुनः खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)	(2,367.89)			
	अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	(1,343.51)		(1,034.22)	
	शेयर पूंजी का इश्यु/ आवंटन लंबित होने तक शेयर आवेदन राशि	40.29		64.57	
	मध्य प्रदेश सरकार से निधियां	304.93		39.28	
	ऋणों से प्राप्तियां	2,534.11		2,526.65	
	ऋणों का पुनर्भुगतान	(2,084.68)		(1,408.80)	
	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	(1,619.51)		(1,531.97)	
	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**(4,536.26)**		**(1,344.49)**
	नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)		**(1,787.25)**		**171.59**
	वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य		7,976.46		7,795.32
	वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य में समायोजन		(46.43)		9.55
	वर्ष के प्रारम्भ में समायोजित नकदी तथा नकदी तुल्य		7,930.03		7,804.87
	वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य		6,142.78		7,976.46

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न समेकित नकदी प्रवाह विवरण *(जारी)*

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
नकदी प्रवाह विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां		
1 नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत चैक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड़ कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते हैं। तुलन-पत्र की टिप्पणी सं.18 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य के ब्यौरे निम्नानुसार है :		
नकदी तथा नकदी-तुल्य	951.66	1245.16
अन्य बैंक शेष *	5191.12	6731.30
	6142.78	7976.46

* अन्य बैंक शेष में शामिल हैं :

क) अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो हेतु रखे गए 320.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तदनुरुपी 361.37 करोड़ रुपये)

ख) 4.83 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तदनुरुपी 3.92 करोड़ रुपये) की राशि का अदा न किया गया लाभांश जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रुप से उपलब्ध नही है।

ग) माननीय विधि न्यायालयों के आदेशानुसार बैंक में रखी गई 8.24 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 7.80 करोड़ रुपये)।

घ) लेटर ऑफ क्रेडिट अथवा समान सुविधा खोलने हेतु बैंकों के साथ रखी गई 0.31 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.22 करोड़ रुपये) की राशि।

ङ) ओमकारेश्वर परियोजना के संबंध में भूमि के प्रति भूमि-वंचितों द्वारा जमा की गई 5.11 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10.48 करोड़ रुपये)।

2 निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई ऋण लागत के प्रति 472.66 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 925.06 करोड़ रुपए) की राशि शामिल नहीं है।

3 31.3.2014 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 717.62 करोड़ रुपए है (अधीनस्थ ऋण)।

4 वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2014 तक 3477.90 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कम्पनी की प्रचलित निवेश नीति के अनुसार शेष 505.09 करोड़ रुपये बैंक जमा के रुप में निवेश किए गए हैं और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।

5 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता	**ए.बी.एल. श्रीवास्तव**	**आर.एस.टी. शाई**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 01601682	डीआईएन 00171920

हमारी समसंख्यक तिथी की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी	**कृते सिंघी एण्ड कंपनी**	**कृते गुप्ता गुप्ता एंड एसोशिएटस**	**कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स**
(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)	(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन	एफआर न. 302049ई	एफआर न. 001728एन	एफआर न. 002870एन
(सीए भावना नंदा)	**(सीए बी.एल. छोरारिया)**	**(सीए राम कुमार गुप्ता)**	**(सीए देवेन्द्र मग्गू)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.-095275	सदस्यता सं.-0022973	सदस्यता सं.-097382	सदस्यता सं.-085739

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/07/2014

एनएचपीसी लिमिटेड

अनुषंगिक कंपनी

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण

एनएचडीसी लिमिटेड

आपके निदेशकों को आपकी कंपनी की 14वीं वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

आलोच्य वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की सकल आय 211543 लाख रुपये रही जो इससे पहले साल के मुकाबले 58.08 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. वित्तीय विशेषताएं:

(लाख रूपये में)

ब्योरा	**2013-14**	**2012-13**
प्रचालन से राजस्व (निवल)	188442	109545
अन्य आय	23101	24274
कुल राजस्व	**211543**	**133819**
उत्पादन और अन्य खर्च [पिछली अवधि की मदों समेत (शुद्ध)]	35215	14227
मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले तथा वित्त लागत और कर पूर्व लाभ	176328	119592
मूल्यह्रास और परिशोधन	25397	24418
मूल्यह्रास और परिशोधन के बाद तथा वित्त लागत और कर से पहले लाभ	150931	95174
वित्त लागत	15781	21083
मूल्यह्रास और परिशोधन और वित्त लागत के बाद मगर कर पश्चात लाभ	135150	74091
कर पश्चात लाभ	28787	16527
कर के बाद लाभ	106363	57564
लाभ और हानि का अग्रेनीत अधिशेष	241520	190845
विनियोजन के लिए उपलब्ध अधिशेष	**347883**	**248409**

घटाएं - विनियोजन:

सामान्य आरक्षित को अंतरित	10636	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)/स्थायी विकास (एसडी) को अंतरित	704	-
अनुसंधान एवं विकास को अंतरित	472	-
अंतरित लाभांश	67709	-
अंतरित लाभांश पर कर	11507	-
प्रस्तावित लाभांश	11579	5888
प्रस्तावित लाभांश पर कर	1968	1001
अग्रेषित अधिशेष (टिप्पणी 2 का हिस्सा - रिजर्व और अधिशेष)	**243308**	**241520**

यथाप्रयोज्य पिछले साल के आंकड़े पुन: समूहबद्ध किये गये हैं।

2. राजस्व वसूली:

वित्त वर्ष 2013-14 में नकदी राजस्व वसूली 136911 लाख रुपये दर्ज की गयी, जिसमें इंदिरा सागर विद्युत परियोजना और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना के पुराने बकाया के लिए समान मासिक किस्त के जरिए चुकाए गये 17890 लाख रुपये भी शामिल हैं।

3. विद्युत उत्पादन:

एनएचडीसी की दो विद्युत परियोजनाओं, यानी आईपीएस और ओएसपी ने वित्त वर्ष 2013-14 में कुल 5711.88 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की हैं।

4. लाभांश

कंपनी के पास उपलब्ध अधिशेष राशि और चालू वर्ष में भी भारी लाभ अर्जन की संभावनाओं को ध्यान में देखते हुए निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 345 रुपये की दर से 67709 लाख रुपये का अंतरिम लाभांश (जिसमें यथाप्रयोज्य लाभांश कर शामिल नहीं है) देने की घोषणा की।

परन्तु, वित्त वर्ष 2013-14 में 106363 लाख रुपये के निवल मुनाफे को देखते हुए निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 404 रुपये की दर से अंतिम लाभांश (लागू लाभांश कर को छोड़ कर) की अनुशंसा की, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन है। अंतिम लाभांश का भुगतान पहले से अदा किए गए अंतरिम लाभांश को घटाने के बाद किया जाएगा।

5. पूंजी ढांचा

वर्ष के दौरान कंपनी के पूंजी ढांचे में कोई बदलाव नहीं हुआ और प्रदत्त पूंजी 196258 लाख रुपये रही।

6. निर्माण कार्यों में प्रगति:

इंदिरा सागर परियोजना:

इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (8x125 मेगावॉट) एक बहु-उद्देश्यीय परियोजना है और 12.22 अरब घनमीटर की सकल भंडारण क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े जलाशय के साथ नर्मदा बेसिन में कई निचली परियोजनाओं की जन्मदायिनी परियोजना है। परियोजना की संस्थापित क्षमता 1000 मेगावॉट की है जिसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरणों को क्रमश: 1980 मिलियन यूनिट, 1095 मिलियन यूनिट और 876 मिलियन यूनिट वार्षिक क्षमता को ध्यान में रखकर डिजायन किया गया है।

वित्त वर्ष 2013-14 में इंदिरा सागर विद्युत परियोजना से 4078.75 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ जबकि लक्ष्य 2310 मिलियन यूनिट का था। साल के दौरान संयंत्र उपलब्धता घटक (पीएएफ) 90.54 प्रतिशत तक पहुंच गया जबकि उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत लक्ष्य 88 प्रतिशत का होता है।

इंदिरा सागर परियोजना से छोड़े गये पानी का उपयोग धारा के निचली ओर बनी ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है।

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी):

ओंकारेश्वर परियोजना (8 x 65 मेगावॉट) इंदिरा सागर बांध पर बनायी गयी पहली डाउनस्ट्रीम परियोजना है। 520 मेगावॉट की संस्थापित क्षमता वाली यह परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के अधीन है, जिसे सालाना 1166 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने के लिए डिजायन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से जलाशय की बढ़ी हुई 196.60 मीटर की ऊंचाई में से पूर्ण स्तर तक पानी भरने की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। इस समय जलाशय का स्तर 189 मीटर तक रखा जा रहा है। तदनुसार इसकी 520 मेगावॉट की संस्थापित क्षमता के अनुरूप 400 मेगावॉट की सर्वोच्च क्षमता से उत्पादन किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2013-14 में ओंकारेश्वर परियोजना से विद्युत उत्पादन 1633.14 मिलियन यूनिट रहा जबकि लक्ष्य 1243 मिलियन यूनिट का था। उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित 95.00 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 98.05 प्रतिशत का संयंत्र उपलब्धता घटक प्राप्त कर लिया गया है।

7. समझौता ज्ञापन के तहत निष्पादन मूल्यांकन:

आपकी कंपनी एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है। भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी को हर साल होल्डिंग कंपनी यानी एनएचपीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर दस्तखत करने होते हैं (जिसे भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग द्वारा अंतिम रुप दिया जाता है)। वर्ष 2012-13 में आपकी कंपनी की प्रगति के आधार पर भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग ने समझौता ज्ञापन के आधार पर कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन कर इसे वर्ष 2012-13 के लिए ''उत्कृष्ट'' पाया।

8. विविध क्रिया कलाप:

क. रेवा तापबिजली परियोजना (2x660 मेगावॉट):

आपकी कंपनी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित 1320 मेगावॉट (2x660 मेगावॉट) क्षमता की रेवा तापबिजली परियोजना की स्थापना करने जा रही है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए स्थल संबंधी सभी क्रिया-कलाप पूरे कर लिए गए हैं और अन्य आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं। तथापि, कोयले की व्यवस्था को अभी अंतिम रुप नहीं दिया जा सका है।

ख. नवीकरणीय ऊर्जा:

आपकी कंपनी गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों, विशेषत: सौर ऊर्जा के विकास हेतु प्रयासरत रही है। कंपनी के निजी उपयोग के लिए पहले ही 20 कि. वॉ., 15 कि.वॉ. तथा 20 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट क्रमश: आई.एस.पी., ओ.एस.पी. तथा निगम कार्यालय में स्थापित किए है। तथापि वर्तमान परियोजना के भीतर तथा चारों ओर खाली पड़ी भूमि पर सोलर पावर प्लान्ट स्थापित करने के संबंध में उर्जा कारपोरेशन ऑफ इंडिया (भारत सरकार का उद्यम) के साथ बातचीत जारी है जो कि एन एन आर ई, भारत सरकार के अधीन एक विकासकर्ता एजेंसी है ।

ग. अन्य गतिविधियां:

अपर नर्मदा बेसिन में मध्यम तथा छोटी बहु उद्देश्यीय परियोजनाओं के विकास हेतु प्रस्ताव का मसौदा ज्ञापन (ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित) मध्य प्रदेश सरकार की सहमति हेतु प्रेषित किया गया है।

9. सतर्कता गतिविधियां:

आपकी कंपनी का सतर्कता प्रभाग प्रबंधन की मदद के लिए लगातार तमाम प्रयास कर रहा है। इसके लिए कंपनी के कर्मचारियों में विभिन्न प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों पर अमल सुनिश्चित करने के बारे में कर्मचारियों में जागरुकता पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि समूची व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता आये। संगठन तथा भारत सरकार और केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त सभी परिपत्रों/दिशानिर्देशों को नियमित रुप से कंपनी के विभागाध्यक्षों और परियोजनाध्यक्षों में परिचालित किया जा रहा है।

इसके अलावा निवारणात्मक उपायों के तौर पर परियोजनाओं और कारपोरेट कार्यालय में नियमित रुप से सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं, नियमित तथा औचक निरीक्षण भी किये जा रहे हैं। सभी संबद्ध लाभार्थियों के हितों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए संगठन की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और मौजूदा प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है।

10. राजभाषा कार्यान्वयन रिपोर्ट:

आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी के राजभाषा विभाग ने वार्षिक राजभाषा कार्यक्रमों के अनुपालन में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कारगर प्रयास किये हैं। वर्ष के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (निगम), भोपाल द्वारा आपकी कंपनी को पुरस्कृत किया गया है।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया है। इसके लिए लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों और अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति के लिए बुनियादी ढाचे संबंधी तमाम आवश्यक इंतजाम कर लिये गये हैं। अधिनियम के अंतर्गत अन्य औपचारिकताओं का भी अनुपालन किया जा रहा है।

12. मानव संसाधन

आपकी कंपनी का मानना है कि मानव संसाधन कंपनी की सबसे बड़ी परिसंपत्ति होते हैं जिनके योगदान से कंपनी ने नई ऊंचाइयां छुई हैं और भविष्य में भी नयी उपलब्धियां हासिल करेगी। कंपनी का यह भी मानना है कि अपनी व्यावसायिक योजना को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की क्षमताओं का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2014 को आपकी कंपनी के पास 540 कर्मचारियों की श्रमशक्ति उपलब्ध थी। सीखने वाले संगठन के नाते कंपनी ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर लगातार जोर दिया है ताकि उनकी जानकारी को अद्यतन रखा जा सके जिससे कंपनी की नयी-नयी संगठनात्मक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। उनकी समग्र क्षमताओं के विकास के लिए रोजगार संवर्धन/रोजगार विस्तार और रोजगार परिवर्तन का सहारा लिया जाता है जिससे संगठन के लिए ज्ञान-संपत्ति का सृजन होता है। नीचे के चार्ट में प्रति कर्मचारी कर-पूर्व लाभ और प्रति कर्मचारी उत्पादन से हमारे मानव संसाधनों की उच्च दक्षता का पता चलता है।

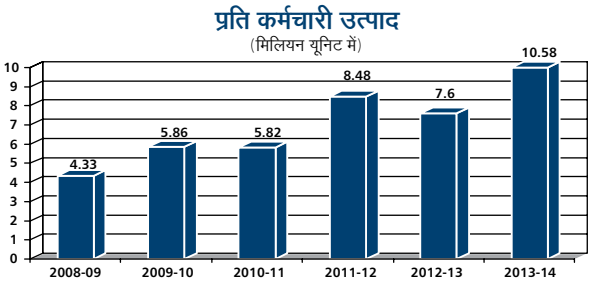

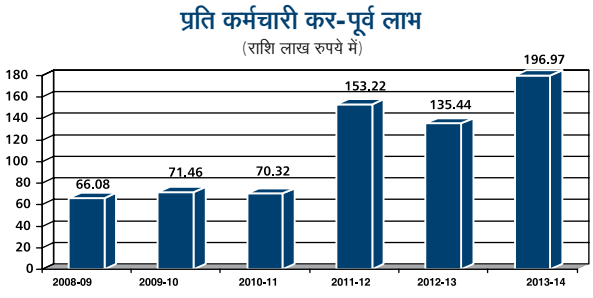

13. अजा/अजजा/अपिजा के लिए आरक्षण:

आपकी कंपनी कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के लिए समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सेवाओं में अजा/अजजा/अपिव/भिन्न रुप से सक्षम लोगों के लिए आरक्षण से संबंधित निर्देशों का पालन करती है। अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों की शिकायतों को कारगर तरीके से निपटाने के लिए संपर्क अधिकारी मनोनीत किये गये हैं। अजा/अजजा के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाए गये हैं। भिन्न रुप से सक्षम लोगों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए परियोजनाओं/कार्यालयों में विशेष इंतजाम किये गये हैं।

14. वैधानिक और अन्य सूचनाएं

निम्नलिखित मामलों में कंपनी अधिनियम, और कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के तहत वांछित सूचनाएं अनुलग्नक 'क' में दी गयी हैं।

क) प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

ख) कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

ग) ऊर्जा संरक्षण, टेक्नोलॉजी अंगीकरण तथा विदेशी मुद्रा आय और व्यय संबंधी सूचना

घ) कंपनी (कर्मचारियों का ब्यौरा) नियमावली, 1975 के अनुसार सूचना

15. निदेशकों का उत्तरदायित्व :

कंपनी अधिनियम, उत्तरदायित्व की अपेक्षा अनुसार निदेशक निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

- 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में उस वक्त लागू होने वाले लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है और जहां कोई भिन्नता हुई है वहां उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;
- कंपनी ने युक्तिसंगत और दूरदर्शितापूर्ण लेखांकन नीतियां अपनायी हैं और लगातार उनपर अमल किया है। उनके आधार पर किये गये फैसलों और अनुमानों से वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों तथा अवधि के दौरान उसके मुनाफे के बारे में सही और निष्पक्ष तस्वीर उभर कर सामने आयी हैं;
- कंपनी ने संपत्तियों की सुरक्षा तथा गबन और इसी तरह की दूसरी अनियमितताओं का पता लगाकर उन्हें रोकने के लिए इस बात का समुचित और पर्याप्त ध्यान रखा है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्ड रखा जाए;
- मार्च 2014 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए लेखे 'गोइंग कनसर्न' अर्थात् सतत सरोकार आधार पर तैयार किये गये हैं।

16. लेखा परीक्षक:

वर्ष 2013-14 के लिए लेखा परीक्षा कराने हेतु मै, भुटोरिया गणेसन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, भोपाल को ''वैधानिक लेखापरीक्षक'' नियुक्त किया गया था।

17. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखों के बारे में वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ख' में दी गयी है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ग' में दी गयी हैं।

18. लागत लेखापरीक्षा:

''लागत लेखांकन अभिलेख'' की लेखापरीक्षा कराने के बारे में केन्द्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कंपनी ने अपने ''लागत लेखांकन अभिलेख'' की परीक्षा के लिए कारपोरेशन मामलों के मंत्रालय की अनुमति से निम्नलिखित लागत लेखांककों की नियुक्ति की है। ये लेखांकक वित्त वर्ष 2013-14 के लिए अपने नाम के साथ निर्दिष्ट कंपनियों का लागत लेखाकन करेंगे।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का नाम	इकाई
1.	एस.पी.एस. डांगी, इंदौर	इंदिरा सागर विद्युत परियोजना
2.	कृष्ण सिंह बर्क, फरीदाबाद	ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना

19. लेखापरीक्षा समिति:

लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क के तहत बोर्ड को प्रेषित करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा के अनुसार है। 31 मार्च 2014 के अनुसार श्री जी.एस.वेदी, स्वतंत्र निदेशक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे और उनके साथ दो अन्य निदेशक श्री के.एम. सिंह, मुख्य कार्यपालक निदेशक और श्री शिव कुमार, निदेशक भी थे।

20. निदेशकों का विवरण:

31 मार्च, 2014 के अनुसार बोर्ड की संरचना इस प्रकार है: श्री जी. साई प्रसाद कंपनी के अध्यक्ष हैं और बोर्ड के अन्य निदेशक एनएचपीसी/विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने श्री एस.के.पवांर, सदस्य (वित्त), एनवीडीए को 27 जून, 2013 से कंपनी के बोर्ड का अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया है।

श्री गजेन्द्र सिंह पटेल का निदेशक के रूप में कार्यकाल 05 नवम्बर, 2013 को समाप्त हो गया।

बोर्ड कंपनी के निवर्तमान निदेशकों द्वारा किये गये योगदान और उनके दिशानिर्देशन के प्रति उनका आभार व्यक्त करता है।

21. आभार:

बोर्ड कामकाज के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों से मिले दिशानिर्देशों और सहयोग के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। बोर्ड अपने वैधानिक लेखापरीक्षकों, भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बैंकरों और अन्य संबद्ध प्राधिकारियों से मिले सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। इसके अलावा, बोर्ड एनएचडीसी परिवार के उन सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है जिनके उत्साह, लगन और सहयोग से कार्यनिष्पादन के क्षेत्र में संतोषजनक उपलब्धियां प्राप्त की जा सकीं। बोर्ड को इस बात का भी भरोसा है कि कर्मचारी आने वाले समय में भी अपना उत्कृष्ट योगदान जारी रखेंगे।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर

अध्यक्ष

दिनांक: 16.07.2014

स्थान: दिल्ली

प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

अनुलग्नक-''क'' (संदर्भ: अनुच्छेद-14(क)

औद्योगिक ढांचा और विकास

विद्युत ऊर्जा भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के लिए आधारभूत ढाचे से संबंधित महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत में आजादी के बाद से ऊर्जा क्षेत्र ने शानदार प्रगति की है। इस दौरान कुल संस्थापित क्षमता 1362 मेगावॉट से बढ़कर वर्तमान में 243028.95 मेगावॉट (31 मार्च, 2014 को) के स्तर पर पहुंच गयी है। लेकिन इसके बावजूद विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक मांग वाली अवधि में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ न्यूनतम लोड संबंधी आवश्यकता पूरी करने में भी अड़चने महसूस कर रहा है। इसके अलावा जलविद्युत और तापविद्युत के उत्पादन में असंतुलन, ग्रिड संबंधी अस्थिरता, फ्रीक्वेंसी में उतार-चढ़ाव और कमजोर विद्युत वितरण नेटवर्क जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है।

भारत में 243028.95 मेगावॉट की कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप बिजली का योगदान 168254.99 मेगावॉट (69.23 प्रतिशत), जलविद्युत का 40531.41 मेगावॉट (16.68 प्रतिशत), परमाणु विद्युत का 4780 मेगावॉट (1.97 प्रतिशत) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का 29462.55 मेगावाट (12.12 प्रतिशत) है। सार्वजनिक क्षेत्र ने विद्युत क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कुल संस्थापित क्षमता में उसका योगदान 66 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र का योगदान 34 प्रतिशत है जो 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरूहोने के बाद से बढ़ता गया है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अब 88,537 मेगावॉट का लक्ष्य रखा गया है (इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने वाली बिजली शामिल नहीं है) जिसे 12वीं योजना (2012-17) में पूरा किया जाएगा और इसमें से 38447.81 मेगावॉट का लक्ष्य 31 मार्च, 2014 तक पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।

एनएचडीसी लि. (एनएचपीसी लि. और मध्य प्रदेश सरकार का सयुक्त उद्यम) का गठन अगस्त 2000 में किया गया था और प्रारंभ में इसे नर्मदा बेसिन में दो मेगा जलविद्युत परियोजनाओं (1000 मेगावॉट क्षमता की इंदिरा सागर और 520 मेगावॉट की ओंकारेश्वर परियोजना) की जिम्मेदारी मालिकाना आधार पर दी गयी। दोनों बिजली परियोजनाएं समय पर पूरी की जा चुकी है। इस समय एनएचडीसी लि. मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादक कंपनी है और यह पश्चिमी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक भी है।

31 मार्च 2014 को पश्चिमी क्षेत्र की कुल संस्थापित क्षमता 87388.99 मेगावॉट थी जिसमें संयुक्त और केन्द्रीय क्षेत्र से आबंटित बिजली भी शामिल है। कुल संस्थापित क्षमता में ताप बिजली का हिस्सा 68176.30 मेगावॉट (78.0 प्रतिशत), जलविद्युत का 7447.50 मेगावॉट (8.52 प्रतिशत), परमाणु बिजली का 1840 मेगावॉट (2.11 प्रतिशत) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने वाली बिजली का 99.25 मेगावॉट (11.26 प्रतिशत) था। पश्चिमी क्षेत्र में इस समय ऊर्जा की मांग में कमी 1.0 प्रतिशत की है जबकि सबसे अधिक जरूरत वाले समय में यह अंतर 2.4 प्रतिशत का है।

इस कमी को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी क्षेत्र में व्यवहार्य जलविद्युत परियोजनाओं की सीमित क्षमता, परियोजना कार्यान्वयन में एनएचडीसी लि. के रिकार्ड और उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार खंडवा में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलाजी पर आधारित 1320 मेगावॉट (2x660 मेगावॉट) क्षमता की रेवा तापविद्युत परियोजना (आरटीपीपी) स्थापित करने जा रही है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने संबंधी सभी स्थल गतिविधियां और अन्य वांछित स्वीकृतियां हासिल करने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है लेकिन कोयले का इंतजाम न हो पाने की वजह से इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

क्षमताएं

एनएचडीसी एक मजबूत और दक्ष संगठन है जिसका अपने सीमित संसाधनों से जलविद्युत परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करने का पक्का रिकार्ड है। हमारी कंपनी की क्षमताओं की जांच के लिए इसका एसडब्ल्यूओटी (मजबूती, कमजोरी, अवसर और चुनौती) विश्लेषण किया गया है ताकि इनमें और बढ़ोतरी की जा सके। कंपनी की मजबूती, कमजोरी, अवसर और चुनौतियां इस प्रकार हैं:

मजबूती

- जलविद्युत परियोजनाओं के प्रबंधन एवं कार्यान्वयन में विशेषज्ञता।
- जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण एवं प्रचालन और उनके प्रबंधन का अनुभव।
- ग्राहकों के साथ दीर्घावधि के बिजली खरीद करारनामें।
- सुदृढ़ प्रचालन निष्पादन।
- सुयोग्य एवं सक्षम कार्मिक।

कमजोरियां

- ओंकारेश्वर बांध के जलाशय का जलस्तर एफआरएल स्तर तक बढ़ाने पर प्रतिबंधों को देखते हुए कंपनी विद्युत उत्पादन का पूरा लाभ उठाने में सफल नहीं है।.
- मध्य प्रदेश में सशक्त जलविद्युत परियोजनाओं के लिए क्षमता की कमी।

अवसर

- भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतराल दूर करना;
- ऊर्जा के तमाम पारम्परिक और अपारम्परिक स्रोतों से बिजली परियोजनाओं के विकास की क्षमता।
- ऊपरी नर्मदा बेसिन में मिनी और माइक्रो जलविद्युत केन्द्रों के विकास के लिए संभावित स्थलों की मौजूदगी।

चुनौतियां

- निजी विकासकों से प्रतिस्पर्धा।
- तापबिजली परियोजनाओं के लिए देश में कोयले की अल्प उपलब्धता।
- परियोजनाओं के निर्माण एवं परिचालन के दौरान प्राकृतिक आपदाएं।
- अप्रत्याशित जटिलताएं और विलम्ब, जैसे पवन स्थलों तक पहुंच का अभाव, जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, जलाशयों को भरने के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी होना।

बिजली उत्पादन

वर्ष 2013 के दौरान मानसून की असाधारण रूप से अच्छी वर्षा होने से नर्मदा बेसिन को लाभ पहुंचा। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान एनएचडीसी के पावर स्टेशनों ने अब तक का सबसे अधिक वार्षिक विद्युत उत्पादन किया, जो 5711.89 मिलियन यूनिट का था (यानी इंदिरा सागर से 4077.85 मिलियन यूनिट और ओंकारेश्वर परियोजना से 1633.14 मिलियन यूनिट)। पिछला रिकार्ड उत्पादन वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 4664 मिलियन यूनिट का था।

जोखिम और चिंताएं

एनएचडीसी के जलविद्युत केन्द्रों का विद्युत उत्पादन मुख्य रूप से प्रकृति यानी मानसून के मिजाज पर निर्भर करता है और इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

इन दिनों भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास का काम भी देश में नयी परियोजनाओं की स्थापना में एक बड़ी समस्या बन चुका है।

तापबिजली परियोजनाओं के लिए मुख्य इंधन कोयला होता है जिसकी देश में किल्लत है।

विनियमन प्राधिकारियों से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले समय का भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

परिदृश्य

योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 और 2021-22 में बिजली की अनुमानित मांग क्रमश: 1403 अरब यूनिट और 1993 अरब यूनिट रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि वर्ष 2013-14 में विद्युत उत्पादन 966.378 अरब यूनिट रहा था। इसी तरह वर्ष 2016-17 और 2021-22 में बिजली की सर्वाधिक मांग क्रमश: 197.69 गीगावॉट और 289.67 गीगावॉट रहने का अनुमान है। वर्ष 2013-14 में सर्वाधिक मांग 135.92 गीगावॉट रही थी। विद्युत ऊर्जा की मांग में 7 से 8 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी देश के आर्थिक विकास के अनुरूप है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कामकाज के सुचारुरूप से संचालन के लिए कंपनी की अपनी मजबूत और कारगर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं और वह संबंधित कानूनों और विनियमों का पालन करती है। उपयुक्त स्तरों तक वित्तीय शक्तियों का सुपरिभाषित हस्तांतरण भी किया गया है। कंपनी का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो उसके कारोबार के स्वरूप और आकार के अनुरूप है। जहां कहीं भी कंपनी की इकाइयां हैं वहां नियमित और विस्तृत आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, लेन-देन को प्राधिकृत, अभिलेखबद्ध और सही-सही सूचित करने तथा नीतियों और कायदे-कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जांच की व्यवस्था है। कंपनी की लेखापरीक्षा समिति जिसका गठन कंपनी अधिनियम की धारा 292क के प्रावधानों के तहत किया गया था, इसकी आंतरिक प्रणाली की बुनियाद है। यह केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नियमित रूप से बैठकें करते हैं, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रेषित त्रैमासिक रिपोर्टों की समीक्षा करते हैं और जब तथा जहां भी जरूरी हो, आवश्यक दिशानिर्देश देते हैं।

मानव संसाधन विकास:

कंपनी के लोग ही उसकी ताकत हैं और संगठनात्मक लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और कर्मचारियों की अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप उनके निरंतर विकास के लिए माहौल उपलब्ध कराने के सायास प्रयास किये जा रहे हैं। कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन के स्तर में सुधार के लिए मानव संसाधन संबंधी पहल में सभी कार्यपालक अधिकारियों के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन क्षेत्रों (केपीए) पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली और विभिन्न कौशलों तथा पुनर्नियोजन के लिए उनका प्रशिक्षण शामिल है। कंपनी की अनोखी कार्य संस्कृति भरोसे और खुलेपन पर आधारित है। अधिकारों के सुनियोजित हस्तांतरण, विकेन्द्रीकरण और पारदर्शिता के जरिए एक कारगर और सशक्तीकरण पर आधारित प्रणाली कायम की गयी है। संगठन कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को एक ऐसे विजेता की तरह देखता है जो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उनके विकास को सुगम बनाने तथा उनके दृष्टिकोण में व्यापकता लाने के लिए समय-समय पर जिम्मेदारियों में बदलाव और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले किये जाते हैं। मानव संसाधन संबंधी गतिविधियों में समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाता है ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। नये भर्ती हुए लोगों को सुनियोजित और औपचारिक प्रशिक्षण के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ संबद्ध किया जाता है ताकि वे कंपनी की संस्कृति में समायोजित हो जाएं। परियोजना/कार्यालयों पर विशाल संख्या में पुस्तकों वाला पुस्तकालय स्थापित किया गया है। कार्यपालकों को पेशेवर संगठनों की सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनके ज्ञान का विकास हो सके।

तैनाती के बाद प्रशिक्षण और विकास सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशिक्षण योजना तैयार की गयी है। इसे इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया गया है कि कर्मचारियों को उच्चतर जिम्मेदारी के पदों को संभालने के लिए तैयार किया जा सके। कंपनी अपनी परियोजनाओं/कार्यालयों में अन्त: और अन्तर कार्यालयों की वार्षिक खेलकूद स्पर्धाएं भी आयोजित करती है ताकि कर्मचारियों में समूह में काम करने की भावना का विकास हो सके। कंपनी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों

और कार्यशालाओं की नियमित श्रृंखला के जरिए कर्मचारियों में नेतृत्व क्षमता के विकास और नीतिगत रुझान पर भी लगातार ध्यान देती है। कार्मिकों के प्रति अपने सरोकार का प्रदर्शन करते हुए कंपनी ने उच्चस्तरीय वचनबद्धता वाली कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कायम की है। कर्मचारियों के नौकरी छोड़कर जाने की दर 1;83 प्रतिशत है जो इस क्षेत्र में न्यूनतम है। कंपनी ने बेहतरीन जीवन की सुविधाओं से युक्त एक आधुनिक बस्ती का विकास किया है जिसमें कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया है। कामकाज के समय दुर्घटनाएं न होने का भी कंपनी का बेहतरीन रिकार्ड है। कंपनी अपने कर्मचारियों की क्षमताओं और दक्षताओं को उनके पद के वर्तमान और भावी दायित्वों तथा व्यावसायिक चुनौतियों के अनुरूप ढालने पर जोर देती है।

औद्योगिक संबंध:

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण बने रहे। कंपनी अपने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए बढ़चढ़कर उपाय करती है और अपने दरवाजे कर्मचारियों के लिए खुले रखने की नीति अपनाती है। सद्भावपूर्ण माहौल की बदौलत साल के दौरान किसी कार्य दिवसों का कोई नुकसान नहीं हुआ।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व और निरंतर विकास नीति:

कारपोरेट सामाजिक दायित्व और निरंतरता कंपनी के हितभागियों के प्रति कंपनी की वचनबद्धता की द्योतक है ताकि वह अपने कामकाज को पारदर्शिता, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए पूरी किफायत के साथ और सामाज व पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय तरीके से अंजाम दे सके। कंपनी के सहभागियों में उसके कर्मचारी, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यावसायिक साझेदार, सिविल सोसाइटी समूह, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और समग्र समाज शामिल हैं। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सवाल है, कारपोरेट सामाजिक दायित्व को कारोबार चलाने के ऐसे तरीके के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे साझेदारों की बेहतरी के लिए संपत्ति के सृजन और वितरण में मदद मिलती है। इसमें नैतिकता पर आधारित प्रणालियों और प्रबंधन के निरंतरता पर आधारिता तौर-तरीकों का सहारा लिया जाता है।

लोक उपक्रम विभाग ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास गतिविधियों के बारे में 01 अप्रैल 2013 से प्रभावी सामान्य दिशानिर्देश जारी किये हैं। एनएचडीसी लिमिटेड की कारपोरेट सामजिक दायित्व और संधारणीय विकास संबंधी अपनी नीतियां हैं जो उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार एनएचडीसी लि. जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कर भुगतान के बाद के अपने पिछले साल के मुनाफे में से 1 से 2 प्रतिशत राशि जन कल्याण को ध्यान में रखकर कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और संधारणीय विकास परियोजनाओं के लिए रखनी होती है। वित्त वर्ष 2013-14 में सीएसआर गतिविधियों के लिए 7.20 करोड़ रुपये (कर भुगतान के बाद के पिछले साल के मुनाफे का 1.25 प्रतिशत) का कुल बजट प्रावधान किया गया, जबकि पिछले वर्षों के सीएसआर प्रावधानों से खर्च न की गई 3.10 करोड़ रुपये की राशि भी इन गतिविधियों के लिए उपलब्ध थी। वर्ष 2013-14 के दौरान 4.09 करोड़ रुपये एनएचडीसी लि. द्वारा संचालित कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं पर खर्च किए गए। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, परिधीय विकास, और स्थानीय जरुरतों के अनुसार इसी तरह की विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

इसके अतिरिक्त एनएचडीसी अपने हितधारकों, विशेषत: प्रभावित लोगों के लिए सीएसआर एसडी के तहत चल रहे उक्त कार्यक्रमों के अलावा स्थानीय क्षेत्र में जैव-विविधता की स्थापना विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए पापच भंडार, इंदिरा सागर और ओंमकारेश्वर पार्क के जलशयों में मछलियों को पोषित करने, मध्य प्रदेश की हस्तकला को विकसित करने, ताकि लोगों को जीविका का साधन मिल सके जैसे कार्यक्रमोंकें प्रति भी कटिबद्ध है।

पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण:

एनएचडीसी लि. समाज, पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझता है। इसीलिए उसने अपने वैधानिक दायित्वों से भी आगे बढ़कर इन पर पर्याप्त ध्यान दिया है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर जैसी पनबिजली परियोजनाओं में परियोजनागत गतिविधियों के अभिन्न अंग के रूप में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ: 140001 : 2004) अपनायी गयी है। इससे संसाधनों के संरक्षण और अपशिष्ट को कम-से-कम करने में मदद मिली है। जलविद्युत परियोजनाएं बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल साधन हैं। लेकिन इनके निर्माण के दौरान पर्यावरण पर कुछ बुरे असर देखे गये हैं। इन्हें सही तरीके से दूर करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कुछ उपाय तैयार किये गये हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय उपाय इस प्रकार हैं: प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, भूकम्प निगरानी, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना और पुरातात्विक महत्व के स्मारकों आदि का स्थानांतरण/जीर्णोद्धार।

नवीकरणीय ऊर्जा विकास

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की दिशा में विविधीकरण के प्रयास के रूप में कंपनी अपनी परियोजनाओं के आस-पास उपलब्ध खाली जमीन का उपयोग सौर फोटोवोल्टैक प्रणालियों की स्थापना के लिए करने की संभावनाओं का पता लगा रही है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अधीन एक कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) के साथ संवाद कायम किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एनएचडीसी को ऊपरी नर्मदा बेसिन में प्रस्तावित मझोली और लघु बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं से जुड़े विद्युत उत्पादन संबंधी कार्यों का दायित्व भी सौंपा है। प्रत्येक बिजली परियोजना की अनुमानित क्षमता 10 से 25 मेगावाट तक होगी।

वित्तीय निष्पादन

प्रचालनों के परिणाम

कंपनी के वित्तीय लेखे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसूची-VI में बताये गये लेखांकन मानदंडों के आधार पर तैयार किये गये हैं। तदनुरूप, पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन: समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

वित्त वर्ष 2013-14 में कंपनी की अपने प्रचालनों से आमदनी 188442 लाख रुपये थी और करों के भुगतान के बाद मुनाफा 106363 लाख रुपये रहा, जबकि पिछले साल ये क्रमश: 109545 लाख रुपये और 57564 लाख रुपये रहा था।

कारपोरेशन के वित्त वर्ष 2013-14 और 2012-13 के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण इस प्रकार है:

1.0 आमदनी

	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13
बिजली की बिक्री (मिलियन यूनिट में)	5668.86	4140.98
आमदनी (लाख रुपये में)		
प्रचालनों से आमदनी (निवल)	188442	109545
अन्य आमदनी	23101	24274
कुल	211543	133819

कंपनी की आमदनी में बिजली की बिक्री से हुई आय, लाभार्थियों से प्राप्त ब्याज (केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के तहत अनंतिम और अंतिम शुल्क के बीच का अंतर पर देय) और अन्य आमदनी जैसे, अतिशेष धनराशि के निवेश से ब्याज के रूप में होने वाली आमदनी, प्रतिभूतीकृत व्यापार प्राप्तियों पर ब्याज, कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम आदि शामिल हैं। कंपनी की आमदनी में 58.08 प्रतिशत की हुई, अर्थात् यह वित्त वर्ष 2012-13 की 133819 लाख रुपये से बढ़ कर वित्त वर्ष 2013-14 में 211543 लाख रुपये हो गई।

1.1 शुल्क

एनएचडीसी के विद्युत केन्द्रों में पैदा होने वाली बिजली का शुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विभिन्न शुल्क अवधियों के लिए मौजूदा विनियमों के तहत तय किया जाता है। वित्त वर्ष 2013-14, आयोग की अधिसूचना सं. एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी दिनांक 19 जनवरी, 2009 के तहत निर्धारित 5 वर्षीय शुल्क अवधि यानी 2009-14 का अंतिम वर्ष है। 2009 के शुल्क विनियमों के अंतर्गत उत्पादन प्रभार वार्षिक नियत शुल्क के रूप में कंपनी को देय है जिसका आकलन पूंजी लागत को जोड़कर किया जाता है। तदनुरूप विनियम 2009 के तहत वार्षिक नियत शुल्क का आकलन भी पांच अलग-अलग घटकों के तहत किया गया है, जो इस प्रकार हैं: (1) इक्विटी पर लाभ को मौजूदा एमएटी/आय कर दर के साथ जोड़ कर; (2) मूल्यह्रास; (3) ऋणों पर ब्याज; (4) कार्यशील पूंजी पर ब्याज; और (5) प्रचालन तथा अनुरक्षण खर्च।

इस तरह से आकलित और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक नियत शुल्क का 50 प्रतिशत क्षमता शुल्क के रूप में लाभार्थियों से वसूल किया जा सकता है। लाभार्थियों से 100 प्रतिशत क्षमता शुल्क को मानदंडात्मक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक (एनएपीएएफ) के तहत वसूल किया जाता है। एनएपीएएफ हर संयंत्र के लिए अलग-अलग होता है जो इंदिरा सागर बिजलीघर के लिए 85 प्रतिशत और ओमकारेश्वर परियोजना के लिए 90 प्रतिशत है। इस तरह क्षमता शुल्क को मानदंडात्मक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक (एनएपीएएफ) के संदर्भ में वर्ष के दौरान संयंत्र उपलब्धता घटक के अनुपात में जोड़ा जाता है ताकि उसी के आधार पर प्रोत्साहन या हतोत्साहन का आकलन किया जा सके।

वार्षिक नियत शुल्क का बकाया 50 प्रतिशत ऊर्जा शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है। यह डिजाइन एनर्जी आधार पर आकलित ऊर्जा शुल्क दर पर आधारित होता है। इसके अलावा डिजाइन एनर्जी के ऊपर भी 0.80 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क लिया जा सकता है।

1.2 ऊर्जा की बिक्री

मध्य प्रदेश राज्य एनएचडीसी के बिजली घरों से लाभ उठाने वाली एकमात्र लाभार्थी है। इसके लिए एनएचडीसी ने उत्पादक के रूप में, एमपीट्रेडको (वर्तमान नाम मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कंपनी लि.) ने लाभार्थी के रूप में और मध्य प्रदेश सरकार ने गारंटीदाता के रूप में दीर्घ कालीन त्रिपक्षीय बिजली खरीद समझौतों पर दस्तखत किये हैं। समझौते में लाभार्थी द्वारा भुगतान में चूक होने की स्थिति के मद्देनजर गारंटीदाता की व्यवस्था की गयी है। इंदिरा सागर विद्युत के बिक्री संबंधी आंकड़ों को याचिका सं. 154/2010 के तहत 2009-14 की अवधि के लिए 2009 के विनियमों के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के शुल्क आदेश दिनांक 13.06.2012 के जरिए स्वीकृति दी गयी। इसी प्रकार ओंकारेश्वर परियोजना के लिए 2009-14 की अवधि में शुल्क निर्धारण के लिए शुल्क याचिका सं. 248/जीटी/2012 के अंतर्गत 19.05.2013 को शुल्क आदेश जारी किया गया।

इसके अतिरिक्त इंदिरा सागर परियोजना के मामले में आयोग द्वारा स्वीकृत इक्विटी के आधार पर इक्विटी लाभ 15.5 प्रतिशत से बढ़कर 16.5 प्रतिशत हो जाने से हिसाब में न ली गयी 1574 लाख रुपये की आमदनी को बिजली की बिक्री के रूप में रखा गया है। वर्ष के दौरान 3475

लाख रुपये का जो विलम्बित कर दायित्व (पिछले साल की 3058 लाख रुपये की बिक्री से) सामने आया है उसे भी बिजली की बिक्री में समाहित किया गया है और उसे सीईआरसी के 2009 के विनियमों के तहत लाभार्थियों से वसूल किया जाना है।

कंपनी ने 2013-14 में अपनी इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजनाओं से 5668.86 मिलियन यूनिट बिजली लाभार्थी को प्रदान की जबकि पिछले साल यानी 2012-13 में 4140.98 मिलियन यूनिट बिजली ही दी गयी थी। मिलियन यूनिट में आकलित बिजली की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 36.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रचालन से राजस्व में 72.02 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई और यह वित्त वर्ष 2013-14 में बढ़कर 188442 लाख रुपये पर पहुंच गया, जो 2012-13 में 109545 लाख रुपये था। वित्त वर्ष 2013-14 में बिक्री से वसूली बढ़कर 132652 लाख रुपये हो गई, जो 2012-13 में 114065 लाख रुपये थी।

1.3 बिजली की समायोजित बिक्री

वित्त वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने ओंकारेश्वर परियोजना के बारे में शुल्क आदेश दिनांक 09.05.2013 के जरिए 2009-14 की अवधि के दौरान लागू होने वाला अंतिम शुल्क अधिसूचित किया। इसके अनुसार ऊर्जा की बिक्री से आमदनी में पिछली अवधि की बकाया राशि और 2009 के विनियमों के तहत लाभार्थी से वसूल किये जाने वाले ब्याज को भी शामिल किया गया है। इसमें विनियमों में निर्धारित अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज (यूआई) और वसूल किया गया स्थगित कर भी शामिल है।

चालू वर्ष और उससे पहले के वर्ष में बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

लाख रुपये में

ब्योरा	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13
प्रचालन से राजस्व	188442	109545
घटाएं: सीईआरसी द्वारा अनुभव लाभार्थी से ब्याज	9656	1553
प्रचालन से राजस्व (शुल्क आदेश के अनुसार एएफसी को छोड़ कर निवल आय)	178786	107992
घटाएं:		
(क) पिछले साल की बिक्री (एडीडी का शुद्ध)	31229	1135
(ख) यूआई चार्जेज	738	408
(ग) ऊर्जा विकास उप-कर	19871	
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	126948	106449
पिछले साल के मुकाबले समायोजित बिक्री में बढ़ोतरी (प्रतिशत)	19.26	

1.4 अन्य आमदनी

लाख रुपये में

विवरण	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13
अन्य आमदनी	23101	24274

अन्य आमदनी में मुख्य रूप से अधिशेष नकदी के निवेश से होने वाली आमदनी, प्रतिभूतीकृत व्यापार प्राप्तियों से ब्याज के रूप में होने वाली आय, कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज और विविध आमदनियां शामिल हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में अन्य आमदनियां 23101 लाख रुपये रहीं जो वित्तवर्ष 2012-13 में हुई 24274 लाख रुपये की अन्य आमदनियों के मुकाबले 4.83 प्रतिशत कम है। अन्य आमदनियों में कमी मुख्य रूप से चालू वर्ष के दौरान सावधि जमा में कमी आने के कारण आयी, जिसके प्रमुख कारणों में ओंकारेश्वर परियोजना के लिए अतिरिक्त विशेष क्षतिपूर्ति पैकेज का भुगतान, अंतरिम लाभांश का भुगतान, ऊर्जा विकास उपकर और विद्युत शुल्क का भुगतान और इंदिरा सागर परियोजना के ऋणों की समय-पूर्व अदायगी, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण निधि का भुगतान शामिल है। परन्तु व्यापार प्राप्यों के अतिरिक्त प्रतिभूतीकरण से आय की बदौलत इसकी क्षतिपूर्ति भी हुई।

2.0 खर्च: तुलनात्मक स्थिति

लाख रुपये में

विवरण	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13
उत्पादन, प्रशासन और अन्य खर्च	28423	8210
कर्मचारियों के हित पर खर्च	7388	6395
वित्त लागत	15781	21083
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	25397	24418
पूर्व अवधि मदें (निवल)	(596)	(378)
कुल	**76393**	**59728**

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कुल खर्च 76393 लाख रुपये रहा है जिसमें वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हुए 59728 लाख रुपये के खर्च की तुलना में 27.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2013-14 में कुल आमदनी के मुकाबले कुल खर्च 36.11 प्रतिशत रहा जबकि वित्त वर्ष 2012-13 में यह 44.63 प्रतिशत था।

कारणों का शीर्ष वार विश्लेषण इस प्रकार है:

2.1 उत्पादन, प्रशासन और अन्य खर्च

लाख रुपये में

विवरण	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13	अन्तर
उत्पादन, प्रशासन और अन्य खर्च	28423	8210	20213

यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान पहली बार ऊर्जा विकास उपकर लागू किए जाने से दरों और करों की राशि में वृद्धि के कारण हुई।

2.2 कर्मचारी हित पर खर्च

लाख रुपये में

विवरण	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13	अन्तर
कर्मचारी हित कार्यों पर खर्च	7388	6395	993

कर्मचारी हित के कार्यों पर खर्च में बढ़ोतरी मुख्य रूप से चालू वर्ष के दौरान एनएचपीसी सहित कम्पनी के कर्मचारियों के अवकाश वेतन, उपदान, कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना, आरईएचएस आदि से संबंधित बीमांकिक मूल्यांकन में वृद्धि और वेतन की अन्य मदों में सामान्य वृद्धि के कारण हुई।

2.3 वित्त लागत

वित्त लागत में बुनियादी तौर पर सावधि ऋणों पर ब्याज खर्च शामिल है। वित्त लागत वित्त वर्ष 2013-14 में 25.15 प्रतिशत घटकर 15781 लाख रुपये हो गयी, जो वित्त वर्ष 2012-13 में 21083 लाख रुपये थी। वित्त लागत में कमी ऋणों के पुनर्भुगतान और समय पूर्व भुगतान किए जाने के कारण आई।

2.4 मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन मैथड से आकलित किया जाता है जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अधिसूचना दिनांक 19.01.2009 में बतायी गयी दरों और प्रविधि का अनुसरण किया जाता है। इसमें सिर्फ कुछ ही मद अपवाद स्वरूप होती हैं जिनमें कंपनी द्वारा आकलित दरों से मूल्यह्रास की गणना की जाती है। भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने पत्र सं. 51/23/2011-सीएल-3 दिनांक 31.05.2011 के जरिए स्पष्ट किया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 616(सी) में बतायी गयी कंपनियां, यानी ऐसी कंपनियां जो बिजली की आपूर्ति करती हैं, वे मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद हुए लाभ में से लाभांश का भुगतान कर सकती हैं। इसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित दरों और विधि का पालन किया जाता है और यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 के पालन के लिए पर्याप्त है।

वित्त वर्ष 2013-14 में मूल्यह्रास और परिशोधन के लिए 25397 लाख रुपये का प्रावधान है जबकि वित्त वर्ष 2012-13 में यह 24418 लाख रुपये था। इस मद में 979 लाख रुपये की वृद्धि हुई। इसका कारण अनुसंधान एवं विकास लागत की मद में अतिरिक्त पूंजीकरण था।

2.5 कर व्यय

आमदनी में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2013-14 में कर व्यय 28787 लाख रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2012-13 के 16527 लाख रुपये के कर व्यय के मुकाबले 74.18 प्रतिशत अधिक था।

3.0 नकदी प्रवाह

लाख रुपये में

विवरण	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	16498	77342
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(11920)	12138
वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(148014)	(44811)
नकदी/नकदी समतुल्य में बढ़ोतरी/(कमी)	(143436)	44669

4.0 तुलन पत्रक मदों का विश्लेषण -

4.1 इक्विटी और देयताएं

लाख रुपये में

ब्योरा	31मार्च 2014	31 मार्च 2013	अंतर
दीर्घावधि उधार	72228	138838	(66610)
अस्थगित कर (निवल)	16772	16340	432
अन्य दीर्घावधि देयताएं	12215	12132	83
दीर्घावधि प्रावधान	1037	805	232
व्यापार प्राप्य	2138	887	1251
अन्य चालू देयताएं	31787	39355	(7568)
अल्पावधि प्रावधान	30765	59670	(28905)

दीर्घावधि उधारियों में कमी मूलधन चुकता करने की और दीर्घावधि उधारियों का समय पूर्व भुगतान करने की वजह से आयी है। दीर्घावधि प्रावधान में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों के दीर्घावधि लाभों में वृद्धि होना है। अन्य चालू देयताओं में कमी मुख्य रूप से दीर्घावधि उधारियों के पुनर्भुगतान के कारण आई है और तदनुरूप दीर्घावधि उधारियों की चालू परिपक्वताओं की राशि भी कम हो गई है। व्यापार देयताओं में बढ़ोतरी का मुख्य कारण ऊर्जा विकास उपकर और विद्युत शुल्क के संदर्भ में मार्च 2014 के महीने के लिए देयता में वृद्धि है। अल्पावधि प्रावधानों में कमी मुख्य रूप से ओंकारेश्वर परियोजना के मामले में वन भूमि का प्रयोग गैर वनभूमि प्रयोजन के लिए किए जाने के संदर्भ में प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए) को भुगतान किए जाने के कारण आई है।.

4.2 आस्तियां

लाख रुपये में

ब्योरा	31मार्च 2014	31 मार्च 2013	अंतर
मूर्त आस्तियां (सकल ब्लाक)	401645	400984	661
अभूर्त आस्तियां (इस्तेमाल का अधिकार) (सकल ब्लाक)	353459	319825	33634
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	386	306	80
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	3844	3232	612
अन्य गैर चालू आस्तियां	42795	18801	23994
वस्तु सूची	755	714	41
व्यापार प्राप्य	55866	19100	36766
नकदी और बैंक शेष	71916	215352	(143436)
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	2637	2670	(33)
अन्य चालू आस्तियां	47340	31256	16084

मूर्त आस्तियों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण ओंकारेश्वर परियोजना में सीआईएसएफ क्वार्टरो के चारों ओर दीवार का निर्माण और इंदिरा सागर परियोजना में जी टाइप क्वार्टरों में अतिरिक्त बाथरूम का निर्माण है। अन्य परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं हैं। अमूर्त आस्तियों (इस्तेमाल का अधिकार) में वृद्धि ओंकारेश्वर परियोजना के संदर्भ में भूमि से विस्थापित लोगों को विशेष पैकेज का भुगतान किए जाने के कारण हुई है। दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि का मुख्य कारण वर्ष के दौरान कर्मचारियों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की राशि में बढ़ोतरी है। अन्य चालू आस्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना के संदर्भ में व्यापार प्राप्यों के अतिरिक्त प्रतिभूतिकरण के कारण हुई है। व्यापार प्राप्यों में वृद्धि चालू व्यापार प्राप्यों में बढ़ोतरी होने के कारण हुई है। यह वृद्धि 2009-2014 की शुल्क अवधि के लिए ओंकारेश्वर परियोजना के लिए शुल्क आदेश को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई। नकदी और बैंक शेष में कमी के मुख्य कारणों में भूमि विस्थापितों को विशेष पैकेज का भुगतान, क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए) को भुगतान, शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश का भुगतान, ऊर्जा विकास उप कर और विद्युत शुल्क का भुगतान तथा दीर्घावधि ऋणों का समय पूर्व भुगतान शामिल है। अन्य चालू आस्तियों में कमी का मुख्य कारण ओंकारेश्वर परियोजना के संदर्भ में भूमि विस्थापितों को विशेष पैकेज का भुगतान करने से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से वसूल की जाने वाली राशि में वृद्धि होना था। परंतु अन्य मदों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आया है।

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

अनुबंध 'क' (लेखे: पैरा-14ख)

1. कारपोरेट अभिशासन के बारे में कंपनी के विचार

आपकी कंपनी ऐसे सुदृढ़ कारपोरेट तौर-तरीकों पर अमल करने के लिए वचनबद्ध है जो विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, पेशेवर दक्षता और जवाबदेही पर आधारित हैं। हमारा यह प्रयास रहा है कि कंपनी के विभिन्न लाभार्थियों के मन में भरोसा कायम हो जिससे लम्बी अवधि में सफलता का मार्ग प्रशस्त हो। कंपनी का मानना है कि कारपोरेट अभिशासन को अपनाने से प्रबंधन के तौर-तरीकों में सुधार होता है। एनएचडीसी में कारपोरेट अभिशासन प्रणाली सहभागिता, पारदर्शिता, विवेकसम्मत और समतामूलक है। कंपनी भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग द्वारा कारपोरेट अभिशासन के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन करने का हर संभव प्रयास करती है। वर्ष 2012-13 में आपकी कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों का पालन करने में ''बहुत अच्छी'' श्रेणी हासिल की है।

2. निदेशक मंडल

आपकी कंपनी एनएचपीसी लि. (भारत सरकार का उपक्रम) और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है जिसमें दोनों की भागीदारी क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, दोनों की नियुक्ति एनएचपीसी द्वारा की जाएगी जबकि पूर्णकालिक निदेशक एनएचपीसी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा अन्य निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भी संयुक्त उपक्रम के साझेदारों, यानी एनएचपीसी लि और मध्य प्रदेश सरकार को ही है। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या पांच से कम और 11 से अधिक नहीं होगी। इनमें सभी पूर्णकालिक और अंशकालिक निदेशक शामिल हैं।

इसके अलावा कंपनी के विधान के नियमों में यह भी व्यवस्था है कि एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित व्यक्ति कंपनी में निदेशकों के पद का दायित्व क्रमश: एनएचपीसी लि. और मध्य प्रदेश सरकार की संतुष्टि की स्थिति में ही निभा सकेंगे। प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति पांच साल के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु में से जो भी पहले होगा उस अवधि तक के लिए ही होगी।

2.1 निदेशक मंडल का गठन और कार्यकाल

31 मार्च 2014 को कंपनी के निदेशक मंडल में सात सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, 1 पूर्णकालिक निदेशक, एनएचपीसी द्वारा नियुक्त 1 अंशकालिक निदेशक, एनएचपीसी द्वारा नियुक्त 1 स्वतंत्र निदेशक और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त 2 अंशकालिक निदेशक शामिल थे। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देश अनुसार बोर्ड और उसकी उप समितियों का विधिवत गठन अभी किया जाना है।

2.2 बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में निदेशक इसमें हिस्सा ले सकें। लेकिन इस बात के प्रयास भी किये जा रहे हैं कि बैठकें भोपाल स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में हों।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गयीं जो 17 मई, 2013, 12 जून 2013, 01 अगस्त 2013, 12 सितम्बर 2013, 9 अक्तूबर 2013, 01 नवम्बर 2013 और 29 जनवरी, 2014 को आयोजित की गई। 11 अप्रैल, 2013 को बुलाई गई बैठक कोरम पूरा न होने के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। इसके बाद यह बैठक 17 मई, 2013 को आयोजित की गई।

निदेशक मंडल की बैठकों, इनमें उपस्थित हुए निदेशकों की संख्या, पिछली वार्षिक आमसभा में उपस्थिति, निदेशकों, समितियों की सदस्यता यानी लेखा परीक्षा समिति और/या शेयरधारक को शिकायत समिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशक के कार्यकाल में हुई बैठकें	बोर्ड बैठकों की संख्या	01.8.2013 की पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	31.3.2014 को हुई निदेशकों की बैठकों की संख्या	31.03.14 को अन्य कंपनियों में कमेटी सदस्यता
गैर कार्यपालक निदेशक					
श्री जी साई प्रसाद	7	2	शून्य	3	शून्य
श्री रजनीश वैश	7	6	हां	2	शून्य
श्री शिव कुमार	7	6	हां	शून्य	शून्य
श्री एस के पंवार*	5	2	हां	शून्य	शून्य
कार्यपालक निदेशक					
श्री आर एस मीना	7	7	हां	1	शून्य
श्री के एम सिंह	7	7	हां	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक (आईडी)/गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक					
श्री जी एस वेदी	7	5	हां	2	3
श्री गजेंद्र सिंह पटेल**	6	4	हां	शून्य	शून्य

* श्री एस के पंवार, सदस्य (वित्त), एनवीडीए को 27 जून, 2013 से एनएचडीसी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया।

**श्री गजेंद्र सिंह पटेल 05 नवम्बर, 2013 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे। कंपनी के निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

2.3 निदेशक मंडल का प्रशिक्षण

कंपनी जब भी जरूरत पड़ती है निदेशकों को दस्तावेजों का एक सैट और पुस्तिकाएं उपलब्ध कराती है। इनमें कंपनी के कार्यनिष्पादन के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े, ज्ञापन और कंपनी का संगम अनुच्छेद, कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश आदि शामिल हैं।

2.4 गबन और जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन प्रणाली समन्वित और कारपोरेट तथा प्रचालनगत लक्ष्यों के अनुरूप है। जोखिम प्रबंधन का काम सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के तहत ही किया जाता है, न कि किसी खास वक्त पर अलग से किये जाने वाले कार्य के रूप में। कंपनी की गबन और जोखम प्रवंधन की अलग-अलग नीतियां हैं।

3. लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च 2014 को लेखा परीक्षा समिति का स्वरूप इस प्रकार था।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	श्रेणी
01	श्री जी.एस. वेदी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
02	श्री के.एम. सिंह	सदस्य	मुख्य कार्यकारी निदेशक
03	श्री शिव कुमार	सदस्य	अंशकालिक निदेशक

वित्त वर्ष 2013-14 में लेखा परीक्षा समिति की 6 (छह) बैठकें 15 मई, 2013, 12 जून, 2013, 26 जुलाई, 2013, 11 सितम्बर, 2013, 30 अक्तूबर, 2013 और 28 जनवरी, 2014 को आयोजित की गयीं।

क्रम सं.	नाम	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री जी.एस. वेदी	6	6
2	श्री के.एम. सिंह	6	6
3	श्री शिव कुमार	6	6

लेखा परीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अनुसार है, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए लागू कारपोरेट अभिशासन नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, शक्तियों और सूचनाओं की समीक्षा के अनुरूप भी है।

4. ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय (सीएसआर एंड एस) समिति''

31 मार्च 2014 को ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय (सीएसआर एंड एस) समिति'' में निम्नांकित सदस्य शामिल थे।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	श्रेणी
01	श्री जी.एस. वेदी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
02	श्री के.एम. सिंह	सदस्य	मुख्य कार्यकारी निदेशक
03	श्री शिव कुमार	सदस्य	अंशकालिक निदेशक

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय (सीएसआर एंड एस) समिति'' की 3 (तीन) बैठकें 12 जून, 2013, 11 सितम्बर, 2013 और 28 जनवरी, 2014 को आयोजित की गईं। बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्रम सं.	नाम	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री जी.एस. वेदी	3	3
2	श्री के.एम. सिंह	3	3
3	श्री शिव कुमार	3	3

''कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय (सीएसआर एंड एस) समिति'' का कार्यक्षेत्र केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

5. पारिश्रमिक समिति

31 मार्च 2014 को पारिश्रमिक समिति में सदस्यों का विवरण इस प्रकार था।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	श्रेणी
01	श्री जी.एस. वेदी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
02	श्री के.एम. सिंह	सदस्य	मुख्य कार्यकारी निदेशक
03	श्री शिव कुमार	सदस्य	अंशकालिक निदेशक

पारिश्रमिक समिति का कार्य क्षेत्र लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों/गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को अदा किए गए सीटिंग शुल्क का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

क: कार्यपालक निदेशक

(लाख रुपये में)

निदेशक का नाम	वेतन	परिलब्धियां	कुल
श्री के एम सिंह, मुख्य कार्यकारी निदेशक*	23.62	-	23.62

* इस राशि में उपदान, अवकाश नकदीकरण, आरईएचएस और सामान भत्ता के लिए प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि इसे समूचे निगम के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है।

ख. स्वतंत्र निदेशक/गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

(रुपये में)

निदेशक का नाम	सीटिंग शुल्क
श्री जी.एस. वेदी	2,25,000.00
श्री गजेंद्र सिंह पटेल	75,000.00

(कर की कटौती लागू दर पर कर दी गयी है।)

6. आम सभा की बैठकें

पिछली तीन आम बैठकों की तारीख, समय और स्थान का विवरण नीचे दिया गया है:

क) 11वीं वार्षिक आम बैठक 01 अगस्त 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे होटल जहांनुमा पैलेस, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित की गयी।

ख) 12वीं वार्षिक आम बैठक 1 अगस्त 2012 को दोपहर बाद 12.45 बजे एनएचडीसी परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित की गयी।

ग) 13वीं वार्षिक आम बैठक 1 अगस्त 2013 को दोपहर बाद 12.15 बजे एनएचडीसी परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित की गयी।

7. प्रकटीकरण:

i. कंपनी के निदेशकों के पास महत्वपूर्ण किस्म का ऐसा कोई लेन-देन नहीं था जिससे कंपनी के व्यापक हितों के साथ किसी तरह के टकराव की आशंका हो।

ii. संबंधित पक्ष उद्घोषणा का ब्योरा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाअंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानदंड 18 के अनुसार लेखे के तहत नोट्स के रूप में संलग्न किया गया है।

iii. वैधानिक अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से रखी जा रही है। इसके अलावा सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी विषय में पिछले तीन साल में किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है।

iv. एनएचडीसी ने गबन के मामलों को रोकने के लिए पहले ही एक नीति अपनायी है जिसके तहत गबन या गबन के संदिग्ध मामलों में कंपनी के कर्मचारियों के साथ-साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या एनएचडीसी के साथ किसी भी तरह का कारोबार करने वाली पार्टियों के प्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरह के मामलों की सूचना दी जाती है। नीति में गबन के मामलों को रोकने की प्रणाली भी शामिल की गयी है।

v. कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानदंडों का पालन करती है।

8. संवाद के साधन

कंपनी की समूची प्रदत्त पूंजी एनएचपीसी लि. (भारत सरकार के उपक्रम) और मध्य प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है। कंपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम सभा की बैठकों और वैब साइट पर घोषणाओं के जरिए अपने शेयरधारकों के साथ संवाद करती है।

9. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए कामकाज के संचालन की व्यावसायिक संहिता तैयार की है। इस संहिता की प्रति कंपनी की वैबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। बोर्ड के सभी सदस्यों तथा कंपनी के प्रमुख कर्मचारियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

10. अनुपालन प्रमाणपत्र

केन्द्रीय लोक उपक्रमों के लिए कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश-2010 में दी गयी कारपोरेट अभिशासन संबंधी शर्तों को पूरा करने के बारे में पूर्णकालिक कंपनी सचिव मैसर्स डीपीए एंड एसोसिएट्स का प्रमाणपत्र भी इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है। यह प्रमाण पज भी इस रिपोर्ट का एक भाग है।

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के बारे में प्रबंध निदेशक की घोषणा।

मैं, आर एस मीना, प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 2013-14 के दौरान व्यावसायिक आचार और नैतिक संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।

दिनांक: 23.04.2014

(आर एस मीना)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

कारपोरेट अभिशासन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
एनएचडीसी लिमिटेड
एनएचडीसी परिसर, श्यामला हिल्स
भोपाल

हमने भारत सरकार के भारी उद्योग और लोक उद्योग मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 को जारी 'कारपोरेट अभिशासन के दिशा-निर्देश-2010 और उसके अंतर्गत उल्लिखित अनुलग्नक (जिसे यहां आगे 'दिशानिर्देश' कहा जाएगा) में बतायी गयी कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा (जिसे यहां आगे 'कंपनी' कहा जाएगा), 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन किये जाने की जांच कर ली है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और हमारी पूरी जानकारी के अनुसार तथा हमें जो खुलासे किये गये उसके आधार पर हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह भी कहना चाहते हैं इस तरह का अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी व्यवहार्यता का और न कंपनी के कामकाज के प्रभावी संचालन में प्रबंधन की दक्षता का आश्वासन है।

स्थान: भोपाल
दिनांक: 15.07.2014

कृते डीपीए एंड एसोशिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
सीएस अमित कुमार जैन
भागीदार
एफसीएस-6522
सीपी नं. 7136

अनुलग्नक 'क' (देखें: पैरा 14 (ग))

ऊर्जा संरक्षण और टेक्नोलॉजी अंगीकरण

ऊर्जा संरक्षण के उपाय

क्र. सं.	वांछित सूचना	उत्तर
(क)	ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय	**इंदिरा सागर पावर स्टेशन** (1) इंदिरा सागर पावर स्टेशन के पावर हाउस और प्रशासनिक कार्यालय में 2x10 केडब्ल्यूपी की फोटोवाल्टिक सौर बिजली प्रणालियों का संस्थापन। (2) वीआईपी और पुनसा गेस्ट हाउस तथा ई-1 से ई-6 तक 75 डब्ल्यू एमएच पोस्ट टॉप लैन्टर्न के स्थान पर 18 डब्ल्यू सीएफएल फिटिंग्स लगाई गईं। (3) लेफ्ट बैंक सबस्टेशन पर 484 केवीएआर के एचटी कैपसिटर बैंक, ऑफिस ट्रांस्फोर्मर पर 200 केवीएआर एपीएफसी और 45 केवीएआर फिक्स्ड कैपसिटर तथा कालोनी ट्रांस्फोर्मर पर 45 केवीएआर कैपसिटर की संस्थापना। **ओंकारेश्वर परियोजना** (4) पावर हाउस कंट्रोल रुम और कांफ्रेंस रुम में एलईडी आधारित प्रकाश (इलूमनैशन) फिटिंग्स लगाई गई हैं। (5) पावर हाउस और स्विचयॉर्ड में वैकल्पिक आधार पर लाइटों की स्विचिंग के जरिए प्रकाश स्तरीय प्रबंधन। (6) परियोजना कॉलोनी में सौर ऊर्जा प्रणाली का इस्तेमाल। (7) परियोजना कॉलोनी में एमएच लैम्प लाइट सीएफएल लाइट और हैलोजन लैम्प लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट का इस्तेमाल। **कारपोरेट कार्यालय भोपाल** (8) एनएचडीसी परिसर में स्थित कार्यालय भवन में सीएफएल (लाइटें) लगाई गई हैं। (9) कार्यालय परिसर में स्प्लिट टाइप एसी लगाए गए हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार स्विच ऑन/ऑफ किया जा सकता है। (10) विभिन्न स्थानों पर उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में दिशा-निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें उपयोग के बाद उन्हें स्विच ऑफ करने के अनुरोध भी शामिल हैं। (11) पावर फैक्टर सुधार के लिए एनएचडीसी परिसरों में एपीएफसी सिस्टम संस्थापित किए गए हैं। (12) लैम्पों और फिक्स्चरों से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए समय-समय पर उनकी सफाई की व्यवस्था की गई। (13) आउटडोर लाइटें टाइमर स्विच की सहायता से संचालित की जा रही हैं जिससे मैनुअल ऑपरेशन कम करने और समय पर लाइटों को बंद एवं चालू करने की व्यवस्था की गई है।
(ख)	ऊर्जा की खपत कम करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, अगर कोई हो।	**इंदिरा सागर पावर स्टेशन** 10 लाख रुपये के अतिरिक्त निवेश के साथ मौजूदा सोडियम वैपर लैम्प फिटिंग्स के स्थान पर उपयुक्त एलईडी फिटिंग्स लगाना। **ओंकारेश्वर परियोजना** i) पावर हाउस में 200 केवीएआर और 150 केवीएआर क्षमता के स्वचालित विद्युत घटक कंट्रोल पैनल्स लगाने का प्रस्ताव है। ii) ओएसपी पावर हाउस की छत पर 40 कि.वा. क्षमता का सौर बिजली संयत्र लगाने का प्रस्ताव है। iii) ओएसपी बांध के बायें किनारे 745500 रुपये की लागत से एलईडी स्ट्रीट लाइट का प्रस्ताव है। **कारपोरेट कार्यालय भोपाल** परम्परागत ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए नए कार्यालय भवन की छत पर 20 केडब्ल्यू सोलर पीवी पावर प्लांट लगाया गया है। इस सोलर पीवी पावर प्लांट की संस्थापना पर 18.32 लाख रुपये का निवेश किया गया है।
(ग)	उपरोक्त (क) और (ख) पर वर्णित उपायों के फल स्वरूप ऊर्जा की खपत और वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर नतीजतन प्रभाव।	**इंदिरा सागर पावर स्टेशन** क-1) संस्थापित सौर प्रणालियों से 1290 केडब्ल्यूएच विद्युत की औसत मासिक बजत हुई जिससे वार्षिक आधार पर ऊर्जा की 15480 केडब्ल्यूएच (यूनिटों) की बचत हुई। क-3) बिजली सेक्टर 0.78 से सुधर कर 0.88-0.93 हो जाने से ऊर्जा बिलिंग में 6 लाख रुपये प्रति माह की कमी आई। **ओंकारेश्वर परियोजना** ए-4) ओएसपी पावर हाउस में एलईडी फिटिंग्स की संस्थापना के कारण ऊर्जा की खपत में लगभग 518 यूनिट प्रति माह की कमी आई। ए-5) ओएसपी पावर हाउस में प्रकाश स्तरीय प्रबंधन के कारण ऊर्जा की खपत में लगभग 12672 यूनिटों की कमी आई। ए-6) दिसम्बर 2013 तक 14069 यूनिट ऊर्जा की बचत की गयी है। ए-7) 22260 डब्ल्यू ऊर्जा बचत हुई। **कारपोरेट कार्यालय भोपाल** 20 केडब्ल्यू सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने से बिजली की खपत में सिस्टम द्वारा उत्पादित विद्युत मात्रा के समान कमी आई; सौर प्रणाली से उत्पादन 16.01.2014 को शुरू हुआ और यह औसतन 100 यूनिट प्रति दिन बिजली का उत्पादन कर रहा है।
(घ)	अनुलग्नक के फार्म-क और उसकी अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों के संदर्भ में कुल ऊर्जा खपत और प्रति यूनिट उत्पादन की खपत।	एनएचडीसी अनुसूची में वर्णित उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

प्रपत्र-ख

क्र. सं.	वांछित सूचना	उत्तर
(1)	विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी ने अनुसंधान और विकास कार्य किए	क) आईएसपीएस में एचटी और एलटी बैंक की संस्थापना से पावर सेक्टर में सुधार हुआ। ख) आईएसपीएस की उत्पादन इकाइयों के लिए ऑन लाइन वाइब्रेशन निगरानी प्रणाली की संस्थापना। ग) आईएसपीएस की 01 उत्पादन यूनिट में गाइड बीयरिंग के तल और शीर्ष भाग से आयल वैपर के आयल निष्कासन के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक मशीन संबंधी अध्ययन और संस्थापना। घ आईएसपीएस की 01 उत्पादन यूनिट के लिए एलजीबी और थ्रस्ट बीयरिंग हेतु आयल कूलर्स की संस्थापना। ङ) ओएसपी में 11 केवी और 415वी विद्युत पैनलों के लिए अग्नि संरक्षण कार्यक्रम का अध्ययन और कार्यान्वयन। च) ओंकारेश्वर बांध और उसकी मरम्मत के विभिन्न ब्लाकों में ड्रेनेज गैलरी में बने शीर्षवत् नालों से अत्यधिक रिसाव/ लीकेज के कारणों और मार्गों की पहचान के लिए अध्ययन।
(2)	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणाम स्वरूप हासिल लाभ	1-क) प्रत्येक महीने के एचटी विद्युत बिल में करीब 6 लाख रुपये की बचत और विद्युत फैक्टर में 0.78 से 0.88-0.93 तक सुधार।. 1-ख) आउसिंग वाइब्रेशन के साथ दो दिशाओं के वाइब्रेशंस और निगरानी रखे जाने से उत्पादन इकाई की विश्वसनीयता में सुधार। 1-ग) इस गतिविधि के फलस्वरुप रोटोर/ एयर गाइड एरिया में वैपर जमा नहीं हुए। 1-घ) तल और थ्रस्ट बीयरिंग का प्रचालन तापमान न्यूनतम हो गया।
(3)	भावी कार्य योजना	विद्युत घटक सुधार उपकरण का प्रथम चरण पूरा होने के बाद 200 केवीएआर एपीएफसी पैनल और फिक्स्ड टाइप कैपसिटर बैंक की संस्थापना का कार्य लगभग रुपये 3,57,800/- की लागत के साथ प्रगति पर है।
4)	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च	
	(क) पूंजी	-
	(ख) आवर्ती	-
	(ग) राजस्व	रुपये 9,96,371/
	(घ) कुल	रुपये 9,96,371/
	(ड.) कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में	0.005%

प्रौद्योगिकी अंगीकरण, अनुकूलन और नवाचार

क्र. सं.	वांछित सूचना	उत्तर
1.	प्रौद्योगिकी अंगीकरण, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयासों का संक्षेप में ब्यौरा	**इंदिरा सागर पावर स्टेशन** (1) इंदिरा सागर परियोजना में गाइड बीयरिंग के तल और शीर्ष भाग से ऑयल वैपर के ऑयल निष्कासन के लिए एक आयल मिस्ट एक्स्टैक्टर एवं प्रिसिपिटेटर प्रणाली (इलेक्ट्रोस्टेटिक मशीन) लगाई गई है। इस प्रणाली की संस्थापना से शीर्ष ब्रैकिट और तल ब्रैकिट से ऑयल मिस्ट निष्कासित किया जाता है और उसे कलेक्शन चैंबर में एकत्र किया जाता है। इस सुविधा से ऑयल मिस्ट जेनेरेटर के एयर सर्किट में नहीं जा पाता और जेनेरेटर की वाइंडिंग में तेल जमा नहीं होता। **ओंकारेश्वर परियोजना** (2) पावर हाउस कंट्रोल रुम और कांफ्रेंस रुम में एलईडी आधारित प्रकाश फिटिंग्स की स्थापना। (3) पावर हाउस की छत पर 40 केडब्ल्यू क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है। (4) पावर हाउस में 200 केवीएआर और 150 केवीएआर क्षमता के स्वचालित विद्युत घटक नियंत्रण पैनल लगाने का प्रस्ताव है। (5) नए अत्याधुनिक वर्कस्टेशनों और प्रचलित सॉफ्टवेयर के साथ अभिविन्यास की संस्थापना पर विचार किया जा रहा है। (6) ऊर्जा विहार में ओएसपी के प्रशासनिक भवन में 15 केडब्ल्यू क्षमता का सौर संयंत्र लगाया गया है।
2.	उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ अर्थात् उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि	**इंदिरा सागर पावर स्टेशन** ऊपर क्रमांक (1) पर वर्णित उपायों की बदौलत जेनेरेटर की वाइंडिंग की प्रचालन अवधि में वृद्धि हुई और रख रखाव लागत में कमी आई। **ओंकारेश्वर परियोजना** i) ऊपर क्रमांक 2 से 4 पर वर्णित उपायों की बदौलत ऊर्जा खपत में कमी के जरिए ऊर्जा की बचत की गई। ii) पावर हाउस का प्रचालन तीव्रतर एवं सक्षम बनाना संभव हो सका।

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयात की गई प्रौद्योगिकी	शून्य

विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन

क्र. सं.	वांछित सूचना	उत्तर
1.	निर्यात से संबंधित गतिविधियां; निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपाय; उत्पाद एवं सेवाओ के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास; और निर्यात की योजनाएं	N.A
2.	विदेशी मुद्रा की कुल आमदनी कुल विदेशी मुद्रा खर्च	शून्य रुपये 93 Lacs

अनुलग्नक 'क' (देखें अनुच्छेद 14 घ)

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 क) के तहत कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 को ध्यान में रख कर वांछित सूचना शून्य समझी जाए।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अनुलग्नक ''ख''

सेवा में सदस्यगण, एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश)

वित्तीय ब्यौरों के बारे में रिपोर्ट:

हमने मैसर्स एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश) के 31 मार्च, 2014 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा, और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों की लेखा-परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के बारे में प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखांकन मानकों के अनुसार ऐसे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और कंपनी के नकदी प्रवाह का, सही तथा स्पष्ट चित्र, प्रस्तुत कर सकें। इस दायित्व के अंतर्गत किसी प्रकार की धोखा धड़ी या त्रुटि के कारण गलत बयानी से मुक्त ऐसे सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे कार्यान्वित करना और उसका रख-रखाव भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। जोखिम के ऐसे मूल्यांकनों को अंजाम देते समय लेखा परीक्षक कम्पनी की तैयारी और सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करता है ताकि वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए लेखा परीक्षा की उचित प्रक्रिया अपनाई जा सके। परंतु ऐसा करते समय वह कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता पर कोई राय व्यक्त नहीं करता। लेखा परीक्षा के अंतर्गत इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित थे।

राय

हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार उचित जानकारी प्रदान करते हैं तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नांकित के बारे में एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं:

i) तुलन-पत्र के मामले में 31.03.2014 को कंपनी की स्थिति का।

ii) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में 31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का।

iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4ए) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003, जिसे कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के जरिए संशोधित किया गया, की अपेक्षा के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के संदर्भ में हम रिपोर्ट करते हैं कि::

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

   (ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है।

   (घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है।

   (ड.) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी उनके सामान्य परिपत्र संख्या 829(ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः हमारी राय में इस खंड की अपेक्षाएं इस कंपनी पर भी लागू नहीं होती हैं।

   (च) चूंकि केंद्र सरकार ने इस बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441(क) के अंतर्गत उप-कर किस दर से अदा किया जाएगा, और न ही सरकार ने उक्त धारा के अंतर्गत कोई नियम जारी किया है जिसमें उप-कर अदा करने का तरीका निर्धारित किया गया हो, अतः कंपनी की ओर कोई उप-कर बकाया या कंपनी को देय नहीं है।

कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(महेश गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं.-079732
एफ आर न. 004465सी

स्थान - कैम्प, नई दिल्ली
दिनांक - 06.05.2014

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 मे उल्लिखित अनुसार)

(i) (क) कम्पनी ने सामान्यत: उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान सभी अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। हमारे मतानुसार इस सत्यापन की आवधिकता तर्कसंगत है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत किए गए रिकार्डों के अनुसार इस तरह की भौतिक जांच के दौरान उजागर हुई खामियां कोई महत्त्वपूर्ण नहीं थीं और उन्हें दूर करने के लिए लेखा-बहियों में समुचित व्यवस्था की गई है।

(ग) चूंकि वर्ष के दौरान अचल परिसम्पतित्यों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया गया, अत: इस कारण से सतत सरोकार के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान मार्गस्थ वस्तुओं को छोड़कर मालसूची का बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।

(ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।

(ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पायी गई है।

(iii) (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य प्राइवेट पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।

(ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ङ), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते है।

(iv) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय और विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमजोरी सामने नहीं आयी।

(v) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर, हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो। इसे देखते हुए, खंड (5) के उप-खंड (क) और (ख) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार एनएचडीसी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्य प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किन्हीं नियमों के अंतर्गत पब्लिक से कोई जमा-राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

(vii) हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(viii) हमने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा किए गए बहियों के रखरखाव की स्थिति की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखे और रिकार्ड समुचित रूप से तैयार और अनुरक्षित किए गए हैं। तथापि, हमने सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन लेखा-बहियों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

(ix) (क) कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, आयकर, वैट/प्रवेश कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यत: नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2014 को देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई बकाया राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए वैट/प्रवेश कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क के देयों की राशि 5 लाख रुपए (प्रवेश कर के लिए) है जिसका विवरण इस प्रकार है:

संविधि का नाम	शुल्क का स्वरूप	फोरम जहां विवाद लंबित है	राशि (लाख रुपये में)
मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम	विनिमय दर में अंतर के कारण अचल आस्तियों में संवर्द्धन और अन्य संवर्द्धनों पर पर प्रवेश कर	एमपीसीटी अपील बोर्ड	5

(x) कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नही है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।

(xi) अभिलेखों की जांच और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान/बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर, ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यों को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।

(xiii) कम्पनी एक चिट/निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए इस खंड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xiv) कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है।

(xv) कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) सावधि ऋणों से संबद्ध निधियों के उपयोग की समीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया गया, जिनके लिए वे उगाहे गये थे।

(xvii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधि का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के रूप में नहीं किया गया।

(xviii) कम्पनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।

(xix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण-पत्र जारी नहीं किया है और इसलिए प्रतिभूति के सृजन या तत्संबधी प्रभार का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

(xx) (20) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रकार की प्रतिभूति के लिए पब्लिक इश्यू के जरिए धन की उगाही नहीं की है, इसलिए किसी पब्लिक इश्यू के जरिए उगाहे गए धन के लक्षित इस्तेमाल संबंधी प्रकटीकरण का सवाल ही पैदा नहीं होता।

(xxi) अपनायी गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन से मिली जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी सामने नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(महेश गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं.-079732
एफ आर न. 004465सी

स्थान - कैम्प, नई दिल्ली
दिनांक - 06.05.2014

अनुलग्नक ''ग''

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(ए) के अंतर्गत एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय ब्यौरों पर अपने व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार की गयी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06 मई, 2014 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पूरा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय ब्योरों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है। इसे मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिकों की जांच तक सीमित रखा गया है। इसमें कुछ चुने हुए लेखा रिकॉर्डों की परीक्षा भी की गयी है। लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा नहीं आया जिस पर टिप्पणी की जाये या कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक रिपोर्ट पेश की जाये।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
एवं उनकी ओर से

हस्ता.
(तनुजा एस मित्तल)
प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) और
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-3, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 23 जून, 2014

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से 14 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वोत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के तहत द्वितीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए एनएचपीसी के निदेशक (कार्मिक) श्री आर.एस. मीना, साथ में श्री राजनाथ सिंह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार भी उपस्थित हैं।

31 मार्च, 2014 के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	196258	196258
(ख) आरक्षित और अधिशेष	3	413053	376116
(2) गैर वर्तमान देयताएं			
(क) दीर्घावधि ऋण	4	72228	138838
(ख) स्थगित कर देयता	5	16772	16340
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	12215	12132
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7	1037	805
(3) वर्तमान देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण	8		
(ख) व्यापार प्राप्य	9	2138	887
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	10	31787	39355
(घ) अल्पावधि प्रावधान	7	30765	59670
कुल		**776253**	**840401**
II. आस्तियां			
(1) गैर वर्तमान आस्तियां			
(क) अचल आस्तियां			
(i) गोचर आस्तियां	11.1	271765	290947
(ii) अगोचर आस्तियां	11.2	278949	258023
(iii) चालू पूंजी कार्य	12.1	386	306
(iv) विकासाधीन अगोचर आस्तियां	12.2	-	-
(ख) गैर वर्तमान निवेश	13	-	-
(ग) स्थगित कर आस्तियां	5	-	-
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	14	3844	3232
(ङ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	15	42795	18801
(2) वर्तमान आस्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	16	-	-
(ख) मालसूची	17	755	714
(ग) व्यापार प्राप्य	18	55866	19100
(घ) नकदी तथा बैंक शेष	19	71916	215352
(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	14	2637	2670
(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	20	47340	31256
कुल		**776253**	**840401**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**		
वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय	**29**		
अन्य व्याख्यात्मक लेख टिप्पणियां	**30**		
टिप्पणी 1 से 30 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता.
महेश गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता सं.-079732
एफ आर न. 004465सी

हस्ता.
के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

हस्ता.
आर एस मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

हस्ता.
वी के त्रिपाठी
कंपनी सचिव

हस्ता.
डी चक्रवर्ती
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 06.05.2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
आय				
i)	प्रचालन से राजस्व (सकल)	21	193440	109545
	घटाएं : विद्युत शुल्क		4998	-
	प्रचालन से राजस्व (कुल)		188442	109545
ii)	अन्य आय	22	23101	24274
	कुल राजस्व		**211543**	**133819**
व्यय				
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	23	28423	8210
ii)	कर्मचारी लाभ व्यय	24	7388	6395
iii)	वित्त लागत	25	15781	21083
iv)	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	26	25397	24418
	कुल व्यय		**76989**	**60106**
पूर्व अवधि मदें, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर			**134554**	**73713**
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	27	(596)	(378)
विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ			**135150**	**74091**
	असाधारण मदें [व्यय/(आय)]		-	-
असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ			135150	74091
	असाधारण मदें		-	-
कर पूर्व लाभ			**135150**	**74091**
	कर व्यय	28		
i)	वर्तमान कर		28355	14824
ii)	पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		-	(5)
iii)	विलंबित कर		432	1708
	कर संबंधी कुल व्यय		**28787**	**16527**
सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ			**106363**	**57564**
	अनियमित प्रचालनों से लाभ		-	-
	अनियमित प्रचालनों का कर व्यय		-	-
अनियमित प्रचालनों से कर उपरान्त लाभ			-	-
वर्ष के लिए लाभ			**106363**	**57564**
	प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 1000/- रुपये प्रति शेयर)			
	बुनियादी		**541.96**	**293.31**
	तनुकृत		**541.96**	**293.31**
	वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय	29		
	अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	30		
	टिप्पणी 1 से 30 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता.
महेश गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता सं.-079732
एफ आर न. 004465सी

हस्ता.
के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

हस्ता.
आर एस मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

हस्ता.
वी के त्रिपाठी
कंपनी सचिव

हस्ता.
डी चक्रवर्ती
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 06.05.2014

टिप्पणी संख्या 01 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.3 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।

2.4 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.5 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के निर्माण से संबंधित प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों को 'निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी)' के अंतर्गत संचित किया जाता है और तत्पश्चात परियोजना के चालू हो जाने पर उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत सामान्य जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

4.4 ऐसी सुविधाओं, जिन पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन उनका सृजन करना मुख्य रूप से परियोजना के निर्माण के लिए अनिवार्य है, पर किए गए पूंजी व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) के अंतर्गत प्रभारित किया जाता है। बाद में परियोजना पूरी होने पर ऐसी सुविधाओं, जिन पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, पर किए गए व्यय को लाभ एवं हानि पत्रक में प्रभारित किया जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 गोचर परिसम्पतियों में संवर्धन/कमी पर मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों और पद्धति का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर गोचर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यह्रास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:

(i)	निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी	11.25 प्रतिशत
(ii)	कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण	30 प्रतिशत

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में मूल्यह्रास उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) किया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 सॉफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता है।

5.6.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.6.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.9 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का मूल्यांकन, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01.04.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व की गणना पूर्ण पद्धति के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्ण का प्रतिशत ''रिपोर्ट करने की तारीख तक आई लागत'' से लेकर ''सम्बद्ध परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं और परामर्शी कार्यों को पूरा करने की अनुमानित लागत'' तक आनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1. परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. परिसम्पत्तियों की हानि

कम्पनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर इस बात का मूल्यांकन करती है कि नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो, तो कम्पनी सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की अग्रेणीत राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो इस तरह की हानि को लाभ एवं हानि पत्र में दर्ज किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, और ऐसी हानि समाप्त हो जाती है अथवा उसमें कमी आती है, तो दर्ज की गई हानि को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है।

15. सहायता अनुदान

''सिंचाई और आर एंड आर कंपोनेन्ट'' के लिए मध्यप्रदेश सरकार से और ''सरदार सरोवर कंपोनेन्ट'' के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त अंशदान की राशि, व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से संबद्ध न होने के कारण, प्रारंभ में सहायता-अनुदान-आरक्षी के रूप में समझी गई और बाद में उसे उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जैसा कि ऐसे अंशदान से अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास बट्टे खाते डाला जाता है।

टिप्पणी संख्या 2 - शेयर पूंजी

(लाख रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013	
		संख्या में	(राशि रुपये में)	संख्या में	(राशि रुपये में)
(क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी	30000000	3000000	30000000	300000
(ख)	(जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 1000/-रुपए)	19625800	196258	19625800	196258

(ग) 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयर पूंजी न तो जारी की/और न उसमें कमी की। अत: इक्विटी शेयरों का समाधान अपेक्षित नहीं है।

(घ) कम्पनी ने शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुपात में केवल एक तरह के इक्विटी शेयर मताधिकार (वोटिंग राइट्स) के साथ जारी किए। मताधिकार का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के भी हकदार हैं।

(ड.) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयररखने वाले शेयरधारकों की संख्या और शेयरों की निर्दि‍ष्ट संख्या 31 मार्च 2014 31 मार्च 2013

	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013	
	संख्या में	(%) में	संख्या में	(%) में
- एनएचपीसी लिमिटेड (धारक कम्पनी)	10024200	51.08%	10024200	51.08%
- मध्य प्रदेश सरकार	9601600	48.92%	9601600	48.92%

(च) 31.3.2014 से तत्काल पूर्ववर्ती 5 वित्तीय वर्षों में कम्पनी ने अनुबंध(धों) के अनुपालन में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना कोई पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया/बोनस शेयर(रों) के रूप में कोई इक्विटी शेयर आबंटित नहीं किया/कोई इक्विटी शेयर वापस नहीं खरीदा।

टिप्पणी संख्या 3 - आरक्षित और अधिशेष

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013	
अनुदान आरक्षी		-		-
तुलन पत्रक की तारीख को	118545		120711	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	30492		5830	
घटाएं	7156		5716	
घटाएं: दावे के कारण समायोजन	-		2280	
तुलन पत्रक की तारीख को		141881		118545
स्वबीमा निधि				
तुलन पत्रक के अनुसार	16051		16051	
जोड़े: अधिशेष से अंतरित	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	-		-	
	16051		16051	
घटाए: - दावे के कारण समायोजन	-		-	
तुलन पत्रक की तारीख को		**16051**		**16051**
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)/स्थाई विकास (एसडी) आरक्षी				
तुलन पत्रक के अनुसार	-		-	
जोड़े: अधिशेष से अंतरित	704		-	
घटाए: वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान समायोजन				
तुलन पत्रक की तारीख को		**704**		**-**
अनुसंधान एवं विकास आरक्षी				
तुलन पत्रक के अनुसार	-		-	
जोड़े: अधिशेष से अंतरित	473		-	
घटाए: वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
तुलन पत्रक की तारीख को		**473**		**-**
सामान्य आरक्षी				
तुलन पत्रक के अनुसार	-		-	
जोड़े: अधिशेष से अंतरित	10636		-	
घटाए: वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-			
घटाए: वर्ष के दौरान समायोजन	-			
तुलन पत्रक की तारीख को		**10636**		-
अधिशेष *		243308		241520
कुल		**413053**		**376116**
***अधिशेष**				
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		106363		57564
अग्रेणीत शेष		241520		190845
जोड़े:				
स्व-बीमा विधि से इस्तेमाल की गई राशि		-		-
सीएसआर/एसडी आरक्षी से पश्चलिखित		-		-
अनुसंधान एवं विकास आरक्षी से पश्चलिखित		-		-

टिप्पणी संख्या 3 - आरक्षित और अधिशेष

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष		
सामान्य आरक्षित का स्थान्तरण	10636	-
स्व-बीमा निधि को स्थान्तरण	-	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर/स्थाई विकास (एसडी) भिष्ट का स्थान्तरण	704	-
अनुसंधान एवं विकास आरक्षित का स्थान्तरण	473	-
लाभांश:		
- अंतरिम	67709	-
- प्रस्तावित	11579	5888
- अंतिम		
लाभांश पर कर		
- अंतरिम	11507	-
- प्रस्तावित	1968	1001
अग्रेषित शेष	**243308**	**241520**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

(लाख रूपए में)

		01.04.2013	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2014
i)	आईएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति सहायता-अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश सरकार का आनुपातिक योगदान।	29384	1412	1546	-	29250
ii)	आईएसपीएस के लिए एनवीडीए खाते से सरदार सरोवर परियोजना को अंतरित आनुपातिक आर्थिक सहायता।	37555	1804	1976	-	37383
iii)	आईएसपीएस के अनुसंधान एवं विकास कार्यों में मध्यप्रदेश सरकार का योगदान।	26570	5787	1444	-	30913
iv)	ओएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति सहायता-अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश सरकार का आनुपातिक योगदान।	19128	121	1073	-	18176
v)	ओएसपीएस के अनुसंधान एवं विकास कार्यों में मध्यप्रदेश सरकार का योगदान।	5908	21368	1117		26159
कुल		**118545**	**30492**	**7156**	**-**	**141881**

टिप्पणी:- 4 दीर्घावधि ऋण

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण
बॉंड -						
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
सावधि ऋण						
• बैंकों से #						
- प्रतिभूत	33925	8947	24978	97045	18957	78088
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
• अन्य पार्टियों से #						
- प्रतिभूत	60750	13500	47250	74250	13500	60750
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
	94675	**22447**	**72228**	**171295**	**32457**	**138838**
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की समग्र राशि	शून्य			शून्य		
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की समग्र राशि	शून्य			शून्य		
31.3.2014 को ऋणों और ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	शून्य			शून्य		
31.3.2014 को ऋणों और ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	शून्य			शून्य		

 # प्रतिभूति के बारे में प्रकटीकरण (प्रत्येक मामले में अलग अलग) -

1. 'बैंकों से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण' कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋणदाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और इंदिरा सागर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित हैं।
2. पावर फाइनेंस कारपोरेशन (अन्य पार्टियों) से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋण दाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और ओंकारेश्वर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित हैं।
3. बैंकों से सावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वताओं में रुपए 2983 लाख की राशि शामिल है जो 31.3.2014 को देय थी। परंतु, ऋणदाता के स्थान पर बैंक अवकाश होने के कारण एचडीएफसी बैंक के साथ हुए सावधि ऋण समझौते के अनुसार देय तारीख को तत्काल अगले दिन पड़ने वाले कार्य दिवस में परिवर्तित कर दिया गया।
4. सावधि ऋणों पर ब्याज की दर और भुगतान की शर्तों का ब्यौरा टिप्पणी संख्या 4-ऋण से संबद्ध अनुलग्नक में दिया गया है।

टिप्पणी संख्या 4 - ऋण से संबद्ध अनुलग्नक
दीर्घावधि ऋण

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
(क) बांड्स (अपरिवर्तनीय और गैर-संचयी) -प्रतिभूत	-	-
कुल बांड्स (क)	-	-
(ख) सावधि ऋण-प्रतिभूत		
I. इंदिरा सागर परियोजना		
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	-	20280
(12.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर वाले सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के समस्त बकाया ऋण का 03.03.2014 को समय-पूर्व पुनर्भुगतान कर दिया गया।		
देना बैंक	-	17172
(12.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर वाले देना बैंक के समस्त बकाया ऋण का 03.03.2014 को समय-पूर्व पुनर्भुगतान कर दिया गया।		
देना बैंक	-	15479
(11.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर वाले देना बैंक के समस्त बकाया ऋण का 05.03.2014 को समय-पूर्व पुनर्भुगतान कर दिया गया।		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	20490	24216
(31.03.014 को 12.50 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 1863 लाख रुपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	13434	15673
(31.03.014 को 11.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 1120 लाख रुपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 30.09.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
यूनाइटिड बैंक ऑफ इंडिया	-	4225
(12.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर वाले यूनाइटिड बैंक ऑफ इंडिया के समस्त बकाया ऋण का 08.10.2013 को समय-पूर्व पुनर्भुगतान कर दिया गया।		
उप-जोड़	33924	97045
II. ओंकारेश्वर परियोजना		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	60750	74250
(31.03.014 को 10.80 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6750 लाख रुपये प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
उप-जोड़	**60750**	**74250**
कुल सावधि ऋण-बैंक, वित्तीय संस्थान - भारतीय रू पया-सुरक्षित (ख)	**94674**	**171295**
अन्य पार्टियों से सावधि ऋण (असुरक्षित)		
(ग) बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण-विदेशी मुद्रा		
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत		
कुल सावधि ऋण-बैंक/वित्तीय संस्थान-विदेशी मुद्रा-असुरक्षित (ग)	-	-
(घ) केन्द्र सरकार से ऋण-असुरक्षित	-	-
कुल असुरक्षित ऋण (घ)	-	-
कुल योग (क+ख+ग+घ)	**94674**	**171295**

टिप्पणी सं. 5 - आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
आस्थगित कर देयता				
मूल्यह्रास	66591		68770	
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-		-	
संदिग्ध ऋणों, सामान-सूची और अन्य के लिए प्रावधान	-		-	
कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	291		494	
आस्थगित कर देयता		66300		68276
घटाएं: वसूली योग्य		49528		51936
आस्थगित कर देयता (निवल)		**16772**		**16340**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 ''आय पर कर के लिए लेखांकन'' का अनुपालन करते हुए 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान स्थगित कर देयता के लिए रुपये 432 लाख (पिछले वर्ष रुपये 1708 लाख) का प्रावधान किया गया है। संचयी स्थगित कर देयता का मदवार विवरण नीचे दिया गया है।

टिप्पणी सं. 6 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
क) **व्यापार प्राप्य**	-	-
ख) **अन्य**		
जमा/धारण राशि	211	128
अग्रिम प्राप्त आय	12004	12004
स्थगित विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव देयताएं	-	-
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव खाते से स्थगित आय	-	-
	12215	**12132**

टिप्पणी सं. 7 - प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) **कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान**						
i) **अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान**						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	555	33		619	66	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	198	49		-	356	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	42		-	389	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		64	-	
अंतिम शेष	**753**	**40**	793	**555**	**33**	588
ii) **आरईएचएस के लिए प्रावधान**						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	223	1		212	1	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	30	1		11	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
अंतिम शेष	**253**	**1**	254	**223**	**1**	224
iii) **टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए**						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	26	-		28	-	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	4	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		2	-	
अंतिम शेष	**30**	**-**	30	**26**	**-**	26
iv) **स्मृति-चिन्ह (सेवानिवृत्ति पर) के लिए**						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1	-		1	-	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
अंतिम शेष	**1**	**-**	1	**1**	**-**	1

टिप्पणी सं. 7 - प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
v) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	111		-	710	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	40		-	22	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	28		-	21	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	600	
अंतिम शेष	**-**	**123**		**-**	**111**	
घटाएं: अदा किया गया अग्रिम धन	-	123		-	111	
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-	-	-	-	-
vi) कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	477		-	1561	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	626		-	442	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	378		-	1484	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	42		-	42	
अंतिम शेष	**-**	**683**		**-**	**477**	
घटाएं: अदा किया गया अग्रिम धन		4			4	
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		**679**	**679**		**473**	**473**
vii) सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	886		-	943	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	220		-	168	
ट्रस्ट को भुगतान	-	1106		-	223	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	2	
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**886**	**886**
ख) अन्य						
i) कराधान के लिए						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	24668	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	28355		-	14824	
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	7681	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	5	
अंतिम शेष	-	28355		-	31806	
घटाएं: अग्रिम कर और स्रोत पर काटा गया कर		28355		-	31806	
आय कर के लिए प्रावधान (रिफंड का निवल)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	5888		-	5888	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	11579		-	5888	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	5888		-	5888	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
अंतिम शेष	**-**	**11579**	**11579**	**-**	**5888**	**5888**
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	1001		-	955	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	1968		-	1001	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1001		-	955	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
अंतिम शेष	**-**	**1968**	**1968**	**-**	**1001**	**1001**
iv) टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	43		-	-	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	43	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
अंतिम शेष	**-**	**43**	**43**	**-**	**43**	**43**

टिप्पणी सं. 7 - प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
v)	**कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायी विकास के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	393		-	503	
	अधिशेष से अंतरित	-	-		-	428	
	अधिशेष को अंतरित	-	393		-	538	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**393**	**393**
vi)	**प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	46760		-	60856	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन		-		-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		34984		-	988	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		-	13108	
	अंतिम शेष	**-**	**11776**	**11776**	**-**	**46760**	**46760**
vii)	**प्रावधान-अन्य**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	4192		-	3034	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	710		-	1582	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	223		-	424	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
	अंतिम शेष	**-**	**4679**	**4679**	**-**	**4192**	**4192**
	कुल	**1037**	**30765**	**31802**	**805**	**59670**	**60475**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

रुपये 40 लाख (संचयी प्रावधान रुपये 123 लाख) का प्रावधान ''वेतन संशोधन के लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत ''कार्मिक समायोजन वेतन (निर्धारण लाभ)'' के लिए किया गया, जिसका निपटारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा में लंबित है। रु 123 लाख की राशि इस मद में अदा की गई जिसे ''अग्रिम भुगतान'' के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 8 - अल्पावधि ऋण

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
अल्पावधि ऋण	-	-
- बैंकों से प्रतिभूत		
	-	**-**

टिप्पणी सं. 9 - व्यापार देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए	2138	887
	2138	**887**

टिप्पणी सं. 10-अन्य चालू देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी संख्या 4 देखें)	22447	32457
वित्त लीज दायित्व की वर्तमान परिपक्वताएं		
जमा राशि	-	-
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	656	1382
ऋणों पर प्रोदभूत और देय ब्याज	-	-
अग्रिम प्राप्त आय	-	-
अदा न किया गया लाभांश	-	-
पूजी कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	5893	2839
जमा/प्रतिधारण निधि	862	728
होल्डिंग के प्रति देय	256	-
जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि	-	-
बांड आवेदन निधि	-	-
सांविधिक देयताएं	608	628
स्व बीमा निधि संबंधी देयताएं	-	-
अन्य देयताएं	1065	1321
डिपोजिट कार्यों के प्रति अग्रिम		-
घटाएं: डिपोजिट कार्यों पर व्यय की गई राशि		- -
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम		-
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान		-
घटाएं: परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	-	- -
सहायता अनुदान - उपयोग शोष	-	-
	31787	**39355**

टिप्पणी संख्या 11.1 - गोचर परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्र. स.	विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2013	संवर्द्धन	कमी	अन्य समायोजन	31.03.2014	01.04.2013	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2013
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	176	-	-	-	176	44	6	1	51	125	132
iii)	सड़कें और पुल	1266	-	-	-	1266	241	47	-	288	978	1025
iv)	भवन	66417	380	12	6	66791	14956	2,245	235	17436	49355	51461
v)	रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	168207	996	-	54	169257	44967	8890	1014	54871	114386	123240
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	157148	859	19	14	158002	45746	8298	629	54673	103329	111402
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	2412	1	-	-	2413	681	128	-	809	1604	1731
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	391	24	-	-	415	93	23	-	116	299	298
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	426	-	-	-	426	147	23	-	170	256	279
xi)	निर्माण उपकरण	579	33	-	-	612	385	52	(1)	436	176	194
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	257	44	-	-	301	45	10	1	56	245	212
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	59	21	-	-	80	10	3	(1)	12	68	49
xiv)	वाहन	121	-	-	-	121	93	5	(1)	97	24	28
xv)	विमान/नौकाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	518	37	4	-	551	245	35	(1)	279	272	273
xvii)	कम्प्यूटर	248	17	3	-	262	192	19	-	211	51	56
xviii)	संचार उपकरण	48	1	-	-	49	20	3	-	23	26	28
xix)	कार्यालय उपकरण	265	44	2	2	309	123	19	(2)	140	169	142
xx)	अनुसंधान और विकास	120	-	-	-	120	1	8	-	9	111	119
xxi)	अन्य आस्तियां	347	68	-	(1)	414	99	25	(1)	123	291	248
xxii)	एचएचडीसी द्वारा गैर स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां पर पूंजिगत खर्च	1904	-	1,854	(50)	-	1,875	-	(1875)	-	-	29
xxiii)	गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <5000 रुपये	74	7	1	-	80	74	7	(1)	80	-	-
xxiv)	अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	1	-	-	(1)	-	-	-		-	-	1
	कुल	**400984**	**2532**	**1895**	**24**	**401645**	**110037**	**19846**	**(3)**	**129880**	**271765**	**290947**
	पिछले वर्ष	400199	830	38	(7)	400984	90243	19828	(34)	110037	290947	309956

टिप्पणी संख्या 11.2 - अगोचर परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्र. स.	विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		01.04.2013	संवर्द्धन अन्य	कमी अन्य	अन्य समायोजन	31.03.2014	01.04.2013	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2013
i)	भूमि-अवर्गीकृत/इस्तेमाल का अधिकार	319738	33564	-	-	353302	61724	12675	-	74399	278903	258014
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	87	70	-	-	157	78	33	-	111	46	9
	कुल	**319825**	**33634**	**-**	**-**	**353459**	**61802**	**12708**	**-**	**74510**	**278949**	**258023**
	पिछले वर्ष	323333	9600	13108	-	319825	51497	10305	-	61802	258023	271836

कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

1) गोचर परिसंपत्तियों में वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 397783 लाख रुपये (पिछले वर्ष 395430 लाख रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।

2) अन्य प्रकटीकरण

आस्तियों के वर्ग	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण सकल ब्लॉक में वृद्धि	
	31.03.2014 को (लाख रुपये में)	31.03.2013 को (लाख रुपये में)
हाईड्रोलिक कार्य (बांध, जल संवहन प्रणाली, हाइड्रो मेकेनिकल गेट्स, सुरंग)।	19	2
उत्पादन संयत्र एवं मशीनरी	5	1
कुल	24	3

वर्ष के दौरान मूल्यह्रास वर्ष के दौरान मूल्यह्रास (लाख रुपये में)	
10.1 गोचर आस्तियां	19846
10.2 अगोचर आस्तियां	12708
कुल	**32554**
सहायता -अनुदान आरक्षी में परिवर्तित	7156
पी एंड एल में परिवर्तित	25397

टिप्पणी संख्या 12.1- चालू पूंजी कार्य

राशि (लाख रुपये में)

विवरण		01.04. 2013	संवर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03. 2014
i)	सड़कें और पुल	-	62	-	-	62
ii)	भवन	40	161	-	148	53
iii)	रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-
iv)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	-	-	-	-	-
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-	55	-	-	55
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-	-	-	-	-
vii)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	1	19	-	20	-
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-	-	-	-	-
ix)	निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
x)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	40	3	-	43	-
xi)	संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	22	102	-	124	-
xii)	उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	23	1	(24)	-	-
xiii)	भारत सरकार की 5 कि.मी. योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूआईपी-आस्तियां	-	-	-	-	-
xiv)	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार - नई परियोजनाएं	180	36	-	-	216
xv)	प्रतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	-	-	-	-	-
xvl)	निर्माण के दौरान व्यय	-	-	-	-	-
	घटाएं: प्रावधान के लिए	-	-	-	-	-
	उप-जोड़ (क)	306	439	(24)	335	386
	निर्माण भंडार					
	घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-	-			-
	उप-जोड़ (ख)	-	-			-
	कुल	306	439	(24)	335	386
	पिछले वर्ष	**275**	**509**	**1**	**479**	**306**

कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं.

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित सीडब्आईपी के अंतर्गत 1.71 लाख रुपये (पिछले वर्ष 82 लाख) के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं जिन्हें सम्बद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 12.2: विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण		01.04. 2013	संवर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03. 2014
i)	विकास के अंतर्गत अगोचर परिसंपत्तियां					-
	कुल	-	-	-	-	-
	पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 13: गैर वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (लाख रुपये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (लाख रुपये में)
क. व्यापार उद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश	-	-	-	-	-	-
व्यापार अनुद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश	-	-	-	-	-	-
(ख) बांड्स में निवेश	-	-	-	-	-	-
(ग) शेयर आवेदन राशि	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (क)	-	-	-	-	-	-
ख. गैर-व्यापार उद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश -(स्व बीमा निधि)	-	-	-	-	-	-
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स -(स्व बीमा निधि)	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (ख)			-			-
कुल जोड़ (क+ख)			-			-
उद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			-			-
(ii) समग्र बाजार मूल्य			-			-
अनुद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			-			-
(ii) मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान			-			-
लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी सं. 14: ऋण एवं अग्रिम

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
पूंजी अग्रिम						
– प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
– अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
– बैंक गारंटी के बदले	-		-	-		-
– अन्य	-		-	-		-
घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित व्यय के लिए प्रावधान	-		-	-		-
अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-		-	-		-
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान 1*	-		-	-		-
जमा राशियां	726	385	1111	668	338	1006
घटाएं: संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 2*	-	50	50	-	50	50
संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम						
– प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
– अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
– अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
अन्य ऋण और अग्रिम						
कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
– प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	2629	231	2860	2006	200	2206
– अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	489	156	645	558	153	711
– अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 14: ऋण एवं अग्रिम

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को ऋण						
– प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-	-		-	-
– अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
– बैंक गारंटी के बदले		-	-		9	9
– अन्य		8	8		66	66
– अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण						
– प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
– अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
– अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण						
– प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
– अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
– अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
अन्य अग्रिम						
– अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		433	433		248	248
– अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
घटाएं: संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान 3*	-	-	-	-	-	-
अग्रिम आय कर एवं स्रोत पर काटा गया कर		61635	61635		33512	33512
घटाएं : आय कर के लिए प्रावधान		60161	60161		31806	31806
निवल आय कर		1474	1474		1706	1706
	3844	**2637**	**6481**	**3232**	**2670**	**5902**

	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान 1 *						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-	-			-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन			-			-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि			-			-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि			-			-
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 2 *						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	50	50	-	50	50
वर्ष के दौरान संवर्द्धन		-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-	-	-	-
अंतिम शेष	-	**50**	**50**	-	**50**	**50**
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान 3 *						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-	-			-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन			-			-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि			-			-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि			-			-
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

राशि (लाख रुपये में)

		31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
1)	निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा		
	वर्ष के दौरान देय राशि	-	1

2) ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपए शून्य)

3) संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान - जिसमें एमपी ऊर्जा विकास निगम, भोपाल के पास 2007 में जमा करायी गई अप्रतिदेय राशि के रूप में रुपए 50 लाख शामिल है.

टिप्पणी सं. 15 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य				
– प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-		-
– अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		42795		18801
– संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किए गए		-		-
बिल में शामिल न की गई राशि के संदर्भ में प्राप्य		-		-
अन्य				
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :				
– अरुणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम		-		-
– अन्य		-		-
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां		-		-
विदेशी मुद्रा उतार-चढाव खाते में विलंबित परिसम्पतियों पर व्यय		-		-
		42795		**18801**

टिप्पणी सं. 16 वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (लाख रुपये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (लाख रुपये में)
दीर्घावधि निवेश की चालू परिपक्वताएं	-	-	-	-	-	-
क. व्यापार-उद्धृत	-	-	-	-	-	-
ख. व्यापार-अनुद्धृत	-	-	-	-	-	-
कुल						
अनुद्धृत निवेश						
समग्र लागत			-			-
लेखांकन संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी सं. 17 माल सूची

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकन)				
भंडार एवं कल-पुर्जे	363		412	
मार्गस्थ/ निरीक्षण लंबित भंडार	**60**	423	95	507
खुले औजार		8		8
रद्दी माल-सूची		8		5
निर्माण स्थल पर सामग्री		316		194
संविदाकर्ताओं/निर्माताओं को जारी सामग्री		-		-
स्व-सृजित वीईआर की सूची		-		-
घटाएं - अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *4		-		-
		755		**714**
अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *4				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		-		
वर्ष के दौरान संवर्द्धन				
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				
अंतिम शेष		-		-

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

मार्गस्थ/ निरीक्षण लंबित भंडार के अंतर्गत मार्गस्थ सामग्री शून्य (पिछले वर्ष 2 लाख रुपये) मूल्य की है।

टिप्पणी सं. 18 - व्यापार प्राप्य

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य (भुगतान देय होने की तारीख से)		
– प्रतिभूत -अच्छे समझे गए		
– अप्रतिभूत- अच्छे समझे गए	21198	10798
– अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए		-
अन्य व्यापार प्राप्य		
– प्रतिभूत -अच्छे समझे गए		
– अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	34668	8302
– अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए		
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *5	-	-
	55866	**19100**
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *5		
प्रारम्भिक शेष	-	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		
अंतिम शेष	-	-
	-	-

टिप्पणी सं. 19 - नकदी एवं बैंक शेष

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क	**नक़दी एवं नकदी समकक्ष**		
i)	हस्तगत नकदी	3	4
ii)	हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	-	18
iii)	बैंकों में राशि		
	• अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खाते में	3679	72
	- जमा खाते में	26100	45042
	# तीन महीने या कम की परिपक्वता के साथ जमा		
ख	**अन्य बैंकों में शेष**		
i)	बैंकों में शेष (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि)		
	• अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- जमा खाते में - स्वबीमा निधि	35685	144149
ii)	12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि)	-	-
	- सावधि जमा	6449	26067
		71916	**215352**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत शून्य रुपये (31.03.2013 को 122 लाख रुपये) शामिल हैं, जो लैटर ऑफ क्रेडिट या समान सुविधा शुरू करने के लिए मार्जिन मनी के रूप में बैंकों के पास रखे गए हैं। यह राशि 31.03.2014 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

2) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 824 लाख रुपये (31.03.2013 को 780 लाख रुपये) शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेश पर बैंकों के पास रखे गए हैं, अत: 31.03.2014 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

3) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 511 लाख रुपये (31.03.2013 को 1048 लाख रुपये) ओंकारेश्वर परियोजना से विस्थापित हुए लोगों द्वारा भूमि के बदले भूमि हेतु जमा कराए गए है. अत: 31.03.2014 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

4) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 16051 लाख रुपये (31.03.2013 को 16051 लाख रुपये) की राशि शामिल है जो कंपनी ने स्व-बीमा आरक्षी के रूप में रखी है, अत: यह राशी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी स. 20 - अन्य चालू आस्तियां (राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
क)	**निम्नांकित पर प्रोदभूत ब्याज:-**				
	उपभोक्ताओं से बकाया निवटान में राज्य सरकार को ऋण		-		-
	जमा राशियां -				
	- आईपीओ		-		-
	- स्व-बीमा		-		-
	- अन्य जमा राशियां		5559		12179
	अन्य		-		-
ख)	**बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य**		1939		3526
ग)	**होल्डिंग कम्पनी से वसूलियां**		-		20
घ)	**लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज**		323		175
ड)	**वसूली योग्य दावे**	36069		12323	
	घटाए: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *6	25	36044	25	12298
च)	**अन्य**		3475		3058
छ)	**निर्माण कार्य प्रगति पर**				
	निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहक की ओर से)		-		-
	परामर्शी कार्य प्रगति पर (ग्राहक की ओर से)		-		-
झ)	**समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय**	-		-	
	घटाए: बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान *7	-	-	-	-
ञ)	**बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियां**	18		28	
	घटाए: बट्टे खाते में डाले जाने वाली मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के प्रावधान *8	18	-	28	-
			47340		31256
	संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *6				
	प्रारम्भिक शेष		25		59
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन		-		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		-		34
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		
	अंतिम शेष		25		25
	बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान *7				
	प्रारम्भिक शेष		-		
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन				
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				
	अंतिम शेष		0		0
	बट्टे खाते में डाले जाने वाली मंजूरी/लम्बित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के प्रावधान *8				
	प्रारम्भिक शेष		28		32
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन		-		-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		10		4
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				
	अंतिम शेष		18		28

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

i) वसूली योग्य अन्य दावों (ड. पर वर्णित) के अंतर्गत 8 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8 लाख रुपये) की राशि शामिल हैं, जो भू विस्थापितों से वसूल की जानी है. यह राशि मुआवजा राशि में से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194एलए के तहत काटी जानी थी, लेकिन काटी नहीं गई. इसके अलावा 12 लाख रुपये (पिछले वर्ष 12 लाख रुपये) विस्थापितों को दोहरे (डुप्लीकेट) भुगतान से संबंधित है, जिसके लिए पहले ही प्रावधान किया जा चुका है.

ii) (ड.) पर वर्णित अन्य के अंतर्गत स्थगित भुगतान के लिए 3475 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3058 लाख रुपये) शामिल हैं.

टिप्पणी स. 21 - प्रचालन से राजस्व

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क	**बिक्री**				
	बिजली की बिक्री (विद्युत शुल्क को शामिल कर)		183784		108035
	घटाए:				
	-विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर खाते में बिक्री समायोजन	-		-	
	- टैरिफ समायोजन	-		43	
	नियमित बिजली समायोजन	-		-	
	विद्युत उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व (टिप्पणी संख्या 291ज(क) देखें)	-		-	
	उप जोड़ क		**183784**		**107992**
ख	**मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम**				
	वर्ष के दौरान		-		-
	घटाए: वर्ष के दौरान पश्चलिखित		-		-
	उपजोड़ ख		-		-
ग	**अन्य प्रचालन आय**				
	लाभार्थी राज्यों से ब्याज		9656		1553
	उपजोड़ ग		**9656**		**1553**
घ	**संविदाओं परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**				
	संविदा आय		-		-
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व		-		-
	उपजोड़ घ		**-**		**-**
	कुलयोग (क++ख+ग+घ)		**193440**		**109545**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) बिक्री की राशि इंदिरा सागर विद्युत परियोजना और ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना के संदर्भ में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2009-14की अवधि के लिए अधिसूचित अंतिम शुल्क के अनुसार हिसाब में ली गई है.

2) बिक्री के अंतर्गत आईएसपी के लिए इक्विटी पर लाभ (आरओई) की दर 15.50 प्रतिशत से बढ़ कर 16-50 प्रतिशत होने के कारण बिल न की गई रु 15.74 लाख की राशि (पिछले वर्ष आईएसपी और ओएसपी के लिए 564 लाख रुपये) शामिल है.

3) वित्त वर्ष 2013-14 के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) दर का इस्तेमाल करने से बिक्री को हिसाब में लेने के प्रयोजन के लिए, इक्विटी पर लाभ (आईओई) में वृद्धि हुई.

4) दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरूप, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के लिए बिक्री समायोजित करते हुए बहियों में रु. शून्य (पिछले वर्ष 43 लाख) का प्रावधान किया गया है.

5) वित्त वर्ष के लिए बिक्री के अंतर्गत 31093 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1135 लाख रुपये) पिछले वर्ष की बिक्री के संदर्भ में शामिल हैं, जो चालू वर्ष में शुल्क को अंतिम रूप दिए जाने के कारण शामिल किए गए हैं.

6) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या 1-7/145/(160)/ 2000-सीईआरसी दिनांक 19.01.2009 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 39 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जायेगी। तदनुरूप, चालू वर्ष की बिक्री में रु 34.75 लाख (पिछले वर्ष रु 30.58 लाख) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वसूल किए गए हैं।

7) वर्ष के दौरान कम्पनी ने 25.04.2012 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के रूप में 4998 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) और 10.08.2011 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए ऊर्जा विकास उप कर के रूप में 19871 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार को किया. विद्युत शुल्क और ऊर्जा विकास उप कर की राशि लाभार्थियों से वसूली योग्य है और तदनुरूप इसे लाभार्थियों के बिल में शामिल किया गया है और विद्युत की बिक्री में समाहित किया गया है.

टिप्पणी स. 22 - अन्य आय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	**गैर वर्तमान निवेश से आय**		
	i) व्यापार		
	- अनुषंगियों से लाभांश	-	-
	- लाभांश-अन्य	-	-
	- ब्याज	-	-
	सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5 प्रतिशत कर मुक्त बाण्ड)		
	ii) गैर-व्यापार		
	- लाभांश आय - म्युचुअल फंड	-	-
	- लाभांश आय-अन्य	-	-
	- ब्याज- (स्व बीमा निधि)	-	-
ख)	**अन्य आय**		
	i) ब्याज		
	- जमा राशि - स्व-बीमा निधि	-	-
	-जमा खाता (बैंकों) - स्व-बीमा निधि से भिन्न	16504	19520
	-लाभार्थियों से ब्याज - आस्थगित ऋण पर व्यापार प्राप्तियां	5954	3068
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	226	178
	- अन्य	-	-
	ii) विलम्ब अधिभार भुगतान	-	-
	iii) म्युचुअल फंड की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	-	-
	iv) स्व-निर्मित वीईआर्स की बिक्री से आय	-	-
	v) व्यापार व्यवधान के कारण हुई हानि की भरपाई	-	-
	vi) परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	1	1
	vii) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	67	1090
	viii) अन्य	349	417
	ix) विनिमय दर अंतर	-	-
	कुल	**23101**	**24274**
	जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
	कुल	**23101**	**24274**
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित आय	-	-
	घटाएं: ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित आय	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**23101**	**24274**
	# देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है		
क)	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम *1	-	-
ख)	खराब तथा संदिग्ध जमा राशियां *2	-	-
ग)	अन्य संदिग्ध ऋण और अग्रिम *3	-	-
घ)	भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी*4	-	-
ड.)	खराब और संदिग्ध ऋण *5	-	-
च)	खराब और संदिग्ध दावे *6	-	34
छ)	डब्ल्यू/ओ प्रतिक्षित परियोजना व्यय प्रत्यावर्तित *7	-	-
ज)	जांच/बट्टेखाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाली हानियां *8	-	2
झ)	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	600
ञ)	पीआरपी/इंसेंटिव/उत्पादकता पर आधारित प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	42	41
ट)	अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान	2	-
ठ)	सेवानिवृत्ति लाभ (उपदान, अवकाश नकदीकरण, आरईएचएस, स्मृति चिह्न आदि)	-	-
ड)	टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान	-	-
ढ)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थाई विकास एवं अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
ण)	प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान	-	2
त)	अन्य	23	411
	कुल	**67**	**1090**

टिप्पणी स. 23 - उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**उत्पादन व्यय**				
	जल शुल्क		-		-
ख.	**भंडार एवं कलपुर्जों की खपत**		315		187
ग.	**संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**		-		-
घ.	**मरम्मत और अनुरक्षण**				
	- भवन		308		533
	- मशीनरी		88		313
	- अन्य		1832		1410
ड.	**प्रशासनिक व्यय**				
	किराया		475		454
	दरें और कर		22		24
	ऊर्जा विकास उप कर		19871		-
	बीमा		1012		906
	स्वः बीमा निधि से दावों की अदायगी		-		-
	सुरक्षा व्यय		970		905
	विद्युत प्रभार		874		920
	यात्रा एवं वाहन		108		103
	वाहनों पर खर्च		28		19
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें		56		53
	विज्ञापन एवं प्रचार		163		73
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		20		19
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		73		62
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी		150		139
	परामर्शी प्रभार -विदेशी		-		-
	लेखा परीक्षा व्यय (नीचे ब्यौरा देखें)		12		9
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च		-		-
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		45		8
	परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		1		-
	बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियां/दावे		-		-
	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		3		3
	दान		-		-
	सीएसआर/स्थाई विकास/सामुदायिक विकास व्यय		415		437
	निदेशकों का व्यय		3		1
	अनुसंधान एवं विकास व्यय		10		209
	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज		-		-
	लाभार्थी राज्यों को ब्याज		-		-
	ग्राहकों को छूट		1198		975
	स्व निर्मित वीईआर्स पर व्यय		-		-
	विनियमित विद्युत के लिए व्यय			-	
	घटाए: विनियमित विद्युत पर वसूली योग्य व्यय	-	-	-	-
	विनिमय दर अंतर		-		-
	अन्य सामान्य व्यय		371		445
	उप जोड़		**28423**		**8207**
	जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय		-		-
	उप जोड़		**28423**		**8207**
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित राशि		-		-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-		-
	कुल (क)		**28423**		**8207**

टिप्पणी स. 23 - उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय (Contd.) (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
च. प्रावधान				
खराब और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		-		-
खराब और संदिग्ध अग्रिमों/जमा राशियों के लिए प्रावधान		-		-
खराब और संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान		-		-
भंडार और कलपुर्जों के मूल्य में कमी		-		-
भंडार और कलपुर्जों में कमी के लिए प्रावधान		-		-
निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान		-		-
अचल परिसम्पत्तियों/भंडारों के लिए प्रावधान		-		-
स्व-निर्मित वीईआर्स की सूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		-		3
उप जोड़		-		-
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय		**-**		**3**
उप जोड़		-		-
घटाएं: ईडीसी को अंतरित राशि		**-**		**3**
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-		-
कुल (ख)		-		-
लाभ एवं हानि खाते को ले जाया गया कुल		**-**		**3**
कुल (क) + (ख)		**28423**		**8210**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप मे दर्शाया गया है।

2)	स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग शुल्क		3	1
3)	लेखा परीक्षा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है			
क)	**सांविधिक लेखा परीक्षक**	**31 मार्च 2014 को**		**31 मार्च 2013 को**	
	लेखा परीक्षक के रूप में				
	लेखा परीक्षा शुल्क	8		5	
	कर लेखा परीक्षा शुल्क	**2**	10	**2**	7
	अन्य क्षमता में				
	कराधान मामले	-		-	
	कम्पनी कानून संबंधी मामले	-		-	
	प्रबंधन सेवाएं	-		-	
	अन्य मामले/सेवाएं	**1**	1	**1**	1
	व्यय की अदायगी		-		-
ख)	**लागत लेखा परीक्षक**				
	लेखा परीक्षा शुल्क		1		1
	खर्च की अदायगी		-		-
	कुल लेखा परीक्षा व्यय		**12**		**9**

टिप्पणी स. 24 - कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते।	5975	5222
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	1007	820
स्टाफ कल्याण व्यय	406	353
अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
कुल	**7388**	**6395**
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**7388**	**6395**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	-	-
घटाएं - जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि खाते को आगे ले जाया गया कुल	**7388**	**6395**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 242 लाख रुपये (विगत वर्ष 201 लाख रुपये) का प्रावधान कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के लीज भुगतान के वास्ते किया गया है।

(राशि लाख रुपये में)

2) उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
i) कर्मचारी भविष्य निधि के लिए	355	305
ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना	476	259

टिप्पणी स. 25-वित्त लागत

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) निम्नलिखित पर ब्याज -		
भारत सरकार से ऋण	-	-
बॉण्ड	-	-
विदेशी ऋण	-	-
सावधि ऋण	15771	21073
कैश क्रेडिट सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
अन्य ब्याज प्रभार	-	-
उप जोड़	**15771**	**21073**
ख) अन्य ऋण लागत		
प्रतिरक्षा (हेजिंग) कारोबार पर हानि	-	-
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	-	-
रायॅल्टी	-	-
प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
अन्य वित्त प्रभार	10	10
उप जोड़	**10**	**10**
ग) विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि		
ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	-	-
घटाएं: विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	-	-
उप जोड़	**-**	**-**
कुल योग	**15781**	**21083**
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल योग	**15781**	**21083**
घटाएं: ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	-	-
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को आगे ले जाया गया कुल	**15781**	**21083**

टिप्पणी स. 26 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	32553	30134
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**32553**	**30134**
घटाएं: ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	-	-
घटाएं: सहायता अनुदान-आरक्षी को प्रभारित (बट्टे खाते में डाले गए अनुदान)	7156	5716
लाभ एवं हानि लेखा को आगे ले जाया गया कुल	**25397**	**24418**

टिप्पणी स. 27 पूर्व-अवधि मदें (निवल)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
विद्युत कर बिक्री	-	-
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पश्चलिखित	-	-
अन्य	-	-
उप-जोड़	**-**	**-**
व्यय		
वेतन और मजदूरी	-	-
मरम्मत और रखरखाव	-	-
वित्त लागत	-	-
मूल्य ह्रास और परिशोधित व्यय	1	(378)
अन्य	(597)	-
उपजोड़	**(596)**	**(378)**
कुल	**(596)**	**(378)**
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**(596)**	**(378)**
घटाए: ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय	-	-
घटाए: पूर्व अवधि आय	-	-
कुल	**(596)**	**(378)**
घटाए: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**(596)**	**(378)**

टिप्पणी स. 28 कर व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
आय कर प्रावधान		28355		14824
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		-		(5)
आस्थगित कर	(1975)		(311)	
घटाए: वसूली योग्य	(2407)	432	(2019)	1708
		28787		**16527**

टिप्पणी स. 29 वर्ष/अवधि के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**कर्मचारी लाभ व्यय**				
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	-		-	
ii)	उपदान और भविष्यनिधि में योगदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	-		-	
iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	-		-	
iv)	अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-		-	
	उप-जोड़		**-**		**-**
ख.	**अनुरक्षण और रख-रखाव**				
i)	भवन	-		-	
ii)	मशीनरी	-		-	
iii)	अन्य	-		-	
	उप-जोड़		**-**		**-**
ग.	**प्रशासन और अन्य व्यय**				
i)	किराया	-		-	
ii)	दरें और कर	-		-	
iii)	बीमा	-		-	
iv)	सुरक्षा व्यय	-		-	
v)	विद्युत प्रभार	-		-	
vi)	यात्रा और वाहन	-		-	
vii)	वाहनों पर व्यय	-		-	
viii)	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक व्यय	-		-	
ix)	विज्ञापन एवं प्रचार	-		-	
x)	मनोरंजन और आवभगत व्यय	-		-	
xi)	मुद्रण और लेखन सामग्री	-		-	
	डिजाइन और परामर्शी प्रभार				
xii)	- स्वदेशी	-		-	
xiii)	- विदेशी	-		-	
xiv)	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-		-	
xv)	जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रतिपूरक वृक्षारोपण/उपचार/पर्यावरण व्यय	-		-	
xvi)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-		-	
xvii)	परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	-		-	
xviii)	बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियां/पदार्थ पर हानि	-		-	
xix)	विनिमय दर अंतर	-		-	
xx)	अन्य सामान्य व्यय	-		-	
	उप-जोड़		**-**		**-**
घ.	**वित्त लागत**				
i)	निम्नांकित पर ब्याज				
	भारत सरकार के ऋण	-		-	
	बांड	-		-	
	विदेशी मुद्रा ऋण	-		-	
	सावधि ऋण	-		-	
ii)	बांड इश्यू/सेवा प्रभार	-		-	
iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	-		-	
iv)	ऋण पर गारंटी शुल्क	-		-	
v)	अन्य वित्त प्रभार	-		-	
	उप-जोड़		**-**		**-**
ड.	**प्रावधान**	**-**		**-**	
	उपजोड़		**-**		**-**
च	**मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय**	**-**		**-**	
	उप-जोड़		**-**		**-**

टिप्पणी स. 29 वर्ष/अवधि के लिए निर्माण के दौरान व्यय

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
छ.	**पूर्व अवधि व्यय**				
	पूर्व अवधि व्यय	-		-	
	घटाए: पूर्व अवधि आय	-		-	
	उप-जोड़		**-**		**-**
ज	**सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय:**				
i)	अन्य आय	-		-	
ii)	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	-		-	
iii)	कर्मचारी लाभ व्यय	-		-	
iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन	-		-	
v)	वित्त लागत	-		-	
vi)	प्रावधान	-		-	
vii)	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	-		-	
	उप-जोड़		**-**		**-**
	कुल (क+ख+ग+ घ+ड.+च+छ+ज+झ)		**-**		**-**
ञ	**घटाए: प्राप्तियां और वसूलियां**				
क)	**विद्युत उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व**		**-**		**-**
ख)	**अन्य**				
i)	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	-		-	
ii)	विविध प्राप्तियां	-		-	
iii)	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
iv)	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-		-	
v)	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयता	-		-	
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न	-		-	
	उप-जोड़		**-**		**-**
	कुल		**-**		**-**

टिप्पणी संख्या 30 - लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. क) आकस्मिक देयताएं: (राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
i)	कंपनी पर निम्नलिखित से संबंधित दावों को ऋण नहीं माना गया है-		
	- पूंजीगत कार्य	27294	24920
	- भूमि मुआवजा मामले	119514	120999
	- अन्य	101	शून्य
ii)	विवादित आयकर की मांग	शून्य	शून्य
iii)	विवादित बिक्री कर मांग	शून्य	शून्य
iv)	विवादित सेवा कर मांग	शून्य	शून्य
v)	विवादित प्रवेश कर मांग अन्य	5	3
vi)	अन्य	शून्य	शून्य
कुल		**146914**	**145922**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा संबंधी मामलों और अन्य लंबित मामलों से जुड़ी ऐसी देयताएं शामिल नहीं हैं जिनमें राशियों को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है।

ग) पूंजी कार्य के संदर्भ में सेवा और अन्य मामलों में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर और मात्रा परिवर्तन संबंधी संविदाकारों के दावे, समय के विस्तार से संबंधित लागत और काम रोके जाने/कार्य स्थल सुपुर्द किए जाने में विलम्ब आदि से संबंधित दावे शामिल हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि वे सम्बद्ध अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं अथवा उनसे संबंधित ट्राइब्यूनल/अदालत में विचाराधीन हैं। उपर्युक्त में ठेकेदारों के वे दावे भी शामिल हैं जिनपर प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है मगर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल पाया है.

घ) ''पूंजी कार्य'' शीर्ष के अंतर्गत कंपनी के खिलाफ सुनाए गये पंचाट फैसलों से संबंधित आकस्मिक देयताओं के रुपये 13095 लाख (पिछले वर्ष रु. 11989 लाख) शामिल हैं। इन फैसलों के सिलसिले में भुगतान संभावित नहीं समझा गया है, क्योंकि कंपनी ने मामलों को अदालत में चुनौती दी है/चुनौती देने का फैसला किया है।

ड) किसी भुगतान से संबंधित अनिश्चितताओं को प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है।

च) उक्त आकस्मिक देयताओं के सिलसिले में कंपनी को 'शून्य' रुपए (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपए) की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है।

2. क) पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिम की निवल) 6163 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4291 लाख रुपये) है। इसमें रेलवे अपवर्तन कार्यो हेतु निष्पादित न की गई 3461 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3461 लाख रुपये) की अनुमानित राशि शामिल है।

ख) भूमि हेतु मुआवजे और अन्य संबंधित व्यय के प्रति पूंजीगत प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि 4684 लाख रुपये (पिछले वर्ष 13075 लाख रुपये) है।

3. मध्य प्रदेश सरकार ने जो संयुक्त उपक्रम में साझेदार है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुमति से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अंशदान किया जिसका विवरण नीचे दिया गया है.

(कृपया टिप्पणी संख्या 3 देखें).

इंदिरा सागर परियोजना:-

(राशि रुपये में)

(क)	**नक़द या वस्तु रूप में प्राप्त राशि**	**31.03.2013 तक संचयी**	**वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान**	**31.03.2014 तक संचयी**
i.	एनवीडीए द्वारा किया गया खर्च	129874	1257	131131
ii.	प्राप्त नकदी	55797	5210	61007
iii.	ओएसपी से अंतरित राशि	856	-	856
उपरोक्त (क) का कुल		**186527**	**6467**	**192994**
(ख)	**निम्नांकित के संदर्भ में देय/समायोजित**			
i.	इक्विटी पूंजी	66000	-	66000
ii.	सिंचाई घटक	38430	1412	39842
iii.	एसएसपी घटक	49107	1804	50911

(क)	नक़द या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2013 तक संचयी	वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान	31.03.2014 तक संचयी
iv.	अतिरिक्त आर एडं आर व्यय हेतु आर्थिक सहायता	32375	5787	38162
v.	विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख-रखाव खर्च	504	-	504
vi.	सिंचाई/ओएसपी की इक्विटी के प्रति अग्रिम	3308	-	3308
कुल उपरोक्त (ख)		**189724**	**9003**	**198727**
(ग)	**एनवीडीए से वसूली योग्य राशि यानी (ख-क)**	**3197**	**2536**	**5733**

ख) ओमकारेश्वर परियोजना

(राशि रुपये में)

(घ)	नक़द या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2013 तक संचयी	वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान	31.03.2014 तक संचयी
i.	एनवीडीए द्वारा किया गया खर्च	8270	-	8270
ii.	प्राप्त नकदी	41476	-	41476
iii.	आईएसपी खाते से अंतरित राशि	3308	-	3308
कुल उपरोक्त (घ)		**53054**	**-**	**53054**
(ङ)	**निम्नांकित के संदर्भ में देय/समायोजित**			
i.	इक्विटी पूंजी	30016	-	30016
ii.	सिंचाई घटक	23793	121	23914
iii.	अतिरिक्त आर एडं आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	6875	619	7494
iv.	आईएसपी खाते में अंतरित राशि	856	-	856
v.	अतिरिक्त विशेष आरएंडआर पैकेज		20749	20749
कुल उपरोक्त (ङ)		**61540**	**21489**	**83029**
(च)	**एनवीडीए से वसूली योग्य राशि यानी (ङ-घ)**	**8486**	**21489**	**29975**
(छ)	**कुल राशि वसूली योग्य यानी (ग+च)**	**11683**	**24025**	**35708**

4. (क) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लम्बित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों तथा कम्पनी की ओर से एनवीडीए द्वारा किए व्यय हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति/लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।

(ख) संविदाकारों को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शायी गई शेष राशि, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, व्यापार प्राप्यों, संविदाकर्ताओं के लिए अग्रिम, व्यापारिक देयों, बैंको/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण तथा संविदाकारों से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण और संबंधित परिणामी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

(ग) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

5. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नांकित अनुसार रहा:

(राशि रुपये में)

		वर्ष 2013-14 के लिए	वर्ष 2012-13 के लिए
(i)	मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रुप में)	शून्य	शून्य
(ii)	मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रुप में)	शून्य	शून्य
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रुप में)	शून्य	शून्य
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रुप में)	शून्य	शून्य
(v)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	24	3

6. वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियां प्रारम्भ/संशोधित/खारिज/शाब्दिक संशोधित की गई, जिनका वर्ष के लाभ पर प्रभाव निम्नांकित रूप में रहा

क्र. स.	लेखांकन नीति सं.	विवरण	2013-14 को लाभ पर प्रभाव
1	**नीति सं. 2.2**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया	कोई प्रभाव नहीं
2	**नीति संख्या 2.3**	नयी लेखांकन नीति सं. 4.4 परिसम्पत्तियों की क्षति के बारे में नई नीति शुरू होने के बाद जहां न तो जमीन और न ही परिसंपत्तियां कंपनी के स्वामित्व में हैं वहां परिसंपत्तियों पर पूंजी खर्च हटा दिया गया है	नीति सं. 4.4 देखें
3	**नीति संख्या 2.4, 2.5, 2.6 (पुरानी)**	नीतियों को नये नंबर 2.3, 2.4, 2.5 दिये गये हैं	कोई प्रभाव नहीं
4	**नीति संख्या 2.4**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
5	**नीति संख्या 2.7 (पुरानी)**	नीति को नया नंबर 14 दिया गया है	कोई प्रभाव नहीं
6	**नीति संख्या 3.1 (ख)**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
7	**नीति संख्या 4.1**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
8	**नीति संख्या 4.4**	जिन सुविधाओं के पूंजी खर्च के बारे में नयी नीति, जिनपर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है, उनके बारे में एक नयी नीति शुरू की गयी है	मुनाफा बढ़कर 24 लाख रु हुआ
9	**नीति संख्या 5.2.1**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
10	**नीति संख्या 5.2.2**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
11	**नीति संख्या 5.3**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
12	**नीति संख्या 5.4**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
13	**नीति संख्या 5.7**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
14	**नीति संख्या 5.8**	लेखांकन नीति सं. 2.3 को हटाने के बाद इस नीति में उल्लिखित पूंजी खर्च के प्रत्युत्सर्जन की नीति में 2.3 को भी हटा दिया गया है	नीति सं. 4.4 देखें
15	**नीति संख्या 5.9, 5.10 (पुरानी)**	नीतियों को नये नंबर 5.8 और 5.9 दिये गये हैं	कोई प्रभाव नहीं
16	**नीति संख्या 8.2**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
17	**नीति संख्या 10.1 (क)**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
18	**नीति संख्या 10.1 (ग)**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
19	**नीति संख्या 12**	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है	कोई प्रभाव नहीं
20	**नीति संख्या 14**	नीति 2.7 को नया नम्बर 14 दिया गया है.	कोई प्रभाव नहीं

7. लेखांकन मानक (एएस)-15 के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार है:

कर्मचारियों के फायदे की विभिन्न परिभाषित योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है:

परिभाषित अंशदान योजना

क. भविष्य निधि

कम्पनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य नीधि का नियत अंशदान एक पृथक न्यास अर्थात् एनएचडीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि न्यास में जमा कराती है। यह न्यास निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के लिए निधि के अंशदान को व्यय समझा गया है और इसे लाभ एवं हानि निर्माण के दौरान व्यय विवरण में प्रभारित किया गया है। ऐसा नियत अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करना कम्पनी का दायित्व है। इस निधि का संचालन वैधानिक ब्याज दर गारंटी के अंतर्गत न्यास द्वारा किया जाता है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान सृजित किया जाता है।

ख. सामाजिक सुरक्षा योजना

कंपनी एक सामाजिक सुरक्षा योजना चलाती है जिसके अंतर्गत वह हर कर्मचारी के अंशदान के बराबर का अंशदान हर महीने जमा कराती है. यह अंशदान योजना के प्रारंभ होने की तारीख यानी 01.04.2009 से आठ साल तक एक निधि बनाने के उद्देश्य से किया गया है. इसमें जमा हुई धनराशि का प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है जिसका नाम एनएचडीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना निधि है. योजना का उद्देश्य किसी कर्मचारी की मृत्यु या ड्यूटी पर रहते हुए स्थायी और पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में मुसीबत में फंसे उसके परिवार की देखभाल और मदद करना है. किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या त्यागपत्र देने पर उस तारीख तक कर्मचारी द्वारा निधि में किये गये अंशदान को चालू दर से जमा हुए ब्याज की राशि के साथ उसे लौटा दिया जाता है.

ग. कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना

अपने कर्मचारियों को पेंशन का फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी की कर्मचारियों द्वारा पारिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना है. इस योजना के अंतर्गत हर कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत के बराबर धनराशि का अंशदान करता है. कंपनी मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से आकलित धनराशि में से भविष्य निधि में कर्मचारी के अंशदान, ग्रेच्युटी ट्रस्ट और आरईएचएस में कर्मचारी के अंशदान की राशि को कम करने के बाद उपलब्ध अतिशेष के बराबर का योगदान करता है.

पारिभाषित लाभ योजना

घ. ग्रेच्युटी

कंपनी की अपनी एक सुपरिभाषित ग्रेच्युटी लाभ योजना है. हर कर्मचारी जिसने पांच साल या इससे ज्यादा की लगातार सेवा कर ली है वह सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने, बर्खास्त किये जाने, अक्षम हो जाने और मृत्य की स्थिति में नौकरी में पूरे किये गये प्रत्येक वर्ष के लिए पंद्रह दिन का वेतन ग्रेच्युटी (15/26x अंतिम आहरित वेतन (वेतन+महंगाई भत्ता) के रुप में पाने का हकदार है। ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होगी. यह योजना विशेष रुप से बनाई गयी एक निधि के माध्यम से चलाई जा रही है और कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निधि में अपना अंशदान देती है.

ड. अवकाश

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश और अर्ध-वेतन अवकाश देती है जो हर साल क्रमश: 30 दिन और 20 दिन की दर से अवकाश खाते में जमा होते हैं. अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम अवधि 300 दिन की है. बहरहाल 300 दिन की इस अधिकतम अवधि में कोई भी कमी भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण से नियंत्रित होगी. इसके लिए देयताएं बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तय की जाती हैं.

च. सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस)

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना का संचालन करती है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन साथी और मृत कर्मचारी के जीवन साथी तथा पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पताल/पैनल में शामिल अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं. वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत बहिरंग रोगी के रुप में भी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं.

छ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर सामान भत्ता

सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी की नियुक्ति के स्थान से उसके बसने के नये स्थान तक जाने के लिए स्थानांतरण भत्ता कंपनी के नियमों के अनुसार दिया जाता है. कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसका परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकता है.

ज. अधिवर्षिता की आयु पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह

कंपनी की नीति के अनुसार अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी को पांच हजार रुपये मूल्य तक का स्मृति चिन्ह दिया जाता है।

उपर्युक्त क, ख, ग और घ पर वर्णित योजनाएं वित्त पोषित हैं जबकि बाकी वित्त-पोषित नहीं हैं.

एनएचडीसी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के जरिए वार्षिक आधार पर 31.03.2014 को संदर्भ बनाकर किया गया है। वर्तमान में एनएचडीसी में नियुक्त एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और केवल एनएचपीसी से प्राप्त जानकारी/सलाह के आधार पर लाभ एवं हानि खाते से खर्च में हिस्सेदारी डेबिट कर दी गई है। मध्यप्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 31.03.2014 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए ''कर्मचारी लाभ'' के संबंध में लेखांकन मानक-15 (संशोधित) के अंतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

तालिका 1: प्रमुख मान्यताएं

	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
मृत्युदर तालिका	इंडियन अश्योर्ड लाइव्स मोर्टैलिटी (2006-2008)	इंडियन अश्योर्ड लाइव्स मोर्टैलिटी (1994-96) (संशोधित)
छोड़ने की दर	30 वर्ष तक- 1% वार्षिक 31 वर्ष से 44 वर्ष तक- 2% वार्षिक 44 से ऊपर -1% वार्षिक	30 वर्ष तक- 3% वार्षिक 31 वर्ष से 44 वर्ष तक - 2% वार्षिक 44 से ऊपर -1% वार्षिक
छूट दर	8.50%	8.00%
मुआवजा स्तर में वृद्धि की दर	6.50%	6.00%
कर्मचारियों का प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	20.58	21.56

तालिका-2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(टिप्पणी संख्या 7 और 10 देखें)

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2014 के अनुसार			31.03.2013 के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरई-एचएस	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरई-एचएस
वर्ष के शुरू में पीवीओ	662	588	224	464	685	213
ब्याज लागत	53	48	18	37	55	17
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	92	90	26	79	72	27
अदा किया गया लाभ	(11)	(42)	(1)	(15)	(389)	(1)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	47	109	(13)	97	165	(32)
वर्ष के अंत में पीवीओ	843	793	254	662	588	224

तालिका-3 तुलन पत्रक में शामिल की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2014 के अनुसार			31.03.2013 के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरई-एचएस	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरई-एचएस
वर्ष के शुरू में पीवीओ	843	793	254	662	588	224
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	721	-	-			
				481	-	-
वित्त पोषण की स्थिति/अंतर	(122)	(793)	(254)	(181)	(588)	(224)
अमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-			
तुलनपत्रक में शामिल निवल आस्तियां/ (देयताएं)	(122)	(793)	(254)	(181)	(588)	(224)

तालिका-4 लाभ एवं हानि खाते में चिन्हित राशि

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2014 के अनुसार			31.03.2013 के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरई-एचएस	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरई-एचएस
चालू सेवा लागत	92	90	26	79	73	27
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	53	48	18	37	55	17

	31.03.2014 के अनुसार			31.03.2013 के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरई-एचएस	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	आरई-एचएस
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	(45)	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए परिगणित निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	33	109	(13)	86	165	(32
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में शामिल व्यय	133	247	31	202	293	12

सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण 31.03.2014 को देयता क्रमश: 30 लाख रुपये और 1 लाख रुपये है (जो पिछले वर्ष क्रमश: 26 लाख रुपये और 1 लाख रुपये थी।)

8. (क) कंपनी का मुख्य कार्य विद्युत उत्पादन करना है। अन्य आमदनी जैसे ब्याज पर हुई आय को कंपनी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड रुल्स, 2006 में अधिसूचित एकाउंटिंग स्टैंडर्ड-17 ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार इसमें शामिल नहीं किया गया है.

(ख) कंपनी की इस समय केवल मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, इसलिए भौगोलिक खंडों आधार पर सूचना देने की बात लागू नहीं होती।

9. कंपनीज एकाउंटिंग स्टैंर्ड रुल्स, 2006 में अधिसूचित एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण संबंधी मानक के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

महत्त्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम
श्री जी साइ प्रसाद	संयुक्त सचिव (ताप विद्युत), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार कंपनी के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रहे हैं
श्री आर.एस. मीना	प्रबंध निदेशक
श्री के.एम. सिंह	मुख्य कार्यपालक निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक 28 लाख रुपए है (जो पिछले साल 52 लाख रुपए था.)

10. कंपनी की अपनी अलग सीएसआर/एसडी और आर एण्ड डी नीतियां हैं. इन नीतियों के अनुसार एक बार सृजित वित्तीय निधि में जितनी राशि साल के दौरान खर्च नहीं हो पाती वह समाप्त नहीं होती और अलग सेवा के लिए अंतरित कर दी जाती है. वित्त वर्ष 2013-14 में सीएसआर/एसडी और आरएंडडी के लिए क्रमश: 1.25 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत की दर से निधियां सृजित की गयीं. 31.3.2013 को सीएसआर, एसडी और आरएंडडी के लिए बकाया प्रावधानों को 31.03.2014 के लाभ-हानि विवरण में सम्मिलित कर लिया गया है और पिछली अवधि की मद के रूप में प्रदर्शित किया गया है. इसी के अनुरूप 31.03.2014 को बनायी गयी सीएसआर, एसडी आरक्षित निधि और आरएंडडी आरक्षित निधि को लाभ-हानि खाते में अतिशेष के स्थानांतरण के रूप में दर्शाया गया है. (देखें टिप्पणी सं. 2 और 27).

11. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

विवरण	वर्ष 2013-14 के लिए		वर्ष 2012-13 के लिए	
	(आधारभूत) प्रति शेयर अर्जन	(कम किया गया) प्रति शेयर अर्जन	(आधारभूत) प्रति शेयर अर्जन	(कम किया गया) प्रति शेयर अर्जन
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात निवल लाभ (रु)	10,63,63,09,939	10,63,63,09,939	5,75,64,40,505	5,75,64,40,505
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	19625800	19625800	19625800	19625800
प्रति शेयर अर्जन (रु)	541.96	541.96	293.31	293.31
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रु)	1000	1000	1000	1000

12. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2014 को लेखांकन मानक (एएस)-28: आस्तियों की क्षति के प्रावधानों के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

13. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची- VI के अनुसार अन्य प्रकटीकरण:

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	विवरण	वर्ष 2013-14 के लिए	वर्ष 2012-13 के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य		
	i) पूंजीगत वस्तुएं		
	ii) कलपुर्जे	93	शून्य
		शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) जानकारी	शून्य	शून्य
	ii) ब्याज	शून्य	शून्य
	iii) अन्य विविध मामले		
		शून्य	शून्य
ग)*	संचालित यूनिटों में उपयोग किए गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित		
	ii) स्वदेशी	शून्य	शून्य
		315	187
घ)**	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	शून्य	शून्य
	ii) अन्य	शून्य	शून्य

* प्रोद्भूत आधार

14. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क्र. स.	विवरण	(राशि लाख रुपये में)
i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि।	शून्य
ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	शून्य
iii)	सेवा प्रदान का सामान पहुँचाने के लिए सहमत समय या 15 दिन से अधिक के लिए मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	शून्य
v)	बाद के वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौतीयोग्य व्यय के रुप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता	शून्य

15. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुन: समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित/पुन: निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

आर एस मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

डी चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (वित्त)

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भुटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
महेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 079732
एफआरएन - 004465सी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.05.2014

नकदी प्रवाह विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	विवरण	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर-पूर्व निवल लाभ और असाधारण मद	135150		74091	
	जोड़े:				
	- मूल्यह्रास और परिशोधन पूर्वावधि सहित	25398		24040	
	- प्रावधान/देयताएं पश्चलिखित	656		75	
	- प्रावधान	282		368	
	- मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	-		-	
	- आस्तियों की बिक्री पर (शुद्ध) हानि/(लाभ)	-		-	
	- वित्त लागत	15781		21083	
	- ब्याज आय	**(22458)**		**(22588)**	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनगत लाभ		154809		97069
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
	माल सूची में (वृद्धि)/कमी	(41)		(134)	
	व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(60760)		3031	
	ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(811)		(875)	
	अन्य चालू आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(16084)		(5832)	
	चालू देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(32492)**	**(110188)**	**(499)**	**(4309)**
			44621		92760
	घटाएं: अदा किया गया कर (टीडीएस सहित) रिफंड का निवल	28123		15418	
			28123		**15418**
	प्रचालनगत क्रियाकलापों से सृजित नकदी (क)		16498		77342
ख)	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	गोचर और अगोचर आस्तियां और सीडब्ल्यूआईपी	(34380)		(10451)	
	ब्याज आय	22458		22588	
	आस्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	**2**		**1**	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)		(11920)		12138
ग)	**वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्तियां			-	
	उधार दी गयी राशि से प्राप्तियां			-	
	उधार का पुनर्भुगतान	(76621)		(20813)	
	मध्य प्रदेश सरकार से एसएसपी और सिंचाई घटक के लिए प्राप्त राशियां	30493		3928	
	अदा किया गया लाभांश	(5888)		(5888)	
	अदा किया गया लाभांश कर	(1001)		(955)	
	वित्त लागत	(67709)			
	वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(11507)			
	नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	**(15781)**		**(21083)**	
	नकदी और नकदी तुल्य (प्रारंभिक शेष)		(148014)		(44811)
	नकदी और नकदी तुल्य (अंतिम शेष)		(143436)		44669
			215352		170683
			71916		215352

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां:

1. नकदी और बैंक शेष के अंतर्गत रु शून्य (31.3.2013 को 122 लाख रुपये) शामिल हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट अथवा समान सुविधा खोलने के लिए मार्जिन मनी के रूप में बैंकों के साथ रेहन रखे गए हैं, जो 31.03.2014 को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
2. नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 824 लाख रुपये (पिछले वर्ष 780 लाख रुपये) शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेश पर रखे गए हैं, अत: 31.3.2013 को कंपनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
3. नकद और बैंक शेष के अंतर्गत रु 511 लाख (31.3.2013 को 1048 लाख रु.) ओंकारेश्वर परियोजना से विस्थापित हुए लोगों द्वारा जमा कराए गए हैं। यह राशि शिकायत निपटान प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार ओंकारेश्वर परियोजना में भूमि के बदले भूमि योजना हेतु जमा कराई गई है, अत: 31.3.2014 को कंपनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
4. नकद और बैंक शेष समकक्ष के अंतर्गत 16051 लाख रुपये (31.3.2013 को 16051 लाख रुपये) की राशि शामिल है जो कंपनी ने स्व-बीमा आरक्षी के रुप में रखी है, अत: अन्यथा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
5. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हुआ, पुन: समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित/पुनर्गठित कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
हस्ता.
महेश गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता सं.-079732
एफ आर न. 004465सी

हस्ता.
के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

हस्ता
आर एस मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

हस्ता
वी के त्रिपाठी
कंपनी सचिव

हस्ता
डी चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.05.2014

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि. (**"एलडीएचसीएल"**) के निदेशक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की टिप्पणियों के साथ कंपनी के निष्पादन के बारे में चौथी वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. कंपनी के कार्यों का विवरण

क. परिचालनगत समीक्षा

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 15 नवंबर, 2006 को एनएचपीसी लिमिटेड के पक्ष में परियोजना पर सहमति दी थी, जिसकी वैधता बाद में 14 नवंबर, 2012 तक बढ़ा दी गयी थी। सीईए ने 6 अगस्त, 2012 को एलडीएचसीएल के पक्ष में सहमति का हस्तांतरित किया। जनवरी, 2013 में सीईए ने इस शर्त के साथ सहमति की अवधि 14 नवंबर, 2014 तक बढ़ा दी कि एलडीएचसीएल अद्यतन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा कराएगी और इसके साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी जमा कराया जाएगा कि 2006 में परियोजना के मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) तथा भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को शामिल किया गया है। इसी के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन कर लिया गया है और 23 सितंबर 2013 को सीईए को भेजा जा चुका है. सीईए द्वारा जांच और उसके अनुमोदन के बाद सार्वजनिक निवेश बोर्ड की संस्तुति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरुकी जाएगी और उसके बाद मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की मंजूरी के लिए प्रक्रिया प्रारंभ होगी. परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी, वन संबंधी मंजूरी (प्रथम चरण) और प्रतिरक्षा संबंधी मंजूरी पहले ही उपलब्ध हैं।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल परियोजना की विभिन्न गतिविधियों पर सक्रिय रुप से निगरानी रख रहा है जिनमें वन संबंधी मंजूरी का द्वितीय चरण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन करना और टर्न-की यानी चालू हालत में तैयार कर परियोजना सौंपने के काम को पूरा करने के लिए बोलियां आमंत्रित करना आदि शामिल हैं।

नयी योजनाएं

मणिपुर सरकार की जल-नीति के अनुसार वह 5 मेगावाट से 25 मेगावाट तक की क्षमता की परियोजनाओं को समझौता ज्ञापनों के जरिए आपकी कंपनी को क्रियान्वयन के लिए सौंप सकती है। आपकी कंपनी ने थोउबल बहुउद्देश्यी जल-विद्युत परियोजना के ईएंडएम घटक के आबंटन के लिए मणिपुर सरकार से संपर्क किया है और मणिपुर सरकार इसके लिए सहमत भी हो गयी है। इस परियोजना के संदर्भ में औपचारिकताओं को अंतिम रुप दिया जा रहा है।

ख. वित्तीय समीक्षा

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है:-

वित्तीय विशिष्टताएं (करोड़ रुपये में)

विवरण	2013-14	2012-13
बिक्री	-	-
मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ	4.15	6.80
मूल्यह्रास	-	-
मूल्यह्रास के बाद किंतु ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	4.15	6.80
ब्याज एवं वित्त प्रभार	-	-
मूल्यह्रास और ब्याज के बाद किंतु कर से पूर्व लाभ	4.15	6.80
कर	1.35	2.21
मूल्यह्रास, ब्याज और कर के उपरांत लाभ	2.80	4.59
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि खाते का अधिशेष	10.19	5.60
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	12.99	10.19
विनियोजन		
बॉन्ड विमोचन रिजर्व से अंतरित	-	-
स्व बीमा आरक्षित को अंतरित	-	-
लाभांश पर कर पश्च लिखित	-	-
स्व बीमा आरक्षित से पश्च लिखित राशि		
अंतरिम लाभांश	-	-
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश कर	-	-
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	-
आरक्षित एवं अधिशेष को ले जाया गया शेष लाभांश	12.99	10.19

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रोत्साहकों से इक्विटी अंशदान के रुप में प्राप्त धनराशि भारतीय स्टेट बैंक/अन्य अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा के रुप में जमा करायी और 430.60 लाख रु ब्याज के रुप मे कमाए। 280.50 लाख रु की राशि आरक्षित एवं अधिशेष खाते में अंतरित की गयी है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश की सिफारिश अनुशंसा नहीं की है।

2. पूंजी संरचना

एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में प्रोमोटर्स यानी प्रोत्साहकों की हिस्सेदारी क्रमश: 74: 26 के अनुपात में होगी। वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की चुकता पूंजी 117.69 करोड़ रुपये थी।

3. वित्त वर्ष के दौरान या इसके अंत के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताए

वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के स्वरुप अथवा कंपनी के हितों पर असर डालने वाले कारोबार की श्रेणी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। वित्त वर्ष के अंत से कंपनी के स्वरुप और प्रतिबद्धता में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ जिससे उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

4. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बर्हिगमन।

कम्पनी (निदेशक मंडल रिपोर्ट में ब्योरा प्रकटीकरण) नियम, 1988 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने न तो कोई विदेशी मुद्रा अर्जित की और न ही विदेशी मुद्रा का कोई बहिर्गमन हुआ। ब्यौरा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

5. कर्मचारी संबंध

वर्ष के दौरान, औद्योगिक संबंध सद्भाव एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे।

6. कर्मचारियों के ब्यौरे

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए), के तहत कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली 1975 से संबंधित अपेक्षित जानकारी रिपोर्ट के **अनुलग्नक-1** में दी गई है।

7. सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स कुंजाबी एंड कंपनी, इम्फाल को वर्ष 2013-14 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रुप में नियुक्त किया।

8. आंतरिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के तहत कंपनियों की लेखा नियमावली 2014 के अनुसार कंपनी ने श्री सी. संजोय सिंह को द्विवार्षिक आधार पर कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए सनदी लेखाकार नियुक्त किया है।

9. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के तहत वित्त-प्रमुख श्री शीलादित्य बासू को कंपनी का मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) पदनामित किया गया है। इसके अलावा सीईओ श्री रंजन मित्रा, सीएफओ श्री शीलादित्य बसू और एएम (वित्त) श्री विपिन जैन (जो कंपनी सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रहे हैं) कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक घोषित किये गये हैं।

10. कारपोरेट अभिशासन

कारपोरेट अभिशासन के बारे में एक पृथक विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रुप में अनुपालन प्रमाणपत्र के साथ **अनुलग्नक-2** के रुप में संलग्न किया गया है।

11. प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन के बारे में लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट के रुप में एक पृथक खंड इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-3** के अंतर्गत संलग्न किया गया है।

12. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एलडीएचसीएल के वित्तीय परिणामों के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कम्पनी के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां क्रमश: **अनुलग्नक-4** और **5** के रुप में संलग्न की गयी हैं।

13. लेखा परीक्षा समिति

कंपनी के बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। बोर्ड ने हाल में अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार समिति के विचारणीय विषयों के दायरे का विस्तार किया. इस समिति का संघटन और इससे संबंधित अन्य विवरण कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

14. निदेशकों के उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवरण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के अनुसार निदेशक एतद् द्वारा निम्नांकित की पुष्टि करते हैं:

i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में प्रचलित लेखांकन मानकों का इस्तेमाल किया गया है और महत्वपूर्ण विचलन होने की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं, जिनके आधार पर वित्त वर्ष 2013-14 के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश की जा सकी है;

iii) निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरुप कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने पर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है; और

iv) निदेशकों ने सतत् सरोकार के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

15. निदेशक मंडल

कम्पनी के गठन संबंधी अनुच्छेद-40 के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष कंपनी के अध्यक्ष के रुप में काम करेंगे। तदनुरुप, एनएचपीसी लिमिटेड ने संसूचित किया है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सीएमडी का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के बाद श्री आर.एस.टी. शाई कंपनी के अंतर्नियम का अनुपालन करते हुए अध्यक्ष के रुप में कार्य करेंगे. श्री जी. साइ प्रसाद कम्पनी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। निदेशक मंडल ने श्री आर.एस.टी. शाई को 7 जुलाई, 2014 से कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके अलावा विद्युत मंत्रालय ने मंत्रालय के तत्कालीन निदेशक एच-II श्री राजीव कुमार गुप्ता की नामांकन वापस ले लिया जिससे वे 17 जुलाई, 2014 से कंपनी के निदेशक नहीं रह गये हैं। वर्तमान में आपकी कम्पनी के बोर्ड में निम्नांकित सदस्य हैं:

1.	श्री आर.एस.टी. शाई[1]	अध्यक्ष
2.	श्री विजय कुमार	निदेशक
3.	श्री राजेश अग्रवाल	निदेशक
4.	श्री कंवर सिंह	निदेशक

(1) श्री आर.एस.टी. शाई को 7 जुलाई, 2014 से कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

16. सूचना अधिकार अधिनियम

कंपनी में सूचना अधिकार अधिनियम का पालन किया जा रहा है।

आभार

कम्पनी का निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेषकर विद्युत मंत्रालय, एनएचपीसी लिमिटेड, मणिपुर सरकार और उसके मंत्रालयों, विभागों/बोर्डों, कम्पनी के लेखा परीक्षकों और बैंकरों से प्राप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के प्रति विशेष रुप से आभारी है।

बोर्ड कंपनी के कर्मचारियों की ईमानदारी और कठिन परिश्रम के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता है और उसे विश्वास है कि कम्पनी के कर्मचारी आने वाले वर्षों में भी अपना उत्कृष्ट योगदान जारी रखेंगे।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
हस्ताक्षरित

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष
डीआईएन संख्या: 00171920

तारीख : 14 अगस्त, 2014
स्थान: नई दिल्ली

कम्पनी (बोर्ड के निदेशक-मंडल की रिपोर्ट में विवरण प्रकटीकरण) नियम 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के बारे में निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक निम्नलिखित प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है क्योंकि परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है इस कारण कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं है।

क. ऊर्जा का संरक्षण:

क) ऊर्जा संरक्षण के उपाय किये गये;

ख) ऊर्जा की खपत कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, अगर कोई, लागू किए जा रहे हों;

ग) उपरोक्त क) और ख) पर वर्णित उपायों से ऊर्जा की खपत में कमी और नतीजतन वस्तुओं की उत्पादन-लागत पर उसका प्रभाव;

(घ) अनुसूची में वर्णित उद्योगों के संदर्भ में अनुलग्नक के प्रपत्र क के अनुसार ऊर्जा की कुल खपत और प्रति यूनिट उत्पादन के अनुसार ऊर्जा खपत;

ख. प्रौद्योगिकी आमेलन

(ङ) अनुलग्नक के प्रपत्र 'ख' के अनुसार प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए प्रयास

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन

(च) निर्यात से सम्बन्धित गतिविधियां; निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपाय; उत्पाद एवं सेवाओं के लिए नए बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएं;

(छ) कुल विदेशी मुद्रा प्रयुक्त और अर्जित

प्रपत्र- ख

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कम्पनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया।
कम्पनी ने अनुसंधान एवं विकास की कोई गतिविधि संचालित नहीं की है।

2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास से अर्जित लाभ
लागू नहीं

3. 2014-15 के लिए भावी कार्य योजना
वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी कोई योजना नहीं है।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय
(क) पूंजी : शून्य
(ख) आवर्ती : शून्य
(ग) कुल : शून्य
(घ) कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय
वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कोई व्यय नहीं किया गया।

प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार

1. प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए,
क्योंकि निर्माण कार्य अभी प्रारंभ होना है।

2. उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अर्थात् उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि:
लागू नहीं

3. प्रौद्योगिकी के आयात के मामले में निम्नांकित जानकारी दी जा सकती है (पिछले पांच वर्ष में आयातित, वित्त वर्ष के प्रारंभ से गणना करते हुए):-
(क) आयातित प्रौद्योगिकी
(ख) आयात वर्ष
(ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह आमेलित किया गया है ?
(घ) यदि पूरी तरह आमेलित न की गई हो, तो उन क्षेत्रों का नाम जहां प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की गई हो, तत्संबंधी कारण और भावी कार्य योजनाएं
शून्य

अनुलग्नक - I

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए), जिसे कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) नियमावली 1975 के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी

वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 60,00,000/- रुपये वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण: शून्य।
वित्त वर्ष के किसी भी हिस्से के दौरान कम से कम 5,00,000/- रुपये प्रति माह पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण।

कर्मचारी का नाम और संख्या	कर्मचारी का पदनाम और ड्यूटी का स्वरूप	कर्मचारी की योग्यता और अनुभव	रोजगार प्रारंभ करने की तारीख	आयु	कार्य का स्वरूप	पारिश्रमिक	पिछले रोजगार का ब्योरा	अभ्युक्ति
शून्य								

कारपोरेट अभिशासन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण

मैसर्स लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए साल के लिए केंद्रीय लोक उद्यमों से संबंधित कारपोरेट अभिशासन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का **लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड** (सीआईएन यू40101एमएन2009जीओआई008249 सहित) द्वारा ('कंपनी'), अनुपालन किये जाने की जांच कर ली है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार तथा हमें कंपनी, अधिकारी और एजेंट द्वारा जो खुलासे किये गये उनके आधार पर हम अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने, उपरोक्त वित्त वर्ष के लिए निम्नांकित बिन्दुओं को छोड़कर, अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है:-

1. कंपनी ने अपने बोर्ड के नए सदस्यों के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। बहरहाल बोर्ड के सभी वर्तमान सदस्य एनएचपीसी लिमिटेड, आयुक्त (ऊर्जा), मणिपुर सरकार और विद्युत मंत्रालय से नामित हैं और उन्हें बिजनेस मॉडल तथा जोखिम की स्थितियों की अच्छी जानकारी है।
2. कंपनी ने अभी तक पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।
3. कंपनी ने अभी तक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति तैयार नहीं की है।
4. कंपनी के बोर्ड में अभी तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है इसलिए उपयुक्त दिशानिर्देशों के तहत जरुरी कुछ दिशानिर्देशों का कंपनी ने अनुपालन नहीं किया है।
5. चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए इसकी लेखापरीक्षा समिति में भी कोई स्वतंत्र सदस्य या अध्यक्ष नहीं है।
6. कंपनी ने अब तक अपने निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिको के लिए आचार संहिता नहीं बनायी है।

हम यह भी कहना चाहते हैं इस तरह का अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की व्यवहार्यता का और न कंपनी के कामकाज के प्रभावी संचालन में प्रबंधन की सक्षमता या दक्षता का आश्वासन है।

कृते गरिमा दुग्गल एंड एसोशिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
गरिमा दुग्गल
प्रोप्राइटर
सदस्यता संख्या 21818
सीपी नं. 8413

दिनांक: 14 अगस्त, 2014

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

अनुलग्नक-II

कारपोरेट अभिशासन कंपनी से लिए सर्वोच्च महत्व का विषय है और यह उतना ही अहम है जितना कंपनी की बुनियादी कारोबारी योजना। कारपोरेट अभिशासन का संबंध उन कानूनों, तौर-तरीकों और अंतर्निहित नियमों से है जिनसे कंपनी के दावेदारों, खास तौर पर उसके हितधारकों, लेनदारों, ग्राहकों, राज्य और उसके कर्मचारियों के समक्ष उसकी संसूचित प्रबंधकीय निर्णय लेने की क्षमता का निर्धारण होता है। इसका संबंध मूल्यों के प्रति निष्ठा, नैतिक व्यावसायिक आचरण और पारदर्शिता से है और इसमें कंपनी के प्रबंधन में व्यक्तिगत और कारपोरेट निधियों के बीच भेद किया जाता है। सुशासन से व्यावसायिक साझेदारों, ग्राहकों और निवेशकों के बीच सद्भावना उत्पन्न होती है और व्यापक समाज से सम्मान प्राप्त होता है। कारपोरेट अभिशासन से रहित निगम को अक्सर ऐसे शरीर की तरह माना जाता है जिसमें आत्मा या विवेक नहीं है। कंपनी का प्रबंधन अपने तमाम हितधारकों के बेहतरीन हित में काम करने के प्रयास करता है। कंपनी को इस बात का अहसास है कि पारदर्शिता, प्रकटीकरण, वित्तीय नियंत्रण और जवाबदेही अच्छी कारपोरेट अभिशासन वाली प्रणाली के आधार स्तंभ हैं। कंपनी का यह प्रयास है कि कारपोरेट अभिशासन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए हितधारक का महत्व बढ़ाये।

1. अभिशासन संहिता के बारे में दृष्टिकोण:

(i) कामकाज में समुचित नियंत्रण प्रणाली अपनाना और बोर्ड को समय पर पारदर्शितापूर्ण तरीके से सूचनाएं उपलब्ध कराना ताकि बोर्ड अपने प्रति प्रबंधन की जवाबदेही की निगरानी करने में सक्षम हो सके।

(ii) व्यावसायिक उपक्रम की कार्यकुशलता बढ़ाना ताकि वह न सिर्फ कंपनी बल्कि उसके साथ साथ समूचे देश के लिए संपत्ति का सृजन कर सके।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी और निदेशक मंडल कारपोरेट मूल्यों का पालन करें और व्यवहार में उनपर अमल भी करें।

(iv) उपक्रम से संबंध रखने वाले या इससे स्थायी रुप से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के लिए विकास सुनिश्चित करना।

(v) यह सुनिश्चित करना कि उपक्रम जिस समाज में कार्य कर रहा है उसमें उसे स्वीकार्यता प्राप्त हो।

2. निदेशक मंडल का गठन और श्रेणी:

(i) निदेशक मंडल का आकार:

लोकताक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत निगम लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 की परिभाषा के अधीन एक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी के गठन के नियमों के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 5 (पांच) से कम और 15 (पन्द्रह) से अधिक नहीं होगी।

(ii) बोर्ड का संघटन:

कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) में पांच (5) निदेशक होते हैं जो सभी गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। इस समय कंपनी के बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है। 31 मार्च, 2014 को बोर्ड का स्वरुप, इसमें निदेशकों की संख्या और अन्य कंपनियों की समितियों में (लेखा परीक्षा समिति और शेयर धारक शिकायत समिति) निदेशकों की स्थिति का विवरण इस प्रकार है:

S. No.	नाम	निदेशक की श्रेणी	अन्य कंपनियों में निदेशक#	अन्य समितियों में स्थिति	
				निदेशक के तौर पर	सदस्य के तौर पर
1)	श्री जी. साइ प्रसाद(1)	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	3	शून्य	शून्य
2)	श्री विजय कुमार	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	शून्य	शून्य	शून्य
3)	श्री राजेश अग्रवाल	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	2	शून्य	शून्य
4)	श्री कंवर सिंह	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	शून्य	शून्य	शून्य
5)	श्री राजीव कुमार गुप्ता(2)	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	शून्य	शून्य	शून्य

1) श्री जी. साइ प्रसाद 8 जून 2014 से कंपनी के अध्यक्ष नहीं हैं।

2) श्री राजीव कुमार गुप्ता 17 जुलाई, 2014 से कंपनी के निदेशक नहीं हैं।

ऊपर्युक्त निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक पदों में क्रमागत तरीके से मिलने वाले निदेशक पद, विदेशी कंपनियों में निदेशक पद और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत आने वाले निदेशक पद शामिल नहीं हैं।

कंपनी के निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

श्री आर.एस.टी शाई, (डीआईएन:00171920) 57 साल: हमारे अध्यक्ष हैं। वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक हैं। उन्होंने आईआईएम बंगलौर से प्रबंधन में डिप्लोमा लिया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी हासिल की है। उन्हें बैंकिंग, वित्त, वाणिज्य, इपीसी कॉंट्रेकटिंग और संविदा के प्रबंधन जैसे विभिन्न कार्यों का 33 साल का अनुभव है। उन्होंने सप्लायर क्रेडिट के मूल्यांकन के लिए पारदर्शी निविदा दस्तावेज तैयार किया है और दिल्ली मैट्रो में परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने के लिए बोनस देने की एक नयी शुरुआत की है। श्री साई ने भारतीय स्टेट बैंक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और दिल्ली मैट्रो मे विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इस समय वह यूजेवीएनएल में अंशकालिक निदेशक हैं और आईआईटी रुड़की के संचालन मंडल के सदस्य हैं। वह टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी हैं। इससे पहले मई 2005 से वह टीएचडीसी में निदेशक वित्त पद पर भी कार्य कर चुके हैं। वह 7 जुलाई, 2014 को एलडीएचसीएल बोर्ड में कार्यभार संभाला है।

श्री विजय कुमार (डीआईएन: 03021294), 53 साल: हमारे निदेशक हैं। वे विज्ञान में स्नातक हैं। वह प्रशिक्षित लागत लेखाकार हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। उन्हें भारत में जलविद्युत क्षेत्र में लेखांकन का कार्य करने का 28 साल का अनुभव है। वह एनएचपीसी लिमिटेड में महाप्रबंधक (वित्त) हैं और उन्हें लेखे को अंतिम रुप देने, प्रभार निर्धारण और प्रस्तावों की वित्तीय समीक्षा का व्यापक अनुभव है। श्री विजय कुमार कंपनी की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 17 अगस्त, 2012 को एलडीएचसीएल बोर्ड में कार्यभार संभाला है।

श्री राजेश अग्रवाल (डीआईएन:00242334), 44 साल: हमारे निदेशक हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और आईआईएफटी दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में स्नातकोत्तर हैं। 1994 में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और मणिपुर, झारखंड और बिहार में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत मणिपुर में तामेंगलोंग के सब-डिविजनल ऑफीसर के तौर पर की और झारखंड में बोकारो, पश्चिम सिंघभूम और गिरिडीह के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने झारखंड के उद्योग और वाणिज्य निदेशक के रुप में भी सफलता पूर्वक कार्य किया है। मणिपुर सरकार में कमिश्नर के अपने वर्तमान पद का कार्यभार संभालने से पहले श्री अग्रवाल भारत सरकार के निदेशक (उर्वरक) और केन्द्रीय मंत्री के निजी सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। मणिपुर के कमिश्नर के साथ-साथ इस समय उनके पास राज्य के कृषि, विद्युत, विज्ञान और टेक्नोलाजी तथा आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी भी है। श्री अग्रवाल मणिपुर राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड और मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में निदेशक भी हैं।

श्री कंवर सिंह (डीआईएन:04351047), 54 साल: हमारे अंशकालिक निदेशक हैं। वह सिविल इंजीनियरी में स्नातक हैं और उन्हें जलविद्युत क्षेत्र में कार्य करने का 30 साल का अनुभव है। इस समय वह एनएचपीसी लिमिटेड में परामर्शी और संयुक्त उद्यम प्रभाग में कार्यपालक निदेशक हैं। वह एनएचपीसी लिमिटेड की दुलहस्ती और धौलीगंगा जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विभिन्न चरणों में कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 390 मेगावाट की दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना, 480 मेगावाट की उड़ी जलविद्युत परियोजना और 330 मेगावाट की किशनगंगा परियोजना को टर्नकी आधार पर तैयार करने का ठेका हासिल करने में वह घनिष्ठ रुप से जुड़े रहें। उन्हें ठेके की शर्तें तैयार करने, अर्हता का विवरण बनाने और बोलियों के मूल्यांकन का अनुभव है। निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) ने उन्हें वर्ष 2010 में ''उत्कृष्ट लेखा अधिकारी'' का सम्मान प्रदान किया। श्री सिंह 17 अगस्त 2012 को एलडीएचसीएल के निदेशकमंडल में शामिल हुए।

(iii) गैर-कार्यपालक निदेशकों को मुआवजा और घोषणाएं :

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति एनएचपीसी लिमिटेड, मणिपुर सरकार और विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाती है। कंपनी से अलग होते समय निदेशकों को कोई विच्छेद शुल्क/नोटिस अवधि वेतन नहीं दिया जाता। आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी निदेशक को सिटिंग फीस या भत्ते का भुगतान नहीं किया।

(iv) निदेशक मंडल की बैठकें, समिति की बैठकें और प्रक्रियाएं:

(क) **निर्णय लेने की प्रक्रिया:** कंपनी अपने कारपोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से चलाने के लिए निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित कराते समय सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाती है। इन प्रक्रियाओं के तहत निदेशक मंडल की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविचारित और सुचिंतित तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है।

(ख) **निदेशक मंडल/समिति की बैठकों का कार्यक्रम और कार्यसूची के विषयों का चयन:**

- बैठकें अध्यक्ष की स्वीकृति से उचित नोटिस देकर बुलायी जाती हैं। बैठक में उद्देश्यपूर्ण, सुविचारित और सटीक निर्णयों के लिए कार्यसूची से संबंधित विस्तृत नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण सदस्यों में पर्याप्त समय पहले बांट दिये जाते हैं ताकि वे बैठकों में युक्तिसंगत, संसूचित और सटीक निर्णय कर सकें। जब कभी किसी अत्यावश्यक मुद्दे पर विचार करना होता है, अल्पकालिक सूचना के आधार पर भी बैठकें बुलायी जाती हैं या संकल्प सर्कुलेशन से पारित किये जाते हैं।
- जब कभी गोपनीयता की वजह से या विशेष और अपवादस्वरुप परिस्थितियों अथवा अतिरिक्त व पूरक मुद्दों की वजह से कार्यसूची के साथ दस्तावेज संलग्न करना संभव नहीं होता, इस तरह के दस्तावेज बैठक के दौरान पटल पर रख दिये जाते हैं।
- एजेंडा पेपर आम तौर पर अध्यक्ष की अनुमति लेने के बाद ही परिचालित किये जाते हैं।
- बैठकें नयी दिल्ली में आयोजित की जाती हैं।
- कंपनी से संबंधित तमाम सूचनाएं निदेशक मंडल के सदस्यों को सुलभ करायी जाती है। निदेशक मंडल/समिति के सदस्य ऐसा कोई भी विषय कार्यसूची में शामिल करने की सिफारिश कर सकते हैं जो वे जरुरी समझते हैं। प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और प्रोमोटरों के कर्मचारियों को भी बैठकों में बुलाया जाता है ताकि वे जरुरत पड़ने पर बैठक में बहस तलब विषयों पर अतिरिक्त सूचनाएं उपलब्ध करा सकें।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी निदेशक मंडल/समिति की तमाम बैठकों में स्थायी रुप से आमंत्रित होता है।

(ग) **निदेशक मंडल/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की रिकार्डिंग:** निदेशक मंडल/समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को कार्यविवरण पुस्तिका में विधिवत अभिलेखबद्ध किया जाता है। प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त सदस्यों में बांटा जाता है ताकि वे अगली बैठक में इसकी पुष्टि कर सकें।

(घ) **अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया:** निदेशक मंडल/समिति के निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट अगली बैठक में जारी की जाती है जिससे निर्णयों की प्रभावी अनुपालना और समीक्षा करने तथा प्रतिवेदन में मदद मिलती है।

(ड.) **अनुपालन:** कंपनी विभिन्न कानूनों के तहत लागू होने वाले तमाम प्रावधानों और वैधानिक आवश्यकताओं पर अनुपालन सुनिश्चित करती है. निदेशक मंडल समय-समय पर उसके समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वैधानिक अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करता है.

निम्नलिखित सूचना निदेशक मंडल को नियमित रु प से उपलब्ध करायी जाती है:

- वार्षिक बजट और उससे संबंधित अद्यतन जानकारी
- लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/फर्मों आदि में निदेशकों और समिति के पदों के लिए रुचि की अभिव्यक्ति.
- बड़े ठेके देना.
- परियोजना पर अमल के लिए एनएचपीसी लिमिटेड को सौंपी गयी/उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सलाहकार सेवाओं के बारे में सूचना।
- कानूनों पर अमल की समीक्षा।
- परियोजना की प्रगति के बारे में सूचना।
- कोई भी अन्य सूचना जो प्रयोज्य कानूनों के अनुसार जानकारी या स्वीकृति के लिए बोर्ड के समक्ष रखी जानी जरुरी हो।

अलोच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कुल सात बैठकें पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गयीं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 285 के अनुसार कंपनी ने हर तीन महीनों में निदेशक मंडल की कम से कम एक बैठक आयोजित की। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कारोबार चलाने के लिए पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोषित किये गये। निदेशक मंडल को विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में विस्तृत सूचना/प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक मंडल की बैठक सं.	निदेशक मंडल की बैठक तारीख	निदेशक मंडल की सदस्य संख्या	उपस्थित निदेशक
1.	16	11 अप्रैल 2013	5	5
2.	17	18 मई 2013	5	3
3.	18	26 जुलाई 2013	5	5
4.	19	21 अक्तूबर 2013	5	5
5.	20	05 नवंबर 2013	5	5
6.	21	22 नवंबर 2013	5	3
7.	22	21 फरवरी 2013	5	4

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

निदेशकों के नाम और श्रेणी	2013-14 के दौरान बैठकों में उपस्थित	
	निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली वार्षिक आमसभा
श्री जी. साइ प्रसाद, गैर-कार्यपालक *	6	नहीं
श्री विजय कुमार, (गैर-कार्यपालक) *	6	हां
श्री राजेश अग्रवाल, (गैर-कार्यपालक)	7	हां
श्री कंवर सिंह, (गैर-कार्यपालक) *	7	हां
श्री राजीव कुमार गुप्ता, (गैर-कार्यपालक) *	4	नहीं

(*) एनई का अर्थ गैर-कार्यपालक निदेशक है ।

(v) आचार संहिता:

हालांकि निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबारी आचार और नैतिक संहिता अभी तैयार नहीं हुई है, निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कारोबारी आचार और नैतिक संहिता का पालन करने को वचनबद्ध है।

(vi) जोखिम प्रबंधन:

निदेशक मंडल ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कारपोरेट तथा संचालनात्मक उद्देश्यों के साथ समन्वय और तालमेल सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यावसायिक तौर-तरीके के एक हिस्से के रुप में किया जाता है न कि किसी निर्दिष्ट समय पर अलग गतिविधि के रुप में।

3. लेखापरीक्षा समिति:

कंपनी के निदेशक मंडल ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च 2014 को और इस समय लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i) श्री विजय कुमार — अध्यक्ष
(ii) श्री राजेश अग्रवाल — सदस्य
(iii) श्री कंवर सिंह — सदस्य

कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं है, इसलिए समिति के अध्यक्ष समेत कोई भी सदस्य स्वतंत्र सदस्य नहीं है।

बैठकें और उपस्थिति

आलोच्य वर्ष के दौरान तीन बैठकें आयोजित की गयीं। लेखा समीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच अंतर चार महीने से अधिक नहीं था। आलोच्य वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	तारीख	समिति की सदस्य संख्या	उपस्थित सदस्य
1.	11 अप्रैल, 2013	3	3
2.	18 मई, 2013	3	3
3.	10 सितंबर, 2013	3	3
4.	05 नवंबर, 2013	3	3
5.	21 फरवरी, 2014	3	3

कंपनी सचिव ने लेखा परीक्षा समिति के सचिव के तौर पर भी कार्य किया।

आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के दौरान सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	2012-13 के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री विजय कुमार	5	5
2.	श्री राजेश अग्रवाल	5	5
3.	श्री कंवर सिंह	5	5

5 मई, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 23वीं बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत समिति की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है। संशोधित शर्तें इस प्रकार हैं :-

1. वित्तीय विवरण की शुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण।
2. लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण के बारे में निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
3. वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी।
4. वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति के लिए निदेशक मंडल को भेजने से पहले निम्नलिखित बातों का खास तौर पर ध्यान रखते हुए प्रबंधन के साथ इसकी समीक्षा:
   क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अनुच्छेद (2एए) की शर्तों के अनुसार निदेशकों के दायित्व के विवरण में शामिल किये जाने वाले मामलों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित करना।
   ख) अगर लेखांकन की नीतियों और तौर-तरीकों में बदलाव हुए हैं तो उनका विवरण और बदलाव का कारण।
   ग) प्रबंधन के विवेक पर आधारित अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
   घ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं की अनुपालना।
   ड.) किसी भी संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण; और
   च) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में योग्यताएं।
5. निदेशक मंडल को स्वीकृति के लिए भेजने से पहले प्रबंधन के साथ त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा।
6. आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
7. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के ढांचे, कर्मचारियों की संख्या और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, प्रतिवेदन ढांचा, कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की बारम्बारता समेत, अगर आवश्यक हो तो, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
8. आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर विचार-विमर्श और उसपर अनुपालन की कार्रवाई।
9. आंतरिक लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा गबन के संदिग्ध मामलों या महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के विफल होने के मामलों की आंतरिक जांच संबंधी निष्कर्षों की समीक्षा करना और निदेशक मंडल को रिपोर्ट देना।
10. वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के प्रकार और विस्तार के बारे में लेखा परीक्षा शुरु होने से पहले तथा उसके पश्चात विचार-विमर्श करके चिंताजनक पहलुओं का पता लगाना।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयर धारकों तथा ऋणदाताओं को (घोषित लाभांश का भुगतान न होने की स्थिति में) भुगतान में बड़ी चूक के कारणों का पता लगाना।
12. सचेतक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा।
13. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गयी लेखा परीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन की समीक्षा।
14. संसद की लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों के अनुपालन की समीक्षा।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच संवाद के लिए खुला मंच उपलब्ध कराना।
16. कंपनी में तमाम संबद्ध पक्ष से लेन-देनों की समीक्षा करना। इसके लिए लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को नामजद कर सकती है जो जो संबद्ध पक्ष से लेन-देनों की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

व्याख्या: ''संबद्ध पक्ष से लेन-देन'' वाक्यांश का वही अर्थ होगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानदंड 18 में बताया गया है।

17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ लेखा परीक्षा प्रयासों में तालमेल की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना कि लेखा परीक्षा का दायरा पूरा है, अनावश्यक प्रयासों में कमी आयी है और लेखा परीक्षा संसाधनों का कारगर इस्तेमाल हुआ है।
18. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:
   - कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा समेत आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता।
   - स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष तथा सिफारिशें और उनपर प्रबंधन के जवाब।
19. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षकों और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा:
   - वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष और लेखा परीक्षा संबंधी पिछली सिफारिशों की स्थिति।
   - लेखा परीक्षा के दायरे में आने वाली गतिविधियों या वांछित सूचना हासिल करने में किसी भी तरह की पाबंदियों समेत लेखा कार्य के दौरान आई कोई भी परेशानी।
20. लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषयों में उल्लिखित कोई भी अन्य कार्य करना।
21. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के बारे में सिफारिश।
22. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया के प्रभावी होने की समीक्षा और निगरानी।
23. वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच।
24. संबद्ध पार्टियों के साथ कंपनी के लेन-देन की स्वीकृति या उसमें बाद में बदलाव।
25. इंटर-कारपोरेट यानी कंपनियों के बीच आपसी ऋणों और निवेशों की पड़ताल।
26. जहां कहीं आवश्यक हो, कंपनी के दायित्वों या आस्तियों का मूल्यांकन।
27. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
28. सार्वजनिक निर्गमों से प्राप्त धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी और संबंधित मामले।

4. अनुषंगी कंपनियां:

कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी नहीं है।

5. पारिश्रमिक समिति:

कंपनी ने काई पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की है।

6. आमसभा की बैठकें:

आमसभा की पिछली तीन वार्षिक बैठकों की तारीख, समय और स्थान इस प्रकार हैं:

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2010-11	04.08.2011	दोपहर बाद 4.30 बजे	नई दिल्ली
2011-12	17.08.2012	दोपहर बाद 3.00 बजे	नई दिल्ली
2012-13	10.09.2013	दोपहर 12.00 बजे	नई दिल्ली

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आमसभाओं में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। कंपनी ने केन्द्र सरकार की स्वीकृति से अपनी वार्षिक आमसभा की बैठक नई दिल्ली में (यानी अपने पंजीकृत कार्यालय से इतर किसी स्थान पर) आयोजित की। इसमें लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष मौजूद थे।

6.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष प्रस्ताव :

क्रम सं.	बैठक का विवरण	विशेष प्रस्ताव पारित
1.	असाधारण आमसभा 17 मई 2010 को आयोजित	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बदलाव

आलोच्य वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के जरिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

प्रकटीकरण:

(i) **संबंधित पक्ष से लेन-देन:** प्रायोजकों या निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ ऐसे कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुए जिनसे कंपनी के व्यापक हितों पर कोई संभावित विपरीत असर पड़ता।

(ii) कंपनी के गठन के बाद से किसी भी वैधानिक प्राधिकारी ने सरकार की ओर से जारी जारी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी पर न तो कोई जुर्माना लगाया है और न कोई निंदा की है।

(iii) **सचेतक नीति:** कंपनी ने कोई सचेतक नीति नहीं अपनायी है। लेकिन किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति से संपर्क करने से कभी रोका नहीं गया।

(iv) कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया इसलिए कंपनी लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी स्वतंत्र निदेशक से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकी।

(v) कंपनी के गठन के बाद से उसे कोई अध्यक्षीय दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

(vi) लेखा बहियों में खर्च की कोई ऐसी मद उधार खाते में नहीं डाली गयी है जो कारोबार के लिए न हो।

(vii) ऐसा कोई खर्च नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत किस्म का हो और निदेशक मंडल और प्रबंधन पर व्यय किया गया हो।

(viii) कुल खर्च के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक और कार्यालय खर्चों का विवरण तथा उसकी तुलना में वित्तीय व्यय और उसमें बढ़ोतरी के कारण नीचे दिये हैं:

क्रम सं	विवरण	कुल खर्च का प्रतिशत	बढ़ोतरी का कारण
1	प्रशासनिक खर्च	3प्रतिशत	कोई बढ़ोत्तरी नहीं
2.	कार्यालय खर्च	1प्रतिशत	

(ix) **लेखांकन का तरीका:**

कंपनी ने कंपनी लेखांकन मानदंड नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानदंडों का पालन किया है। लेकिन इसमें अगर कोई व्यतिक्रम हुआ है तो उसका उल्लेख लेखे के साथ संलग्न टिप्पणियों में कर दिया गया है।

(x) **निदेशकों का पारिश्रमिक:**

निदेशकों को कोई पारिश्रमिक या सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया गया।

7. संचार के साधन:

कंपनी के वार्षिक वित्तीय परिणाम सदस्यों को लिखित रुप में उपलब्ध कराये जाते हैं। कंपनी से त्रैमासिक परिणामों को प्रकाशित करने की अपेक्षा नहीं की जाती।

8. शेयर धारकों के लिए सूचना: वार्षिक आमसभा की बैठक:

निदेशक मंडल ने 28 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 24वीं बैठक में कंपनी के अध्यक्ष को 5वीं वार्षिक आमसभा की तारीख, समय और स्थान का निर्णय करने को प्राधिकृत किया है।

9. लेखा परीक्षा टिप्पणी

वैधानिक लेखापरीक्षक की ओर से कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। लेकिन 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की लेखाबहियों के बारे में नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां निदेशक की रिपोर्ट के साथ अन्यत्र कहीं संलग्न की गयी हैं।

10. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण:

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत उत्पादन का कारोबार करती है। कंपनी के निदेशक मंडल में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा पदनामित, मणिपुर सरकार के कमिश्नर (विद्युत) और विद्युत मंत्रालय द्वारा पदनामित प्रतिनिधि शामिल हैं। इन लोगों को कारोबार के तौर-तरीकों और कंपनी के जोखिम वाले पहलुओं की भली भांति जानकारी है।

11. अनुपालन प्रमाणपत्र:

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के लिए कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देश (2010) के तहत कारपोरेट अभिशासन की शर्तों पर अमल की पुष्टि या अन्यथा से संबंधित, पेशेवर कंपनी सचिव मैसर्स गरिमा दुग्गल एंड एसोसिएट्स का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के हिस्से के रुप में संलग्न है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष
डीआईएन: 00171920

दिनांक: 14 अगस्त 2014
स्थान: नई दिल्ली

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

अनुलग्नक-III

I उद्योग ढांचा और विकास

विद्युत अर्थव्यवस्था, खास तौर पर भारत जैसे विकासशील देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जहां उच्च और उन्नत जीवनस्तर वाजिब दामों में विद्युत की पर्याप्त और विश्वसनीय निर्भरता पर निर्भर करता है। अन्य चीजों की तरह मांग और आपूर्ति के फार्मूले विद्युत पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसे जमा नहीं किया जा सकता। भारत में आजादी के बाद से विद्युत क्षेत्र का जबरदस्त विकास हुआ है। 31 मार्च, 2014 को देश में विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता 2,43,029 मेगावॉट थी जिसमें ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत और नवीकरणी ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने वाली विद्युत का हिस्सा क्रमशः 1,68,255 मेगावाट, 40,531 मेगावाट, 4,780 मेगावाट और 29,463 मेगावाट था।

मणिपुर में विद्युत क्षेत्र का मौजूदा परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है। आम विद्युत उपभोक्ताओं को एक दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा विद्युत नहीं मिल पाती है। कमी वाले मौसम में आम तौर पर स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि उन दिनों पूर्वोत्तर क्षेत्र के तमाम विद्युत घरों में विद्युत उत्पादन न्यूनतम स्तर पर आ जाता है। मणिपुर को उसकी जरुरत की विद्युत इन्हीं विद्युतघरों से प्राप्त होती है। सबसे अधिक मांग वाले समय में राज्य की अधिकतम मांग 180 मेगावाट है जबकि राज्य में विद्युत की उपलब्धता अधिकतम मांग के दौरान 120 मेगावाट और न्यूनतम मांग के दौरान 45-30 मेगावाट रहती है। आने वाले समय में मांग और आपूर्ति का यह अंतर और बढ़ने की संभावना है। स्थिति से निपटने के लिए राज्य के विद्युत विभाग ने लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रइलेक्ट्रिक परियोजना (66 मेगावाट) पर अमल करने की योजना बनायी है. ये परियोजना संयुक्त उपक्रम के रुप में स्थापित की जाएगी. परियोजना से प्राप्त होने वाली सारी विद्युत का उपयोग मणिपुर ही करेगा जिससे राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार होगा।

II सक्षमताएँ

हमारा मानना है कि कंपनी की बुनियादी प्रतिस्पर्धी शक्ति निम्न बातों में है:

भारत सरकार द्वारा नयी परियोजनाओं में निवेश का निर्णय लेते समय कंपनी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों से इस बात का वादा करावाती है कि वे नयी परियोजना से प्राप्त होने वाली विद्युत की खरीद करेंगे। इसी तरह का वादा कंपनी के साथ भी रहता है। मणिपुर सरकार और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच 14 सितंबर, 2009 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 2(डी) के अनुसार मणिपुर सरकार परियोजना से प्राप्त होने वाली सारी विद्युत खरीद लेगी।

सक्षम और प्रतिबद्ध श्रमशक्ति

कंपनी के गठन के नियमों के अनुसार लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रइलेक्ट्रिक परियोजना पर अमल के लिए आवश्यक श्रमशक्ति मूल संगठनों यानी एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार द्वारा तैनात की जानी है। फिलहाल सारी श्रमशक्ति एनएचपीसी लिमिटेड से है। एनएचपीसी द्वारा प्रतिनियुक्त श्रमशक्ति को इस उद्योग में काम करने का विस्तृत अनुभव है। इन वरिष्ठ कार्यपालकों का कौशल, उद्योग की जानकारी और संचालनात्मक अनुभव कंपनी को प्रतिस्पर्धी बढ़त दिलाने को काफी है।

मूल संगठनों की सक्षम इंजीनियरी और डिजाइन टीम

कंपनी को अपनी मूल कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड का पूरा सहयोग प्राप्त है जिसकी अपनी आंतरिक परियोजना डिजाइन टीम है। यह टीम परियोजना की संकल्पना से लेकर उसे चालू करने तक की तमाम इंजीनियरी क्षमताओं से युक्त है। टीम को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परियोजना सलाहकारों का सहयोग भी प्राप्त है। एनएचपीसी लि. के इंजीनियरों को सुरंगों का डिजाइन तैयार करने का विशेष अनुभव हासिल है और वे परिवर्तनशील तथा अप्रत्याशित भूगर्भवैज्ञानिक स्थितियों में डिजाइन तैयार कर सकते हैं। कंपनी के इंजीनियरों को विभिन्न प्रकार के विशेष विश्लेषण करने, डिजाइन तैयार करने और कम्प्यूटर से डिजाइन तैयार करनेवाले (सीएडी) साफ्टवेयर के इस्तेमाल का अनुभव है। वे अपने अभिनव और पूरी तरह से समन्वित तौर-तरीकों और अपने समूचे कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हुए डिजाइन संबंधी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

III अवसर

पूर्वोत्तर भारत को प्रकृति विशाल जलविद्युत क्षमता का वरदान प्राप्त है जिसका अब तक उपयोग नहीं हुआ है। जलविद्युत क्षमता का विकास देश के इस अल्पविकसित भाग की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्कृष्ट विकल्प है। लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रइलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण से देश के इस भाग में तमाम क्षेत्रों में जबरदस्त विकास संभव हो सकेगा।

IV धमकियां, कमजोरियां, जोखिम और चिंताएं

प्रबंधन यह महसूस करता है कि जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के निम्नलिखित धमकियां, कमजोरियां, जोखिम और चिंताएं हैं।

भूमि अधिग्रहण

परियोजना पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र में स्थित है जिसमें बुनियादी ढांचे संबंधी कार्यों के साथ-साथ मूल परियोजना स्थल और पानी में डूबने वाले बड़े विस्तृत भूभाग समेत काफी जमीन की की आवश्यकता होती है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बड़ी झंझट वाली है जिसे सरल बनाया जाना चाहिए।

अप्रत्याशित भूगर्भ वैज्ञानिक जरूरत

इस क्षेत्र में जमीन के अंदर किये जाने वाले कार्यों में अप्रत्याशित भूगर्भवैज्ञानिक स्थितियां उत्पन्न होना असामान्य बात नहीं है जिनसे परियोजना को पूरा करने में अधिक समय और लागत लग सकती है।

प्राकृतिक आपदाएं

जलविद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं जहां चट्टानें खिसकने, भूस्खलन, सड़कें बंद होने, बाढ़ और बादल फटने से निर्माण कार्यक्रम में भारी बाधा उत्पन्न हो सकती है।

अप्रत्याशित जटिलताएं

परियोजना के विकास में अप्रत्याशित जटिलताएं और विलंब हो सकते हैं जिससे परियोजना के विकास की वास्तविक लागत अनुमान से काफी भिन्न हो सकती है।

जलवायु में परिवर्तन के साथ-साथ पानी के बहाव में बदलाव आ सकता है परियोजना की उत्पादन क्षमता में भारी उतार-चढ़ाव आ सकता है जिससे आमदनी और मुनाफे भी व्यापक घटबढ़ हो सकती है।

V खंड वार या उत्पाद वार कार्यनिष्पादन

कंपनी 66 मेगावाट की प्रस्तावित संस्थापित क्षमता वाली लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना पर क्रियान्वयन कर रही है। कंपनी मणिपुर सरकार के साथ 7.5 मेगावाट क्षमता की थउबल बहु-उद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना के ईएंडएम घटक पर क्रियान्वयन का समझौता भी करने जा रही है।

VI परिदृश्य

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के क्षेत्र में निवेशकों/निष्पादकों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। यों तो विद्युत क्षेत्र में समग्र रुप से सुधार के लिए विभिन्न पहल हुई हैं लेकिन ये जलविद्युत क्षेत्र में खास तौर पर हुई हैं। इनके उदाहरण हैं: संभावित जलविद्युत परियोजना स्थलों को श्रेणीबद्ध करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 2001 में कराया गया अध्ययन, विद्युत अधिनियम 2003 का विनियमन, मई 2003 में 50,000 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत क्षमता के सृजन की पहल और जलविद्युत नीति 2008 पर अमल।

बदले हुए परिदृश्य में देश में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए नये अवसर उपलब्ध होंगे।

VII आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी में शक्तियों का स्पष्ट प्रत्यायोजन किया गया है। किसी खास पदक्रम के विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार/दायित्व के रुप में कंपनी का संगठनात्मक ढांचा भली भांति सुपरिभाषित है। श्री चोंगथाम संजोय सिंह को कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है.

VIII संचालनात्मक कार्यनिष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चचा

क) वित्तीय कार्यनिषादन

कंपनी लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के सर्वेक्षण और अन्वेषण में लगी है जिसके लिए कंपनी के पास पर्याप्त पैसा उपलब्ध है। इस पैसे को सावधि जमा खातों में विभिन्न अनुसूचित बैंकों में जमा कराया गया है जिससे कंपनी को ब्याज के रुप में आमदनी हो रही है।

ख) परियोजना का संचालनात्मक कार्यनिष्पादन

लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना के सिलिसिले में पर्यावरण संबंधी मंजूरी, वन मंजूरी (प्रथम चरण) और रक्षा मंजूरी प्राप्त कर ली गयी है।

IX मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध और रोजगार देने के क्षेत्र में प्रगति

आपकी कंपनी का मानना है कि सुप्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की टीम कंपनी की निरंतर उन्नति और सफलता के लिए बहुत जरुरी है। कंपनी के तमाम कर्मचारी एनएचपीसी लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं।

औद्योगिक संबंध और कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे। हड़ताल/तालाबंदी की वजह से एक भी कार्यदिवस का नुकसान नहीं हुआ। कर्मचारियों के कल्याण की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया। कर्मचारियों को अपनी कार्यस्थितियों, कल्याण आदि से संबंधित क्षेत्रों में भागीदार बनने को प्रेरित किया गया।

- स्कूली बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों और खेल-कूद गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यपालक अधिकारियों और गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के क्लब पूरी तरह से सुसज्जित किये गये।
- आधारभूत ढांचे के विकास या आउटसोर्सिंग के जरिए केबल टीवी जैसी मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं।
- लोकतक जलविद्युत केन्द्र पर केन्द्रीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा सुविधा की व्यवस्था।
- लोकतक विद्युत केन्द्र पर अपने प्रशिक्षित डाक्टरों और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों से युक्त अस्पताल/दवाखाना सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अस्पताल के अलावा भी कर्मचारी और उनके परिजन देश भर में पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज कराने के हकदार हैं।

अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षण

कंपनी अनुसूचित जातियों/जनजातियों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए यथाशक्ति योगदान कर रही है। एनएचपीसी लिमि. और मणिपुर सरकार के बीच प्रमोटर्स -समझौते की शर्तों के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की व्यवस्था प्रमोटर्स को करनी है। इसलिए कंपनी कोई भर्ती नहीं कर रही है। लेकिन दोनों प्रायोजक भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण और छूट संबंधी दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।

अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाली सूची इस प्रकार है:

वर्ग	31.03.14 को कुल कर्मचारी संख्या	प्रतिनिधित्व					
		अजा	अजा प्रतिशत	अजजा	अजजा प्रतिशत	अपिव	अपिव प्रतिशत
कुल	38	4	10.53%	5	13.16 %	3	7.9%

विकलांग जनों का कल्याण

कंपनी में 31.03.14 को शारीरिक रुप से विकलांग कोई भी कर्मचारी नहीं था।

X पर्यावरण का बचाव और संरक्षण, टेक्नोलाजी संबंधी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी मानवता की बहुमूल्य धरोहर प्रकृति के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए अपने परियोजना स्थलों पर अपनी गतिविधियों तथा पर्यावरण के संरक्षण में तालमेल बनाए रखती है। निर्माण गतिविधियों के किसी भी संभावित दुष्परिणाम को कम से कम किया जाएगा और इसके लिए प्रतिपूरक वनारोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, हरित पट्टी विकास, मात्स्यिकी प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, मलबा फेंकने की जगहों और खदान स्थलों का उद्धार और पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण आदि का सहारा लिया जा रहा है।

XI कारपोरेट सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने को वचनबद्ध है और पर्यावरण की दृष्टि से तथा नैतिक रुप से जागरुक तौर-तरीकों के जरिए इनकी अभिव्यक्ति भी कर रही है। कंपनी अपने कारपोरेट अभिशासन के तहत कर्मचारी कल्याण और पर्यावरण संबंधी वचनबद्धताओं को पूरा करने के बेहतरीन तौर-तरीकों को शामिल कर रही है।

आपकी कंपनी के पुनर्वास और पुनरुथापना कार्यक्रम का उद्देश्य परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले या प्रतिकूल रुप से प्रभावित होने वालों के आर्थिक स्तर को सुधारना है। आपकी कंपनी पुनर्वास और पुन:स्थापना नीति पर अमल के जरिए परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।

सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में व्यक्त आशाजनक वक्तव्यों और दृष्टिकोण युक्तिसंगत परिकल्पनाओं पर आधारित हैं और कुछ ऐसे जोखिमों तथा अनिश्चितताओं पर निर्भर हैं जिनसे इस तरह के वक्तव्यों में प्रदर्शित परिणाम वास्तविक परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को इस रिपोर्ट और कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी गयी अन्य सूचनाओं की सावधानी से समीक्षा करनी चाहिए। कंपनी नयी जानकारी, भावी घटनाक्रम या किसी अन्य कारणों से इन आशाजनक वक्तव्यों को सार्वजनिक रुप से अद्यतन या संशोधित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती।

निदेशकों की रिपोर्ट में दिये गये वित्तीय आंकड़े कंपनी के अंकेक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष
डीआईएन: 00171920

दिनांक: 14 अगस्त 2014
स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

अनुलग्नक-IV

सेवा में,
सदस्यगण
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

वित्तीय विवरण के बारे में रिपोर्ट

हमने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति दर्शाने वाला तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए नक़दी प्रवाह विवरण के साथ-साथ प्रमुख लेखांकन नीतियों के सार तथा अन्य व्याख्यात्मक विवरणों को लेखा-परीक्षा के लिए रखा गया था।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। प्रबंधन पर इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी है ताकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में उल्लिखित लेखांकन मानदंडों समेत भारत में आम तौर पर प्रचलित लेखांकन मानदंडों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह की असली और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरण की रुपरेखा तैयार करने, उन पर अमल तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और पेश करने से संबंधित युक्तिसंगत आंतरिक नियंत्रणों को बनाए रखने का दायित्व भी शामिल है ताकि एक सही और स्पष्ट चित्र उभर कर सामने आये और इन वित्तीय विवरणों में हेराफेरी या गलती से किसी बड़ी गलत बयानी की गुंजाइश नहीं रहे।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपने लेखा-परीक्षण के जरिए इन विवरणों के बारे में अपना दृष्टिकाण प्रस्तुत करने की है। हम यह लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन के मानदंडों के अनुसार करते हैं। इन मानदंडों में यह उम्मीद की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करें और लेखा परीक्षण की योजना बनाकर उसपर इस तरह से अमल करें कि वित्तीय विवरणों में किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं होने का युक्तिसंगत आवश्वासन मिल सके।

लेखा परीक्षण में ऐसी प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं जिनसे वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों और प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षण प्रमाण प्राप्त हो सके। इसके लिए चुनी गयी प्रक्रियाएं हेराफेरी से या गलती से वित्तीय विवरण में किसी बड़ी गलत बयानी की आशंका के आकलन समेत लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर हैं। इन जोखिमों का आकलन करते वक्त लेखा परीक्षक कंपनी की तैयारियों से मेल खाने वाले आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है। साथ ही वह इस पर भी गौर करता है कि आंतरिक नियंत्रण, कंपनी की तैयारियों के अनुरुप हों। साथ ही परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार करने के लिए कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रासंगिक होने चाहिए और उन्हें सिर्फ कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों को प्रभावी सिद्ध करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा में लेखांकन में अपनायी गयी नीतियों और प्रबंधन के लेखांकन संबंधी अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का भी आकलन किया जाता है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा-परीक्षा प्रमाण जुटाए हैं वे हमारे लेखांकन संबंधी दृष्टिकोण को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त हैं।

अभिमत

हमारा अभिमत और हमारी समस्त जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत अपेक्षित सूचनाएं वांछित तरीके से देते हैं जिससे कंपनी के बारे में एक असली और स्पष्ट दृष्टिकोण भारत में आम तौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप निम्नलिखित के बारे में उभर कर सामने आता है:

(क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2013 को कंपनी की स्थिति का;

(ख) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का; और

(ग) नक़दी प्रवाह के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नक़दी प्रवाह का।

अन्य कानूनी तथा विनियामक अपेक्षाएं

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4 ए) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) की अपेक्षानुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ (4) तथा (5) में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण में एक अनुलग्नक संलग्न किया है।

2. उपरोक्त अधिनियम की धारा 227 (3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

   (ख) हमारा मत है कि, कंपनी ने कानून की जरुरत के मुताबिक वांछित लेखा बहियां रखी हैं जो हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता और नक़दी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारा मत है कि, इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता और नक़दी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211(3सी) में वर्णित लेखांकन मानकों के अनुरुप है।

   (ङ) निदेशकों से 31 मार्च, 2014 को प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर निदेशक मंडल ने अपने रिकार्ड में इस बात का उल्लेख किया है कि अधिनियम की धारा 274 (1)(जी) की शर्तों के अनुसार कंपनी का कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2014 को निदेशक पद पर नियुक्त किये जाने के अयोग्य नहीं था।

कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ आर पंजीकरण संख्या 309115ई)

(लिंडा क्षेत्रीमयम)
भागीदार
सदस्यता सं.-511337

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 5 मई, 2014

शाखा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित)

1. (क) कम्पनी ने अचल परिसंपत्तियों के उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्योरे तथा अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए है।

   (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया, क्योंकि सत्यापन का एक तय कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों के स्वरुप के अनुरुप है। इस सत्यापन के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण विसंगति नजर नहीं आयी।

   (ग) चूंकि इस अवधि के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया गया है, इसलिए चालू सरोकार आधार पर वित्तीय विवरण को तैयार किया जाना, इससे प्रभावित नहीं हुआ है।

2. (क) हमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

   (ख) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।

   (ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में लेखा-बहियों के रिकार्ड की तुलना में कोई विसंगति नहीं पायी गई है।

3. (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य प्राइवेट पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए है लिहाजा खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते।

   (ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए हैं जिससे खंड (3) के उप-खंड (ङ), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते है।

4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरुप माल-सूची और अचल परिसंपत्तियों के क्रय के बारे में एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। परियोजना निर्माणाधीन होने के कारण इस अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं की कोई बिक्री नहीं की गई।

5. (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो।

(ख) उपरोक्त उप-खंड (क) को देखते हुए यह उप-खंड लागू नहीं होता।

6. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और अन्य संगत प्रावधानों में कवर होने वाले किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है।

7. कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उसके आकार एवं व्यापार के स्वरुप के अनुरुप है।

8. कंपनी निर्माणावस्था में है इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित लागत रिकार्डों के अनुरक्षण संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

9 (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार लेखा-परीक्षाधीन अवधि में भविष्य निधि अंशदानों की जानकारी नियमित रुप से इसकी धारक कपंनी, एनएचपीसी लिमिटेड के कारपोरेट कार्यालय को भेजी जा रही है ताकि उसे एनएचपीसी कर्मचारी भविष्य निधि में जमा कराया जा सके और हमें दी गयी जानकारी के अनुसार ये अंशदान जमा कराने की वास्तविक तारीख देय होने की तारीखों के भीतर रही है तथा जहां तक पीएफ और ईडीएलआई पर प्रशासनिक प्रभार का प्रश्न है, वे देय होने पर निर्धारित तारीख से पहले उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा कराए गए है और जैसा कि हमें जानकारी दी गई है वर्ष के लिए आय कर को छोड़ कर, निवेशक शिक्षा और सरंक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों के संबंध में कोई राशि बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी विवाद के कारण आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सम्पदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क तथा उपकर की कोई राशि देय नहीं है, जो जमा न करायी गई हो।

10. आदेश का खंड 4(X) कंपनी पर लागू नहीं होता।

11. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से कोई ऋण स्वीकार नहीं किया है। अतः आदेश का खंड 4(गप) कंपनी पर लागू नहीं होता।

12. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर तथा ऋणपत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यों को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।

13. कम्पनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए आदेश का खंड 4(XII) कंपनी पर लागू नहीं होता।

14. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसलिए आदेश का खंड 4(XIV) कंपनी पर लागू नहीं होता।

15 हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने किसी सावधि ऋण का उपयोग नहीं किया।

17. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अल्पावधि आधर पर किसी धन की उगाही नहीं की है।

18. कम्पनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आंबटन नहीं किया है।

19. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कोई ऋणपत्र जारी नही किया है।

20. कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान सार्वजनिक निर्गम से धन उगाही नहीं की है।

21. हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी प्रकाश में नहीं आयी है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ आर पंजीकरण संख्या 309115ई)

(**लिंडा क्षेत्रीमयम**)
भागीदार
सदस्यता सं.-511337

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 5 मई, 2014

अनुलग्नक-V

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड, मणिपुर के 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत अपने व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार इन वित्तीय ब्योरों की स्वतंत्र लेखा परीक्षा करे और उसके आधार पर अपनी राय व्यक्त करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05 मई, 2014 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पूरा किया गया।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की ओर से लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक लिमिटेड, मणिपुर की लेखा बहियों की 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का फैसला किया है, अतः कंपनी अधिनियम की धारा 619 (4) के अंतर्गत कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

(**तनुजा एस. मित्तल**)
प्रधान निदेशक वाणिज्कि लेखा परीक्षा और
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 जून, 2014

31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
	(1) शेयरधारकों की निधि			
	(क) शेयर पूंजी	2	1176923090	1176923090
	(ख) आरक्षित और अधिशेष	3	129955866	101905875
	(2) गैर वर्तमान देयताएं			
	(क) दीर्घावधि ऋण उधार	4	-	-
	(ख) आस्थगित कर देयता	5	-	-
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताए	6	-	-
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7	-	-
	(3) वर्तमान देयताएं			
	(क) अल्पावधि ऋण	8	-	-
	(ख) व्यापार प्राप्य	9	5279233	1606736
	(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	10	42189249	333560622
	(घ) अल्पावधि प्रावधान	7	74820840	60791020
	(4) निगम मुख्यालय से निधि	2A	-	-
कुल			**1429168278**	**1674787343**
II.	**आस्तिया**			
	(1) गैर वर्तमान आस्तियां			
	(क) अचल आस्तियां			
	(i) गोचर आस्तिया	11.1	10104249	9157674
	(ii) अगोचर आस्तियां	11.2	1	1
	(iii) चालू पूंजी कार्य	12.1	800279742	482873089
	(iv) विकासाधीन अगोचर आस्तियां	12.2	-	-
	(ख) गैर वर्तमान निवेश	13	-	-
	(ग) आस्थगित कर आस्तियां	5	-	-
	(घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	14	12676771	8245241
	(ङ) अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	15	-	-
	(2) चालू आस्तिया			
	(क) वर्तमान निवेश	16	-	-
	(ख) माल सूची	17	-	-
	(ग) व्यापार प्राप्य	18	-	-
	(घ) नकदी एवं बैंक शेष	19	496535795	1064626215
	(ङ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	14	71921181	69167087
	(च) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	20	37650539	40718036
कुल			**1429168278**	**1674787343**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		1		
वर्ष के लिए निर्माण् के दौरान व्यय		29		
लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक विवरण		30		
टिप्पणी संख्या 1 से 30 लेखे का अभिन्न अंग हैं				

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या -309115ई)

लिंडा क्षेत्रीमयम
भागीदार
सदस्य संख्या 511337

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(जी. साइ प्रसाद)
अध्यक्ष
डीआईएन 00325308

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(सिलादित्य बसू)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विपन जैन)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05 मई, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(राशि रुपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
i) प्रचालन से राजस्व	21	-	-
ii) अन्य आय	22	43060187	68113307
कुल राजस्व		43060187	68113307
व्यय			
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	23	1538478	126660
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	24	-	-
iii) वित्त लागत	25	-	-
iv) मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	26	-	-
कुल व्यय		1538478	126660
पूर्व अवधि मदें, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर		41521709	67986647
पूर्व अवधि मदें (निवल)	27	-	-
विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ		41521709	67986647
असाधारण मदें [व्यय/(आय)]		-	-
असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ		41521709	67986647
असाधारण मदें		-	-
कर पूर्व लाभ		41521709	67986647
कर व्यय	28		
i) वर्तमान कर		13471718	22058268
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		-	-
iii) विलंबित कर		-	-
कर संबंधी कुल व्यय		13471718	22058268
सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ		28049991	45928379
अनियमित प्रचालनों का कर व्यय		-	-
अनियमित प्रचालनों से कर उपरान्त लाभ		-	-
अनियमित प्रचालनों से कर पहचान लाभ		-	-
वर्ष के लिए लाभ		28049991	45928379
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)			
बुनियादी		0.24	0.39
तनुकृत		0.24	0.41
वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय	29		
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	30		
टिप्पणी 1 से 30 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या -309115ई)

लिंडा क्षेत्रीमयम
भागीदार
सदस्य संख्या 511337

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(जी. साइ प्रसाद)
अध्यक्ष
डीआईएन 00325308

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(सिलादित्य बसू)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विपन जैन)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05 मई, 2014

टिप्पणी संख्या - 01 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 जो भूमि कार्पोरेशन की नहीं है, उसपर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.3 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रुप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रुप में माना गया है।

2.4 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.5 अधिशेष घोषित स्थिर आस्तियों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रुप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रुप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जों को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा मान लिया जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू किए जाने वाली परियोजनाएं और अन्य निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य को लागत मूल्य पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों पर होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान्य जन-सुविधाओं के अनुरक्षण और उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रुप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रुप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

4.4 उत्पादन सुविधाओं में हुए ऐसे पूंजीगत खर्च को जिसपर कंपनी का नियंत्रण नहीं है मगर जिनका सृजन परियोजना के निर्माण के लिए प्रमुख रुप से अनिवार्य है, 'निर्माण के दौरान खर्च' में भारित किया जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 अचल परिसम्पत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों और पद्धति का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यह्रास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी-11.25 प्रतिशत

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण-30 प्रतिशत।

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में मूल्यह्रास उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रुप से (शत-प्रतिशत) किया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रुप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता है।

5.6.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.6.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.9 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रुप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01.04.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रुप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रुप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रुप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रुप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. उधार लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रुप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रुप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. आस्तियों में खराबी

कंपनी अपने तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को यह देखती है कि आंतरिक/बाह्य संकेतकों के आधार पर नकदी जुटाने वाली किसी इकाई में किसी गड़बड़ी की आशंका तो नहीं है। अगर इस तरह का कोई संकेत मिलता है तो कंपनी नकदी उत्पादक इकाई से वसूल की जा सकने वाली राशि का आकलन करती है। अगर नकदी उत्पादक इकाई की ले जायी जा सकने वाली राशि वसूल की जा सकने वाली राशि से अधिक है तो लाभ-हानि लेखे में इम्पेयरमेंट लॉस यानी गड़बड़ी वाला नुकसान प्रदर्शित किया जाता है। अगर वसूली जा सकने वाली राशि में बदलाव होता है और यह नुकसान कम या खत्म हो जाता है तो गड़बड़ी वाले नुकसानी की स्थिति में बदलाव दिखाया जाता है।

टिप्पणी संख्या 2 - शेयर पूंजी

(राशि रुपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014		31 मार्च 2013	
		संख्या में	(राशि रुपये में)	संख्या में	(राशि रुपये में)
(क)	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रूपये)	230000000	2300000000	230000000	2300000000
(ख)	(जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रूपए)	117692309	1176923090	117692309	1176923090
(ग)	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयर पूंजी न तो जारी की/और न उसमें कमी की. अत: इक्विटी शेयरों का समाधान अपेक्षित नहीं है.				
(घ)	कम्पनी ने शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुपात में केवल एक तरह के इक्विटी शेयर मताधिकार (वोटिंग राइट्स) के साथ जारी किए. मताधिकार का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है.				
(ड.)	कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या				
	एनएचपीसी लिमिटेड (धारक कम्पनी)	87092309	74.00%	87092309	74.00%
	मणिपुर सरकार	30600000	26.00%	30600000	26.00%
	कुल	**117692309**		**117692309**	
	शेयरधारक के अधिकार / प्रतिबंध				
(च)	एनडीएचसीएल लिमिटेड और मणिपुर सरकार द्वारा 26.9.2008 को हस्ताक्षरित प्रोमोटर करार के अनुसार शेयरों के हस्तांतरण पर विभिन्न प्रकार की शर्तें लगाई गई हैं. कोई भी शेयर हस्तांतरण तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह पूर्ण रुप से उक्त प्रोमोटर समझौते के अनुरुप न हो.				

टिप्पणी संख्या 3 - आरक्षी और अधिशेष

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
पूंजी आरक्षी	-	-
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा	-	-
सामान्य आरक्षी		
बांड विमोचन आरक्षी		
स्व-बीमा निधि		
तुलन पत्रक की तारीख को	-	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)/स्थाई विकास (एसडी) आरक्षी		
अनुसंधान एवं विकास आरक्षी		
अधिशेष*	129955866	101905875
कुल	**129955866**	**101905875**
* अतिरिक्त		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	28049991	45928379
अग्रेणीत शेष	101905875	55977496
आगे ले जाया गया शेष	**129955866**	**101905875**

टिप्पणी संख्या 4 - दीर्घावधि ऋण

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 का		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वताएं	दीर्घावधि ऋण
बॉंड						
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
सावधि ऋण						

टिप्पणी संख्या 5 - आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तिया

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 का
आस्थगित कर देयता		
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-
आस्थगित कर देयता (निवल)	-	-

टिप्पणी संख्या 6 - अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
क) व्यापार प्राप्य	-	-
ख) अन्य	-	-

टिप्पणी संख्या 7 - प्रावधान

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान						
i) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान						
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
ii) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान						
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
iii) आरईएचएस के लिए प्रावधान						
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
iv) टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए प्रावधान						
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
v) स्मृति-चिन्ह (सेवानिवृत्ति पर) के लिए						
अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
vi) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	1573449		-	923402	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन		426319		-	650047	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		255136		-	-	
अंतिम शेष	-	1744632		-	1573449	
घटाएं: अदा किया गया अग्रिम धन	-	1744632		-	1573449	
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-	-	-	-	-
vii) कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	2952527		-	3847910	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन		3714837		-	2952527	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		1870684		-	3339250	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		1081843		-	508660	
अंतिम शेष	-	3714837		-	2952527	
घटाएं: अदा किया गया अग्रिम धन		-			-	
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		3714837	3714837		2952527	2952527
viii) सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	1799179		-	2513507	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन		1594971		-	1799179	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		1799179		-	1842673	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-	670834	
अंतिम शेष	-	1594971	1594971	-	1799179	1799179

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2014 को			31 मार्च, 2013 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
ख)	**कराधान के लिए प्रावधान**						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	56039314		-	33981046	
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन		13471718		-	22058268	
	वर्ष के दौरान समायोजित राशि				-	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				-	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि				-	-	
	अंतिम शेष	-	69511032	69511032	-	56039314	56039314
ग	**प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान**						
	अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
घ	**प्रस्तावित लाभांश पर कर**						
	अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
ङ	**टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान**						
	अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
च	**कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायी विकास एवं अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रावधान**						
	अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
छ	**प्रावधान-अन्य**						
	अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
vii)	**प्रावधान-अन्य**						
	अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	74820840	74820840	-	60791020	60791020

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1) रुपये 171188/- (संचयी प्रावधान रुपये 1744632/-) का प्रावधान ''वेतन संशोधन के लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत ''कार्मिक समायोजन वेतन (निर्धारण लाभ)'' के लिए किया गया, जिसका निपटारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा में लंबित है. रु 171183/- की राशि इस मद में अदा की गई जिसे ''अग्रिम भुगतान'' के रुप में दर्शाया गया है।

2) समूह प्रावधान - अन्य, के अंतर्गत किए गए प्रावधान में से शून्य राशि (पिछले वर्ष शून्य) विरोध स्वरुप जमा की गई है और इसे टिप्पणी संख्या 14 में ''जमा राशियों'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी संख्या 8 - अल्पावधि ऋण

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 का
अल्पावधि ऋण	-	-
- बैंकों से (प्रतिभूत)	-	-

टिप्पणी संख्या 9 - व्यापार देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 का
वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए	5279233	1606736
कुल	5279233	1606736

टिप्पणी संख्या 10 - अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 का
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी संख्या 4 देखें)		-		-
जमा राशि		-		-
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज		-		-
ऋणों पर प्रोदभूत और देय ब्याज		-		-
अग्रिम प्राप्त आय		-		-
अदा न किया गया लाभांश		-		-
पूजीं कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता		-		-
जमा/प्रतिधारण निधि		103385		192566
अनुशंगियों को देय		-		-
जमा/एजेन्सी आधारित कार्यों की खर्च न की गई राशि		-		-
बांड आवेदन निधि		-		-
सांविधिक देयताएं		5053893		1403608
स्व बीमा निधि संबंधी देयताए		-		-
अन्य देयताएं		37031971		8324673
डिपोजित कार्यों के प्रति अग्रिम	-		323639775	
घटाएं: डिपोजिट कार्यों पर व्यय की गई राशि	-	-	-	323639775
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	-		-	
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	-		-	
घटाएं: परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	-	-	-	-
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान		-		-
सहायता अनुदान - उपयोग लंबित		42189249		333560622

टिप्पणी संख्या 11.1 - गोचर परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्र. स.	विवरण	सकल ब्लॉक							मूल्य-ह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04.2013 को	संवर्द्धन		कमी		अन्य समायोजन	31.03.2014 को	01.04.2013 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2014 को	31.03.2014 को	01.04.2013 को
			आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	0						0	0			0	0	0
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	0						0	0	0	0	0	0	0
iii)	सड़कें और पुल	4763741						4763741	853245	159109	0	1012354	3751387	3910496
iv)	भवन	5607531		1001173				6608704	2679415	927396	0	3606811	3001893	2928116
v)	रेलवे साइडिंग्स	0						0	0	0	0	0	0	0
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	0						0	0	0	0	0	0	0
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	0						0	0	0	0	0	0	0
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	0						0	0	0	0	0	0	0
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	0						0	0	0	0	0	0	0
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	94554						94554	74174	4992	0	79166	15388	20380
xi)	निर्माण उपकरण	7472225		15298				7487523	6763182	1598	0	6764780	722743	709043
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/ नालियां और सीवर प्रणाली	0						0	0	0	0	0	0	0
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	0						0	0	0	0	0	0	0
xiv)	वाहन	4230770						4230770	3807693	0	0	3807693	423077	423077
xv)	विमान/ नौकाएं	0						0	0	0	0	0	0	0
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	1144413		480625				1625038	900015	48165	0	948180	676858	244398
xvii)	कम्प्यूटर	1820365		479954				2300319	1289854	273602	55994	1619450	680869	530511
xviii)	संचार उपकरण	113945		37988				151933	104737	11314	0	116051	35882	9208
xix)	कार्यालय उपकरण	777570		82000				859570	609800	29281	0	639081	220489	167770
xx)	अनुसंधान और विकास	0						0	0	0	0	0	0	0
xxi)	अन्य आस्तियां	1270689		417472				1688161	1056805	56611	0	1113416	574745	213884
xxii)	उन परिसंपत्तियों पर व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है.	0						0	0	0	0	0	0	0
xxiii)	गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <5000 रूपये	1611606		216313				1827919	1610815	216186	0	1827001	918	791
xxiv)	अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	0						0	0			0	0	0
	कुल	**28907409**	**0**	**2730823**	**0**	**0**	**0**	**31638232**	**19749735**	**1728254**	**55994**	**21533983**	**10104249**	**9157674**
	पिछले वर्ष	28422327	145990	494666	0	155574	0	28907409	19091932	630139	27664	19749735	9157674	9330395

टिप्पणी संख्या 11.2 - अगोचर परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्र. स.	विवरण	सकल ब्लॉक							मूल्य-ह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04.2013 को	संवर्द्धन		कमी		अन्य समायोजन	31.03.2014 को	01.04.2013 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2014 को	31.03.2014 को	01.04.2013 को
			आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
i)	भूमि-अवर्गीकृत/ इस्तेमाल का अधिकार	0						0	0	0	0	0	0	0
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	7850						7850	7849	0	0	7849	1	1
	कुल	7850	0	0	0	0	0	7850	7849	0	0	7849	1	1
	पिछले वर्ष	7850	0	0	0	0	0	7850	5232	2617	0	7849	1	2618

टिप्पणी संख्या 12.1 - चालू पूंजी कार्य

(राशि रुपये में)

विवरण		01.04. 2013 को	संवर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03. 2014 को
i)	सड़कें और पुल	-				-
ii)	भवन	-		-		-
iii)	रेलवे साइडिंग्स	-				-
iv)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	-				-
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-				-
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-				-
vii)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	-				-
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-				-
ix)	निर्माण उपकरण	-				-
x)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-				-
xi)	संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	-				-
xii)	उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं।	-				-
xiii)	भारत सरकार की 5 कि.मी. योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूआईपी-आस्तियां	-				-
xiv)	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार	55761976	42244514			98006490
xv)	प्रतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	-	159528000			159528000
xvi)	निर्माण के दौरान व्यय*	426982915	115634139			542617054
	घटाएं: प्रावधान के लिए	-				-
	उप-जोड़ (क)	482744891	317406653	-	-	800151544

*** वर्ष के दौरान संवर्द्धन के लिए टिप्पणी संख्या 29 देखें**
**** संचयी ईडीसी के विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 12.1 का अनुलग्नक देखें.**

	01.04. 2013 को		समायोजन		31.03. 2014 को
निर्माण भंडार	**257198**	**-**			257198
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	**129000**	**-**			129000
उप-जोड़ (ख)	**128198**	**-**			128198
कुल	**482873089**	**317406653**	-	-	800279742
पिछले वर्ष	418015182	66805911	(1948004)	-	482873089

टिप्पणी संख्या 12.1 का अनुलग्नक - संचयी ईडीसी

(राशि रुपये में)

	विवरण	31.03. 2014 को	31.03. 2013 को
क.	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	वेतन, मजदूरी, भत्ते।	318497865	267070939
	उपदान तथा भविष्य निधि में योगदान	56873377	49466165
	स्टाफ कल्याण व्यय	38823155	35832766
	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	4869	4869
	उप-जोड़ (क)	**414199266**	**352374739**
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	**-**	**-**
	उप-जोड़ (क)	**414199266**	**352374739**
ख.	**अनुरक्षण और रखरखाव**		
	भवन	6294833	5027419
	मशीनरी	110591	110591
	अन्य	14526878	12793911

टिप्पणी संख्या 12.1 का अनुलग्नक - संचयी ईडीसी (राशि रुपये में)

	विवरण	31.03. 2014 को	31.03. 2013 को
ग	**प्रशासन और अन्य व्यय**		
	किराया	4873351	4005523
	दरें और कर	118636	107796
	बीमा	2015822	1922439
	सुरक्षा व्यय	-	-
	विद्युत प्रभार	90916	77916
	यात्रा और वाहन	12785784	9217075
	वाहनों पर व्यय	5674611	4677383
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक व्यय	2069893	1865404
	विज्ञापन एवं प्रचार	1357161	1357161
	मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	23045	23045
	मुद्रण और लेखन सामग्री	2010285	1558977
	डिजाइन और परामर्शी प्रभार		-
	- स्वदेशी	41757460	116506
	- विदेशी	-	-
	जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रतिपूरक वृक्षारोपण/उपचार/पर्यावरण व्यय	-	-
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	183233	183233
	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-	-
	बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियां/दावे	13562	13562
	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-
	अन्य सामान्य व्यय	8375130	5804665
	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	130449	130449
	उप-जोड़ (ख)	**102411640**	**48993055**
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	**-**	**-**
	उप-जोड़ (ख)	**102411640**	**48993055**
घ.	**प्रावधान**	1660747	1660747
	उप-जोड़ (ड.)	**1660747**	**1660747**
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	**-**	**-**
	उप-जोड़ (ड.)	**1660747**	**1660747**
ड.	**वित्त लागत**		
	निम्नांकित पर ब्याज		
	भारत सरकार के ऋण	-	-
	बांड	-	-
	विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
	सावधि ऋण	-	-
	कैश क्रेडिट सुविधा/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	अन्य वित्त प्रभार	173934	171531
	उप-जोड़ (ग)	**173934**	**171531**
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	**-**	**-**
	उप-जोड़ (ग)	**173934**	**171531**
च.	**विनिमय दर अंतर (निवल)**		
	i) ईआरवी (ऋण शेष)	-	-
	घटाएं : ii) ईआरवी (क्रेडिट शेष)	-	-
	उप-जोड़ (घ)	**-**	**-**
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	**-**	**-**
	उप-जोड़ (घ)	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 12.1 का अनुलग्नक - संचयी ईडीसी

(राशि रुपये में)

	विवरण	31.03. 2014 को	31.03. 2013 को
छ.	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**	23131768	21403514
	उप-जोड़ (छ)	**23131768**	**21403514**
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-
	उप-जोड़ (छ)	**23131768**	**21403514**
ज.	**पूर्व अवधि व्यय (निवल)**		
	पूर्व अवधि व्यय	65299	65299
	घटाएं : पूर्व अवधि आय	-	-
	उप-जोड़ (ज)	**65299**	**65299**
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-
	उप-जोड़ (ज)	**65299**	**65299**
झ.	**निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय (झ)**	13152865	13152865
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-
	उप-जोड़ (झ)	13152865	13152865
ञ.	**घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां**		
	विद्युत उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व	-	-
	ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	2706199	2706199
	विविध प्राप्तियां	1136659	968638
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	61513	61513
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	8064584	7102485
	संयंत्र एवं मशीनरी पर किराया/आउटरन	209510	-
	उप-जोड़ (ञ)	**12178465**	**10838835**
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-
	उप-जोड़ (ञ)	**12178465**	**10838835**
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ)	**542617054**	**426982915**
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ)	**542617054**	**426982915**
	टिप्पणी - 12 : ईडीसी(अंतिम शेष)	542617054	426982915

टिप्पणी संख्या 13 - गैर वर्तमान निवेश

विवरण		31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क.	व्यापार उद्धृत	-	-
ख.	गैर-व्यापार उद्धृत	-	-
कुल		-	-

टिप्पणी संख्या 14 - ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क)	**पूंजी अग्रिम**						
	प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
	अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	– बैंक गारंटी के बदले	-		-	-		-
	– अन्य	12543679		12543679	7914833		7914833
	घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित व्यय के लिए प्रावधान	-		-	-		-
	अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	151747		151747	151747		151747
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान 1*	151747		151747	151747		151747

टिप्पणी संख्या 14 - ऋण एवं अग्रिम (राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
		दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
ख.	**जमा राशियां**						
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	घटाएं: संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 2*	-	-	-	-	-	-
ग.	**अन्य ऋण और अग्रिम**						
	कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	133092	-	133092	330408	-	330408
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	1700471	1700471	-	1341262	1341262
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
	संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं को ऋण						
	- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-	-		-	-
	- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
	- बैंक गारंटी के बदल		-	-		-	-
	- अन्य		219000	219000		10909035	10909035
	- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान 3*	-	-	-	-	-	-
	अग्रिम आय कर एवं स्त्रोत पर काटा गया कर		70001710	70001710		56916790	56916790
	कुल	**12676771**	**71921181**	**84597952**	**8245241**	**69167087**	**77412328**
		दीर्घावधि	**अल्पावधि**	**कुल**	**दीर्घावधि**	**अल्पावधि**	**कुल**
	संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए प्रावधान 1 *						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	151747	-	151747	151747		151747
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन			-			-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि			-			-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि			-			-
	अंतिम शेष	**151747**	**-**	**151747**	**151747**	**-**	**151747**
		दीर्घावधि	**अल्पावधि**	**कुल**	**दीर्घावधि**	**अल्पावधि**	**कुल**
	संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान 2 *						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन			-			-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि			-			-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि			-			-
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		दीर्घावधि	**अल्पावधि**	**कुल**	**दीर्घावधि**	**अल्पावधि**	**कुल**
	संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान 3 *						
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्द्धन			-			-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि			-			-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि			-			-
	अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों की ओर बकाया ऋण और अग्रिम- शून्य

ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

होल्डिंग कंपनी (एनएचपीसी लिमिटेड) की ओर वर्ष के अंत में बकाया राशि और वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि का ब्यौरा -

	31.03.2014 को		31.03.2013 को	
	अधिकतम बकाया	**वर्ष के अंत में बकाया**	अधिकतम बकाया	वर्ष के अंत में बकाया
		-		-
एनएचपीसी लिमिटेड		413142		3799162
		-		-

टिप्पणी संख्या 15 - अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य	-	-
अन्य		
कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 16 - वर्तमान निवेश (राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क. व्यापार-उद्धृत	-	-
ख. व्यापार-अनुद्धृत	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 17 - माल सूची (राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकन)		
घटाएं - अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *4	-	-
कुल	-	-
अप्रचलित एवं मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *4		
अंतिम शेष	-	-

टिप्पणी संख्या 18 - व्यापार प्राप्य (राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य (भुगतान देय होने की तारीख से)		
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *5	-	-
कुल	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *5		
अंतिम शेष	-	-

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-
कंपनी के किसी निदेशक या अन्य अधिकारी की ओर अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रुप से बकाया ऋण और ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

टिप्पणी संख्या 19 - नकदी एवं बैंक शेष (राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क नक़दी एवं नकदी समकक्ष		
हस्तगत नकदी (रु.....मूल्य के हस्तगत स्टैम्प (पिछले वर्ष रु.....) शामिल हैं।)	19572	24074
हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	-	-
बैंकों में राशि		
• **अनुसूचित बैंकों के साथ**		
- चालू खाते में		
- स्वबीमा निधि	-	-
- अन्य	779544	325728900
- जमा खाते में (तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि के साथ जमा)		
• **अन्य बैंकों के साथ**		
- चालू खाते में		

टिप्पणी संख्या 19 - नकदी एवं बैंक शेष

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
ख अन्य बैंकों में शेष		
बैंकों में शेष (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि)		
• **अनुसूचित बैंकों के साथ**		
- आईपीओ प्राप्तियां	-	-
- अन्य	495736679	663873241
जमा खाते में -अप्रदत्त लाभांश	-	-
12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि)		
- स्वबीमा निधि	-	-
- आईपीओ प्राप्तियां	-	-
- अन्य	-	75000000
कुल	**496535795**	**1064626215**

टिप्पणी संख्या 20 - अन्य चालू आस्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को
क	निम्नांकित पर प्रोदभूत ब्याज:-			
	उपभोक्ताओं के बकाया के निवटान में राज्य सरकार को ऋण	-		-
	जमा राशियां -			
	- आईपीओ	-		-
	- स्व-बीमा	-		-
	- अन्य जमा राशियां	37234090		36826661
	अन्य	-		-
ख	बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य	-		-
ग	होल्डिंग कम्पनी (एनएचपीसी) से वसूलियां	413142		3799162
घ	लाभार्थियों/ होल्डिंग कम्पनी से वसूली योग्य ब्याज	-		-
ड.	वसूली योग्य दावे	3307	92213	
	घटाए: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *6	- 3307	-	92213
	निर्माण कार्य प्रगति पर			
	कुल	**37650539**		**40718036**

टिप्पणी संख्या 21 - प्रचालन से राजस्व

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क	बिक्री		
	उप जोड़ क	-	-
ख	**मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम**		
	उपजोड़ ख	-	-
ग	**अन्य प्रचालन आय**		
	उपजोड़ ग	-	-
घ	**संविदाओं परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**		
	उपजोड़ घ	-	-
	कुलयोग (क+ख+ग+घ)	-	-

टिप्पणी संख्या 22 - अन्य आय

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क	**गैर वर्तमान निवेश से आय**		
	व्यापार		
	गैर-व्यापार		
ख	**अन्य आय**		
	ब्याज		
	- जमा राशि - स्व-बीमा निधि	-	-
	- जमा खाता - स्व-बीमा निधि से भिन्न	43060187	68113307
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	-	-
	- अन्य	-	-
	देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	962099	1179494
	अन्य	377531	152990
	विनिमय दर अंतर	-	-
	कुल	**44399817**	**69445791**
	जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
	कुल	**44399817**	**69445791**
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित आय	1339630	1332484
	लाभ एवं हानि लेखा में डाला गया कुल	**43060187**	**68113307**
	# देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है		
	i) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान		-
	ii) पीआरपी/इंसेंटिव/उत्पादकता पर आधारित प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	922581	508660
	iii) सेवा निवृत्ति पेंशन के लिए प्रावधान	-	670834
	iv) अन्य	39518	-
	कुल	**962099**	**1179494**
		-	-

टिप्पणी संख्या 23 - उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क	**उत्पादन व्यय**		
	जल उपयोग शुल्क	-	-
	स्टोर तथा अतिरिक्त पुर्जा की खपत	-	-
ख	**संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय**	-	-
ग	**मरम्मत और अनुरक्षण**		
	- भवन	1267414	1359184
	- मशीनरी	-	-
	- अन्य	1732967	1032286
घ	**प्रशासनिक व्यय**		
	किराया	867828	645538
	दरें और कर	23953	21730
	बीमा	93383	71550
	स्व: बीमा निधि का उपयोग	-	-
	सुरक्षा व्यय	-	-
	विद्युत प्रभार	13000	10452

टिप्पणी संख्या 23 - उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय (क्रमशः) (राशि रुपये में)

विवरण			31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	यात्रा एवं वाहन		3568709		1315266
	वाहनों पर खर्च		997228		888269
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें		204489		144082
	विज्ञापन एवं प्रचार		1041680		-
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		139535		19119
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		451308		143786
	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी		41640954		66500
	परामर्शी प्रभार -विदेशी		-		-
	लेखा परीक्षा व्यय (नीचे ब्यौरा देखें)		94944		99521
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च		-		-
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		-		-
	परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		-		-
	बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां/दावे		-		-
	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		21789		210
	दान		-		-
	सीएसआर/स्थाई विकास/सामुदायिक विकास व्यय		210448		-
	निदेशकों का व्यय		-		-
	अनुसंधान एवं विकास व्यय		-		-
	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज		-		-
	लाभार्थी राज्यों को ब्याज		-		-
	ग्राहकों को छूट		-		-
	स्व निर्मित वीईआर्स पर व्यय		-		-
	विनियमित विद्युत के लिए व्यय				
	घटाए: विनियमित विद्युत पर वसूली योग्य व्यय	-	-	-	-
	विनिमय दर अंतर	-	-	-	-
	अन्य सामान्य व्यय		2587434		1315696
	उप जोड़		**54957063**		**7133189**
	जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय		-		-
	उप जोड़		**54957063**		**7133189**
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित राशि		53418585		7006529
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-		-
	कुल (क से घ) = i		**1538478**		**126660**
च	**प्रावधान**				
	उप जोड़		**-**		**-**
	जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय		-		-
	उप जोड़		**-**		**-**
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित राशि		-		-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य		-		-
	कुल (च-)=ii		-		-
	लाभ एवं हानि खाते को ले जाया गया **कुल (i) + (ii)**		**1538478**		**126660**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रुप मे दर्शाया गया है।

2) लेखा परीक्षा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है

	वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए		वित्त वर्ष 2012-2013 के लिए	
क) सांविधिक लेखा परीक्षक				
लेखा परीक्षक के रुप में				
लेखा परीक्षा शुल्क	44944.00		22472.00	
कर लेखा परीक्षा शुल्क	-	44944.00	-	22472.00
अन्य क्षमता में				
कराधान मामले	-		-	
कम्पनी कानून संबंधी मामले	-		-	
प्रबंधन सेवाएं	-		-	
अन्य मामले/सेवाएं	-		-	-
व्यय की अदायगी				
लेखा-परीक्षा संबंधी अन्य व्यय		50000.00		77049.00
ख) लागत लेखा परीक्षक				
लेखा परीक्षा शुल्क		-		-
खर्च की अदायगी		-		-
कुल लेखा परीक्षा व्यय		**94944.00**		**99521.00**

टिप्पणी संख्या 24 - कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	**31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते।	51426926	28957544
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	7407212	5920030
स्टाफ कल्याण व्यय	2990389	2573145
अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
कुल	**61824527**	**37450719**
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**61824527**	**37450719**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	61824527	37450719
घटाएं - जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि खाते को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 21,84,461/- रुपये (विगत वर्ष 12,73,329/- लाख रुपये) का प्रावधान कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के लीज भुगतान के वास्ते किया गया है।

2) उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :	**31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) कर्मचारी भविष्य निधि के लिए	3034110	2210091
ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना	3791233	1979576

टिप्पणी संख्या 25 - वित्त लागत

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. निम्नलिखित पर ब्याज -		
भारत सरकार से ऋण	-	-
बॉण्ड	-	-
विदेशी ऋण	-	-
सावधि ऋण	-	-
कैश क्रेडिट सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
अन्य ब्याज प्रभार	-	-
उप जोड़	**-**	**-**
ख. अन्य ऋण लागत		
प्रतिरक्षा (हेजिंग) कारोबार पर हानि	-	-
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	-	-
प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
विदेशी ऋण पर गांरटी शुल्क	-	-
अन्य वित्त प्रभार	2403	2662
उप जोड़	**2403**	**2662**
ग. विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि		
ब्याज लागत में समायोजन के रुप में समझा गया विनिमय अंतर	-	-
घटाएं: विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	-	-
उप जोड़	**-**	**-**
कुल योग	2403	2662
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल योग	**2403**	**2662**
घटाएं: ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	2403	2662
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 26 - मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1728254	632756
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-
जोड़ें / (घटाएं) सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	**1728254**	**632756**
घटाएं: ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1728254	632756
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 27 - पूर्व-अवधि मदें (निवल)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
उप-जोड़	-	-
व्यय		
उपजोड़	-	-
कुल	-	-
जोड़ें / (घटाएं) निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीआईडी व्यय	-	-
कुल	-	-
घटाए: ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय	-	-
घटाए: पूर्व अवधि आय	-	-
कुल	-	-
घटाए: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 28 - कर व्यय

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	वर्तमान कर				
	आय कर प्रावधान		13471718		22058268
	पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन		-		-
	आस्थगित कर	-		-	
	घटाए: वसूली योग्य	-	-	-	-
			13471718		**22058268**

टिप्पणी संख्या 29 - वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क	**कर्मचारी लाभ व्यय**				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते	51426926		28957544	
	उपदान और भविष्यनिधि में योगदान	7407212		5920030	
	कर्मचारी कल्याण व्यय	2990389		2573145	
	अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-		-	
	उप-जोड़		**61824527**		**37450719**
ख	**अनुरक्षण और रख-रखाव**				
	भवन	1267414		1382945	
	मशीनरी	-		17449	
	अन्य	1732967		991076	
	उप-जोड़		**3000381**		**2391470**
ग	**प्रशासन और अन्य व्यय**				
	किराया	867828		645538	
	दरें और कर	10840		13920	
	बीमा	93383		71550	
	सुरक्षा व्यय	-		-	

टिप्पणी संख्या 29 - वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	विद्युत प्रभार	13000		10452	
	यात्रा और वाहन	3568709		1315266	
	वाहनों पर व्यय	997228		888269	
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक व्यय	204489		144082	
	विज्ञापन एवं प्रचार	-		-	
	मनोरंजन और आवभगत व्यय	-		-	
	मुद्रण और लेखन सामग्री	451308		143786	
	डिजाइन और परामर्शी प्रभार				
	- स्वदेशी	41640954		-	
	- विदेशी	-		-	
	जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रतिपूरक वृक्षारोपण/उपचार/पर्यावरण व्यय	-		-	
	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर सुविधाओं के सृजन हेतु	-		-	
	बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां/दावे	-		-	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	-		-	
	अन्य सामान्य व्यय	2570465		1382196	
	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-		-	
	विनिमय दर अंतर (डेबिट)	-		-	
	उप-जोड़		**50418204**		**4615059**
घ	**प्रावधान**	-		-	
	उपजोड़		**-**		**-**
ड.	**वित्त लागत**				
	निम्नांकित पर ब्याज				
	भारत सरकार के ऋण	-		-	
	बांड	-		-	
	विदेशी मुद्रा ऋण	-		-	
	सावधि ऋण	-		-	
	कैश क्रेडिट सुविधाएं/डब्ल्यूडीसीएल	-		-	
	ब्याज लागत में समायोजन के रुप में समझा गया विनिमय अंतर	-		-	
	हेजिंग (प्रतिरक्षा) कारोबार पर हानि	-		-	
	बांड इश्यू/सेवा प्रभार	-		-	
	प्रतिबद्धता शुल्क	-		-	
	ऋण पर गारंटी शुल्क	-		-	
	अन्य वित्त प्रभार	2403		2662	
	उप-जोड़		**2403**		**2662**
च	**मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय**	1728254		632756	
	उप-जोड़		**1728254**		**632756**
छ	**पूर्व अवधि व्यय**				
	पूर्व अवधि व्यय	-		-	
	घटाए: पूर्व अवधि आय	-		-	
	उप-जोड़		-		-

टिप्पणी संख्या 29 - वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
ज	**निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय:**				
	अन्य आय	-		-	
	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	-		-	
	कर्मचारी लाभ व्यय	-		-	
	मूल्यह्रास और परिशोधन	-		-	
	वित्त लागत	-		-	
	प्रावधान	-		-	
	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	-		-	
	उप-जोड़	-	-	-	-
	कुल (क से ज तक)		**116973769**		**45092666**
झ	**घटाए: प्राप्तियां और वसूलियां**				
	क) विद्युत उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व	-		-	
	ख) अन्य				
	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	-		-	
	विविध प्राप्तियां	168021		152990	
	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-		-	
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयता	962099		1179494	
	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट रन	209510		-	
	उप-जोड़		**1339630**		**1332484**
	कुल		**115634139**		**43760182**

टिप्पणी संख्या 30 - संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क.	निदेकशक व्यय	-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय		
ख.	अनुरक्षण और रखरखाव		
ग.	प्रशासन एवं अन्य व्यय		
घ.	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	-	-
ड.	वित्त लागत	-	-
	निर्माण संविदाओं पर हानि	-	-
च.	प्रावधान	-	-
छ.	निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
	कुल व्यय	-	-
ज.	घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां	-	-
	वर्ष के दौरान निवल व्यय	-	-
झ.	पूर्व अवधि समायोजन	-	-
	कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 31 - लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. क) आकस्मिक देयताएं: (राशि करोड रुपये में)

विवरण	प्रारंभिक शेष 01/04/2013	अंतिम शेष 31/03/2014
कंपनी पर निम्नलिखित से संबंधित दावों को ऋण नहीं माना गया है-	शून्य	शून्य
-पूंजीगत कार्य	शून्य	शून्य
-भूमि मुआवजा मामले	शून्य	शून्य
- विवादित आयकर की मांग	शून्य	शून्य
-विवादित बिक्री कर मांग	शून्य	शून्य
- विवादित सेवा कर मांग	शून्य	शून्य
-अन्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा संबंधी मामलों और अन्य लंबित मामलों से जुड़ी ऐसी देयताएं शामिल नहीं हैं जिनमें राशियों को मात्रात्मक रुप नहीं दिया जा सका है।

ग) पूंजी कार्य के संदर्भ में सेवा और अन्य मामलों में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर और मात्रा परिवर्तन संबंधी संविदाकारों के दावे, समय के विस्तार से संबंधित लागत और काम रोके जाने/कार्य स्थल सुपुर्द किए जाने में विलम्ब आदि से संबंधित दावे शामिल हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि वे सम्बद्ध अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं अथवा उनसे संबंधित ट्राइब्यूनल/अदालत में विचाराधीन हैं। उपर्युक्त में ठेकेदारों के वे दावे भी शामिल हैं जिनपर प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है मगर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल पाया है।

घ) ''पूंजी कार्य'' शीर्ष के अंतर्गत कंपनी के खिलाफ सुनाए गये पंचाट फैसलों से संबंधित आकस्मिक देयताओं के रूपये शून्य करोड़ (पिछले वर्ष शून्य करोड़) शामिल हैं। इन फैसलों के सिलसिले में भुगतान संभावित नहीं समझा गया है, क्योंकि कंपनी ने मामलों को अदालत में चुनौती दी है/चुनौती देने का फैसला किया है।

ङ) किसी भुगतान से संबंधित अनिश्चितताओं को प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है।

च) उक्त आकस्मिक देयताओं के सिलसिले में कंपनी को 'शून्य' करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 'शून्य' करोड़ रुपए) की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है।

छ) मामलों को चुनौती देने के लिए उक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 'शून्य' रूपए (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपए) अदा किए गए हैं, जिन्हें चालू आस्तियों के रुप में दिखाया गया है.

ज) कोई निर्माण कार्य अभी शुरु नहीं हुआ है, अतः कंपनी की कोई पूंजी प्रतिबद्धता नहीं है.

2. मणिपुर सरकार और एनएचपीसी लिमिटेड (कारपोरेशन) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों के अनुसार कारपोरेशन की लोकतक डाउनस्ट्रीम जल-विद्युत परियोजना 22 अक्टूबर, 2009 को इसकी सभी चालू आस्तियों (रोकड़ एवं बैंक शेष सहित) और देयताओं के साथ एक सयुंक्त उद्यम कंपनी (कारपोरेशन की अनुषंगी कंपनी) के रुप में परिवर्तित कर दी गई, जिसका निगमीकरण 23 अक्टूबर, 2009 को चालू महत्व आधार पर लोकतक डाउनस्ट्रीम कारपोरेशन लिमिटेड के नाम एवं शैली के अंतर्गत किया गया। 22 अक्टूबर, 2009 के अनुसार कारपोरेशन की लोकतक डाउनस्ट्रीम जल-विद्युत परियोजना की आस्तियों और देयताओं का सकल मूल्य कंपनी द्वारा 23 अक्टूबर, 2009 को उसे हस्तांतरित आस्तियों के सकल मूल्य के रुप में समाहित किया गया। मूल्यह्रास का सकल मूल्य भी, जहां कहीं लागू हो, 22.10.2009 तक एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा कंपनी को हस्तांतरित मूल्यह्रास के सकल मूल्य के रुप में दर्शाया गया है।

3. पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि शून्य रूपये है।

4. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लम्बित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों पर व्यय हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

5. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गईं परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

6. 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों में संशोधन/शाब्दिक परिवर्तन किया गया/को हटाया गया:

(राशि करोड रुपये में)

नीति सं.	लेखांकन नीतियों का विवरण	वर्ष के लिए लाभ पर प्रभाव
पूर्ववर्ती ले.नी. सं. 2.3	नयी लेखांकन नीति सं. 4.4 परिसम्पत्तियों की क्षति के बारे में नई नीति शुरु होने के बाद जहां न तो जमीन और न ही परिसंपत्तियां कंपनी के स्वामित्व में हैं वहां परिसंपत्तियों पर पूंजी खर्च हटा दिया गया है.	महत्वपूर्ण
पूर्ववर्ती ले.नी. सं. 5.8	लेखांकन नीति सं. 2.3 को हटाने के बाद इस नीति में उल्लिखित पूंजी खर्च के प्रत्युत्सर्जन की नीति को भी हटा दिया गया है.	महत्वपूर्ण
नई ले.नी. सं. 4.4	ऐसी सुविधाओं, जिन पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है, पर पूंजी खर्च के बारे में नयी नीति, शुरु की गयी है.	

7. कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित निर्माण संविधाओं पर लेखांकन मानक-7 के अनुसार ईएसी की राय संबंधी प्रकटीकरण इस प्रकार है :

(राशि करोड रुपये में)

क्र. स.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	सूचित तिथि तक प्रगतिधीन संविदाओं पर वहन की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटा मान्यता प्रदान की गई हानि) की संचित राशि.(समग्र प्रत्यक्ष लागत+/-लाभ/हानि केवल) (समग्र प्रत्यक्ष लागत+/-लाभ/हानि केवल)	शून्य	शून्य
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि (केवल सेवा प्रभार के रुप में)	शून्य	शून्य
3.	प्रतिधारण की राशि	शून्य	शून्य
4.	परिसंपत्ति के रुप में संविदा कार्य हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	शून्य
5.	देयता के रुप में संविदा कार्य हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	शून्य

8. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नांकित अनुसार रहा:

(राशि करोड रुपये में)

		31.03.2014 को समाप्त इस वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त इस वर्ष के लिए
(i)	मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रुप में)	शून्य	शून्य
(ii)	मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रुप में) *	शून्य	शून्य
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रुप में)	शून्य	शून्य
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रुप में)	शून्य	शून्य
(v)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	शून्य	शून्य

*परन्तु विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सीईआरसी विनियम (टेरिफ के नियम एवं शर्तें) के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के प्रभाव की वसूली ग्राहकों से की जाती है. आईसीएआई की ईएसी के मतानुसार वर्ष के दौरान इस अंतर को स्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभार्थियों से वसूली याने योग्य) में अंतरित किया गया.

9. कंपनी के सभी कर्मचारी एनएचपीसी लि. के रोल पर हैं और लेखांकन मानक-15 (संशोधित 2005) के अनुसार 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर्मचारी हित के सभी प्रावधान एनएचपीसी लि. की बहियों में दर्ज किए गए हैं. 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ के प्रावधान में बढ़ोतरी को टिप्पणी संख्या 26 में 'कर्मचारी लाभ व्यय' के अंतर्गत लिखा गया है.

10. "आस्तियों की क्षति" संबंधी लेखांकन मानक (एएस)-28 के अनुसार क्षति संबंधी विश्लेषण कारपोरेट कार्यालय के स्तर पर किया जा रहा है.

11. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची- VI के अनुसार अन्य अपेक्षित प्रकटीकरण:

(राशि करोड रुपये में)

विवरण			31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य			
	i)	पूंजीगत वस्तुएं	शून्य	शून्य
	ii)	कलपुर्जे	शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय			
	i)	जानकारी	शून्य	शून्य
	ii)	ब्याज	शून्य	शून्य
	iii)	अन्य विविध मामले	शून्य	शून्य
ग)*	प्रचालन इकाइयों में उपयोग में लाए गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य			
	i)	आयातित	शून्य	शून्य
	ii)	स्वदेशी	शून्य	शून्य
घ)**	विदेशी मुद्रा में अर्जन			
	i)	ब्याज	शून्य	शून्य
	ii)	अन्य	शून्य	शून्य

* प्रोद्भूत आधार

12. प्रमाणित उत्सर्जन कमी (वीईआर) से संबंधित प्रकटीकरण :-

क्र. स.	विवरण	
1.	निवेश के रुप में धारित वीईआर की संख्या और मूल्यांकन का आधार	शून्य
2.	प्रामाणीकरण के अधीन वीईआर की संख्या	शून्य
3.	वर्ष के दौरान उत्सर्जन में कमी लाने वाले उपकरणों की मूल्यह्रास और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत (करोड़ रुपये में).	शून्य
4	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री किए गए वीईआर की संख्या और उनका तत्संबंधी मूल्य	शून्य

13. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड रुपये में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि।	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	शून्य
(iii)	सहमत समय से 15 दिन अधिक के लिए मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि ।	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज ।	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रुप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

14. किसी विवाद के कारण जमा न कराए गए सांविधिक देयों का ब्यौरा :

संविधि का नाम	शुल्क का स्वरूप	राशि रु.	वर्ष जिससे सम्बद्ध है	फोरम जहां मामला लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	शून्य	लागू नहीं	
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	शून्य	लागू नहीं	
सीमा शुल्क, अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क	शून्य	लागू नहीं	
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	शून्य	लागू नहीं	
कृपया उल्लेख करें	कोई अन्य शुल्क	शून्य	लागू नहीं	

15. बिक्री, कारपोरेट कार्यालय प्रबंधन व्यय के आवंटन, क्षेत्रीय कार्यालय व्यय, और बीमांकिक मूल्यांकन आधारित कर्मचारी लाभ पर व्यय की गणना कारपोरेट कार्यालय के परामर्श से की गई है.

16. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या -309115ई)

लिंडा क्षेत्रीमयम
भागीदार
सदस्य संख्या 511337

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

(जी. साइ प्रसाद)
अध्यक्ष
डीआईएन 00325308

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(सिलादित्य बसू)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विपन जैन)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05 मई, 2014

नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपये में)

विवरण		31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क)	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कराधान पूर्व निवल लाभ	41521709		67986647	
	समायोजन				
	-ब्याज/अन्य आय	(43060187)		(68113307)	
	-बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय				
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले प्रचालनगत लाभ	(15,38,478)		(1,26,660)	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
	ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(71,85,624)		(293,41,762)	
	चालू देयताओं में (वृद्धि)/कमी	30,67,497		253,98,061	
	प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(2876,98,876)		2503,35,507	
	प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	140,29,820		20647295	
	प्रचालन क्रियाकलापों से सृजित नकदी	(2793,25,661)		2669,12,441	
	अदा किया गया आयकर	134,71,718		220,58,268	
	प्रचालन क्रियाकलापों से सृजित निवल नकदी प्रवाह (क)		**(2927,97,379)**		**2448,54,173**
ख)	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	अचल आस्तियों में वृद्धि	(27,30,823)		175338	
	चालू पूंजी कार्य में वृद्धि	(3156,22,405)		(64857907)	
	भंडार एवं कलपुर्जों में वृद्धि				
	ब्याज आय	43060187		68113307	
	ब्याज आय (पूर्व अवधि)				
	निवेश क्रियाकलापों से सृजित निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(2752,93,041)**		**34,30,738**
ग)	**वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	विविध आय				
	शेयर आवंटन/आवेदन राशि से प्राप्तियां		-	142307690	
	अनुदान के प्रति प्राप्तियां				
	वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**-**		**1423,07,690**
	नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि	(क+ख+ग)	**(5680,90,420)**		**3905,92,601**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		**10646,26,215**		**6740,33,614**
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		**4965,35,795**		**10646,26,215**

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या -309115ई)

लिंडा क्षेत्रीमयम
भागीदार
सदस्य संख्या 511337

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

(जी. साइ प्रसाद)
अध्यक्ष
डीआईएन 00325308

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन 03021294

(सिलादित्य बसू)
मुख्य वित्त अधिकारी

(विपन जैन)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05 मई, 2014

44 मेगावाट चुटक पावर स्टेशन (जम्मु व कश्मीर) - बैराज

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

CIN No. 'L40101HR1975GOI032564'

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर – 33, फरीदाबाद – 121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com
NHPC Office Complex, Sector - 33, Faridabad - 121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com
EPABX : 0129-2278421 / 422 / 423

www.sapprints.com